वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report
2019-2020

भारत सरकार

Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law And Justice

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और विधि और न्याय मंत्रालय का संगठन	(i-ii)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1–46
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	47–92
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	93–124
5.	अनुबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	125
6.	अनुबंध – II	भारत सरकार के 21वें विधि आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट	126–127
7.	अनुबंध – III	आई.टी.ए.टी. में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/ भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या	128–129
8.	अनुबंध – IV	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगों की संख्या	130–133
9.	अनुबंध – V	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	134
10.	अनुबंध – VI	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन	135
11.	अनुबंध – VII	स्वच्छता पखवाड़ा	136
12.	अनुबंध – VIII	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	137
13.	अनुबंध – IX	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगों की संख्या	138
14.	अनुबंध – X	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	139
15.	अनुबंध – XI	विधायी विभाग	140
16.	अनुबंध – XII	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	141
17.	अनुबंध – XIII	अधीनस्थ न्यायपालिका– राज्यवार नवीनतम रिक्ति रिपोर्ट	142–143

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्याय (अध्याय–III) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

मिशन

सरकार को दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनानाः

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना।

विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर–मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करें। मुकदमों की भारी संख्या, उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई–शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय–I

विधि कार्य विभाग

1. कृत्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य–मदों का आबंटन किया गया है: –

1. विधिक मामलों में मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण–लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना।
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है।
3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना।
4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण–पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्पवरिक प्रबंध।
5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं और संपत्ति के हस्तांतरण–पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध किए गए वादों में वाद–पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना।
6. भारतीय विधि सेवा।
7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना।
8. विधि आयोग।
9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।
10. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।
11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।
12. आयकर अपीलीय अधिकरण।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है: –

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001;

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थ, केंद्र, 2019 को भी प्रशासित किया जा रहा है।

1.2. यह विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात् भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्तियों से भी संबद्ध है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान और भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान देता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय। कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है– सलाह कार्य और मुकदमा कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध–I में दिया गया है।

मुख्य सचिवालयः

i. मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण–लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में विभाजित किया गया है। साधारणतः प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।

ii. उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा–कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय अपर सचिव रैंक के एक अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, दो अपर सरकारी अधिवक्ता, दो उप सरकारी अधिवक्ता, तीन सहायक सरकारी अधिवक्ताओ, एक अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी और अन्यो कर्मचारी हैं।

iii. दिल्ली उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान पीठ) में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।

iv. दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं।

v. विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात् कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वगयन तथा अधिवक्ता अधिनियम,1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2015 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। इस प्रकोष्ठ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।

vi. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक–एक पद क्रमशः रेलवे बोर्ड और दूर–संचार विभाग में है और इन पदों के धारक उक्त कार्यालयों में ही बैठते हैं। वर्तमान में, एक उप विधि सलाहकार रेलवे

बोर्ड में कार्य कर रहे हैं। एक सहायक विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, एस0एफ0आई0ओ0, एन0टी0आर0ओ0 और केंद्रीय जांच ब्यूरो में विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार भी हैं।

भारतीय विधि सेवा का सृजन

समाज के विकास के साथ–साथ विधि व्यवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है। समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्याध्य मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया जो 1 अक्टूबर, 1957 को लागू हुई। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्व पूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्योंर को राज्यपाल, संसद के दोनों सदनों को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को कई न्यायिक सदस्य और सूचना आयुक्त दिए हैं।

भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारत सरकार का प्रधान विधिक अंग होने के नाते विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग से संबंधित भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। डिजिटल क्रांति ने सूचना की साझेदारी की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है और अर्थव्यवस्था में संपदा के सृजन के नए क्षेत्रों को उत्प न्नी किया है। इससे यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय विधि सेवा के अधिकारी बढ़ती विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने विधिक कौशल को अद्यतन करें। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

3. सलाह 'क' अनुभाग

सलाह "क" अनुभाग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3369 निर्देश (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

2. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की है।

3. सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों के सूचना का अधिकार आवेदनों से संबंधित 49 मामलों पर भी कार्रवाई की गई।

4. हस्तांतरण–लेखन से संबंधित 182 निर्देशों पर भी कार्रवाई की गई। इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे।

5. उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित मंत्रिमंडल के लिए 162 नोट और 77 निर्देश भी जांच के लिए प्राप्त हुए।

6. उपर्युक्त अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा कुल 27 लोक शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई थी।

4. सलाह 'ख' अनुभाग

सलाह 'ख' अनुभाग को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2020 तक, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3480 निर्देश प्राप्त हुए, जिन पर इस अनुभाग द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई।

2. उपर्युक्त अवधि के दौरान, 185 मंत्रिमंडल–नोट/विधायी प्रस्ताव, 1255 विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) समीक्षा/राय दिये जाने के लिए प्राप्तं हुई।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने 253 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

4. इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।

5. इसके अतिरिक्त, 38 संसद–प्रश्नों पर भी कार्रवाई की गई।

5. न्यायिक अनुभाग

1) विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विधि अधिकारियों/पैनल कांउसेलों के माध्यम से केंद्र सरकार के मुकदमों का संचालन

क) दो अपर महासॉलिसिटरों को नियुक्त किया गया तथा एक एएसजीआई को भारत के उच्च तम न्यायालय में पुनः नियुक्त किया गया। एएसजीआई को राजस्थान उच्च न्यायालय में तथा एएसजीआई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुनः नियुक्त किया गया। कर्नाटक और कलकत्ता उच्च न्यायालय के एएसजीआई के त्यागपत्र पर कार्रवाई की गई।

ख) भारत के सात नए सहायक महासॉलिसिटरों को जम्मू, इंदौर, अमरावती एर्नाकुलम, पटना और हैदराबाद उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया। इसके अलावा, दो सहायक महासालिसिटरों के त्यागपत्र पर भी कार्रवाई की गई।

ग) भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए 684 नए पैनल काउंसिल सम्मिलित किए गए।

घ) उक्त अवधि के दौरान, दिल्ली में मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम मामलों के संचालन हेतु 35 वरिष्ठ माध्यस्थम पैनल काउंसिल सम्मिलित किए गए।

ड.) उक्त अवधि के दौरान, देशभर के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष केंद्र सरकार के मुकदमें संचालित करने के लिए एक बड़ी संख्या में अधिवक्ता सम्मिलित किए गए, इस संबंध में, राज्य–वार विवरण निम्न प्रकार से हैः –

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए अधिवक्ताओं की कुल संख्या
1.	दिल्ली	53
2.	उत्तर प्रदेश	174
3.	पश्चिम बंगाल	119
4.	महाराष्ट्र	193
5.	बिहार	06
6.	आंध्रप्रदेश	15
7.	पंजाब और हरियाणा	01
8.	असम	50
9.	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	46
10.	झारखंड	66
11.	केरल	69
12.	मध्य प्रदेश	34
13.	तमिलनाडु	29
14.	ओड़िसा	01
15.	राजस्थान	250
16.	उत्तराखंड	40
	कुल	1146

च.) 32 पैनल काउंसल के त्याग पत्र, मृत्यु के कारण पैनल काउंसल के दो नामों को हटाने और दुराचार के कारण एक पैनल काउंसल को हटाने की कार्रवाई की गयी।

छ.) इस मंत्रालय के अनुमोदन हेतु कुछ विशेष मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं के अलग पैनलों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ज.) सामान्य या विशेष निबंधनों और शर्तों पर देश के विभिन्न न्यायालयों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों से विधि अधिकारी (अर्थात् भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर और भारत के अपर महासॉलिसिटर), पैनल काउंसेल और निजी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान ऐसे लगभग 120 प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है।

2) विभिन्न विषयों जैसे पैनल काउंसेल की नियुक्ति की अवधि, शुल्क सूची से संबंधित विषयों इत्यादि का स्पष्टीकरण पैनल काउंसेल की नियुक्ति, उनकी शुल्क सूची इत्यादि के निबंधनों और शर्तों से संबंधित विभिन्न विषय समय–समय पर प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे लगभग 50 स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

3) ऐसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थों और माध्यस्थम पैनल काउंसेलों की नियुक्ति/नामांकन करना, जिसमें एक पक्ष सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और दूसरा पक्ष सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/निजी पक्षकार होता है:

अन्य पक्षकारों के साथ विभिन्न प्रकार के करारों पर विवाद से उद्भूत उनके माध्यस्थम मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इत्यादि से आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे मामलों में कुल 4 मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, माध्यस्थम मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए माध्यस्थम पैनल काउंसेल की नियुक्ति से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे आवेदनों के उत्तर में, लगभग 100 माध्यस्थम मामलों में माध्यस्थम पैनल काउंसेल नियुक्त किए गए हैं।

4) सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधियां/करार करना:

क) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, विदेशों के साथ पारस्परिक करार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। तथापि, उक्त अवधिक के दौरान नये प्रबंध नहीं किये गये थे।

ख) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने अन्य देशों के साथ सिविल विधि के अधीन विधिक सहयोग पर विभिन्न करार किए हैं। तथापि, उक्त अवधि के दौरान, ऐसे नये समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

5) समनों की तामील इत्यादि के संबंध में द्विपक्षीय संधियों (पारस्परिक विधिक सहायता संधियों/पारस्परिक प्रबंधों) और बहुपक्षीय संधियों (1965/1971 का हेग कन्वेंशन) से उद्भूत होने वाले अनुरोधों की जांच और उन पर कार्रवाई करना: –

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग हेग कन्वेंशन, 1965 के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायकेर दस्तावेजों की विदेशों में तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। इस दायित्व के अधीन, लगभग 2500 अनुरोधों पर कार्रवाई की है।

6) सूचना का अधिकार संबंधी कार्य:–

प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त लगभग 55 सूचना के अधिकार आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। यह अनुभाग ऑनलाइन सूचना के अधिकार आवेदनों का भी निपटान करता है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे 141 ऑनलाइन आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

(7) लोक शिकायतें:

प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 55 लोक शिकायतें/अभ्यावेदन पर कार्रवाई की गई है। यह अनुभाग लोक शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन लोक शिकायत का भी निपटान करता है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी 99 शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान किया गया है।

6. नोटरी सेल

नोटरी सेल, नोटरी अधिनियम, 1952 और नियम, 1956 के तहत उसका प्रशासन करता है। नोटरी सेल देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निवेदनों/आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किए गए वृत्तिक कदाचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल प्रत्येक 5 वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल नोटरी से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, उपयुक्ता मामलों में, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार भी प्रदान करता है।

केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में पहले से नोटरियों की नियुक्तित के अलावा इस अवधि में 8521 नोटरियों की और नियुक्तिक की गयी है। इसके अलावा, विचाराधीन अवधि के दौरान लगभग 1062 नोटरी प्रमाण पत्र नवीनीकृत किए गए हैं।

7. कार्यान्वयन प्रकोष्ठ

विधि आयोग की रिपोर्टें – प्रकाशन : – कार्यान्वयन सेल विधि आयोग की रिपोटों पर कार्रवाई करने, उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुयत करने और रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वायन के लिए अग्रेषित करने और उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उनको संपर्क बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। 20वें विधि आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार, आयोग अपनी रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्रतियों में प्रस्तुत करता है। जैसे ही रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है, आयोग अपनी रिपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से या अन्यथा भी उपलब्ध कराता है इसलिए विधि आयोग की रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जाती हैं। दिनांक 31.12.2019 तक भारत के विधि आयोग ने कुल 277 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी हैं। दिनांक 31.12.2019 तक प्राप्त सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन अथवा उनकी ओर से अगली कार्रवाई के लिए उन्हेंक अग्रेषित किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याययय की विभाग संबंधित स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्यान्वयन सेल वर्ष 2005 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण रखता आ रहा है। इस तरह का अंतिम विवरण (14वां विवरण) संसद के दोनों सदनों के पटल पर (दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में और दिनांक 12.12.2019 को राज्य सभा में) रखा गया था।

विधिक शिक्षाः यह प्रकोष्ठ भारतीय बार काउंसिल के अलावा विधि शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरदायी है।

संविधियों का प्रशासनः यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से भी संबंधित हैः –

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 :– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (''अधिनियम'') विधि व्यवसायियों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने तथा राज्य स्तर पर बार काउंसिलों और एक अखिल भारतीय बार के गठन की व्यवस्था के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अपनी धारा 29 के तहत केवल ऐसे अधिवक्ताओं को मान्यता देता है, जो भारत में विधि व्यावसाय करने के हकदार हैं। अधिनियम की धारा 30 जो प्रवृत्त नहीं थी, दिनांक 15 जून, 2011 (दिनांक 09.06.2011 की अधिसूचना एस.ओ.1349(ई) के तहत) से लागू की गई थी।

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001: –

कनिष्ठ वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और निर्धन अथवा विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सदैव विधिक बिरादरी का विचार का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान अधिनियमित किए हैं। संसद ने उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए, जिनके पास उक्त विषय में समुचित सरकार द्वारा 'अधिवक्ता कल्याण निधि' के सृजन के लिए अपनी अधिनियमितियां नहीं हैं, 'अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001' अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाने को अनिवार्य करता है। 'अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प' के विक्रय के माध्यम से एकत्रित धनराशि 'अधिवक्ता कल्याण कोष' का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रैक्टिस करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और अंशदान शुल्क का भुगतान कर के अधिवक्ता कल्याण निधि' का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति में निहित और उसके द्वारा संघटित और उसके द्वारा प्रयुक्त हो। इस निधि का प्रयोग अन्य बातों के साथ सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्या, प्रैक्टिस के बंद होने या किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके नामिती या कानूनी वारिस को एक नियत धनराशि के भुगतान करने, सदस्य और उसके आश्रितों की चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकों की खरीद और सामान्य सुविधाओं के लिए अनुग्रह राशि के रूप में उपयोग में लाई जाएगी।

8. सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन आरटीआई सेल, आरटीआई मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आरटीआई सेल प्राप्त आरटीआई आवेदनों को संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित करता है। यह केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय भी करता है। आरटीआई प्रकोष्ठ आरटीआई आवेदनों/अपीलों से संबंधित त्रैमासिक विवरण सीआईसी को भेजने के लिए उत्तरदायी है। आरटीआई वेब पोर्टल पर भी ऑनलाइन प्राप्त सभी आरटीआई आवेदन/अपील संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी को भेजी जाती है।

2. वर्तमान में, विधि कार्य विभाग में उप सचिव/अवर सचिव स्तर के 11 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं तथा अपर सचिव, संयुक्त सचिव और समतुल्य स्तर के 07 अपील प्राधिकारी हैं। दिनांक 01.01.2019 से 04.12.2019 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों का विवरण निम्नानुसार है: –

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल
1.	(भौतिक रूप में प्राप्त) आर.टी.आई. आवेदन	1094
2.	(ऑनलाइन प्राप्त हुए) आवेदन	1610
3.	कुल आरटीआई अनुरोध	2704

क्र.सं.	प्रथम अपील	कुल
1.	ऑनलाइन प्राप्त हुए आरटीआई प्रथम अपील	101
2.	भौतिक रूप से प्राप्त आरटीआई प्रथम अपील	48
3.	निपटाई गई कुल प्रथम अपीलें	72

क्र.सं.	दूसरा अपील	कुल
1.	माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील	25

9. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग एक विशेषीकृत अनुसंधान एकक है जो विधि और न्याय मंत्रालय की विधि की पुस्तयकों/जर्नलों/ऑनलाइन आईपी बेस सॉफ्टवेयर और अन्य अनुसंधान सामग्री की आवश्यकता की देखरेख करता है। यह अनुभाग माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय राज्य मंत्री, विधि अधिकारियों और विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के भारतीय विधि सेवा अधिकारियों को संदर्भ और विधिक अनुसंधान की सेवाएं प्रदान करता है।

2. 01 अप्रैल से 06 दिसंबर, 2019 के दौरान, पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 66 पुस्तकें और बेयर एक्ट. की 1237 प्रतियाँ प्राप्त कीं।

3. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग 16 भारतीय विधि जर्नलों, 2 विदेशी विधि जर्नलों को मंगाता है।

4. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाएं/निर्णय विधि, निर्णयों और आलेखों आदि की सीडी रॉम प्राप्त की है: –

(क) एआईआर कॉम्प्रिहेन्सिव सॉफ्टवेयर/डाटाबेस

(ख) एससीसी ऑनलाइन केसफांइडर

(ग) एससीसी ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(घ) मनुपात्र ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(ड़) वेस्टऑ लॉ इंडिया ऑनलाइन (आई.पी.) सर्विसेज

(च) सी.एल.ए. ऑनलाइन(आई0पी0)सर्विसेज

10. विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

(1) विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: –

(क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना:

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ''क'' क्षेत्र और ''ख'' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी संसूचनाओं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों आदि के उत्तर में, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी हैं, सभी संसूचनाओं के प्रारूप केवल हिन्दी में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ख) हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजन:

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2019 को ''हिन्दी दिवस'' मनाया गया। माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि सचिव और राजभाषा अधिकारी ने अपने–अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। माननीय गृह मंत्री जी के संदेश को भी विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2019 से 30.9.2019 तक ''हिन्दी माह'' का आयोजन किया गया। इसे दो उद्देश्यों, अर्थात् (क) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, और (ख) हिन्दी में अधिकतम कार्य करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 6 प्रतियोगिताओं अर्थात् ''हिन्दी निबंध प्रतियोगिता,'' ''हिन्दी टंकण प्रतियोगिता'', "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," ''अनुवाद प्रतियोगिता'', "श्रुतलेख प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए) और "हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 102 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। विभाग के शाखा सचिवालयों और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

(ग) राजभाषा से संबंधित आदेशों का कार्यान्वयनः

राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच–बिंदुओं का पुर्नाविलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच–बिंदु (आठ) सृजित करने के लिए दिनांक 16.11.1994 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच–बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

(1) ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारिवृन्द हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाने से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्या निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

(2) सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में सुसंगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। प्रत्येक तिमाही में आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में स्थिति को मानीटर किया जा रहा है।

(3) विभिन्न अनुभागों द्वारा बार–बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित किया गया है और उनका हिंदी अनुवाद करके पुनरीक्षण हेतु उन्हें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भेजा गया है ताकि कर्मचारिवृन्द बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया गया है। सेवा–पुस्तिकाओं में प्रविष्टिकयां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।

(4) विभाग के सभी 247 कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को दिए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

(5) विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है और प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान की जा रही है।

(6) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में, राजभाषा से संबंधित सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा इस संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए विभाग के अनुभागों, शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठ आदि विभाग के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए विभाग में राजभाषा अधिकारी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल गठित किया गया है।

(7) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 9 भागों में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इस बारे में प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्थिति की समीक्षा की जाती है।

(8) विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और उप सचिव (प्रशा.), सभी अवर सचिव और सभी अनुभाग प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाता है।

11. मुकदमा (उच्च न्यायालय)

भारत सरकार के रेल और आय–कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। मुकदमा कार्य की देखरेख प्रभारी अधिकारी द्वारा सहायक विधि सलाहकार/अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारियों की सहायता से की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है: –

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबद्ध होते हैं: –

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, विविध सिविल आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक आवेदन।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं: –

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, एन.सी.एल.टी., एन.सी.एल.ए.टी., अवैध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि।

2. मुकदमा कार्य दो अनुभागों–मुकदमा (उ0न्या0) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण सहायक विधि सलाहकार/अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं और मूल/पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1(ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

3. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ के पैनल पर केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा–सालिसिटर, तीस स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसेल, 235 ज्येष्ठ काउंसेलों और 168 सरकारी प्लीडरों के पैनल हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मुकदमें के लिए पैनल में एक वरिष्ठ सीजीएससी और एक अपर सीजीएससी है। सशस्त्र बल अधिकरण में मुकदमे के लिए सीजीएससी, वरिष्ठ काउंसल और केंद्र सरकार के काउंसलों (सीजीसी) वाले 40 सरकारी काउंसलों वाला पैनल है। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा–सालिसिटर/भारत के अपर महा–सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में भारत संघ के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों और काउंसेलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की प्रगति के प्रत्येक प्रक्रम पर कड़ी निगरानी रखते हैं।

4. दिनांक 01.01.2019 से 19.12.2019 अवधि के दौरान मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय और सशस्त्र बल अधिकरण से संबंधित 2204 मामलों में मुकदमों के संचालन के लिए 7468 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसेल नियोजित किए। कैलेण्डर वर्ष 2019 (आज तक) के मामलों की प्राप्ति का अनुभागवार ब्यौरा निम्नलिखित है: –

अनुभाग	**दिनांक 01.01.2019 से 19.12.2019 तक प्राप्त मामलों की संख्या**
ए	6810
बी	658
एएफटी प्रकोष्ठ1	2204
कुल	**9672**

5. यह इकाई दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ के पैनल में नियुक्त एएसजी और सरकारी काउंसल की व्यावसायिक फीस बिलों का भुगतान करती है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए इस व्यय इकाई को व्यावसायिक सेवा शीर्ष के तहत 9 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया था। निधियों का पूर्णतः उपयोग किया गया। लगभग 9 करोड़ रुपए के लगभग 7500 व्यावसायिक फीस बिलों पर विधिवत कार्रवाई की गयी थी और 01.04.2019 से 10.12.2019 तक की अवधि के दौरान संबंधित एएसजी और सरकारी काउंसल को भुगतान किया गया। 2019–20 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये के अनुमानों के संशोधन का प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किया गया।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमा–कार्य

मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) दिल्ली प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों/मुकदमों की देखरेख करता है और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), नई दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसेल नामनिर्दिष्ट करता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट legalaffairs.gov.in/judicial.section पर पैनल की सूची उपलब्ध है।

2. दिनांक 01.01.2019 से 19.12.2019 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 1584 मामलों में सरकारी काउंसेल नियोजित किए। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा–कार्य

अनुभाग	**दिनांक 01.01.2019 से 19.12.2019 तक प्राप्त मामले**
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	1584

12. मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

दिल्ली/नई दिल्ली में रेल और आय–कर विभाग को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल इस अनुभाग के प्रभारी सहायक विधि सलाहकार द्वारा एक अधीक्षक (विधि)/सहायक (विधि) की सहायता से की जाती है।

2. यहां वरिष्ठ पैनल काउंसेलों और अपर केंद्रीय सरकारी काउंसेलों का एक पैनल बनाया गया है, जिनको भारत संघ अर्थात् भारत सरकार की ओर से मामले के संचालन हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर न्यायालयों में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसेल नियोजित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 692 मामलों में काउंसेल नियोजित किए। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार (भारत संघ) के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों/सरकारी काउंसेलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।

3. माननीय न्यायालयों द्वारा मामलों में निर्णय देने पर सरकारी काउंसेल एक निर्धारित प्रपत्र में अपना फीस बिल प्रस्तुत करता है। फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस एकक में सरकारी काउंसेल/वरिष्ठ पैनल काउंसेलों से वृत्तिक फीस के 712 बिल प्राप्त हुए। वित्तर वर्ष 2019–20 में इस एकक को 1,33,00,000 (एक करोड़ तैतीस लाख) रुपए का बजट आबंटित किया गया। इस राशि में से 66,33307 रुपए की राशि का सरकारी काउंसेल/वरिष्ठ पैनल काउंसेलों को उनके व्यावसायिक बिलों के लिए भुगतान किया गया है।

4. न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा.सू.के.) द्वारा किए गए प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

5. इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी सहायक विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है।

13. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह अनुभाग केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से विशेष अनुमति याचिकाएं/कुछ मामलों में अपीलें, फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात् केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस समय इस कार्यालय का कार्य एक अपर सचिव देखते हैंय जिन्हें कार्यालय का प्रभारी घोषित किया गया है और विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उनकी सहायता के लिए 6 सरकारी अधिवक्ता और 3 परामर्शदाता (अभिलेख अधिवक्ता) हैं। 672 सरकारी पैनल काउंसेल हैं। केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली से कार्य करता है।

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं :

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त निर्देश।
- विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों /पैनल काउंसेलों को नियोजित करना।
- भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।

- रिकार्ड का पर्यवेक्षण, विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों, कंप्यूटर टाइपिस्टों और फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटरों के फीस बिलों का भुगतान करना।

2. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ताणओं को उच्चतम न्यायालय के अभिलेख अधिवक्ता की अर्हता की आवश्य कता है। ये अधिवक्ता भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं।

3. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार, दिनांक 01.01.2019 से 05.12.2019 के दौरान, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और संघ राज्य क्षेत्रों से 4709 नए मामले प्राप्त हुए जिनमें भारत संघ या संघ राज्य क्षेत्र या तो याचिकाकर्ता या प्रतिवादी थे।

14. शाखा सचिवालय, कोलकाता

वर्ष 2019–2020 के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता की अध्यक्षता अपर सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी द्वारा की जाती है, जो समग्र प्रभारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इस शाखा सचिवालय में आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, प्रशासन, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसेल फीस बिल, मुकदमा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/निचला न्यायालय और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में एक पुस्तकालय है, जिसमें 10293 से अधिक पुस्तकें हैं।

2. शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं में सभी मुकदमों की देखरेख करता है। शाखा सचिवालय, कोलकाता कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों शाखाओं में सभी मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों, पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी स्थित सर्किट बेंच और अधिकरणों, जिला फोरमों, राज्य आयोगों और निम्न न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमा कार्य की देखरेख कर रहा है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता पीठ और उसके कटक, गुवाहाटी, पटना के अन्य पीठों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्किट पीठों, सीजीआईटी, माध्यमस्थम, एनजीटी, एनसीएलटी में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से विशेष अनुरोध प्राप्ता होने पर विभिन्नं अधिकरणों जैसे कि एनजीटी, सीईएसटीएटी, राज्य उपभोक्ता फोरम और डीआरएटी, डीआरटी, उपभोक्ता फोरम, निम्न न्यायालय आदि के समक्ष तथा मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम मामलों में पैनल काउंसेल भी नियुक्त किए जाते हैं।

3. इस शाखा सचिवालय का सलाह खंड आय–कर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं और पूर्वी क्षेत्र से बाहर के उन स्वायत्त निकायों जिनके मुख्यालय कोलकाता में हैं अर्थात् आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी संबंधित विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है और उनके मुकदमा कार्य का संचालन करता है।

4. वर्ष 2019–2020 के दौरान, सलाह खंड के प्रमुख अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। दिसम्बर, 2019 तक सलाह खंड में केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सलाह के लिए कुल 883 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए। यह शाखा सचिवालय विभिन्न न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किए जाने वाले करारों/संविदाओं की विधीक्षा भी करता है। इसके अलावा,

वर्ष 2019–20 (मार्च, 2020 तक) के दौरान सलाह के लिए प्राप्त और निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1000 के करीब होने की संभावना है।

5. मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलेख–अधिवक्ता और सरकारी अभिवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किए गए पैनल काउंसेल के माध्यम से मामले पर सुनवाई/बहस करवाते हैं।

6. वर्ष 2019–2020 के दौरान, इस शाखा सचिवालय के दोनों अपर सरकारी अधिवक्ता/ओं और तीन कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं (दिनांक 21.12.2019 से दो कनिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ताओं) ने भारत संघ की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया और वे न्यायालय में सरकारी प्लीडर के तौर पर भी उपस्थित हुए। सलाह और मुकदमा कार्य की देखरेख के लिए एक उप विधि सलाहकार और एक सहायक विधि सलाहकार को भी तैनात किया गया है।

7. वर्ष 2019–2020 के दौरान शाखा सचिवालय, कोलकाता के मुकदमा प्रभाग द्वारा प्राप्त उच्च न्यायालय के मामलों की कुल संख्या 2130 है और उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या 1476 है। इसी प्रकार से वर्ष 2019–2020 के दौरान लगभग 3000 मुकदमों के संचालन की उम्मीद है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता पीठ में वर्ष 2019–2020 के दौरान (दिसम्बर, 2019 तक) सेवा संबंधी मामलों में काउंसेलों के नियोजन हेतु प्राप्त मामलों की संख्या 482 थी और 2019–2020 के दौरान (मार्च, 2020 तक) ऐसे मामलों की संख्या लगभग 630 होने की संभावना है। वर्ष 2019–2020 के दौरान (दिसम्बर, 2019 तक) माध्यस्थम मामलों सहित निचले न्यायालयों के मामलों की संख्या 228 थी और वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि (मार्च, 2020 तक) लगभग 90 अन्य मामले प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2019–2020 (दिसम्बर, 2019 तक) अन्य न्यायालयों द्वारा 67 मामले संचालित किए गए थे और वर्ष 2019–2020 (मार्च, 2020 तक) की शेष अवधि के दौरान लगभग 30 अन्य मामले प्राप्त होने की संभावना है।

8. शाखा सचिवालय, कोलकाता में आरटीआई मामलों को देखने के लिए अपील प्राधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्ष 2019–2020 के दौरान (दिसम्बर, 2019 तक) कुल 17 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर विधिवत निपटा दिया गया।

9. वर्ष 2019–2020 के दौरान पैनल काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत किए गए वृत्तिक फीस बिल के दावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की गई और काउंसेलों की वृत्तिक फीस के संदाय के लिए 3,00,00,000/– रुपए (तीन करोड़ रु.) के स्वीकृत बजट अनुमान में से दिसम्बर, 2019 तक कलकत्तात उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 2,80,61,067/– रुपए (दो करोड़ अस्सी लाख इकसठ हजार सड़सठ रुपये केवल) का भुगतान किया गया है। वर्ष 2019 – 2020 में 1,00,00,000/– (केवल एक करोड़ रुपये) की संशोधित अनुमान की अतिरिक्त राशि मांगी गई है, साथ ही बजट की शेष राशि का भुगतान वर्ष 2019–2020 के अगले तीन माह में किया जाएगा।

10. इस शाखा सचिवालय में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अनुभाग है, जो उप विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की सहायता से कार्य कर रहा है। अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों और हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। केन्द्री य हिंदी शिक्षण योजना के अधीन नियमित रूप से कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है। संदर्भ सामग्री

तैयार की गई है और इसे हिंदी में कार्य करने के लिए अनुभागों में वितरित किया गया है। इस शाखा सचिवालय में सितंबर, 2019 में पूरे उत्साह के साथ 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया, जिसके दौरान 8 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार के साथ–साथ प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। अपेक्षित रिपोर्टें नियमित आधार पर निर्धारित प्रपत्र में मुख्य सचिवालय को भेजी जाती हैं। कई अन्य आधिकारिक कार्यक्रम जैसे ''स्वच्छता पखवाड़ा हिंदी में आयोजित किया गया। शाखा सचिवालय कोलकाता की टेलीफोन डाइरेक्ट्री, विभिन्न मोहरें, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और प्रतिपूरक अवकाश के प्रपत्रों को द्विभाषी बनाया गया है।'' राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया। 55वीं कोलकाता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में शाखा सचिवालय कोलकाता को 'स्वर्णिमा 2017–18' में उनके साहित्यिक कार्य के प्रकाशन हेतु द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

11. शाखा सचिवालय, कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर विभिन्न लेखा और बजट संबंधी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही, यहां एन.आई.सी. द्वारा विकसित पी.एफ.एम.एस. पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों, सरकारी काउंसेलों और अन्य सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ–साथ, स्रोत पर काटे गए कर को प्रत्येक माह 24जी इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार कर आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद, टीडीएस का त्रैमासिक रिटर्न की इलैक्ट्रॉनिक 24क्यू और 26 क्यू में तैयार तथा सीडी के माध्यम से टीआईएन सुविधा केंद्र द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। जीएसटी–टीडीएस के संबंध में नए प्रारूप में कटौती की जाती है और जीएसटी प्राधिकरण को रिटर्न दाखिल किया जाता है। वेतन और लेखा कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस के भुगतान की जानकारी भी सरकारी निवास प्रबंधन प्रणाली (जीएएमएस) के माध्यम से सम्पदा निदेशालय को ऑनलाइन भेजनी होती है। वस्तुओं और स्टेशनरी की प्राप्ति के लिए सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://gem.gov.in का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। पेंशन के नए मामलों को 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

12. शाखा सचिवालय, कोलकाता के शाखा सचिवालय, कोलकाता के प्रत्येक अनुभाग अधिकारी के कक्ष में लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराया गया है। अब शाखा सचिवालय कोलकाता के लगभग सभी कंप्यूटरों में इंटरनेट सुविधा है। भारत संचार निगम लिमिटेड से एक 'लीज्ड लाइन' ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त की गई है।

13. सहायक विधि सलाहकार के पर्यवेक्षण में, शाखा सचिवालय, कोलकाता पुस्तकालय में 10,293 से ज्यापदा पुस्तकें और जर्नल हैं। यह मुकदमा कार्य और सलाह के लिए बहुत मददगार है। काउंसेलों द्वारा मुकदमों के संचालन के लिए इन जर्नलों/पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्र' और 'एससीसी ऑनलाइन लॉ जर्नल' की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

14. आधार पर आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी व्यरवस्थास इस शाखा सचिवालय में परिचालन में है। आधार आधारित बॉयोमेट्रिक प्रणाली की शुरुआत से पहले से दिनांक 12 अप्रैल, 2011 से एक अन्य बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था चालू है।

15. शाखा सचिवालय कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा विकसित 'लिम्सेम' सॉफ्टवेयर को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। मुकदमा अनुभाग द्वारा विधि मंत्रालय से संबंधित मामलों को विधिवत अद्यतन

किया जाता है। यह साफ्टवेयर मुकदमों को मॉनीटर करने में और मुकदमेबाजी की लागत कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कागजी कार्य को कम करने व मुकदमों के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता ने उच्च न्यायालयों से संबंधित वर्ष 2005 के और उसके बाद के मामलों की सूची को विभिन्नॉ अनुभागों में उपलब्धर कंप्यूटरों में डाला है।

16. शाखा सचिवालय, कोलकाता में दिनांक 21 जून, 2019 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।

17. शाखा सचिवालय, कोलकाता की पिछली लेखा–परीक्षा लेखा परीक्षा महानिदेशकः केन्द्रीय, कोलकाता के कार्यालय के लेखा–परीक्षा दल द्वारा दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की गई थी। लेखा–परीक्षा दल द्वारा लेखों के आवधिक निरीक्षण के क्रम में छः लेखा आपत्तियां की गई थीं। इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है और ऑडिट आपत्ति के पैरा को हटाने हेतु ऑडिट को सूचित कर दिया गया है।

शाखा सचिवालय, कोलकाता में दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान ऑडिट की आपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	दिनांक 31.03.2018	संक्षिप्त विषय तक पैरा/प्रश्न	कॉलम 2 में दिए गए पैरा के निपटान हेतु की गई कार्रवाई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ऑडिट रिपोर्ट का पैरा 2.1	लिम्बस के कार्यान्वयन पर अवलोकन	कार्रवाई की गई और ऑडिट को जवाब दिया गया।
2.	ऑडिट रिपोर्ट का पैरा 2.2	सुरक्षा सेवाएं टेंडरिंग में अनियमितता	कार्रवाई की गई और ऑडिट को जवाब दिया गया।
3.	ऑडिट रिपोर्ट का पैरा 2.3	सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर अवलोकन	कार्रवाई की गई और ऑडिट को जवाब दिया गया।
4.	ऑडिट रिपोर्ट का पैरा 2.4 (i)	परिसंपत्तियों के रखरखाव – अचल सम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन का अवलोकन	कार्रवाई की गई और ऑडिट को जवाब दिया गया।
	ऑडिट रिपोर्ट का पैरा 2.4 (ii)	सशुल्क वाउचर पर कोई अपेक्षित प्रमाणीकरण न होना	कार्रवाई की गई और ऑडिट को जवाब दिया गया।
5.	ऑडिट रिपोर्ट का पैरा 2.1	स्वामित्व/व्यवस्थित/निजी वाहन द्वारा यात्रा की ओर भुगतान में अनियमितता 0.33 लाख है।	कार्रवाई की गई और ऑडिट को जवाब दिया गया।
6.	ऑडिट रिपोर्ट का पैरा 2.2	लाइसेंस शुल्क 0.06 लाख की राशि की कम कटौती	कार्रवाई की गई और ऑडिट को जवाब दिया गया।

18. शाखा सचिवालय, कोलकाता में 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत स्वच्छता अभियान एक नियमित प्रकिया के तौर पर चल रहा है। 'स्वच्छता अभियान के पर्यवेक्षण तथा पुराने अभिलेखों की छंटाई करने के लिए सहायक विधि सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक

1 से 15 अप्रैल, 2019 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया गया। शाखा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सतत प्रयासों के कारण इस शाखा सचिवालय को स्वच्छ और सुंदर रूप मिला है।

15. शाखा सचिवालय, बंगलूरू

शाखा सचिवालय, बंगलूरू की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बंगलूरू के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

सलाह : शाखा सचिवालय, बंगलूरू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। वर्ष 01.01.19 से 09.12.2019 के दौरान सलाह के लिए 641 निर्देश प्राप्त हुए और दिनांक 31.03.2020 तक की शेष अवधि में लगभग 215 सलाह के मामले प्राप्त होने की संभावना है। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरू तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अमरावती/हैदराबाद स्थित तेलंगाना राज्यि के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किए जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति–शपथपत्रों, प्रति–विवरणों और उनके विभिन्न पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार–विमर्श करना आदि कार्य किए जाते हैं।

मुकदमा कार्य: यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व गुलबर्ग स्थित सर्किट पीठों में और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अमरावती/हैदराबाद स्थित तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायिालय तथा बंगलूरू नगर और हैदराबाद व सिकन्दराबाद में अधीनस्थ न्यायालयों और दोनों राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। दिनांक 01.01.2019 से 09.02.2019 के दौरान मुकदमों से संबंधित लगभग 4295 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसेलों के नामनिर्देशन, काउंसेलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है और दिनांक 31.03.2020 तक की शेष अवधि में लगभग 1415 मुकदमों के मामले प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में शाखा सचिवालय द्वारा किए गए कार्यों में काउंसेलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा उनके बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है।

काउंसेलों के फीस बिल: यह शाखा सचिवालय काउंसेलों के फीस संबंधी बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक महासालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसेल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है। दिनांक 1.1.2010 से 9.12.2019 की अवधि के दौरान कुल 766 फीस के बिल प्राप्त हुए और 31.03.2020 तक की शेष अवधि के दौरान लगभग 215 और फीस बिल प्राप्त होने की संभावना है। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसेल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरू द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से मुकदमे का संचालन किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल कांउसेलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग

करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसेलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। तथापि, इस संबंध में जब भी कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो इस मंत्रालय द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाता है।

आईसीएडीआर के क्षेत्रीय केंद्रों के उपक्रमों का प्रबंधन

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी ने बंगलुरु एवं हैदराबाद स्थित आईसीएडीआर के क्षेत्रीय केंद्रों का प्रभार लेने के लिए और उक्त उपक्रमों के अधिग्रहण को सुरक्षित रखने के लिए तथा उनके दिनांक 16.07.2019 के पत्र के तहत उनकी सभी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों की एक पूरी सूची बनाने के लिए उप विधि सलाहकार और प्रभारी को अधिकृत किया है।

स्वच्छ भारत मिशन

सरकार के स्ववच्छछ भारत मिशन के उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए यथोचित तरीके से दिनांक 01.04.2019 से 15.04.2019 तक की अवधि के दौरान स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

दिनांक 21.06.2019 को यथोचित तरीके से चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

"सत्यनिष्ठा – जीवन पद्धति" विषय पर दिनांक 28 अक्तूबर, 2019 से 2 नवम्बर, 2019 तक यथोचित तरीके से सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

कार्यालयी दौरे

(i) उप विधि सलाहकार एवं प्रभारी ने दिनांक 14.07.2019 से 17.07.2019 की अवधि के दौरान दिल्ली में केंद्रीय विधि सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बंगलुरु और हैदराबाद में आईसीएडीआर के क्षेत्रीय केंद्रों के अधिग्रहण और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक में भाग लिया।

(ii) उप विधि सलाहकार और प्रभारी ने दिनांक 23.10.2019 से 26.10.2019 के दौरान आईसीएडीआर के हैदराबाद के क्षेत्रीय केंद्रों के अधिग्रहण के संबंध में हैदराबाद का दौरा किया।

16. शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

सलाहः यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। सलाह के लिए लगभग 955 निर्देश प्राप्त हुए और निपटाए गए।

मुकदमा कार्य – शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों आदि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है। इस अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 7100 मामले प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सीएटी/एलसी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गई फाइलें भी शामिल हैं।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणों/उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में फाइल किए जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसेलों का नामांकन/नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसेल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

काउंसेलों के फीस बिल : यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसेल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसेलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। इस अवधि के दौरान लगभग 1928 बिल प्राप्त हुए और मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के काउंसेल को रु. 2,23,23,155/– की राशि फीस के बिलों के निपटान के लिए संदाय की गई थी। केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात् संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

केंद्रीय सरकारी काउंसेलों की बैठक

उप विधि सलाहकार ने काउंसेल के साथ समय–समय पर एक समीक्षा बैठक की ताकि केंद्र सरकार के दायित्व के संचालन की जांच करने और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय सरकार के मामलों का प्रतिनिधित्व हो सके। न्यायालयों द्वारा पारित अपर सॉलिसिटर जनरल/विधि मंत्रालय के ध्यान में लाने हेतु काउंसेल को निदेश दिया है।

21 जून, 2019 को पांचवें 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' का आयोजन

इस शाखा सचिवालय में दिनांक 21 जून, 2019 को पांचवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। चेन्नै में दिनांक 19 और 21 जून, 2019 को कृष्णामाचारी योग मंदिरम के योग–प्रशिक्षक द्वारा दो घंटे का एक योग सत्र आयोजित किया गया था और शाखा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया था।

सितम्बर, 2019 में 'हिंदी माह' का अनुपालन

मुख्य सचिवालय के राजभाषा एकक के निर्देशों के अनुसरण में सितम्बर, 2019 में हिंदी माह मनाया गया। दैनिक आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नई के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शाखा सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं और अन्य संबंधित गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान, उप विधि सलाहकार/प्रभारी, शाखा सचिवालय और उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ने हिंदी के प्रयोग को बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार इस शाखा सचिवालय में दिनांक 28 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2019 तक 'सत्यनिष्ठाः जीवन पद्धति' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया था। इस संदर्भ में, उप विधि सलाहकार/प्रभारी द्वारा 20 अक्तूबर, 2019 को इस शाखा सचिवालय के सभी कर्मचारियों को 'सत्यनिष्ठा शपथ' दिलाई गई थी।

'स्वच्छ भारत' मिशन

इस शाखा सचिवालय के उप विधि सलाहकार और प्रभारी द्वारा समय–समय पर कार्यालय की स्वच्छता गतिविधियों की निगरानी और जांच की गई है।

प्रतिधारण शुल्क

शाखा सचिवालय को अपनी आबंटित निधि में से, तमिलनाडु के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्थायी सरकारी काउंसेल के प्रतिधारण शुल्क के भुगतान का काम भी सौंपा गया है। प्रतिधारण शुल्क के लिए दिनांक 01.01.2019 से 30.11.2019 के दौरान रु. 23,04,000/– की राशि का भुगतान किया गया। सभी काउंसेल को तिमाही आधार पर भुगतान किया गया है।

ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

इस शाखा सचिवालय में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए पूर्वापेक्षित प्रबंध हेतु इस कार्यालय ने एनआईसी, चेन्नै और बीएसएनएल, चेन्नै के साथ पहले ही पत्राचार आरंभ किया था। शुल्क बिल सहित सभी बिलों का ई–भुगतान किया गया और संबंधित काउंसेलों को सीधे भेजा गया। इसके अलावा, आवश्यक संशोधनों को संबंधित एनआईसी कर्मियों के मार्गदर्शन में 'लिटकेस' सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है ताकि शुल्क बिलों की प्राप्तियों और उनके निपटान से संबंधित जानकारी/डाटा विधिवत अद्यतन हो।

आर.टी.आई. प्राप्तियां

दिनांक 01.01.2019 से 30.11.2019 की अवधि के दौरान, 41 ऑनलाइन आर.टी.आई आवेदन पत्र प्राप्त हुए और निपटाए गएय 06 आर.टी.आई आवेदन प्रत्यक्ष रूप से (डाक द्वारा) प्राप्त हुए और निपटाए गए; और 03 आर.टी.आई. 'अपीलें' प्रत्यक्ष रूप से (डाक द्वारा) प्राप्त हुई और निपटाई गई।

17. शाखा सचिवालय, मुंबई

संगठन : विधि और न्याय मंत्रालय मूल रूप से दो वर्गों में विभाजित है, अर्थात् मुख्य सचिवालय और मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित उसके शाखा सचिवालय।

जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, इसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और गोवा के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। अपर सरकारी अधिवक्तास को शाखा सचिवालय के प्रशासनिक, मुकदमा और सलाह के मामलों की देखरेख करने में एक अपर सरकारी अधिवक्ता, एक वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, एक सहायक विधि सलाहकार, चार निजी सचिवों और दो अधीक्षक (विधि) सहायता देते हैं। सहायक अनुभाग अधिकारी प्रशासनिक मामलों और लेखा के काम की देखरेख में अपर सरकारी अधिवक्तो की मदद करते हैं।

इसके अतिरिक्त, शाखा सचिवालय, मुम्बई के कार्य के सुचारू संचालन के लिए उसे अलग–अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है अर्थात् सलाह अनुभाग, विविध आरंभिक शाखा मुकदमा अनुभाग, पूर्ववर्ती विविध आरंभिक शाखा मुकदमा, माध्यस्थम, वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्देश, कंपनी मामले और फेरा/फेमा/डीजीएफटी से संबंधित मामलों के आरंभिक शाखा व शाखा के मुकदमे शामिल हैं तथा अपीलीय शाखा मुकदमा अनुभाग, विविध अपीलीय शाखा अनुभाग दंड विधि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाती है। इस शाखा सचिवालय में प्रत्येक अनुभाग के प्रमुख एक वरिष्ठं अधिकारी हैं और उनकी सहायता एक अन्य अधिकारी करते हैं।

अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में एक सहायक (विधि), दो सहायक अनुभाग अधिकारी (सीएसएस), तीन वरिष्ठ न्यायालय लिपिक ग्रेड–I, दो वरिष्ठ न्यायालय लिपिक ग्रेड–II और दो न्यायालय लिपिक सहायता करते हैं।

कृत्य और कर्तव्यः– विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुंबई केंद्रीय सरकार के विभिन्नं विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विभिन्न विधिक मामलों पर विधिक सलाह देता है और बंबई उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अन्य अधिकरणों और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य का संचालन करता है। यह संपूर्ण कार्य प्रभारी/अपर सरकारी अधिवक्ता के मार्ग–निर्देशन में इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शाखा सचिवालय विधि सचिव से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।

विधिक सलाहः भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त् निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात् उन्हें अपर सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार को कार्रवाई के लिए देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्ति करने के लिए भी भेजे जाते हैं।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए 3437 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने 3360 मामलों का निपटान कर दिया है और आज की तारीख में 77 मामले लंबित हैं।

मुकदमाः इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य के प्रधान अपर सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी हैं। उनकी सहायता के लिए अपर सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार(ओं) और अधीक्षक (विधि) हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बम्बई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गए/अधिवक्ताओं/नियुक्त काउंसेलों और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गए अन्य काउंसेलों के माध्यम से किया जाता है।

जहां तक कैलेंडर वर्ष 2019 का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न मुकदमों से संबंधित लगभग 1387 मामले प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से काउंसेल नियुक्त किए गए और उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमों के लगभग 740 मामले निपटाए गए हैं और आज की तारीख में 647 मामले लंबित हैं।

प्रशासनः शाखा सचिवालय, मुम्बई के प्रशासन के प्रमुख/प्रभारी अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। शाखा सचिवालय के दिन–प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारी है।

राजभाषाः इस शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी अपर सरकारी अधिवक्ताए 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्यध अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। शाखा सचिवालय में श्री ए.ए. अंसारी, अपर सरकारी अधिवक्ता की अध्यक्षता में राजभाषा समिति गठित की गई है। यह समिति प्रभारी को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

18. भारत का विधि आयोग

विधिक सुधारों हेतु कार्य करने के लिए निर्दिष्ट विचारार्थ विषयों के साथ भारत के विधि आयोग का

गठन सामान्यतः हर तीन साल में होता है। भारत का 21वां विधि आयोग का गठन दिनांक 1 सितंबर, 2015 दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए गठित अंतिम विधि आयोग था। 21वें विधि आयोग में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य–सचिव, दो पदेन सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य हैं। विधि आयोग में भारतीय विधि सेवा के विधि अधिकारी शामिल हैं। प्रशासन की देखरेख के लिए एक छोटा सचिवीय स्टाफ है।

विचारार्थ विषयः 21वें विधि आयोग में निम्नलिखित विचारार्थ विषय शामिल हैं–

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन :

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गई हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याभय मंत्रालय के माध्याम से किए गए निर्देशों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक – आर्थिक विधानों के लिए पश्च–संपरीक्षा करना।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना : –

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा

उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गए हों, पर विचार करना।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

छात्रों को प्रोत्साहन

विधि आयोग स्वेच्छिक इंटर्नशिप कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित करता है। विधि के शासन की स्थापना और उसके लिए विधि की बेहतर समझ हेतु विधि के छात्रों में विधि के अनुसंधान और विधि में सुधार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए विधि आयोग द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

उद्देश्य और उपलब्धियां:– भारत के विधि आयोग ने अब तक विभिन्न विषयों पर 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। भारत के 21वें विधि आयोग ने विधि कार्य विभाग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देश पर विभिन्न विषयों का अध्ययन किया है और राष्ट्रीय वाद नीति, 2016 के मसौदे पर रिपोर्ट सहित 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। 21वें विधि आयोग द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टें अनुबंध–II पर दी गई है।

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा : 21वें विधि आयोग ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ विधिक सुधारों और विधि सम्मत शासन को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की।

अनुवर्ती कार्रवाई : विधि आयोग की रिपोर्ट समय–समय पर विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संसद में रखी जाती है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों को भेज दी जाती है। सरकार के निर्णय के आधार पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। निरपवाद रूप से, रिपोर्टों को न्यायालयों, संसदीय स्थायी समितियों, शैक्षिक और सार्वजनिक लेखों में उद्धृत किया गया है।

19. माध्नस्थम तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदम :

केन्द्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ, माध्यस्थम प्रक्रिया को प्रयोक्ता–अनुकूल, किफायती और त्वरित बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को संशोधित किया है। तथापि, संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को विधि कार्य विभाग के संज्ञान में लाया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया कि देश में संस्थागत

माध्यस्थम तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, केन्द्र सरकार ने भारत में माध्यस्थम तंत्र को संस्थागत बनाए जाने की समीक्षा करने और उसके लिए प्रस्तावित सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने दिनांक 30 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की।

समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निम्नलिखित विधान प्रस्तुत किए गए: –

(क) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019: दिनांक 26.07.2019 को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 को को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 निम्नलिखित प्रावधान करता है: –

- देश में माध्यस्थम के बेहतर प्रबंधन के लिए और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (एनडीआईएसी) नामक एक नए संस्थान की स्थापना करना।
- आईसीएडीआर गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना और एक सोसायटी के रूप में आईसीएडीआर के स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आईसीएडीआर) का अधिग्रहण करना।
- एनडीआईएसी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में सात सदस्यीय निकाय होगा।
- एनडीआईएसी के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में संस्थागत माध्यस्थम में प्रतिष्ठित, ज्ञानी तथा विशेषज्ञता रखने वाली व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
- एनडीआईएसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में इसे विकसित करने के लिए लक्षित सुधार लाएगा।
- एनडीआईएसी सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके से व्यावसायिक ढ़ंग से माध्यस्थम भी करेगा।
- एक माध्यस्थम चौंबर की स्थापना करना, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मध्यस्थों को सशक्त करेगा।
- एनडीआईएसी द्वारा भारत में मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए एक माध्यस्थम अकादमी की स्थापना की जाएगी, ताकि प्रतिष्ठित माध्यस्थम संस्थाओं के साथ बराबरी करने के लिए उन्हें सशक्त बनाया जा सके।

(ख) माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019: दिनांक 09.08.2019 को माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है:

- माध्यस्थम संस्था को ग्रेड देने हेतु एक माध्यस्थम संस्थान अर्थात् भारतीय माध्यस्थम संस्थान (एसीआई) का निर्माण करने हेतु।
- एसीआई उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में सात सदस्यीय निकाय होगा।
- एसीआई के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में संस्थागत माध्यस्थम में प्रतिष्ठित, ज्ञानी और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति होगी।

एसीआई निम्नलिखित कार्य और कर्तव्यों का पालन करेगा:

- मध्यस्थों को प्रमाणन प्रदान करने वाले व्यावसायिक संस्थानों को मान्यता देना;
- विधि फर्मों, विधि विश्वविद्यालयों और माध्यस्थम संस्थानों के सहयोग से माध्यस्थम के क्षेत्र में प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम आयोजित करना;
- माध्यस्थम संस्थानों को मजबूत करके संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देना;
- माध्यस्थम और सुलह तथा उसके प्रमाण पत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर परीक्षा और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- भारत में बने माध्यस्थम पंचाटों के निक्षेपागार की स्थापना और रखरखाव करना;
- माध्यस्थम संस्थानों के कार्मिकों, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के संबंध में सिफारिशें करना; तथा
- ऐसे अन्य कार्य जो केंद्र सरकार द्वारा तय किए जा सकते हैं।
- सभी माध्यस्थम पंचाटों का एक इलेक्ट्रॉनिक निक्षेपागार बनाए रखना।

- धारा 29 क की संशोधित उपधारा (1) में अंतर्राष्ट्रीय पंचाट को समयावधिक सीमा से बाहर रखने और इसके अलावा, अन्य माध्यस्थमों में माध्यस्थम पंचाट के लिए समय–सीमा अभिवाकों के पूरा होने के बारह मास के भीतर करने का प्रावधान है।
- एक नयी धारा 42क को अंत:स्थापित करके यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थ और माध्यस्थम संस्थान पंचाट को छोड़कर माध्यस्थम कार्यवाहियों से संबंधित सभी मामलों में गोपनीयता बनाए रखेंगे। इसके अलावा, एक नयी धारा 42ख माध्यस्थम को किसी वाद या माध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान सदभाव से किए गए किसी कार्य या चूक के लिए या अन्य विधिक कार्यवाहियों से बचाव करेगी।
- एक नयी धारा 87 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक पक्ष अन्यथा सहमत न हो, संशोधन अधिनियम, 2015 निम्ना पर लागू नहीं होगा : (क) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पहले शुरु हुई माध्यस्थम कार्यवाहियों पर; और (ख) इस संशोधन अधिनियम, 2015 के शुरु होने से पहले या बाद में शुरु हुई न्यायालयी कार्यवाहियों के संबंध में ऐसी माध्यस्थम कार्यवाहियां या न्यायालयी कार्यवाहियों से उत्पन्न हुई हो तथा केवल माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के शुरु होने (अर्थात् 23 अक्तूबर, 2015) या उसके बाद शुरु होने वाली माध्यस्थम कार्यवाहियों पर तथा इस तरह की माध्यस्थम कार्यवाही से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाली न्यायालयी कार्यवाहियों पर लागू होगा। तथापि, धारा 87 पर हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य मामले के बाद से उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

20. भारतीय विधि संस्थागन (आईएलआई)

प्रस्तावना : भारतीय विधि संस्थान एक प्रमुख विधि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना दिनांक 27 दिसंबर, 1956 को हुई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य विधि में उच्च अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना है ताकि विधि और उसके तंत्र के जरिए लोगों की सामाजिक–आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान ने मार्च, 2017 में राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) से 4.00 अंकों के पैमाने पर 3.35 का सीजीपीए हासिल करके 'ए' ग्रेड सहित अपनी पहली मान्यता प्राप्त की। यह संस्थान विधि में मास्टर डिग्री और डॉक्टर के पाठ्यक्रमों सहित विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात् वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

अकादमिक कार्यक्रमः वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली सामान्यय प्रवेश परीक्षा (सीएटी) की मेरिट और साक्षात्कांर के जरिये होता है। वर्तमान में, संस्थान द्वारा निम्नसलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैंः

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2019–2020 में दाखिल छात्रों की संख्या
एल.एल.एम.– 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	36
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधि)	265
विधि में पीएच.डी.	04
छात्रों की कुल संख्या	305

- संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 29 छात्र नामांकित हैं।
- "साइबर विधि" (33वां बैच) और "बौद्धिक संपत्ति अधिकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी में इन्टरनेट युग" (44वें बैच) का तीन माह की अवधि का ई–लर्निंग पाठ्यक्रम दिनांक 21 अगस्त, 2019 को पूरा हुआ।
- साइबर विधि में ऑनलाइन प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम के 34वें बैच के लिए 96 छात्र और ऑनलाइन बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार पाठ्यक्रम के 45वें बैच के लिए 53 छात्रों का दाखिला हुआ है।

संस्थान की गतिविधियांः

- संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण (ब्यूरो) (बीपीएसटी), लोक सभा सचिवालय के नेतृत्व में 20 देशों के 47 विदेशी संसदीय अधिकारियों ने दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को संस्थान का दौरा किया और वहां भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों के साथ भारत में संसदीय लोकतंत्र के उपर परस्पर चर्चा का आयोजन किया गया।
- भारतीय विधि संस्थान ने शनिवार दिनांक 28 सितम्बर, 2019 को संस्थान में "भारत में विकलांगता अधिकार परिप्रेक्ष्य की खोज" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 25 से 28 अगस्त तक नेपाल के अटार्नी जनरल कार्यालय के कर्मचारियों हेतु भारतीय विधिक प्रणाली में अटार्नी प्रणाली पर उनके ज्ञानवर्धन के लिए एक दौरे का आयोजन किया।
- मानवाधिकार और व्यापार अकादमी (एचयूआरबीए) ने भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से दिनांक 8-12 जुलाई, 2019 तक "व्यापार एवं मानवाधिकार" विषय पर एक गहन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया।
- भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 21 जून, 2019 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।
- भारतीय विधि संस्थान ने राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पंजाब, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के साथ लॉ मंत्रा के सहयोग से भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 14–15 जून, 2019 को "वैकल्पिक विवाद समाधान की चुनौतियां और परिप्रेक्ष्य" विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

- भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 1 मई, 2019 को संस्थान में "मुस्लिम विधि सुधार की प्रक्रिया" तथा "इस्लामी विधिवेत्ता की भूमिका" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने आईएमएस लॉ कॉलेज, नोएडा के सहयोग से भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 5 अप्रैल, 2019 को "मीडिया विधि और चुनाव" विषय पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय ट्रस्ट (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के सहयोग से भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 23 अक्तूबर, 2019 को लीगल कैपासिटी बिल्डिंग/ कैपासिटी बिल्डिंग ऑफ अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवेलपमेंट डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूआईडीडीएस) पर एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने मेनन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग (एमआईएलएटी), कामनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (सीएलईए) और लाएड लॉ कॉलेज, ग्रेटर नोएडा के सहयोग से भारतीय विधि संस्थान और लाएड लॉ कॉलेज में दिनांक 6–12 नवम्बर, 2019 तक युवा विधि शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए "शिक्षण तकनीकी और अनुसंधान" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने साईबर विधि नेट के सहयोग से दिनांक 20–22 नवम्बर, 2019 तक "साईबर विधि साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा" पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने माध्यम (संघर्ष समाधान समिति) और सार्क ला (भारतीय अध्याय) के सहयोग से भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 22–24 नवम्बर (चरण–५) और दिनांक 6–8 दिसम्बर, 2019 को मध्यस्थता में सघन प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम का संचालन किया।
- भारतीय विधि संस्थान और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने स्वतंत्र विचार (ई–विचार) के साथ मिलकर संस्थान में दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को दिल्ली में बाल विवाह रोकने के लिए विधिक और संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्यों का एक दिवसीय विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया।
- सरकार की स्वच्छता मुहिम के भाग के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग की थी। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के निरीक्षण दल ने दिनांक 2 सितम्बर, 2019 को संस्थान का दौरा किया और यहां की आधारभूत संरचना और सफाई मापदंडों की जांच और सत्यापन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया:
  - 21–22 सितम्बर, 2019 को मानवाधिकार मुद्दे: चुनौतियां और मुद्दे विषय पर प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारियों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - 10 अगस्त, 2019 को बाल सुधार गृह, वृद्धाश्रमों और स्वास्थ्य सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - दिनांक 23–24 नवम्बर, 2019 को "मानवाधिकार मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर जेल अधिकारियों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

संस्थान का दौरा:

- दिनांक 18 जुलाई, 2019 को जार्ज स्कूल आफ लॉ, कोलकाता के छात्रों ने संस्थान का दौरा किया।

- दिनांक 7 अगस्त, 2019 को उत्तराखंड के सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) बैच, 2016 ने संस्थान का दौरा किया।
- माडर्न कॉलेज, मोहन नगर, गाजियाबाद के छात्रों ने दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
- मोदी यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, राजस्थान के छात्रों ने दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को संस्थान का दौरा किया।
- संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ 20 देशों के 47 विदेशी संसदीय कार्मिकों ने दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा किया।

प्रकाशनः

जारी किए गए शोध प्रकाशनः

रिपोर्ट की अवधि के दौरान भारतीय विधि संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए हैं:–

- जर्नल आफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जीली) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व के समकालीन विधिक मुद्दों को शामिल करने वाले शोध लेख का त्रैमासिक प्रकाशन।
- आईएलआई न्यूजलेटर– वर्ष के दौरान तथा आगामी गतिविधियों सहित संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों से संबंधित त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन।
- इंडेक्स टू लीगल पिरियाडिकल्स–इसका वार्षिक प्रकाशन होता है और इसमें भारतीय विधि संस्थान पुस्तकालय में प्राप्त होने वाले (सदस्यता, अदला–बदली द्वारा या अतिरिक्त) विधि और संगत क्षेत्रों से संबंधित पत्रिकाएं, अनुक्रमणिकाएं (इयर बुक सहित अन्य वार्षिक पत्रिकाएं) शामिल है।
- एनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ– इसका वार्षिक प्रकाशन होता है और यह संस्थान का सबसे ख्यातिप्राप्त प्रकाशन है जो विधिक महत्व के प्रत्येक क्षेत्रों में अद्यतन प्रवृत्ति सहित भारतीय विधि के वार्षिक सर्वेक्षण को सम्मिलित करता है।

आईएलआई विधि समीक्षा (ग्रीष्मकालीन) और (शीतकालीन)

पुस्तकें :

- डिस्पेलिंग रेटोरिक्स लॉ आफ डिवोर्स एंड जेंडर इनइक्वेलिटी इन इस्लाम
- लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
- इंटलेक्चुअल प्रापर्टी राइट एंड ह्यूमन राइट्स विद स्पेशल एम्फसिस ऑन इंडिया
- राइट टू बेल लॉ
- ह्यूमन राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुपः नेशनल एंड इंटरनेशनल परस्पेक्टिव (प्रकाशन के अधीन)

गतिविधियां का पूर्वानुमान (दिनांक 11.12.2019 से 31.03.2020 तक) :

(I) प्रकाशनः उपर्युक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित शोध पत्र प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव हैः

(i) जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (त्रैमासिक प्रकाशन)

(ii) आईएलआई न्यूज लेटर विद केस कमेंट एंड लीगल जोटिंग्स (त्रैमासिक)

(iii) एनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ – 2019

(iv) इंडेक्स टू लीगल पीरियोडिकल्स – 2019

(II) सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला:

वित्तीय वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के दौरान मीडियाकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों आदि के लिए संस्थान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अयोजन करेगा:

(i) वित्त वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के दौरान डीसीपीसीआर के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

(ii) भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों/छात्रों के साथ कुछ और विशेष व्याख्यानों/विचार–विमर्श की योजना बनाई गई है।

(III) परीक्षा/प्रवेश:

(i) एलएलएम 1/2 वर्षीय के त्रिसेमेस्टर/सेमेस्टर के अंतिम भाग की परीक्षाएं उपर्युक्त अवधि के दौरान शुरू होंगी।

(ii) उपर्युक्त अवधि के दौरान स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा होगा और परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।

(iii) मार्च, 2019 तक आनलाइन साइबर विधि के ई–लर्निंग पाठ्यक्रम का 34वें बैच और ऑनलाइन आईपीआर पाठ्यक्रम का 45वां बैच पूरा होगा। आनलाइन साइबर विधि के 35वें बैच की बैच संख्या 469 के लिए अगले बैच में प्रवेश दिसम्बर, 2019 के अंत में शुरू होगा।

21. आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)

उत्पत्ति: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्तक शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही उपबंध के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

गठन : आयकर अधिनियम, 1961 में यह उपबंध है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या जो भारतीय विधि सेवा का सदस्य रह हो और जिसने उस सेवा के ग्रेड II में कोई पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया हो या जो कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। लेखा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चाटर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में लेखाकर्म का कम से कम दस वर्ष तक व्यवसाय किया हो या पूर्व में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट या आंशिकतः रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट और आंशिकतः चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो या जो भारतीय आयकर सेवा समूह 'क' का सदस्य रहा हो और जिसने कम से कम तीन वर्ष तक (अपर) आय कर आयुक्त का पद या उसके समतुल्य या उच्चतर पद धारण किया हो।

सदस्य और कर्मचारीवृंद : देशभर के 28 शहरों में फैले 63 पीठों के लिए सदस्यों के वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या 126 है जिसमें से केवल 85 सदस्य पदस्थ हैं। अधिकरण में वर्तमान में अध्यक्ष सहित 10 उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष के तीन (3) और सदस्यों के अड़तीस (38) पद रिक्त हैं।

शक्तियां और कृत्य: आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यपक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों तथा प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरूद्ध अपीलों के

साथ–साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ या 12क के अधीन पंजीकरण निषेध करने के आदेश का निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक न्याषयपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। तथापि, उपयुक्त मामलों में अध्यक्ष के निर्णय से, पीठ में दो या उससे अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारिती से संबंधित है जिसकी मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पचास लाख रूपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

प्रक्रिया और नियमः अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निवर्हन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे संस्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीर्घ निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन–कर, उपहार–कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण–प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपने पूरी सामर्थय से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर–दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें करोड़ों रुपयों का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में तथ्य के प्रश्नों की समुचित रुप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ–साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा–पूरा ध्यान दिया गया है। अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं, न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्यों के प्रश्न समुचित रुप से और न्यायिकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष होते हैं।

लंबित अपीलें : वित्त वर्ष 2019–20 के प्रारंभ में अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 92205 थी और दिनांक 1 दिसम्बर, 2019 को लंबित अपीलों की संख्या 89577 थी।

निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि नव–सृजित पीठों के चालू होने के बाद से लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं : –

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	दाखिल की गई अपीलों की संख्या	निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष के अंत में लम्बित अपीलों की संख्यां
2004–2005	57331	78901	137164
2005–2006	45283	73979	108468
2006–2007	43192	65524	86136
2007–2008	44356	59653	70839
2008–2009	40372	55889	55322
2009–2010	42023	49353	47992
2010–2011	43875	36293	55574
2011–2012	42346	33816	64104
2012–2013	43934	33752	74286
2013–2014	46243	31886	88643
2014–2015	45089	30494	103238
2015–2016	39743	51010	91971
2016–2017	48800	48385	92386
2017–2018	50222	49791	92817
2018–2019	51154	51766	92205
अप्रैल, 2019 से नवम्बर, 2019 तक	34374	37002	89577

लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयासः

सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्टर करें। इनमें समूह के और छोटे मामले शामिल हैं। बार को आउट आफ टर्न पोस्टिंग के लिए ऐसे समूह के मामलों का आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, प्रशासनिक आयुक्तों द्वारा धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती मामलों से संबंधित अपीलों तथा अपीलों के विरूद्ध निपटान को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी प्रकार, धारा 12क के अधीन धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण अस्वीकार करने और धारा 80छ के अधीन मान्यता स्वीकार न करने पर भी प्राथमिकता से कार्रवाई की गई। जब भी अधिकरण से संपर्क किया जाता है तब वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की गई अपीलों पर भी प्राथमिकता से सुनवाई की जाती है। इसके अलावा, वित्तव अधिनियम, 2015 के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 में यह संशोधन किया गया है कि 50 लाख तक की आय से संबंधित अपील की सुनवाई एकल–सदस्यीय पीठ द्वारा की जा सकती है। तदनुसार इसे लागू किया गया है।

एक सदस्य– वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं: –

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2019	11982
फरवरी, 2019	12459
मार्च, 2019	12657
अप्रैल, 2019	13116
मई, 2019	13474
जून, 2019	13101
जुलाई, 2019	13861
अगस्त, 2019	14128
सितम्बर, 2019	14339
अक्टूबर, 2019	14343
नवम्बर, 2019	14276

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं : –

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2019	631
फरवरी, 2019	604
मार्च, 2019	610
अप्रैल, 2019	510
मई, 2019	459
जून, 2019	447
जुलाई, 2019	432
अगस्त, 2019	404
सितम्बर, 2019	374
अक्टूबर, 2019	356
नवम्बर, 2019	342

आयकर अपीलीय अधिकरण की 63 स्वीकृत पीठें हैं जिनमें सदस्यों की अपेक्षित संख्या 126 है लेकिन वर्तमान में केवल 85 सदस्य हैं, जिसके कारण कुछ पीठें नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलों का लंबन बढ़ रहा है।

कम्प्यूटरीकरणः आयकर अपीलीय अधिकरण में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2000 के प्रारंभ में शुरू हुई थी और हाल के वर्षों में अधिकरण की दैनंदिन गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से इसमें तेजी आई है। इन वर्षों में अधिकरण द्वारा अपने आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई हैं।

उपलब्धियां :

(क) आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजनाः यह पायलट परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वाचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वियत की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए. टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर एनआईसी क्लाउड सर्वर, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है।

(ख) आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइटः आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई है और आम जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल, सूचनाप्रद, उत्तरदायी बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों से अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्या यिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद–सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्या पक उपयोग हो रहा है और इसकी सराहना हुई है। आईटीएटी द्वारा संसदीय स्थायी राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन के अनुसरण में वेबसाइट और एप्लिकेशन को द्विभाषी बनाया गया है जिसके द्वारा आम जनता तक वेबसाइट की पहुंच बढ़ी है।

(ग) एन.आई.सी. ई–मेलः आयकर अपीलीय अधिकरण के सामान्य प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न पीठों, सदस्योों और अधिकारियों के बीच प्रभावी संचार के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई–मेल सुविधाओं का उपयोग करता है। सभी पीठों, क्षेत्रों, सदस्यों, रजिस्ट्री के अधिकारियों, वरिष्ठ निजी सचिवों/निजी सचिवों तथा कर्मचारियों की जरुरतों के अनुसार प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों के लिए एनआईसी ई–मेल खाते बनाए गए हैं। प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए ई–मेल

आईडी आवश्यक हो गई है। तद्नुसार, एनआईसी मेल पहचान पत्र को भी इन प्रयोगकर्ताओं हेतु बनाया जा रहा है। संचार के पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रयोग में आसान, तेज और आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हाल के वर्षों में ई–मेल का प्रयोग उपयोगकर्ताओं के बीच बढ़ रहा है।

(घ) आधारिक संरचना का उन्नोयन : आयकर अपीलीय अधिकरण को सदैव लगता रहा है कि बेहतर कंप्यूटरीकरण के लिए बेहतर आधारिक संरचना होना जरूरी है। तदनुसार, आयकर अपीलीय अधिकरण चरणबद्ध तरीके से पुराने और अप्रचलित कंप्यूटरों, प्रिंटरों आदि उपकरण को बदल कर नए उपकरण लाता रहा है। आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी सदस्यों को कार्यालय प्रयोग के लिए लैपटाप पहले ही दे दिए गए हैं।

माननीय राष्ट्रपति ने उल्लिखित किया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक वादियों के लिए न्यायिक सूचनाओं के विस्तार में उपयोग किया जाए। इस दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि आयकर अपीलीय अधिकरण के दिल्ली पीठ के कार्यालय परिसर के 10वें तल पर लगे नोटिस बोर्ड को डिजीटल बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भविष्य की परियोजनाएं:

(क) मोबाइल एप्लीकेशन का पुनर्विकास और ई–फाइलिंग शुरू करना

इस परियोजना के विकास का कार्य एनआईसीएसआई–पैनल विक्रेता को पहले ही सौंपा गया है। आधिकारिक वेबसाइट एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन के साथ पहले ही शुरू की गई है। आई ओ एस एप्लिकेशन को भी तैयार किया गया है जो परीक्षण की प्रक्रिया में है। ई–फाइलिंग माड्यूल को भी विकसित किया गया है जो परीक्षण के चरण में है। आशा है कि यह शीघ्र ही चालू हो जाएगा।

(ख) ई– न्यायालय

पिछले वर्ष के दौरान आयकर अपीलीय अधिकरण के राजकोट, गुवाहाटी, रांची, पटना और जबलपुर पीठों में ई–न्यायालय की स्थापना की गई। आयकर अपीलीय अधिकरण के अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता और दिल्ली पीठों को क्रमशः राजकोट, गुवाहाटी, रांची, पटना, नागपुर, पणजी और जबलपुर पीठ से जोड़ते हुए कार्यवाहियां संचालित की गईं। ई–न्यायालय के माध्यम से इन स्थानों पर क्रमशः कुल 1198 अपीलों की सुनवाई की गई। उपर्युक्त के अलावा, अधिकरण के सभी शेष पीठों में ई–न्यायालय उपकरणों को उपलब्ध कराके स्थापित किया जा रहा है।

(ग) आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में सीसीटीवी लगानाः

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.08.2017 के निर्णय के तहत निदेश दिया कि ऑडियो और वीडियो रिकार्डिंग सहित सीसीटीवी कैमरा आयकर अपीलीय अधिकरण सहित सभी अधिकरणों में लगाए जाएं। साथ ही, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने भी दिनांक 29.09.2017 के अपने पत्र के तहत आयकर अपीलीय अधिकरण को न्यायालय कक्षों और अधिकरण के सभी पीठों के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का निदेश दिया।

तद्नुसार, 17 कार्यकारी पीठों के लिए सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम किया गया था। सीसीटीवी

कैमरे अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं और रिकार्डिंग नियमित रूप से की जाती है। आयकर अपीलीय अधिकरण, नागपुर में दिनांक 18.09.2019 के सीसीटीवी उपकरण लगाया गया है जो सही से कार्य कर रहा है। साथ ही शेष पीठों में सीसीटीवी उपकरण की आपूर्ति और लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) नई पीठ की स्थापनाः

देहरादून तथा वाराणसी में आईटीएटी की सर्किट पीठों की स्थापना के परिणामस्वरूप न्यायाधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में आईटीएटी के स्थाई आदेश में उपयुक्त संशोधन किए गए थे।

आयकर अपीलीय अधिकरण का अपना भवन

आयकर अपीलीय अधिकरण ने पुणे, बंगलूरू, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में कार्यालय–सह–आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है। उड़ीसा सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ को कटक में कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.601 एकड़ का भू–खंड आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त आयकर अपीलीय अधिकरण ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा न्यू टाउन एरिया, कोलकाता में विकसित वित्तीय एवं विधिक केंद्र में आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठ के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि के आबंटन के लिए दो किश्तों का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में 5.20 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को भुगतान किया जाना है, को जमा करके ई–आक्सन के माध्यम से आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ हेतु कार्यालय परिसर के लिए स्थान खरीदने हेतु आयकर अपीलीय अधिकरण के प्रस्ताव को विधि और न्याय मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है।

भूखंड की स्थिति का विवरणः

(i) पुणेः विकल्प सहित भवन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाना है जिसके लिए आयकर अपीलीय अधिकरण, पुणे द्वारा शीघ्र ही वास्तुविद और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक प्रस्तावित है।

(ii) बंगलुरु : भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 06.03.2019 को इसका उद्घाटन किया गया और बंगलुरु पीठ इस भवन में कार्य कर रही है। हालांकि, मंत्रालय ने दिनांक 13.11.2019 के अपने पत्र के तहत अतिरिक्त कार्य की देखभाल के लिए 1.75 करोड़ रुपए की सहमति की सूचना दी है।

(iii) जयपुरः भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जयपुर पीठ भवन में कार्य कर रही है।

(iv) लखनऊः कार्यालय–सह–आवासीय परिसर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 87,40,898/– रुपए की आबंटित राशि में से 63,42,638/– रुपए का आवर्ती व्यय चारदीवारी निर्माण हेतु किया गया है और शेष राशि को सरेंडर कर दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयकर अपीलीय अधिकरण, लखनऊ पीठ, लखनऊ के लिए कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण कार्य हेतु कुल 15 करोड़ (सिविल कार्य के लिए 13 करोड़ रुपए के आवर्ती व्यय और विद्युत कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए) रुपए दिनांक 04.06.2019 के अनुज्ञप्ति द्वारा जारी किया गया है।

(v) **कटक:** आई.टी.ए.टी. ने आईटीएटी का अपना कार्यालय भवन और कर्मचारिवृंद के क्वार्टर के निर्माण हेतु ओडिसा सरकार द्वारा आबंटित सेक्टर–1, सीडीए, कटक में लगभग 1.601 एकड़ भूमि अर्थात् मौजा सुबर्नपुर, कटक सदर रशील, कटक का खाता सं. 1/1 का रिवेन्यू प्लॉट सं. 1ध09 (पी) का अधिग्रहण कर लिया है। कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है।

(vi) **अहमदाबाद:** आईटीएटी अहमदाबाद बैंच ने अहमदाबाद में आयकर अपीलीय अधिकरण के कार्यालय–सह–अवासीय परिसर के लिए भूमि खरीदने की अनुमति हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया है। आइटीएटी ने दिनांक 29 मई, 2019 के पत्र के तहत आईटीएटी, अहमदाबाद में भूमि के क्रय के लिए तदनुसार स्वीकृति और अनुमोदन हेतु मंत्रालय द्वारा मांगी गई आवश्यक अतिरिक्त जानकारी को प्रस्तुत कर दिया है।

अहमदाबाद, गोवाहाटी, कोलकाता और अन्य स्थानों पर आईटीएटी के कार्यालय परिसर के लिए भूमि का प्रबंध करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

सदस्यों के लिए सुविधाएं :

भारत संघ और अन्य बनाम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंशस मामले में 1998 के एसएलपी (एल) सं. 6905/1998 और टीपी (सी) सं. 659 और 672–673 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.09.2003 के आदेश के तहत आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निदेश दिया है और सदस्यों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आईटीएटी द्वारा प्रत्येक कदम उठाये गये हैं।

हितकारी निधि :

आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारिवृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

यह आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में ज्ञान कौशल को सुधारने के लिए दिल्ली में दिनांक 14.12.2018 को अपीलीय प्राधिकरणों, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विषय में अखिल भारतीय पुनश्चर्या पाठ्क्रम को संचालित किया गया था।

आईटीएटी के 11 स्टेशनों में स्थित पीठों को मुख्य सूचना आयुक्त, दिल्ली की वेबसाइट में पंजीकृत किया गया है और वर्ष 2017–18 की तिमाही रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियां : पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठों में ''स्वच्छता पखवाड़ा'' मनाया गया। आईटीएटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृंद को 'स्वच्छता शपथ' दिलाई गई।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल ने न्याय के वितरण में क्षमता निर्माण और उसकी उत्कृष्टता में संवर्धन करने के विचार से आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों के लिए दो सेमिनार का आयोजन किया था। इस तरह का पहला सेमिनार दिनांक 21 से 23 सितंबर, 2018 को आयोजित किया गया था जिसमें 42 सदस्यों ने भाग लिया। दूसरा सेमिनार दिनांक 4 से 6 जनवरी, 2019 को आयोजित किया गया था जिसमें 38 सदस्यों ने भाग लिया।

आयकर अपीलीय अधिकरण के पर्यवेक्षी कर्मचारिवृंद के लिए दिनांक 15 और 16 फरवरी, 2019 को जयपुर में एक अखिल भारतीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था। आईटीएटी के कर्मचारिवृंद और अधिकारियों को प्रशासनिक मामले, केन्द्री य प्रशासनिक अधिकरण मामले, से निपटने हेतु और कोषाध्यक्ष को प्रशिक्षण जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। उन्हें नई दिल्ली में आईएसटीएम, मुंबई में आईएनजीएएफ, फरिदाबाद में एनआईएफएम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है।

आयकर अपील; अधिकरण ने दिनांक 25 जनवरी, 2019 को उसके सभी पीठों में उसका 78वां स्था पना दिवस मनाया।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी न्यायपीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं ताकि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके।

हिंदी में पत्र व्यवहार के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति तथा इसके कार्यान्वयन को संबंधित न्यायपीठ द्वारा मॉनीटर किया जाता है और न्यायपीठों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्टों की मुम्बई स्थित मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार, हिंदी में कार्य करके हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदनें के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी पुस्तकों (अर्थात् कुल पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत) की खरीद पर व्यय के लिए निदेश दिए गए हैं।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोतर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुम्बई में एक वार्षिक जर्नल 'सृजन' का प्रकाशन किया गया है। इसमें आयकर अपीलीय अधिकरण के विभिन्न पीठों के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखित लेख,

कहानी, कविता और यात्रावृत इत्यादि के अतिरिक्त हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम, हिंदी कार्यशाला के चित्र भी प्रकाशित किए जाते हैं।

सेवाओं में विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयन :

विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए नियुक्तियों में छूट के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों को वर्ष 2019–20 के दौरान भी विधिवत कार्यान्वित किया गया है और आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े अनुबंध–III में दिए गए हैं।

22. सतर्कता संबंधी गतिविधियां

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। सतर्कता एकक का प्रमुख संयुक्त सचिव रैंक का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, सतर्कता एकक के प्रमुख श्री आर.एस. वर्मा, अपर सचिव हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं : –

- कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा शासकीय कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के उपाय करना;
- भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना ;
- शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय शुरू करना ;
- उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना ;
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना ;
- विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा;
- जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना; और
- जहां भी आवश्यक हो, दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और परिमाण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया गया है। दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

23. लिंग आधारित मुद्दे

इस विभाग द्वारा दोनों विभागों अर्थात् विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए दिनांक 07 फरवरी, 2019 के आदेश के तहत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन शिकायत समिति गठित की गई है। उक्त शिकायत समिति सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण समझी जाएगी। शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। यह समिति महिला कर्मचारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो स्वहयं जांच करेगी। जांच के पूरा होने के बाद, समिति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संयुक्त सचिव(प्रशासन–1), विधि कार्य विभाग को निष्कमर्ष प्रस्तुत करेगी। वर्तमान में इस समिति की प्रमुख डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव, विधायी विभाग हैं।

दिनांक 31.03.2019 की स्थि ति के अनुसार, विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यनक्तियों की संख्यात दर्शाने वाला विवरण अनुबंध–IV में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग और आईटीएटी में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वज अनुबंध–V में दिया गया है।

24. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 का आयोजन

विधि कार्य विभाग द्वारा उसके मुख्य सचिवालय में तथा सभी शाखा सचिवालयों अर्थात् कोलकाता, चेन्नै, मुम्बई और बेंगलूरु में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विधि कार्य विभाग में अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लाभ हेतु प्रशिक्षित योग शिक्षकों के पर्यवेक्षण में योग प्रदर्शन किया गया। विधि कार्य विभाग के वरिष्ठम अधिकारियों और अन्य् अधिकारियों/कर्मचारियों अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया और प्रशिक्षकों द्वारा प्रदर्शित सभी योगासनों को किया।

शाखा सचिवालय, चेन्नै में दिनांक 19 और 21 जून, 2019 को कृष्णामाचारी योग मंदिरम, चेन्नै संकाय द्वारा दो घंटे का योग सत्र आयोजित किया गया और उसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। सामान्यतः उसी उत्साह के साथ दिनांक 21 जून, 2019 को शाखा सचिवालय, कोलकाता, मुम्बई और बेंगलूरु में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। समारोह के चित्र अनुबंध–VI पर दिए गए हैं।

25. स्वच्छ भारत अभियान

सरकार के निदेशानुसार, दिनांक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2019 तक विधि कार्य विभाग और उसके कोलकाता, मुंबई, चेन्नै और बंगलूरू स्थित शाखा सचिवालयों और देश में आयकर अपीलीय अधिकरण कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।

विधि सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में विधि कार्य विभाग द्वारा मनाए गए इस स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर अपना संदेश दिया। विभाग और उसके शाखा सचिवालयों द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2019 से 2 अक्तूबर, 2019 की अवधि को 'अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन' विषय सहित 'स्वच्छता ही सेवा' के रूप में मनाया गया था। सकेन्द्रीत अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन पर कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किये गये। इसके लिए मुख्य सचिवालय, शाखा सचिवालयों में पोस्टर और बैनर लगाए गए ताकि स्वच्छता के संदेश का अधिकारिक प्रचार–प्रसार हो सके। इस अवधि के दौरान, स्वच्छता अभियान के तहत परिकल्पित की गई गतिविधियां जैसे कि कार्यालय रिकार्ड का डिजिटलीकरण, सामान्य रखरखाव, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आस–पास के क्षेत्रों की साफ–सफाई और सौंदर्यीकरण, स्वच्छता कार्यशाला इत्यादि शुरू की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के चित्र अनुबंध–VII में दिए गए हैं।

26. संविधान दिवस

दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को 'संविधान दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर भारत के संविधान की 'उद्देशिका' का वाचन भी किया गया।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

27. 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस)' के अधीन उठाए गए कदम

I. शासकीय प्रक्रिया का सरलीकरण : –

प्रशासन IV अनुभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा की तीन सेवाओं अर्थात् केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) संवर्ग में आने वाले कर्मचारियों का नियंत्रक प्राधिकरण है। प्रशासनिक मामलों का संचालन करने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

II. डिजिटल इंडिया : – डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत् निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: –

(क) लिम्ब्स (विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली)

विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स) न्यायलयी मामलों की सक्रिय निगरानी के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। विधि कार्य विभाग द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2016 को जारी किए गए राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और उसके विभागों, उप–विभागों, संलग्न कार्यालयों को लिम्ब्स की परिधि में शामिल किया गया है।

यह एक नवीन और आसान ऑनलाइन उपकरण है जो सभी पणधारियों अर्थात् सरकारी अधिकारियों, विभाग के उपयोगकर्ताओं, नोडल अधिकारियों, मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और 62 मंत्रालयों के दावेदारों हेतु नवीनतम सूचना अपलोड करने के लिए 24X7 उपलब्ध है जो सार्वजनिक राजकोष पर भ्रम, विलम्ब और अत्यधिक वित्तीय भार को कम करते हुए वास्तविक समय के आधार पर एक साथ एकल एकीकृत प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है।

4.4 वर्षों की अल्पकालिक अवधि में लिम्ब्स ने 5.20 लाख न्यायलयी मामलों के डाटाबेस को केंद्रीयकृत किया है, जिसके अंतर्गत भारत संघ (यूओआई) एक पक्षकार के रूप में है; 12328 सरकारी कर्मचारी/उपयोगकर्ता 4788 माध्यस्थम मामले हैं और 18000 से अधिक अधिवक्ताओं (03.01.2020 तक) का विवरण है।

लिम्ब्स मूल विवरणों जैसे न्यायालय का नाम, मामला संख्या, दाखिल करने की तारीख, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का नाम, मामले का पूर्व वृत्त, प्रतिवादी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का नाम और मोबाइल नम्बर, न्यायाधीश का नाम, मामले का वर्ग, मामले की स्थिति, अगली सुनवाई की तारीख, पिछली सुनवाई का विवरण आदि समाहित करता है। मानहानि और महत्वपूर्ण मामलों की उच्च प्राथमिकता है इसलिए इन्हें अलग से दर्शाया गया है। उपयोगकर्ताओं, अधिवक्ताओं, संबंधित अधिकारी, नोडल अधिकारी और मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को आगामी महत्वपूर्ण मामलों, मानहानि मामलों, एसएलपी/अपीलों आदि से संबंधित ऑटो जेनरेटेड एसएमएस एलर्ट भेजे जाते हैं। एक पृष्ठ की सारांश रिपोर्ट और लेखाचित्र ने मंत्रालयों में विधिक प्रक्रिया के कामकाज में प्रत्यक्ष सुधार किया है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण मामलों को अधिक सक्रिय तौर पर मॉनीटर करने के लिए लिम्ब्स में एक साधारण हस्तक्षेप को विकसित किया गया है। महत्वपूर्ण मामलों के लिए उच्च प्राथमिकता को निर्दिष्ट किया गया है। एक मंत्रालय का नोडल अधिकारी सचिव के अनुमोदन से महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर सकता है। एसएलपी/अपीलों को दाखिल करने की भौतिक कार्यविधि की समय–सीमा निर्धारित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस (एसडब्ल्यूसी) उपयोगिता

को विकसित किया गया है। लिम्ब स प्लेधटफॉर्म पर यूनीक डॉक्यूमेंट लॉकर (यूडीएल) की सुविधा के माध्याम से उपयोगकर्ता/पर्णधारी को दाखिल किए गए जवाब, जमा किए गए शपथ–पत्र, निर्णयों की स्कैन कॉपी जैसे न्यायालयी मामलों के विशेष दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। यह एक सीमित समूह के लिए सूचना अपलोड करने की व्यवस्था करता है जो गोपनीयता को सुनिश्चित करते हुए केवल उस समूह के समक्ष ही प्रत्यक्ष होती है। यूडीएल उच्च अधिकारियों को डाटा संचालित निर्णय लेने में न्यायालयी मामलों से संबंधित सूचना को संग्रह का कार्य करता है। चूंकि दस्तारवेज के किसी मूर्त गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए यूडीएल परिहार्य विलंब को भी समाप्त। करता है। यह सुविधा निष्पादिन और विधिक लेखापरीक्षण में भी सहायक है। लिम्बिस प्लेटफॉर्म में वॉल्टस–ई–डॉक्यूमेंट वॉल्ट की सुविधा उपयोगकर्ता को आनलाईन डॉक्यूमेंट वॉल्ट उपलब्ध कराती है जहां वे अधिकांश लोगों के लाभ के लिए शिक्षा और ज्ञान के प्रयोजन हेतु महत्वपूर्ण निणर्य, परिपत्र इत्यादि जैसे दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ई–डॉक्यू मेंट वॉल्टव में यह जानकारी न्यायालयी मामलों का विश्लेषण और भावी सुझाव तथा कागज की मूर्त गतिविधियों को कम करने में सहायक हो सकती है। स्थानांतरित मामले की सुविधा उपयोगकर्ता से संबधित मामले को एक से दूसरे उपयोगकर्ता को स्थानांतरित करने में सहायता करता है। किसी उपयोगकर्ता को स्थानांतरित/प्रोन्नत किए जाने की स्थिंति में यह सुविधा बहुत सहायक होती है। उपयोगकर्ता के अनुरोध पर इस सुविधा को लिम्बरस के प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया गया है।

निरंतर अद्यतन होने वाली लिम्बस एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भारत सरकार के मुकदमों को कम करने में एक मुख्य भूमिका बन सकता है।

इसके अलावा, लिम्बस में दो अतिरिक्त मॉड्यूल अर्थात् अधिवक्ता मॉड्यूल और माध्यस्थम मॉड्यूल भी है। अधिवक्ता, न्यायालयी मामलों की विधिक प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पणधारी है और लिम्बस का एक अभिन्न अंग बन गया है। अधिवक्ता को किसी सरकारी न्यायालयी मामले में नामांकित किए जाने पर उसे सिस्टम जनरेटेड लांगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त होते हैं। जब अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होते हैं और उनके पास प्रारंभिक सूचना होती है तब वह लिम्बस में प्रत्येक न्यायालयी मामले के विरुद्ध निर्णयों की प्रतियां, दाखिल किए गए जवाब, न्यायालय के कार्यवाहियों की रिपोर्ट, नोटिस इत्याधदि जैसे दस्ताावेजों को अपलोड कर सकता है। अधिवक्ता मॉड्यूल लिम्बस पोटर्ल के माध्यम से लम्बे समय से लंबित अधिवक्ता बिलों को समय से ऑनलाइन भरने की मांग को पूरा करता है। अधिवक्ता द्वारा सूचना को अपलोड किया जाना इस प्रक्रिया को अधिक तात्कालिक एवं उत्तरदायी बनाएगा। लिम्बस को एपीआई के माध्यम से डाटा साझा करने के लिए ई–कोर्ट की वेबसाइट से एकीकृत किया गया है। लिम्बस प्लेटफॉर्म में माध्यस्थम माड्यूल, माध्यस्थम दावा मामले के व्यापक नियंत्रण की सुविधा उपलब्ध कराता है। कोई दावेदार लिम्बरस प्लेटफॉर्म की एक सामान्य बारगी पंजीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके पंजीकरण कर सकता है और माध्यस्थम दावे को अपलोड कर सकता है। लिम्बस प्लेटफॉर्म दावेदार को ई–दस्तावेज के अपलोड की सुविधा उपलब्ध कराता है जिसका प्रयोग करके वे संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं और उन दावों की स्थिति और संबंधित विभाग में विभिन्न स्तरों पर उसकी प्रगति को जान सकते हैं। माध्यस्थम मॉड्यूल सरकारी कर्मचारियों को आंतरिक कार्रवाई विवरण, माध्यस्थम का नामांकन और उसके कार्रवाई विवरण इत्यादि को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

मंत्रिमंडल के सचिवालय के निर्देशानुसार वर्तमान लिम्बास एप्लीकेशन को अधिक मजबूत और मुक्तव स्रोत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाया जाना है जिसके लिए लिम्बल का संस्करण–2 को विकसित किया है जो कि जनवरी, 2020 लॉन्चर किया जाएगा। यह नया संस्करण अधिक परिमाप्य होगा, इस प्रकार भविष्य में

उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड, एपीआई के माध्यम से अन्य न्यायालयों की वेबसाइट के साथ एकीकरण और सभी उच्च न्यायालयों के लिए सीएन आर संख्या क्षेत्र का समाविष्ट जैसी सुविधाएं/माड्यूल को जोड़ा जा सकता है। अधिवक्ता/काउंसेल कंप्यूटर जनित विशिष्ट संख्या से अपने दावों को पंजीकृत कर सकेंगे जो सभी मंत्रालयों द्वारा लिम्बस के संशोधित संस्करण में अपने दावों के निपटान हेतु संसाधित किया जाएगा।

निरंतर विकसित हो रही लिम्बस एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग भारत सरकार के मुकदमों को कम होने में अत्यधिक परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है।

(ख) एनडीएसएपी (राष्ट्रीय डाटा सहभागिता और अभिगम्यीता नीति)

इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के पास उपलब्ध साझा करने योग्य डाटा और सूचना को मानव द्वारा पढ़ने योग्य तथा मशीन द्वारा पढ़ने योग्य रूप में एक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय तौर पर और समय–समय पर अद्यतन करने योग्य तरीके से भारत सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, अधिनियमों और नियमों के ढांचे के भीतर देशभर में उपलब्ध करवाना है, ताकि यह अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और सार्वजनिक डाटा और सूचना का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

एनडीएसएपी के लाभः –

(क) अधिकतम उपयोग

(ख) दोहराव से बचाव

(ग) अधिकतम समेकन

(घ) स्वामित्व की जानकारी

(ङ) बेहतर निर्णय लेना

(ग) ई–ऑफिस

ई–ऑफिस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः –

(क) सरकारी कार्रवाइयों की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार करना।

(ख) प्रतिवर्तन समय को कम करना और नागरिक–चार्टर की मांगों को पूरा करना।

(ग) प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना।

(घ) प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम करना।

(ङ) पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करना।

(च) इस प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होगी।

III. **निर्णय लेने के स्तरों को कम करना– कुछ मामलों में जैसे कि अवकाश की मंजूरी आदि के लिए शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।**

IV. पेंशन मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया–पेंशन के मामलों का ऑनलाइन निपटान किया जा रहा है।

28. दिनांक 01.01.2019 से 19.12.2019 तक की अवधि के दौरान माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और विधि अधिकारियों द्वारा किए गए विदेश दौरों का विवरणः

क्र.सं.	नाम और पदनाम	देश का नाम	दौरे का प्रयोजन और उसकी अवधि
1.	श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री	कोलंबो, श्री लंका	दिनांक 5 से 7 नवंबर, 2019 कॉमनवेल्थ विधि मंत्रियों की बैठक में भाग लेने हेतु।
2.	श्री अजय गोयल, संयुक्त सचिव	बिश्केक, किर्गिजस्तान	दिनांक 1 अक्तूंबर, 2019 सदस्यद राज्यों द्वारा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राज्य महाभियोजकों की 17वीं बैठक में भाग हेने हेतु।
3.	डॉ. अंजु राठी राणा, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	वियना, ऑस्ट्रिया	दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2019 संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा ''दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हिंसक अतिवाद के विरूद्ध आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं में लिंग मुख्यधारा को मजबूत करना'' परियोजना को लागू करने के लिए क्रॉस–क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने हेतु।
4.	श्री आर. के. श्रीवास्तव, अपर विधि सलाहकार	हेग, नीदरलैंड	जजमेंट प्रोजेक्टन के विशेष आयोग (सिविल अथवा वाणिज्यिक मामलों में विदेशी निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर मसौदा सम्मेलन) की बैठक तथा तत्पश्चात् दिनांक 29 जून से 2 जुलाई, 2019 तक डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हेतु।
5.	सुश्री पिंकी आनंद, अपर सॉलिसिटर जनरल	बिश्केक, किर्गिजस्तोन	दिनांक 20 सितंबर से 1 अक्तूबर, 2019 सदस्य राज्यों द्वारा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राज्य महाभियोजकों की 17वीं बैठक में भाग लेने हेतु।
6.	श्री अमन लेखी, अपर सॉलिसिटर जनरल	काठमांडु, नेपाल	दिनांक 6 से 8 नवंबर ट्रैफिकिंग इन पर्सन एंड स्माग्लिंरग ऑफ माइग्रन्टि पर क्षेत्रीय विचार–विमर्श में भाग लेने हेतु।
7.	सुश्री माधवी दिवान, अपर सॉलिसिटर जनरल	कुआलालम्पुर, मलेशिया	दिनांक 18 से 20 नवंबर, 2019 तक कॉमनवेल्थ एशिया उच्च स्तरीय क्षेत्रीय संवाद में भाग लेने हेतु।
8.	डॉ. आर.जे.आर. काशीभाटला, उप विधि सलाहकार	हेग, नीदरलैंड	दिनांक 11 से 14 फरवरी, 2019 तक भारत–नीदरलैंड बीआईपीए के तहत वोडाफोन मध्यस्थम मामले की आखिरी सुनवाई में भाग लेने हेतु।

		बाली, इंडोनेशिया	दिनांक 21 से 28 फरवरी, 2019 तक निवेश पर कार्यकारी समूह और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के 25वें दौर की बैठक में भाग लेने हेतु।
		सिंगापुर	दिनांक 29 अप्रैल से 10 मई, 2019 वेदांता माध्यस्थम मामले की आखिरी सुनवाई में भाग लेने हेतु।
		बैंकाक, थाइलैंड	दिनांक 28 से 31 मई, 2019 क्षेत्रीय व्याापक आर्थिक भागीदारी विषयक कार्यकारी निवेश (आरसीईपी–डब्ल्यू जीआई) की 5वीं अंतर–स्तरीय बैठक में भाग लेने हेतु।
		झेंगझोऊ, चीन	दिनांक 26 से 31 जुलाई, 2019 आरसीइपी व्यापार वार्तालाप समिति की 27वीं बैठक में भाग लेने हेतु।
		सिंगापुर	दिनांक 15 से 18 सितंबर, 2019 7वीं अंतर–स्तरीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी कार्यकारी समूह बैठक में भाग लेने हेतु।
		बेंकॉक, थाइलैंड	दिनांक 15 से 19 अक्तूयबर, 2019 क्षेत्रीय व्यारपक आर्थिक भागीदारी व्या पार वार्तालाप समिति (7वां आईएसएसएल आरसीइपी टीएनसी) की 7वीं अंतर–स्तरीय बैठक तथा संबंधित बैठकों में भाग लेने हेतु।
9.	सुश्री आरती चोपड़ा, उप विधि सलाहकार	हेग, नीदरलैंड	जजमेंट प्रोजेक्ट के विशेष आयोग (सिविल अथवा वाणिज्यिक मामलों में विदेशी निर्णयों की मान्यथता और प्रवर्तन पर मसौदा सम्मेलन) की बैठक तथा तत्पश्चात् दिनांक 21 जून से 24 जून, 2019 तक डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हेतु।
10.	श्री प्रफ्फुल कुमार बेहरा, उप विधि सलाहकार	वियना, ऑस्ट्रिया	दिनांक 15 से 17 जुलाई, 2019 तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि (यूएनसीआईटीआरएएल) पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 52वीं बैठक में भाग लेने हेतु।
11.	श्री सौरभ कुमार, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव	कोलम्बो, श्री लंका	दिनांक 5 से 7 नवंबर तक कॉमनवेल्थ विधि मंत्रियों की बैठक में भाग लेने हेतु।
12.	श्री के.एम. आर्य, सहायक विधि सलाहकार	पेरिस, फ्रांस	दिनांक 29 अप्रैल से 3 मई, 2019 अंतरिक्ष देवास मामले में माध्यस्थ सुनवाई के क्वांटम फेस के लिए मौखिक सुनवाई में भाग लेने हेतु।

अध्याय–II

विधायी विभाग

जहां तक संघ सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा–उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग का कार्य निम्नलिखित विषयों से संबंधित है: –

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों का प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरः स्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह निर्धारित करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिन्हें संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है ;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है ;

(x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान–मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजन;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबधित विषय;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;

(xviii) संघ सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;

(xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चुनिंदा निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन।

(2) विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई कानूनी या स्वायत्त निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

(क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथा अपेक्षित संसद में पुरः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथा अपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और

विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध – VIII पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्याम से सुनिश्चित करना चाहती है।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: –

(क) संवैधानिक संशोधन;

(ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां;

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान;

(घ) अप्रचलित विधियों का निरसन; और

(ङ) विविध विधियां।

4. 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने विधेयकों/अध्यादेशों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संसद के सदनों में पुरःस्थापित किए जाने हेतु 125 मंत्रिमंडल टिप्पणियों/नए विधायी प्रस्तावों की जांच की। इस अवधि के दौरान 67 विधेयक संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए।

इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नानुसार है : –

क्र.सं.	शीर्षक
1.	वित्त विधेयक, 2019
2.	संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
3.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2019
4.	अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
5.	विनियोग विधेयक, 2019
6.	विनियोग (लेखा पर मतदान) विधेयक, 2019
7.	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
8.	चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
9.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019

10.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
11.	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019
12.	जम्मू–कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
13.	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
14.	विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019
15.	केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019
16.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019
17.	दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
18.	नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019
19.	वित्त विधेयक (सं. 2) विधेयक, 2019
20.	डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019
21.	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
22.	विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019
23.	मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
24.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
25.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
26.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
27.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
28.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
29.	मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019
30.	सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019
31.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019
32.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019
33.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
34.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
35.	सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
36.	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019
37.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019
38.	मजदूरी संहिता, 2019
39.	उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019
40.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019
41.	अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
42.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2019

43.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
44.	बांध सुरक्षा विधेयक, 2019
45.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
46.	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019
47.	चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019
48.	जम्मू–कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019
49.	जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
50.	इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019
51.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019
52.	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
53.	पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019
54.	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019
55.	औद्योगिक संबंध संहिता, 2019
56.	विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019
57.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019
58.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019
59.	आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019
60.	समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019
61.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
62.	संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
63.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019
64.	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019
65.	माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
66.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019
67.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

5. 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से 51 विधेयक अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं तथा 1 संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी अधिनियमित किया गया है। इस अवधि के दौरान, अधिनियमित किए गए अधिनियमों की सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अधिनियमों के शीर्षक
1.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 1)
2.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 2)
3.	विनियोग (संख्यांक–6) अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 3)
4.	विनियोग अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 4)
5.	विनियोग (लेखा पर मतदान) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 5)
6.	स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 6)
7.	वित्त अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 7)
8.	विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 8)
9.	जम्मू–कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 9)
10.	केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 10)
11.	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 11)
12.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 12)
13.	दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13)
14.	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 14)
15.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 15)
16.	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 16)
17.	नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 17)
18.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 18)
19.	मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 19)
20.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 20)
21.	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 21)
22.	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 22)
23.	वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 23)
24.	सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 24)
25.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25)
26.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 26)
27.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 27)
28.	विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 28)
29.	मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 29)
30.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 30)

31.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 31)
32.	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 32)
33.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 33)
34.	जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 34)
35.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35)
36.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 36)
37.	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 37)
38.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 38)
39.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 39)
40.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 40)
41.	चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 41)
42.	इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 42)
43.	विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 43)
44.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 44)
45.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 45)
46.	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 46)
47.	नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 47)
48.	आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 48)
49.	पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 49)
50.	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 50)
51.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 51)

6. संविधान संशोधन अधिनियम

क्र.सं.	संविधान संशोधन अधिनियम का शीर्षक
1.	संविधान का (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 के रूप में संविधान का (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

7. 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 16 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया गया है।

क्र.सं.	अध्यादेशों के शीर्षक
1.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 1)
2.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 2)
3.	कंपनी संशोधन अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 3)

4.	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 4)
5.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 5)
6.	कंपनी संशोधन दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 6)
7.	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 7)
8.	जम्मू–कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 8)
9.	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 9)
10.	नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 10)
11.	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 11)
12.	विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 12)
13.	केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 13)
14.	इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 14)
15.	कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 15)
16.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 16)

8. 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत 2 विनियम जारी किए गए हैं:

क्र.स.	**विनियम के शीर्षक**
1.	दमन और दीव सिविल न्यायालय (संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का विनियम संख्याक 1)
2.	दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय और विविध प्रावधान) संशोधन विनियम, 2019 (2019 का विनियम संख्यांक 2)

9. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 3602 सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई।

10. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों तथा निर्वाचन को संचालित करने वाली विधियों के अनुसार हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

(2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त अर्थात् 01 जनवरी, 1990 तक ही रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनका दर्जा व वेतन एवं अनुलाभ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

(4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में दल के भीतर लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है ताकि यह सरकारी स्वीकृतियां उपलब्ध करा सके।

(6) 1950 में निर्वाचन संबंधी व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इसके अलावा, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ–साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

11. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग संसद, राज्य विधान मंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों, इन अधिनियमों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन तथा उनसे संबंधित/प्रासंगिक मामलों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है : –

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(iii) राष्ट्रपति; और उपराष्ट्रपति; निर्वाचन अधिनियम, 1952
(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002
(v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद् अधिनियम, 2005
(vi) तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010

2. हमारे देश का निर्वाचन तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फर्स्ट–पास्ट–दी–पोस्ट) भी कहा जाता है, ने सत्तर वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इन सत्तर वर्षों की यात्रा (भारत गणराज्य– की स्थापना के बाद) को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून–पसीने से सींचा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्त–व्यस्तता एवं उथल–पुथल देखी है। इस अवधि में हमारे देश

का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक मत अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होता जा रहा है। ऐसे परिवेश में निरपवाद रूप से आरोप–प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के आगमन से निर्बाध एवं निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

3. ऐसे परिवेश में, जोकि निरंतर बदल रहा है, अनेक बार निर्वाचन विधियों में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार–विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय–समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

4. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का प्रयोजन वृद्ध व्यक्तियों, दिव्यांगों तथा वैसे भी व्यक्तियों को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जो अपनी सेवा–शर्तों की अनिवार्यता के कारण मतदान के दिन मतदान केंद्र स्वयं उपस्थित होने की स्थिति में न हों।

12. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन

बैलेट बॉक्स को प्रतिस्थापित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.) निर्वाचन प्रक्रिया का मुख्य आधार है। पहली बार वर्ष 1977 में निर्वाचन आयोग द्वारा परिकल्पित ई.वी.एम. को डिजाइन तथा विकसित करने का कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) को सौंपा गया। वर्ष 1979 में इसका प्रारंभिक मॉडल तैयार किया गया, जिसका प्रदर्शन 6 अगस्त, 1980 को निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु (बीईएल) को ईवीएम की शुरूआत पर आम सहमति बनने के पश्चात् ईसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से ईवीएम के निर्माण के लिए चुना गया।

(2) ईवीएम का पहली बार प्रयोग मई, 1982 में केरल के उप चुनावों में हुआ था। हालांकि, इसके प्रयोग संबंधी कोई विधि विशेष न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने यह चुनाव खारिज कर दिए थे। तत्पश्चात्, वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के प्रयोग के लिए प्रावधान बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किए थे। इसकी शुरूआत से संबंधित आम सहमति 1998 में ही बन पाई तथा तीन राज्यों–मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया। वर्ष 1999 में इसका प्रयोग बढ़ाकर 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इसके पश्चात् फरवरी, 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों में 45 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों किया गया। मई, 2001 में राज्य विधानसभा चुनावों में तमिलनाडू, केरल, पुदुच्चेरी तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ईवीएम का प्रयोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। तब से, सभी राज्य विधानसभा के लिए आयोग ने ईवीएम का प्रयोग किया है। वर्ष 2004 में लोक सभा के आम चुनावों में देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम (दस लाख से अधिक) का प्रयोग किया गया। वर्ष 2004 से सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हुआ है।

(3) चुनावों में ईवीएम के डिजाइन तथा प्रयोग को वैश्विक लोकतंत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। इससे सिस्टम में अधिक पारदर्शिता, तेजी तथा ग्राह्यता आई है। इससे ईवीएम के प्रयोग में प्रवीण निर्वाचन अधिकारियों का व्यापक दल तैयार करने में भी सहायता मिली है। इसके विकास क्रम में आयोग ने अनुदेशों की श्रृंखला, अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा तकनीकी दिशा–निर्देश

जारी किए हैं। अनेक न्यायिक निर्णयों से भी ईवीएम को हमारी निर्वाचन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिली है।

13 तकनीकी विशेषज्ञ समिति

ईसीआई–ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों पर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष प्रो. एस. सम्पत, तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए.सी., रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा प्रो. पी. वी. इंदरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ सी. राव कसारबाडा, तत्कालीन निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम थे। इसके बाद से आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर तकनीकी विशेषज्ञों के दल से विमर्श करता रहा है। नवंबर, 2010 में आयोग ने दो अन्य विशेषज्ञों को शामिल करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया है।

(2) ईवीएम के उन्नयन तथा निपटान संबंधी सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात्, इस मामले में कोई भी निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में आयोग के पास 17.8 लाख बैलट यूनिट, 11.8 लाख कंट्रोल यूनिट तथा नवीनतम एम–3 सीरीज की 17.45 लाख मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट (वीवीपीएटी) उपलब्ध है।

14. मतदान फोटो पहचान–पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ईपीआईसी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान–पत्रों का उपयोग धीरे–धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही, आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचक जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान–पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग करता है।

(2) निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान–पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान–पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि, उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले से ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं –

(i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) मतदाता डाटाबेस में मतदाताओं की फोटो उपलब्ध न होने की स्थिति में समय–समय पर विशेष अभियान चला कर फोटो एकत्र की/ली जाती है।

(iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की जाती है।

(iv) बिना रुकावट नामांकन करने तथा सभी नए रजिस्टर्ड मतदाताओं को ईपीआईसी जारी करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।

(3) इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण आयोग में उपलब्ध अद्यतित डाटा (2019) के अनुसार निम्नानुसार है:

मतदाता फोटो पहचान–पत्र की स्थिति दर्शाने वाला विवरण, 2019

क्रम सं.	राज्यों के नाम	ईपीआईसी %
1	आन्ध्र प्रदेश	100.00
2	अरूणाचल प्रदेश	99.97
3	असम	94.07
4	बिहार	100.00
5	छत्तीसगढ़	100.00
6	गोवा	97.98
7	गुजरात	99.99
8	हरियाणा	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	100.00
10	जम्मू और कश्मीर	93.00
11	झारखण्ड	100.00
12	कर्नाटक	100.00
13	केरल	100.00
14	मध्य प्रदेश	100.00
15	महाराष्ट्र	96.68
16	मणिपुर	100.00
17	मेघालय	100.00
18	मिजोरम	100.00
19	नागालैण्ड	98.36
20	ओडिशा	98.38
21	पंजाब	100.00
22	राजस्थान	100.00

23	सिक्किम	100.00
24	तमिलनाडु	100.00
25	तेलंगाना	100.00
26	त्रिपुरा	100.00
27	उत्तराखण्ड	100.00
28	उत्तर प्रदेश	99.99
29	पश्चिम बंगाल	100.00
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	97.36
31	चण्डीगढ़	100.00
32	दादरा एवं नागर हवेली	100.00
33	दमन एवं दीव	100.00
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	100.00
35	लक्षद्वीप	100.00
36	पुडुचेरी	99.98
	समस्त भारत	99.36

15. मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 को संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को अधिसूचित किया जिसमें आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के प्रयोग का अधिकार दिया गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम नागालैण्ड के 51–नोकसेन (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–चुनावों में किया। तत्पश्चात, वीवीपीएटी का प्रयोग विधानसभा के प्रत्येक चुनाव में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों तथा लोक सभा, 2014 के आम चुनावों में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। निर्वाचन आयोग ने नवंबर–दिसंबर 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी यूनिटों का प्रयोग किया।

आयोग ने 2019 के आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने हेतु वीवीपीएटी यूनिटों के विनिर्माताओं अर्थात् मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरू तथा मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद से 17.45 लाख वीवीपीएटी यूनिटों का प्रापन किया है।

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र यंत्र है जो कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के साथ लगा होता है जिससे मतदाता स्वयं द्वारा दिए गए मत का सत्यापन कर सकता है। जब मत डाला जाता है तो प्रिंटर द्वारा उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवार के नाम तथा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न को दर्शाते हुए एक स्लिप मुद्रित होती है तथा 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो में दिखाई देती है। इसके पश्चात् यह प्रिंटिड स्लिप अपने आप कट जाती है तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

16. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2019 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 276 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के

दौरान 30 नए मामले प्राप्त हुए थे, जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ–पत्र और समुचित अनुदेश संबंधित सरकारी वकील को संप्रेषित किए गए हैं। 15 मामलों का इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया है। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 291 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है।

17. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2019–20 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र.सं.	कारबार की मद	विधि और न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	202
2.	राज्य सभा प्रश्न	162
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	47
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	09
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	02
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	04
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	01
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	16
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	11
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	11

18. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति को दिनांक 16 सितम्बर, 2009 को 15 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

19. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20ए के वर्तमान प्रावधान तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) जो मतदान करने का इच्छुक हो, को चुनाव के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित होना आवश्यक है तथा उक्त प्रावधान बाहरी मतदान के माध्यम की अनुमति नहीं देता जोकि कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। प्रवासी मतदाताओं के लिए परोक्ष मतदान की शुरूआत करने से संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल द्वारा 2 अगस्त, 2017 को हुई बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। प्रवासी मतदाताओं द्वारा परोक्ष मतदान को प्रकल्पित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, 2017 लोकसभा द्वारा 09.08.2018 को पारित कर दिया गया तथा यह विधेयक राज्यसभा के विचारार्थ लंबित था। तथापि, 16वीं लोकसभा के भंग हो जाने पर उक्त विधेयक व्यगत हो गया। इस विधेयक को फिर से पुर:स्थापित करने के लिए सामग्री तैयार की जा रही है।

20. समवर्ती सूची के अंतर्गत विधान

भारत सरकार (कार्य–आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III–समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों के बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं : –

(क) विवाह और विवाह–विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; दत्तक ग्रहण, वसीयत; निर्वसीयत और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);

(ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(च) साक्ष्य और शपथ;

(छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

21. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, के संबंध में भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

22. लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

23. स्वीय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019

स्वीय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 6) द्वारा विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4), मुस्लिम विवाह–विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का 8), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) तथा हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) में निहित ऐसे प्रावधानों, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति के प्रति पक्षपाती हैं, को हटाने के लिए इनमें संशोधन किए गए।

24. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019

जब मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 राज्य सभा में विचारार्थ लंबित था, दोनों सदन स्थगित थे। चूंकि, संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे तथा तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) द्वारा तलाक दिए जाने की प्रथा अनवरत चल रही थी, इस प्रथा को रोकने और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 1) 12 जनवरी, 2019 को प्रख्यापित किया गया।

25. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, 2019

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 को बदलने के लिए, महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 को आवश्यक शासकीय संशोधनों के साथ राज्य सभा के समक्ष रखा गया। हालांकि, राज्य सभा में विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका तथा दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। चूंकि, संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे और तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) द्वारा तलाक दिए जाने की प्रथा अनवरत चल रही थी, अतः इस प्रथा को रोकने और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के प्रावधानों को नियमित रूप से प्रभावी बनाने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 4) 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित किया गया।

26. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) द्वितीय अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 को 31 जुलाई 2019 को 2019 के अधिनियम 20 के रूप में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियमन उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाक–ए–बिद्दत को दरकिनार किए जाने के बावजूद कतिपय मुस्लिम पतियों द्वारा इसके माध्यम से दिए जाने वाले तलाक की रोकथाम के लिए है। यह अधिनियम 19 सितंबर, 2018 (अर्थात् प्रथम अध्यादेश, नामतः मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश 7) के लागू होने की तिथि) से लागू है।

27. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; भारतीय न्यास अधिनियम, 1882; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; विभाजन अधिनियम, 1893; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; परिसीमन अधिनियम, 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 के दौरान 45 नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

28. राज्य विधायी प्रस्ताव

संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थित जो विषय विधायी विभाग को सौंपे गए हैं उनके संबंध में प्राप्त ऐसे विधायी प्रस्तावों जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, कि इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित 58 संदर्भों का परीक्षण किया गया था।

29. संसदीय कार्यों का आयोजन

वर्ष 2019–20 के दौरान, विधायी III अनुभाग ने तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रकार के संसदीय प्रश्नों तथा अन्य विषयों से भी संबंधित कार्यों का निपटान किया। संसदीय संदर्भों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य की मद	संख्या
1.	लोक सभा प्रश्न	15
2.	राज्य सभा प्रश्न	8
3.	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक	9
4.	सार्वजनिक महत्व के मामले	1

उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग में गैर–सरकारी सदस्य के विधेयक तथा संकल्प से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी भी तैयार की गई। साथ ही, संसदीय प्रश्नों की हार्डकॉपी के साथ–साथ उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा गया।

30. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधियों की गहन जानकारी तथा उनके नियमित अद्यतनीकरण के अतिरिक्त, विधि प्रारूपण में कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के लिए विधायी प्रारूपण में अभिरूचि और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता होती है।

2 देश में विधायी प्रस्तावों से संबंधित कार्य करने वाले प्रशिक्षित अधिकारियों तथा साथ ही प्रशिक्षित विधायी परामर्शियों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) की स्थापना की गई।

3 आई.एल.डी.आर. प्रत्येक वर्ष विधायी प्रारूपण से संबंधित निम्नलिखित एक बुनियादी पाठ्यक्रम तथा एक मूल्यांकन पाठ्यक्रम का संचालन करता है:

(i) बुनियादी पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मध्यम श्रेणी के विधि अधिकारियों के लिए है;

(ii) पंद्रह दिन की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है;

(iii) कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रूचि पैदा हो सके तथा वे विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम चार से छह सप्ताह के लिए तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के छात्रों अथवा पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के चौथे या पांचवे वर्ष के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। यह स्कीम 2013 से चल रही है।

(iv) अब तक आईएलडीआर ने विधायी प्रारूपण पर 22 मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा 31 बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। राज्य सरकारों के विधायी प्रस्तावों पर कार्य कर रहे कुल 344 अधिकारियों को बुनियादी पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया गया तथा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विधायी प्रारूपण से जुड़े 353 अधिकारी आई.एल.डी.आर. द्वारा चलाए गए मूल्यांकन पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, स्वैछिक इंटर्नशिप स्कीम द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के 284 विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए हैं।

4 इस अवधि के दौरान आईएलडीआर द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए:

(i) 01 जुलाई, 2019 से 27 सितंबर, 2019 तक विधायी प्रारूपण में इकत्तीसवां बुनियादी पाठ्यक्रम। उक्त पाठ्यक्रम द्वारा बाईस प्रशिक्षु अधिकारी लाभान्वित हुए।

(ii) 4 फरवरी, 2019 से 18 फरवरी, 2019 तक विधायी प्रारूपण में बाईसवां उक्त पाठ्यक्रम। मूल्यांकन पाठ्यक्रम द्वारा छत्तीस प्रशिक्षु अधिकारी लाभान्वित हुए।

(iii) ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग, लोक सभा सचिवालय द्वारा 07 अगस्त, 2019 को 'विधायी प्रारूपण में द्वितीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्यों के विधान मंडल सचिवालयों के तेईस प्रतिभागी लाभान्वित हुए। साथ ही, 29 अगस्त 2019 को ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग, लोक सभा सचिवालय द्वारा 'अधीनस्थ विधायन तथा इसके पहलू' विषय पर प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्यों के विधान मण्डल सचिवालयों के इकतालीस प्रतिभागी लाभांवित हुए।

5. आई.एल.डी.आर. के क्रियाकलापों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल (क्यूएमएसएम) के दिशा निर्देशों के अनुरूप पाए जाने के संबंध में किए गए मूल्यांकन के आधार पर इसे आईएसओ 9001:2008 सर्टिफिकेट से आईएसओ 9001:2015 में अपग्रेड किया गया है।

31. ई–गवर्नेंस हेतु की गई पहलें

(i) कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ आधारित आधिकारिक वेबसाइट):

विधायी विभाग ने कन्टेंमट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) पर आधारित आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है। विभाग की उक्त सीएमएफ आधारित वेबसाइट को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किए जाने के पश्चात् 'सर्टिफाइड क्वॉलिटी वेबसाइट' (सीक्यूडब्ल्यू) प्रमाण पत्र जारी किया गया।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, गाइडलाइन्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइटस (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुकूल है तथा यह पूर्व निर्धारित सामग्रियों से युक्त स्टैटिक साइटों को आवश्यकता के अनुरुप परिवर्तनशील पोर्टल में स्वतः परिवर्तित होने के लिए सक्षम बनाता है जिसमें कुछ विशेषताएं जैसे मोबाइल फ्रेंडलीनेस होने के लिए सक्षम बनाता है जिसमें कुछ विशेषताएं जैसे मोबाईल फ्रेंडलीनेस (एंड्रायड, आईओएस और विंडोज में प्रयोग किए जाने हेतु अनुकूलनीय स्क्रीन साइज); टेक्स्ट स्पीच इनेबलमेंट (दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए वेबपेज की सामग्री पढ़ने हेतु विकल्प) भाषा अनुवाद/लिप्यंतरण (अंग्रेजी विषय वस्तु का स्थानीय भाषा में अनुवाद); तथा विजिटर एनेलेटिक डैशबोर्ड उपलब्ध हैं। प्रयोगकर्ता सरलता से अपेक्षित सामग्री देख और खोज सकते हैं।

(ii) ई–ऑफिस लाइट का कार्यान्वयनः

सुशासन के भाग के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ट्रैकिंग करने के लिए ई–ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन विधायी विभाग में आरंभ हो गया है।

(iii) विधायी विभाग में किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देशः

विभाग द्वारा साइबर हमलों से बचने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समन्वय से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ई–गवर्नेंस नीति का अनुपालन किया जाता है। सरकार द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले साइबर सुरक्षा संबंधी अनुदेश, विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को डाटा चोरी, हैकिंग और इस प्रकार के अन्य साइबर हमलों के प्रति जागरूक बनाने के लिए परिचालित किए जाते हैं ताकि उन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करके विभाग की वेबसाइट को किसी भी संभावित साइबर हमले से बचाया जा सके तथा इसे सुरक्षित बनाया जा सके।

32. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, विधायी विभाग में 12 अगस्त,

2005 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में श्री उदय कुमारा, संयुक्त सचिव; श्री विनय कुमार मिश्रा, उपविधायी परामर्शी तथा सुश्री विद्यावती, अवर सचिव क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ''सूचना का अधिकार'' शीर्षक के अधीन एक पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई–मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई–मेल संपर्क पता aa-rti-legis@nic.in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio-rti-legis@nic.in है।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर आवेदक को प्रदान की जाती है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय–वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही अंतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय–सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए एक हजार पांच सौ तिरपन (1553) आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। इसी अवधि (1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक) के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर पंचानबे (95) प्रथम अपीलों में से सभी पंचानवे (95) प्रथम अपीलों का उनके गुण–दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। प्राप्त आवेदनों के रुझान को देखते हुए अनुमान है कि 2019–20 के शेष तीन माह के दौरान लगभग 300 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। आरटीआई मामलों के निपटान से इस विभाग को इसी अवधि (1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक) के दौरान आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में 3752 रु की प्राप्ति हुई है।

33. शुद्धि अनुभाग

(1) केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख–रखाव

केंद्रीय अधिनियम

शुद्धि अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख–रखाव करता है। यह अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख–रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के अधिकारियों तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं तथा इनका प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए भी किया जाता है। केंद्रीय

अधिनियमों का अद्यतनीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा वर्ष 2019 के चालू केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अद्यतन कर दिया गया है।

इस अनुभाग को वर्ष 2017 से अनिरसित केंद्रीय अधिनियमों, विनियमों, अध्यादेशों आदि को हमारे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अतः, इस अनुभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर 'legislative references'' शीर्षक के अंतर्गत उन अनिरसित केंद्रीय अधिनियमों को अपलोड कर दिया है जो वर्ष 2017 से लागू है। विभाग में इंडिया कोड युनिट की स्थापना के बाद केंद्रीय अधिनियम इंडिया कोड यूनिट द्वारा ही अपलोड किए जाते हैं। सचिव, विधायी विभाग के निदेशानुसार ''इंडिया कोड'' शीर्षक के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट (www.legislative.gov.in) पर इंडिया कोड पोर्टल के लिए हाइपरलिंक (https://indiacode.nic.in) का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, इस अनुभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2019 के 16 केंद्रीय अध्यादेशों तथा 2 केंद्रीय विनियमों को भी अपलोड किया है। 'Documents' शीर्षक के अंतर्गत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार तरीके से भी केंद्रीय अधिनियमों की सूची को अपलोड किया गया है।

वर्ष 2019 में इस अनुभाग ने मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.egazette.nic.in से संसद के इक्यावन अधिनियमों (दो वित्त अधिनियम तथा चार विनियोजन अधिनियम सहित), सोलह केंद्रीय अध्यादेशों तथा दो केंद्रीय विनियमों की गजट कॉपी डाउनलोड की है। इस अनुभाग ने वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित अधिनियमों का एक फोल्डर तैयार किया है तथा प्रमुख अधिनियमों की मास्टर कॉपी में 25 संशोधन अधिनियमों के संशोधनों को शामिल किया है। डाउनलोड किए गए अधिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

क. वर्ष 2019 में डाउनलोड किए गए प्रमुख अधिनियम (विनियोजन अधिनियमों तथा वित्त अधिनियमों को छोड़कर):

1. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019
2. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019
3. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019
4. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019
5. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019
6. जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
7. इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, ग्रुप (संबोधन) अधिनियम, 2019
8. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019
9. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019

ख. वर्ष 2019 में डाउनलोड किए गए संशोधन अधिनियमः

1. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 1)
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 2)
3. स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 6)

4. वित्त अधिनियम, 2019
5. विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019
6. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019
7. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019
8. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019
9. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019
10. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019
11. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019
12. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019
13. वित्त (संख्यांक–2) अधिनियम, 2019
14. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019
15. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019
16. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019
17. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019
18. विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019
19. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019
20. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019
21. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019
22. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019
23. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019
24. विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019
25. आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019

ग. वर्ष 2019 में डाउनलोड किए गए अध्यादेशः

1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 1)
2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 2)
3. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 3)
4. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 4)
5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 5)
6. कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 6)
7. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 7)
8. जम्मू–कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 8)
9. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 9)
10. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 10)
11. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 11)
12. विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 12)

13. केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 13)
14. इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पाादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019
15. कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019
16. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019

घ. वर्ष 2019 में डाउनलोड किए गए विनियमः

1. दमन और द्वीप सिविल न्यायालय (संशोधन) विनियम, 2019
2. दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय और विविध प्रावधान) संशोधन विनियम, 2019

संसद के अधिनियमों के आधार पर मुख्य अधिनियमों की मास्टर कॉपी में संशोधन कर दिए गए हैं। वर्ष 2019 के दौरान, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए उनके संबंधित अधिनियमों, उन्हें लागू करने की तिथि तथा उनकी अधिसूचना संख्या की प्रविष्टि अधिनियमों की मास्टर कॉपी में प्रासंगिक स्थानों पर कर दी गई है।

राज्यों के अधिनियम

वर्ष 2019 के दौरान, इस अनुभाग को 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश से कुल 66 राज्य अधिनियम तथा 16 अध्यादेश प्राप्त हुए हैं। सभी अधिनियमों तथा अध्यादेशों की प्रविष्टि संबंधित रजिस्टरों एवं फोल्डरों में कर दी गई है।

34. भारत संहिता अद्यतनीकरण यूनिट

प्रत्येक वर्ष विधान मंडल द्वारा अनेक विधायन (मुख्य अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं तथा न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और साथ–ही–साथ नागरिकों के लिए यह कठिन हो जाता है कि वे आवश्यकता होने पर प्रासंगिक एवं अद्यतन अधिनियमों का संदर्भ ले सकें। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि एक वृहत्त रिपोजिटरी का निर्माण किया जाए जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं संशोधनों को इकट्ठा रखा जाए जो सबके लिए उपलब्ध हो। एक केंद्रीय रिपोजिटरी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं समय–समय पर बनाए गए उनके अधीनस्थ विधायनों को रखा जाए जो समस्त हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो ताकि उन कानूनों को जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों आदि को आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन रूप में उपलब्ध कराया जा सके तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अद्यतन कानूनों पर अपनी कॉपीराइट का दावा करते हुए जनता से भारी कीमत वसूल करके उनका शोषण करने पर रोक लगाया जा सके। वस्तुतः, इंटरनेट पर भारत संहिता उपलब्ध कराने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) का निर्माण किया गया है जो कि एक वन स्टॉप डिजीटल रिपोजिटरी है जहां केंद्र व राज्य के सभी विधायनों के साथ–साथ उनके संबंधित अधीनस्थ) विधायनों को इकट्ठा रखा गया है। सभी नागरिकों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने तथा साथ–ही–साथ एक राष्ट्र–एक मंच के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएं:

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी इच्छुक पक्षकारों के आवश्यकतानुसार भारत के सभी अधिनियमों तथा विधयानों को नवीनतम तथा अद्यतन फार्मेट में वन स्टॉप रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रणाली से न केवल संबद्ध पूर्व दृष्टांतों तथा संशोधनों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी बल्कि अपनी रूचि के अनुसार किसी भी केंद्रीय या

राज्य के अधिनियम को अद्यतन रूप में पुनःप्राप्त करना प्रयोक्ता अनुकूल हो जाएगा, वह भी एक बटन दबाते ही। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है जिसके द्वारा कहीं से भी मोबाइल पर ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रणाली से भारत में बने कानूनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। इससे प्रभावी सूचना प्रबंध के रूप में भी मदद मिलेगी जिससे प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्य में सहायता मिलेगी तथा लोग डिजिटल फॉर्म में इसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

इस रिपोजिटरी में केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम शामिल हैं। यह एक केंद्रीय डाटाबेस रिपोजिटरी है जिसमें भारत में बने सभी कानून शामिल हैं। जब भी कोई नया अधिनियम या संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तथा अधीनस्थ विधायन बनाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारी को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे केंद्रीय रिपोजिटरी पर उसे अपलोड कर सकें।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) के अंतर्गत indiacode.nic.in वेबसाइट तैयार किया गया है जिस पर केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियमों के साथ–साथ उनके अधीनस्थ विधायन भी उपलब्ध हैं। केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम धाराओं, अनुसूचियों, लघु शीर्षकों, अधिनियमन की तिथियों, आदि के संबंध में ब्योरे उपलब्ध कराएंगे तथा साथ–ही–साथ प्रत्येक अधिनियम में अति महत्वपूर्ण पाद टिप्पणियां उपलब्धि कराएंगे। खोजने की सुविधा निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है:

1. अधिनियम का वर्ष
2. अधिनियम सं.
3. अधिनियमन की तिथि
4. लघु शीर्षक
5. मंत्रालय
6. विभाग

फ्री पाठ खोज भी उपलब्ध है।

ई–शासन के रूप में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम

इस प्रणाली से कोई भी व्यक्ति विद्यमान अधिनियमनों को देख सकता है। साथ ही, केंद्र और राज्य के किसी भी अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बनाए गए अधीनस्थ विधायनों को पुनःप्राप्त करने के लिए संबद्ध पूर्व दृष्टांतों और संशोधनों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। अद्यतन विधायी दस्तोवेजों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है तथा यह मात्र कुछेक बटन दबाकर प्राप्ति किया जा सकेगा।

भारत संहिता की नई वेबसाइट पर केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन करने और अपलोड करने की प्रक्रिया के रूप में 1838 से 2019 के केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन और अपलोड कर दिया गया है। अधिनियमों का हिंदी पाठ www.legislative.gov.in पर उपलब्ध है। जहां तक अधीनस्थ विधायनों को अद्यतन और अपलोड करने का संबंध है, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अद्यतन पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा कई मंत्रालयों और विभागों ने अपने अधीनस्थ विधायनों को अपलोड कर दिया है।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) ई–शासन के रूप में की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें हमारे इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में विद्यमान सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम एक स्थान पर उपलब्ध कराए गए हैं। अतः, उपलब्ध अधिनियमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माताओं, न्यायपालिका, विद्वानों, विधि के छात्रों आदि द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार, यह वेब पोर्टल दुनिया भर में देखा जाता है। भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) उन निजी प्रकाशकों के

एकाधिकार को समाप्त करती है जो अपने प्रकाशनों द्वारा नागरिको के उनके अपने कानून पर कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं।

35. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग का मुद्रण अनुभाग नामतः मुद्रण–I और मुद्रण–II विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण के कार्य से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय–वस्तु और अनुबंध, जहां–जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। मुद्रण अनुभाग विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमो पर जांच करते हैं तत्पश्चात् उसे अनुमोदन के उपरांत विधायी–I अनुभाग को भेज दिया जाता है जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को ''लोक सभा/राज्य सभा में पुरः स्थापित किए जाने के लिए'' मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प–सूचना पर पुरः स्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं, जैसे 'यथा पुरः स्थापित/पुरः स्थापित किए जाने वाले' प्रक्रम, 'लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित' प्रक्रम, 'दोनों सदनों से यथा पारित' प्रक्रम, 'अनुमति प्रति' प्रक्रम, 'हस्ताक्षर प्रति' प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए–4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए–4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनः संवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

2 भारत के संविधान, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच करने के अलावा मुद्रण अनुभागों ने विभाग की आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण को अद्यतन करने का भी कार्य किया है।

3 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण–। तथा मुद्रण–II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये : –

(क) 107 विधेयकों, 51 विधेयक राजपत्रों, 16 अध्यादेशो तथा 2 विनियमों की पांडुलिपियों का संपादन किया गया तथा इनके प्रूफों की जांच और समीक्षा की गई;

(ख) इंडिया कोड (कुल 1625 पृष्ठ) के कम्प्यूटर प्रिंट आउट की जांच की गई;

(ग) 51 ए–4 अधिनियम तैयार किए गए हैं;

(घ) 3 संवैधानिक आदेशों का संपादन किया गया तथा इसके प्रूफ की जांच की गई।

4. इसके अलावा, मुद्रण अनुभागों ने भारत के संविधान के 1084 पृष्ठों की जांच की है।

36. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग

1. केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

2. किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिनमें सांविधिक नियम और आदेश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधीक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। अधीनस्थ

विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख–रखाव करें।

3. अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई–शासन पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधिमानतः द्विभाषी रूप में अपनी बेबसाइट पर रखें। समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु इन्टरनेट इंटरफेस से युक्त एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करे जो सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध कराएगा।

4. विधायी विभाग का साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ अनुभाग) भारत के गजट में प्रकाशित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों का शासकीय प्रयोजन हेतु वर्णक्रमानुसार रजिस्टर तैयार करता है।

5. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ अनुभाग) द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) के अधीन जारी अधीनस्थ विधायनों से संबंधित गजट अधिसूचनाओं, जोकि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांटी गईं। विभिन्न साधारण और असाधारण के भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) से संबंधित शुद्धियों सहित विभिन्न अधिसूचनाओं की प्रविष्टि। वर्णक्रमानुसार रजिस्टर में की गई।

6. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग ने प्रारुपण और विधीक्षा कार्य के संबंध में सरकारी अधिकारियों हेतु विभिन्न दृष्टांतों की व्यवस्था की।

7. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग ने आर.टी.आई आवेदन/आर.टी.आई अपील तथा संसदीय प्रश्नों से संबंधित अन्य कार्यों का भी निष्पादन किया।

37. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट–पूर्व विचार–विमर्श और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू शामिल होते हैं और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित होती है, से संबंधित कार्य भी करता है तथा उन्हें वित्त मंत्रालय भेजे जाने से पूर्व उनकी प्रोसेसिंग भी करता है।

(2) एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

38. प्रकाशन अनुभाग

प्रकाशन अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और अन्यी महत्वपूर्ण प्रकाशनों जैसे कि भारत के संविधान, निर्वाचन विधि संबंधी निर्देशिका, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों,

केंद्रीय अधिनयमों की वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार सूची, सांविधिक परिभाषाओं की सूची आदि के संशोधित संस्करण प्रकाशित करता है।

2. इस विभाग की वेबसाइट पर फुट नोट सहित भारत के संविधान (अंग्रेजी संस्किरण) की अद्यतन प्रति उपलब्ध करवा दी गयी है।

3. नौ अधिनियमों, जिसमें अद्यतन संशोधन विधिवत रुप से शामिल हैं, की पांडुलिपि (अंग्रेजी संस्करण) तैयार कर ली गई है तथा राजभाषा खंड को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। कतिपय केंद्रीय अधिनियमों के प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है तथा यह मुद्रण की अलग–अलग अवस्थाओं में है।

39. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(1) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

विधायी विभाग ने 01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं : –

राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को क्रमशः 88.33%, 80.66% तथा 64.66% पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप– नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खंड) सह राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के

निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें क्रमशः 29 मार्च, 2019, 05 जून, 2019, 30 सितंबर, 2019 और 18 दिसंबर, 2019 को आयोजित की गई थी। यह समिति हिंदी के प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार–विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(4) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिए गए दिशा – निर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मनोनित माननीय संसद सदस्य, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के मनोनित सदस्य, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विधि और न्याय मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के मनोनित गैर सरकारी सदस्य होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

(5) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के ये पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(6) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2019 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया था। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः : रु 4000, रु 3000, रु 2000 और रु 750 की राशि के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार निर्धारित किए गए थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु कुल रू 79,500 की राशि स्वीकृत की गई थी।

(7) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन योजनाएं विभाग में लागू की गई हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान मूल रूप से हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आठ कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में आशुलिपि तथा टंकण करने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक–एक कर्मचारी को पुरस्कृत किया गया। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए एक अधिकारी को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है।

(8) संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निगरानी करने व सुझाव देने के लिए किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का संबंध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

40. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं : –

(i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की संबंधित राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;

(v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद;

(vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद;

(vii) राष्ट्रपति शासन के अधीन स्थित राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद;

(viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं;

(ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण

(x) हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वय समिति से संबंधित कार्य करना ताकि हिंदी के एकसमान विधिक शैली और मानक वाक्यांशों के मॉडल को क्रमिक रूप से विकसित करने तथा उन्हें

प्रकाशित करने के कार्य में प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके;

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;

(xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;

(xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;

(xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षणः तथा

(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग के गठन के बाद से अब तक विधि शब्दावली के सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं। हाल ही में सक्षम प्राधिकारी ने भारत के संविधान को मणिपुरी भाषा में डिग्लॉट रूप में प्रकाशन करने (अंग्रेजी–मणिपुरी) और डोगरी भाषा डिग्लॉट रूप में (अंग्रेजी–डोगरी) की मंजूरी दी है।

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिगलॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता के खण्ड I से XXXII और XXXIII की पांडुलिपि मुद्रण हेतु प्रेस में भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 31 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2477 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 88 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 15 अध्यादेशों, 3 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 48 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए अधिकृत करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 9169 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गई।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 6237 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है,

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख–रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिगलॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्तर, राजभाषा खण्ड द्वारा डिग्लॉट रुप में प्रकाशित कराए जाने वाले प्रस्तावित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ की पांडुलिपि तैयार की जाती है। वर्ष के दौरान, दो डिग्लॉट अधिनियमों की पांडुलिपि तैयार की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

(क) केंद्रीय अधिनियमों की ई–गजट प्रतियों के प्रकाशन से संबंधित सूचना विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में उन अधिनियमों के अनुवाद के लिए भेजी;

(ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने–अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजी;

(ग) प्रकाशन संबंधी कार्य किया।

(घ) राजभाषा खंड की प्रादेशिक भाषा यूनिट को प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के संबंध में सहायता की तथा इस यूनिट को कार्यदल (प्रादेशिक भाषा) की बैठक के आयोजन में भी मद्द की ताकि वे अपनी संबंधित प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली में शामिल किए जाने वाले शब्दों का निर्णय और अनुमोदन लें सके।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद् निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्पावधिक सूचना पर पुरः स्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद या राज्य परिषद् की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के संशोधित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के आशोधित द्विभाषी (डिगलॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने सौंपे गए सभी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 22 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 15 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2572 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड, का क्षेत्रीय भाषा यूनिट भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने का कार्य कर रहा है। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध है यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (क्षेत्रीय भाषा) द्वारा 25 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 94 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन हिंदी सहित इन क्षेत्रीय भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है, ये असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणी।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात् सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं। भारत का संविधान तथा विधि शब्दावली लोक सभा/राज्य सभा तथा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भी वितरित की गई है।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की बारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014–रा.भा.(वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए किया गया तथा इसके पश्चात् इसका कार्यकाल 14 मई, 2018 से एक वर्ष के लिए अथवा इस लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए विस्तारित किया गया। हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है : –

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करना;

(ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास;

(iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना;

(iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन;

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषांगिक और सम्बन्धित विषय;

(vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा हे, जो विधि और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा० सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 25 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि हेतु एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। इस समिति में श्रीमती कुमुद एल.दास, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली प्रोफेसर डॉ सुभाष चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, डॉ बी.जी.आर. कैम्प्स, पौड़ी गढ़वाल राजभाषा खण्ड के संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी सदस्य–सचिव के रूप में शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान स्वैच्छिक संस्थानों को अनुदान देने हेतु उनसे प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए शीघ्र ही नवगठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक के आयोजन की संभावना है।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड की वेबसाइट 3.12.2001 को तैयार की गई थी तथा इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर http://lawmin.nic.in/olwing है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि के प्रिंटआउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा हिंदी पाठ की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट पर 1838 से 2018 तक के केंद्रीय अधिनियमों की सूची उपलब्ध करवा कर तथा 10 महत्त्वपूर्ण विधायनों के साथ–साथ प्रधान एवं संशोधन विधायनों को पीडीएफ फार्मेट में वेबसाइट पर अपलोड करके इसे और अधिक समृद्ध बनाया गया है जो विधि के क्षेत्र और से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों के लिए खासा लाभकारी है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए राजभाषा खण्ड ने मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल शुरू किया है।

राजभाषा खंड के सभी समूह ''क'' अधिकारियों के नामों, ई–मेलों, पतों और संपर्क नम्बरों की अंग्रजी और हिंदी में एक सूची भी राजभाषा खण्ड ख के होमपेज पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का ब्यौरा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है।

41. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में ''विधि साहित्य प्रकाशन'' नाम दिया गया था।

आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नाम दिया गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नाम दिया गया था। वर्ष 1987 में, ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'' को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' और ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' में विभाजित कर दिया गया था। बाद में, उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधि साहित्य प्रकाशन में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारीवृन्द की कमी होने के कारण 1990 से उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के केवल महत्वपूर्ण चुनिंदा रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं। उच्च

न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में भी देश के सभी न्यायालयों के सिविल और दांडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण चुनिंदा निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त, विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है: –

(क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठय पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन;

(ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना;

(घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और

(ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टतया हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठि यां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

इसके अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय–समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य भी करता है।

'विधि साहित्य समाचार'' नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। एक ''प्रकाशन सूची'' भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय–समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2019 के दौरान हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर पर ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' दिसंबर, 2019 तक अद्यतन कर दी गई है और ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' सितंबर, 2019 तक अद्यतन कर दी गई है तथा ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' सितंबर, 2019 तक अद्यतन कर दी गई है।

पुरस्कार प्रदान करना: विधि की पांच मुख्य शाखाओं में हिंदी में सर्वोत्कृष्ट प्रकाशन हेतु हिंदी में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद तथा प्रकाशन की स्कीम के अंतर्गत तथा हिंदी में ऐसी लिखित या प्रकाशित पुस्तकों का पाठ्य पुस्तक या संदर्भ पुस्तक के रुप में उपयोग किए जाने हेतु 5,00,000 रु (पांच लाख रु मात्र), 50,000 रु (पचास हजार रु मात्र) का प्रथम पुरुस्कार, 30,000 रु (तीस हजार रु मात्र) का द्वितीय पुरुस्कार तथा 20,000 रु (बीस हजार रु मात्र) का तृतीय पुरुस्कार, तक के वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

पुस्तकों का प्रकाशन: विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा हिंदी में विधि की चौंतीस मानक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। 'भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व,' 'अपकृत्यश विधि के प्रमुख निर्णय' और 'भारत का संविधानिक इतिहास' नामक पुस्तकें संशोधन और पुनःमुद्रण की प्रक्रिया में हैं।

संगोष्ठी तथा पुस्तकों की प्रदर्शनी एवं विक्रय आदिः संगोष्ठी एवं पुस्तकों की प्रदर्शनी के क्रम में वर्ष 2019 में जिला न्यायालय, रुद्रप्रयाग; जिला न्यायालय, चमोली; सिक्किम उच्च न्यायालय (गंगटोक); केरल उच्च न्यायालय (एर्नाकुलम); जिला न्यायालय, जोधपुर तथा जिला न्यायालय, जैसलमेर में पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इन प्रदर्शनियों में अधिवक्ताओं ने अत्यधिक रुचि दिखाई तथा विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों को काफी सराहा। सभी प्रकाशन ऑनलाइन विक्रय हेतु https://bharatkosh.gov.in/Product/Product पर उपलब्ध हैं।

1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2019 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 1,03,40,036/– रुपए (एक करोड़ तीन लाख चालीस हजार छत्तीस रुपए मात्र) का कुल विक्रय हुआ।

व्यापार अनुभाग

पुस्तकों की प्रदर्शनी–सह–विक्रय काउंटर का आयोजनः पुस्तकों की प्रदर्शनी–सह–विक्रय काउंटर के आयोजन के संबंध में वर्ष 2019 के दौरान व्यापार अनुभाग द्वारा केवल निम्नलिखित छह प्रदर्शनी–सह–विक्रय काउंटर का आयोजन किया गया हैः

(i) (क) जिला न्यायालय– 8 एवं 9 जुलाई, 2019 के दौरान रुद्रप्रयाग में
(ख) जिला न्यायालय– 11 एवं 12 जुलाई, 2019 के दौरान चमोली (गोपेश्वर) में
(ii) (ग) सिक्किम उच्च न्यायालय– 29 एवं 30 अगस्त, 2019 के दौरान गंगटोक में
(iii) (घ) केरल उच्च न्यायालय– 22 एवं 23 अक्टूबर, 2019 के दौरान एर्नाकुलम में
(iv) (क) जिला न्यायालय– 16 एवं 17 दिसंबर, 2019 के दौरान जोधपुर में
(ख) जिला न्यायालय– 19 एवं 20 दिसंबर, 2019 के दौरान जैसलमेंर में।

अगस्त, 2019 तक की उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, जून, 2019 तक की उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा मई, 2019 तक की उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की सॉफ्टकॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड की जा चुकी है। मुद्रित हार्डकॉपी के अलावा मार्च, 2019, फरवरी, 2019 तथा जनवरी, 2019 की क्रमशः ये पत्रिकाएं विक्रय हेतु विधि साहित्य प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2019 के दौरान विधायी विभाग (राजभाषा खंड एवं विधि साहित्य प्रकाशन) द्वारा प्रकाशित विधि पुस्तकों के विक्रय द्वारा कुल 1,03,40,036/– रुपए (एक करोड़ तीन लाख चालीस हजार छत्तीस रुपए मात्र) की प्राप्ति हुई है।

42. अधिकारियों/प्रतिनिधिमण्डल के विदेश दौरेः विधायी विभाग

सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि संबंधी सिंगापुर सहकारिता कार्यक्रम प्रशिक्षण पुरुस्कार पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए श्री के. बिस्वाल, अपर सचिव, विधायी विभाग ने 10 जून से 14 जून, 2019 के दौरान सिंगापुर का दौरा किया।

43. सरकारी पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात् विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए सरकारी पदों में आरक्षण संबंधी सरकार के आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए उप सचिव/निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व

सैनिकों, दिव्यांगजनों तथा उनमें महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (अनुबंध–IX तथा अनुबंध–X)

44. स्वच्छता पखवाड़ा

इस विभाग में 01.04.2019 से 15.04.2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया तथा स्वच्छता संबंधी क्रियाकलाप किए गए तथा विशेषज्ञ द्वारा ''जीरो कूड़ा'' पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। सचिव, विधायी विभाग द्वारा शपथ भी दिलाई गई। (अनुबंध–XI)

45. लोक शिकायत

1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान, विधायी विभाग में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1076 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2019 से पहले 151 लोक शिकायतें लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान, 625 लोक शिकायतों का निपटान किया गया तथा शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

46. मुख्य लेखा प्राधिकारी

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अवर सचिव (वित सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

(2) सा.वि.नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं, वेः –

(i) अपने मंत्रालय या विभाग के वितीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।

(iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना –लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उतरदायी होंगे।

(iv) लोक–लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।

(v) उनके मंत्रालय को सौपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।

(vi) वित मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा –निर्देशों या निदेशो के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यय–संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उतरदायी होंगे।

(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वितीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।

(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य–पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत–प्रभावी तरीके से लागू करे।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालयः

(क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।

(ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।

(3) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए उतरदायी होगाः –

(क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में मुख्यर लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा–परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत कराना।

(ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन के रिकॉर्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

4. मुख्य लेखा नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

5. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 33 सीडीडीओ और 20 एनसीडीडीओ सहित 53 डीडीओ हैं। गैर–चेक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलें को भुगतान की "प्री–चौक" प्रणाली के अर्नतगत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय–वार विवरण नीचे दिया गया है–

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनएसडीडीओ
1	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	4	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.का.)	29	12
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीसीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

(6) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है.–

(क) मंत्रालय/विभाग के लेखों का मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समकित करना।

(ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए केन्द्रीय लेन–देन के विवरण और सामग्री

को मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यनम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना।

(घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम–पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण रखना।

(ड.) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान–कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा–परीक्षा रजिस्टरों का रख–रखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कर्तव्यों को निभाता है और स्थनीय वेतन ओर लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा सबंधी सलाह भी देता है।

(7) सिविल लेखा नियम–पुस्तिका (मैनुअल) में निहित प्रावधानो के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों मे भुगतान निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिए किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा–जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आरहण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा–जोखा अंतिम रुप से वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैः –

- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।
- चैक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक "लेटर ऑफ क्रेडिट" जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की जांच–पड़ताल करना
- चैक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखों को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
- सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रख–रखाव और सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।

- सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
- बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई–भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
- समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोग वित्तीय सूचना देना।

(8) किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(9) विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः –

- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग लेखा।
- केन्द्रीय लेन–देन का विवरण।
- "लेखा एक नजर में" तैयार करना।
- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा–परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्तीय लेखा।
- राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और मुख्य लेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।
- प्राप्ति बजट तैयार करना।
- पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएओ/चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।
- मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
- विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।

- विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
- सभी संबधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उलब्ध कराना।
- विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
- नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 के पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संबंधी मामलों की मानिटरिंग करना।
- लेखा और ई–भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन।
- केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
- वित्त मंत्रालय के मार्ग–निर्देशों के अनुसार, नॉन–टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।

(10) प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप–शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के बजट व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ–साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीटरिंग हो।

(11) लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।

(12) मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

(13) आंतरिक लेखा–परीक्षा खंड–आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों–विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्यों जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन को सहायता प्रदान करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है,

परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और अनुदानग्राही संस्थाओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्याय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन 51 ऑडिट–यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में विधि और न्याय मंत्रालय की केवल ग्यारह (11) यूनिटों की ही लेखा–परीक्षा की गई है। और अधिक यूनिटों/डीडीओ की लेखा–परीक्षा इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा खंड के लिए कोई स्वीकृत पद/स्थायी कर्मचारी नहीं है। लेखा–परीक्षा का कार्य विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों और प्रधान लेखा कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारत के मुख्यक लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा पैनल में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची में से दो परामर्शदाताओं की सहायता से किया जा रहा है।

उपलब्धियां– विधि और न्याय मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 323 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे। बाद में कई अनुस्मारक एवं परिपत्र सबंधित कार्यालयों/विभागों को भेजे गए। आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान 215 पैरा, वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान 193 पैरा, वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान 32 पैरा तथा वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान 51 पैरा निपटाए गए। तथापि, लंबित लेखापरीक्षा पैरा की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	लंबित पैरा की संख्यान	ड्राप किये पैरा की संख्या	शेष पैरा
2015–16	323	215	108
2016–17	251	193	58
2017–18	60	32	28
2018–19	138	51	87
2019–20	115	17	98
	887	508	379

14. **बैंकिंग व्यवस्था** : – भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और देना बैंक विधि, न्याय मंत्रालय और एससीआई के पीएओ और इसके क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रत्यायित बैंक हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्रत्यायित बैंकों को प्राप्तियां प्रेषित की गईं। प्रत्यायित बैंक में किसी भी प्रभार के लिए महालेखा–नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(15) नई पहलें

(i) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली:

प्रारंभिक रूप से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को वर्ष 2008–2009 में योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक आयोजना स्कीम के रूप में एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई जैसी चार प्रमुख योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में प्रारंभ किया गया। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केन्द्र, राज्य सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना को पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना पहल में शामिल किया गया।

पीएफएमएस को मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा निम्न लिखित हेतु अधिदेशित किया गया है :

- सभी आयोजना स्कीमों के लिए वित्तीय प्रबंध मंच, सभी प्रापक एजेंसियों का डाटाबेस, योजनागत निधि को देखने के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में एकीकरण, राज्यी कोषगारों के साथ एकीकरण और सरकार की आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन के न्यूनतम स्तर में निधि प्रवाह की प्रभावशाली और कुशल ट्रैकिंग।
- निधि उपयोगिता पर देश में सभी आयोजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना जिससे आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट मानीटरिंग, समीक्षा और निर्णय सहायता प्रणाली बनाई जा सके।
- सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता और योजनाओं में संसाधन उपलब्धता और उपयोगिता के संबंध में तथ्यपरक जानकारी के लिए बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था में परिणाम के लिए। इस योजना को लागू किए जाने से कार्यक्रम के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार होगा, व्यवस्था में फ्लोटिंग में कमी, लाभार्थियों को सीधा भुगतान और सार्वजनिक निधि के उपयोग में बड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रस्तावित प्रणाली अभिशासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होगी।

अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए मॉडयूल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार स्टॉकहोलडरों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/विकसित किए जा रहे मॉड्यूल का उपर्युक्त अधिदेश निम्नानुसार है:

I निधि प्रवाह मानीटरिंग

(क) एजेंसी पंजीकरण

(ख) पीएफएमएस ईएटी माड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और निधि उपयोगिता

(ग) पंजीकृत एजेंसियो के लिए लेखांकन माड्यूल

(घ) कोषागार इंटरफेस

(ड) पीएफएमएस–पीआरआई निधि प्रवाह और उपयोगिता इंटरफेस

(च) राज्य योजनाओं के लिए निधि ट्रेकिंग हेतु राज्य सरकार के लिए तंत्र

(छ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की मानीटरिंग

II सीधा लाभ अंतरण डीबीटी माड्यूल

(क) लाभार्थियों के लिए पीएओ

(ख) लाभार्थियों के लिए एजेंसी

(ग) लाभार्थियों के लिए राज्य कोषागार

III बैंकिंग के लिए इंटरफेस

(क) सीबीएस

(ख) इंडिया पोस्ट

(ग) आरबीआई

(घ) नाबार्ड और सहकारी बैंक

वर्धित अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए माड्यूल

IV पीएओ कंप्यूटरीकरण– भारत सरकार में किए जाने वाले भुगतान, प्राप्तियों तथा लेखांकन की ऑनलाइन व्यवस्था

(क) कार्यक्रम प्रभाग माड्यूल

(ख) डीडीओ माड्यूल

(ग) पीएओ माड्यूल

(घ) पेंशन माड्यूल

(ड) जीपीएफ और एचआर माड्यूल

(च) जीएसटीएन सहित प्राप्तियां

(छ) वार्षिक वित्तीय विवरण

(ज) नकद प्रवाह प्रबंधन

(झ) नॉन सिविल मंत्रालयों के साथ इंटरफेस

V नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल

अन्य विभागीय पहल :

पीएफएमएस की क्षमताओं को प्रयोग में लाने के लिए, अनेक अन्य विभागों ने अपने विभाग की आवश्यकताओं के लिए उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया है।

VI एमएचए के लिए इंटरफेस (विदेश प्रभाग) एफसीआरए के तहत निधि प्राप्त करने वाली एजेंसियों की मानीटरिंग

VII सीबीडीटी पीएएन मान्य करण

VIII जीएसटीएन बैंक खाता मान्यकरण

कार्यान्वयन कार्यनीतिः

वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

उन्नत वित्तीय प्रबंधन द्वारा:

- निधियों की जस्ट इन टाईम (जेआईटी) निर्मुक्ति
- अंततः उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी।

कार्यनीति:

- पीएफएमएस की सार्वभौमिक शुरूआत, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है
- पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I. केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं/संव्यवहारों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति

पूरे किए जाने वाले क्रियाकलाप

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग।
- योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचना की मैपिंग।
- पीएफएमएस की प्रत्येक योजना के बजट को अपलोड करना।
- प्रत्येक स्कीम की कार्यान्वयन से संबंधित क्रमबद्धता की पहचान करना
- पीएफएसएस के साथ विशिष्ट योजनाओं अर्थात् नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट के प्रणालीगत इंटरफेस का एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

II. राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता (सीएएसपी) के लिए कार्यान्वयन

राज्यों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप

- राज्य राजकोष का पीएफएमएस के साथ एकीकरण
- सभी एसआईए का पीएफएमएस में पंजीकरण (स्तर 1 और नीचे)
- राज्य योजनाओं की संबधित केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग
- पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का संविन्यास

राज्य योजना घटकों का संविन्यास

- प्रत्येक राज्य योजना की क्रमबद्धता की पहचान और संविन्यास
- पीएफएमएस का योजना विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ एकीकरण
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण
- कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहायता

2018–19 में विधि एवं न्याय मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत चार (04) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी), वेतन एवं लेखा कार्यालय (ईओ) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) में से वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई), जो अभी भी सीजीए द्वारा दी गई अनुमति के अनुरुप काम्पैक्ट माड्यूल पर काम कर रहा है, को छोड़कर तीन (03) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय

(एलडी) और वेतन एवं लेखा कार्यालय(ईओ) के संबंध में पीएफएमएस के भुगतान एवं लेखा माड्यूल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में ईआईएस/सीडीडीओ/एनटीआरपी माड्यूल की स्थितिः–

1. सीडीडीओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सीडीडीओ मॉडयूल का कार्यान्वयन					
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना	
				फरवरी, 20	मार्च, 20
विधि एवं न्याय मंत्रालय	33	29	4	1	3

2. कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल					
मंत्रालय/विभाग	डीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले डीडीओ की सं.	शेष डीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना	
				फरवरी, 20	मार्च, 20
विधि एवं न्याय मंत्रालय	53	47	6*	1	3

*दो(02) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के मामलें में फिलहाल ईआईएस की आवश्यकता नहीं है।

3. नान टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) मॉडयूल			
मंत्रालय/विभाग	पीएओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले पीएओ की सं.	शेष पीएओ की सं.
विधि एवं न्याय मंत्रालय	4	4	शून्य

विनियोग लेखा, 2019–20 की मुख्य विशेषताएं (रू करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिशेष(+) बचत (–)
अनुदान सं. 61				
2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	120.15	124.17	117.73	–6.44
2014–न्याय प्रशासन	598.03	519.78	515.04	–4.74
2015–निर्वाचन	1087.12	912.10	912.84	0.74
2020–आय और व्यय पर करों का संग्रहण	90.35	100.27	94.25	–6.02
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	12.98	11.79	10.81	–0.98
2552–उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	112.70	28.94	0	–28.94

3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	515.00	656.69	656.69	0
3602–संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान	50	0	0	0
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1800	3678.57	3676.96	–1.61
			वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	–526.20
योग	**4386.33**	**6032.31**	**5984.32**	**–574.19**
विनियोग सं. 63–भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष–2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	251.06	258.53	258.53	0

(स्रोतः विनियोग लेखा 2018–19)

अध्याय–III

न्याय विभाग

1. संगठन और कार्य

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का भाग है। विधि और न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, (उसके बाद राज्य मंत्री (विधि और न्याय) हैं)। सचिव (न्याय) सचिवालय के प्रमुख हैं। संगठनात्मक ढाँचे में चार संयुक्त, सचिव, आठ निदेशक/उप सचिव और ग्यारह अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक संख्या 103 है, जिसमें से 45 पद रिक्त हैं। वर्तमान में 58 वर्तमान पदाधिकारियों में से केवल 11 महिला अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में काम कर रही हैं। न्याय विभाग के कार्यों में भारत सरकार के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग पत्र और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ–साथ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध – XII पर है।

1.1 भारत सरकार (समय–समय पर यथासंशोधित आवंटन नियम–1961 के अनुसार) अन्य बातों के साथ–साथ न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं : –

i. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अधिकार (छुट्टी भत्ते सहित), पेंशन और यात्रा भत्ते;

ii. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्याशयाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना; उनके वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ता सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते;

iii. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति;

iv. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) (किन्तु इस न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क;

v. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों का संघटन और संगठन सिवाय इन न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर;

vi. संघ शासित क्षेत्रों में न्याय प्रशासन और न्यायालयों का संघटन और संगठन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क;

vii. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी;

viii. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन;

ix. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें;

x. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ शासित क्षेत्र तक विस्तार करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ शासित क्षेत्र को बाहर रखना।

xi. गरीबों को विधिक सहायता

xii. न्याय का प्रशासन

xiii. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों तक पहुंच।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

2.1 भारत का उच्चतम न्यायालय :

09.08.2019 से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित) 31 से बढ़कर 34 हो गई है। 01–04–2019 से 31–12–2019 तक की अवधि के दौरान, भारत के उच्चतम न्यायालय में 08 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे।

31–12–2019 की स्थिति के अनुसार, 33 न्यायाधीश, पदासीन हैं, न्यायाधीश के 1 रिक्त पद को भरा जाना है। एक अधिक प्रतिनिधि वाली न्यायपालिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के इतिहास में पहली बार भारत के उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश और अनुसूचित जाति समुदायों से एक न्यायाधीश, 9 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद नियुक्त किए गए थे।

2.2 उच्च न्यायालय :

01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 69 नई नियुक्ति की गई थी और उच्च न्यायालयों के 67 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के 18 मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की गई थी और उच्च न्यायालयों 03 मुख्य न्यायमूर्तियों, 8 न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किया गया था। 07 अतिरिक्त न्यायाधीशों की कार्यावधि बढ़ाई गई।

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 1079 स्वीकृत पदों में से 678 न्यायाधीश पदासीन थे, जिसमें न्यायाधीशों के 401 रिक्त पदों को भरा जाना है।

2.3. साझा उच्च न्यायालय :

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 दिनांक 09.08.2019 के तहत जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय को पुनर्गठित किया गया है और यह अब जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय है।

3. कुटुंब न्यायालय

3.1 सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 में उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य में दस लाख से अधिक आबादी वाले किसी शहर या किसी कस्बे वाले हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करें। राज्य सरकारें यदि आवश्यक समझें, तो वे राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।

3.2 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य और कारण निम्नलिखित हैं :

i. इस तरह के विशेष न्यायालय का सृजन करना, जो विशेष रूप से परिवार के मामलों को देखेंगे, ताकि उनके पास ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार, विशेषज्ञता और मामलों का शीघ्र निपटान ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए दो मुख्य कारक हैं ;

ii. परिवार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करना ;

iii. सस्ता समाधान प्रदान करना; और

iv. कार्यवाहियों के संचालन में लचीला और एक अनौपचारिक वातावरण रखना।

3.3 कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए वर्ष 2002–03 में केंद्रीय वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार ने कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक–बारगी के अनुदान के रूप में 10.00 लाख रुपए और गैर योजना के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में वर्ष में 5 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया है। वर्ष 2012–13 से इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को 11.50 करोड़ रुपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है। अधीनस्थ न्यापलिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केन्द्र प्रायोजित योजना में कुटुंब न्यायालय और रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था करने के संघटक को शामिल कर लिया गया है।

4. त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्टस) :

राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्टस) स्थापित किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में, केंद्र सरकार ने जघन्य अपराधों से निपटने के लिए 2015–2020 की अवधि के दौरान 4144.00 करोड़ रुपये की लागत से 1800 फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना का प्रस्ताव किया था। आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अंतरण के माध्यम से उनके लिए बढ़ाई गई राशि (फिस्कल स्पेस) (32% से बढ़कर 42%) का उपयोग करें। देश भर में 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्य कर रहे हैं (31.09.2019 की स्थिति के अनुसार)।

5. निर्वाचित सांसदों/विधायकों के आपराधिक मामलों की जाँच के लिए विशेष न्यायालयः

निर्वाचित सांसदों/विधायकों के आपराधिक मामलों का शीघ्रता से विचारण और निपटान करने के लिए 12 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए थे (दिल्ली राजधानी क्षेत्र में 02 विशेष न्यायालय और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों प्रत्येक में 01 विशेष न्यायालय)। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 65.04 लाख और वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 714.96 लाख आवंटित किए गए। शीर्ष न्यायालय ने अगले आदेश तक उपर्युक्त 10 न्यायालयों को (बिहार और केरल के न्यायालय को छोड़कर) जारी रखने का निर्देश दिया है। इस प्रकार, सांसदों/विधायकों के आपराधिक मामलों के निपटान के लिए 10 विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दो किश्तों में 650 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति की गई है।

6. पन्द्रहवां वित्त आयोग

न्याय विभाग का एक ज्ञापन तैयार किया गया था और उसे 15वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किया गया था। फास्ट ट्रैक न्यायालयों का समर्थन करने, न्यायालय परिसरों में न्याय घड़ी (जस्टिस क्लॉक) और सूचना केंद्र की स्थापना करने वाले प्रस्तावों, न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए अलग–अलग प्रस्तावों, वकीलों के हॉल और प्रि–इन्स्टीट्यूशन्स मिडीएशन सेंटरों के निर्माण के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ 14380.66 करोड़ रुपए था।

तथापि, 15वें वित्त आयोग ने 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए राज्यों को क्षेत्र विशिष्ट अनुदान के लिए सिफारिशों सहित संशोधित अनुमान मांगे हैं, जो प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में है।

7. आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणनः

न्याय विभाग को 18.04.2016 को आईएसओ 9001: 2008 मानकों के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस प्रमाणपत्र को समय–समय पर बढ़ाया जा रहा है। इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई एक व्यापक निगरानी और किए गए उन्नयन के बाद, न्याय विभाग को आईएसओ 9001: 2015 मानकों (उन्नत संस्करण) के अनुसार 23.05.2019 से प्रभावी पंजीकरण का एक प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जो 16.04.2022 तक वैध है।

8. विशेष त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्टस)

8.1 दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में प्रावधानों के अनुपालन के क्रम में सरकार ने अगस्त 2019 में देश भर में कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया है। सरकार ने बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों का एक समयबद्ध तरीके में त्वरित विचारण और निपटान के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत देशभर में अगस्त, 2019 में कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्टस (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया है। यह योजना जो एक वर्ष के लिए है, जो दो वित्तीय वर्षों यानी 2019–20 और 2020–21 में कार्यान्वित होनी है। परियोजना की कुल लागत के 767.25 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसका केन्द्रीय अंश 474 करोड़ रुपए है (जो निर्भया कोष से मिलना है)।

8.2 माननीय उच्चतम न्यायालय ने सू–मोटोरिट याचिका (आपराधिक) संख्या–1/2019 दिनांक 25 जुलाई, 2019 में ऐसे जिलों में, जहां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) से संबंधित मामलों का लंबन सौ से अधिक है, विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए भी निर्देश दिया है, शीर्ष न्यायालय इन न्यायालयों की निगरानी कर रहा है। उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए विशेष रूप से 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्टों में से 389 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोक्सो कोर्ट के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

8.3 राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को पत्र लिखे गए हैं और उनसे आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि केंद्रीय अंश जारी किया जा सके। 31.12.2019 तक, 21 राज्यों से इच्छा/अपेक्षित इनपुट प्राप्त होने के बाद, 21 राज्यों अर्थात् नागालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) के लिए 242 विशेष न्यायालयों सहित 496 संख्या फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए 91.44 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है (वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए)। अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को स्मरण दिलाया गया है और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/विशेष लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) के न्यायालयों को तेजी से स्थापित करने के लिए सक्रिय कार्रवाई की जा रही है।

9. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी :

9.1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1993 में स्थापित (17.08.1993 से) एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह स्वतंत्र निकाय, भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैंपस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों व्याख्यानों का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपलिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति प्रतिपादन को मजबूत करना रहा है।

9.2 भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा (जनरल बॉडी) और साथ ही साथ वे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की शासी परिषद् (गर्वनिंग काउंसिल), कार्यकारी समिति और शैक्षिक परिषद् के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद् द्वारा प्रबंधित किए

जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। निदेशक, इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों में एक निदेशक के अलावा अपर निदेशक (अनुसंधान और प्रशिक्षण) का एक पद, प्रोफेसर के 2 पद, सहायक प्रोफेसर के 2 पद, अनुसंधान फैलो के 6 पद और विधि सहायक के 6 पद शामिल हैं। न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों और स्टाफ में निदेशक के अलावा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, मुख्य लेखा अधिकारी, अनुरक्षण अभियंता और दूसरे प्रबंधकीय और प्रकार्यात्मक पद शामिल हैं।

9.3 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान "अनुदान सहायता (सामान्य)" शीर्ष के तहत 9.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी, "अनुदान सहायता (स्वच्छता कार्रवाई योजना)" शीर्ष के तहत 1.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और "अनुदान सहायता (पूंजीगत पारिसंपत्तियों का सृजन)" शीर्ष के तहत 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को कुल 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 10 करोड़ रुपए उन्हें जारी कर दिए गए हैं।

9.4 वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान, अकादमी ने न्यायिक अधिकारियों के लिए 63 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ–साथ सीबीआई अधिकारियों/विशेष न्यायालयों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही पर सम्मेलन, सार्क देशों के न्यायाधीशों के लिए कार्यशालाएं, भारत में युवा न्याय बोर्डों के काम पर राष्ट्रीय सेमिनार, परिवार/पोक्सो/मानवाधिकार/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) न्यायालयों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आतंकवाद रोध पर कार्यशालाएं आदि शामिल हैं।

10. ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट परियोजना–II

10.1 परिचय :

जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण के अपने उद्देश्य के साथ न्याय विभाग, उच्चतम न्यायालय की ई–समिति के साथ नजदीकी समन्वयन में ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट परियोजना–II को कार्यान्वित कर रहा है। ई–कोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि चार वर्ष (2015–19) है अथवा जब तक भी यह परियोजना पूरी हो, जो भी बाद में हो। अभी तक 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों को अब तक 1249 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की है। इसमें सभी उच्च न्यायालयों को निर्मुक्त की गई 955.86 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है।

10.2 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी का सक्रियकरण :

सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को नामित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, न्याय विभाग ने ई–कोर्टस मिशन मोड परियोजना के तहत 16,845 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी सक्षम किया है। प्रमुख विशेषताओं में आईसीटी सक्षमता के लिए बुनियादी डिजिटल बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करना शामिल है, जिसमें विभिन्न मॉड्यूल, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, डीएसएलए/टीएलसी का कम्प्यूटरीकरण, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रत्येक न्यायालय परिसर में मानक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की स्थापना करना, एसजेएएस में प्रशिक्षण देना, कियोस्क की स्थापना करना, प्रबंधन परिवर्तन आदि करना शामिल है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3240 न्यायालयों और 1272 संबंधित जेलों के बीच शुरू की गई है। परियोजना की अतिरिक्त सुविधाओं में सेवाओं का वितरण, अन्य बातों के साथ–साथ मामला पंजीकरण, मामला सूची, दैनिक मामले की स्थिति, और अंतिम आदेश/निर्णय शामिल हैं।

11. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (जीएनजेडी) : (gnjd.ecourts.gov.in)

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड को परियोजना के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में सृजित किया गया है, जिसमें देश के कंप्यूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/उनके फैसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। वर्तमान में, वादीगण इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 1282 करोड़ से अधिक लंबित और निपटाए गए मामलों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी और 10.89 करोड़ से अधिक ऑर्डरों/फैसलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल, वादीगणों को ऑनलाइन सूचना भी प्रदान करता है, जैसे केस पंजीकरण, मामला सूची, मामले की स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय।

12. न्याय घड़ी (जस्टिस क्लॉक)

जस्टिस क्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश साइन बोर्ड प्रणाली है, जिसका उपयोग न्याय क्षेत्र जैसे कि अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले न्यायालयों के बारे में जागरूकता लाने और न्यायालय परिसरों द्वारा आम जनता को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस के प्रभावी उपयोग के माध्यम से यह इस जानकारी को आम जनता को उपलब्ध कराता है, ताकि न्यायिक क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा हो सके।

जस्टिस क्लॉक को जैसलमेर हाउस, न्याय विभाग, नई दिल्ली में लगाया गया है। न्याय विभाग में स्थापित यह जस्टिस क्लॉक, उन शीर्ष जिला न्यायालयों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जो 2 वर्ष, 2–5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने न्यायालय मामलों का सबसे अधिक प्रतिशत का निस्तारण करते हैं। यह, वे अन्य सूचनाएं भी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से नागरिक लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि कानूनी सहायता कार्यक्रम और न्याय योजनाओं तक पहुंच।

जनता के बीच जस्टिस क्लॉक द्वारा बनाई गई जागरूकता के महत्वपूर्ण सकारात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी उच्च न्यायालयों में इस तरह की जस्टिस क्लॉक स्थापित करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। ई–कमेटी, भारत के उच्चतम न्यायालय ने 20 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में सभी उच्च न्यायालयों में न्याय घड़ियों की स्थापना के लिए न्याय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया। न्याय विभाग ने न्यायिक घड़ियों की स्थापना के लिए ई–कोर्टस परियोजना चरण–II के तहत जुलाई, 2018 के दौरान उच्च न्यायालयों को 4.94 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी।

इसके बाद, 9 उच्च न्यायालयों: इलाहाबाद (इलाहाबाद, लखनऊ), छत्तीसगढ़, गोवाहाटी (असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड), झारखंड, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना द्वारा न्याय घड़ी स्थापित की गई हैं।

13. ई–कोर्ट परियोजना के तहत सेवाएं :

क. **एसएमएस भेजना** : वादीगणों और वकीलों के लाभ के लिए एसएमएस के माध्यम से केस सूचना सेवा (एस) उपलब्ध कराने की सुविधा कार्यान्वित की गई है और प्रणाली जनरेटेड एसएमएस भेजने की प्रक्रिया परिचालन में है।

ख **एसएमएस प्राप्त करना** : 22 सितंबर, 2017 को ई–कोर्टस परियोजना के तहत एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा का उदघाटन किया गया था। एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा के तहत 9766899899 पर एसएमएस द्वारा केस सीएनआर नंबर (केस नंबर रिकॉर्ड) भेजकर मामले का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

ग. **ई–मेलः** देश में सभी जिला और तालुका न्यायालयों के लिए स्वचालित मेलिंग चालू की गई है। वर्तमान में रोज 1 लाख से अधिक मेल भेजे जा रहे हैं। ई–मेल सेवा के माध्यम से ई–कोर्ट परियोजना के तहत संबन्धित न्यायालयों के साथ ई–मेल पते का पंजीकरण करने पर वादियों के मेल–बॉक्स में कारण सूचियों, फैसलों, मामलों की स्थिति आदि प्राप्त की जा सकती है।

घ. **वेबः** URL : https://ecourts.gov.in का इस्तेमाल करके ई–कोर्टस पोटल की वेबसाइट के माध्यम से वादीगणों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ड. **मोबाइल एप्लिकेशनः** वादीगणों और वकीलों के इस्तेमाल के लिए ई–कोर्ट मोबाइल एप को क्यूआर कोड की सुविधा के साथ भी शुरू किया गया है। विभिन्न कैप्शन के तहत सेवाएं जैसे कि सीएनआर, मामले की स्थिति, कारण सूची और मेरे मामले, इस एप पर उपलब्ध हैं। प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों की उपलब्धता के साथ कुल डाउनलोड की संख्या 37.9 लाख पार कर गई है।

च. **न्यायिक सेवा केंद्रः** वादीगणों/वकीलों द्वारा याचिकाओं और आवेदन पत्र दाखिल करने और चल रहे मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और आदेशों और निर्णय आदि की प्रतियां प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की के रूप में सेवा देने के लिए सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

ज. **कियोस्कः** वादीगणों और वकीलों को मामला सूचियों और अन्य मामलों से संबंधित न्यायिक जानकारी देने के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय परिसरों में सूचना कियोस्क स्थापित किए गए हैं।

14. केस सूचना प्रणाली :

मामला सूचना (केस इन्फोर्मेशन) सॉफ्टवेयर (सीआईएस 3.0 का नया और अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल संस्करण विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में क्यूआर कोड सुविधा को चालू किया गया है। मुद्रित क्यूआर कोड के आधार पर कोई भी मामले की वर्तमान स्थिति को देख सकता है। अब तक 21 उच्च न्यायालयों ने केस इंफॉर्मेशन प्रणाली नेशनल कोर संस्करण 1.0 को अपना लिया है।

15. वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) कनेक्टिविटी :

पूरे देश में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ने वाले वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) की स्थापना करना ई–कोर्ट परियोजना के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई–कमेटी ने ई–कोर्टस की वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) परियोजना को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को देने की स्वीकृति प्रदान की है। बीएसएनएल को बिना कनेक्टिविटी वाले 547 न्यायालय परिसरों सहित देश भर में 2992 जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ने वाले वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) की स्थापना के लिए 169 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर दिए गए हैं। सुस्पष्ट चरणों, कार्यों, उपलब्धियों और समय–सीमा के साथ बीएसएनएल की गतिविधियों की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सेट बेसलाइन के प्रति अखिल भारतीय वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना की रियल टाइम प्रगति का पता लगाने और उसका प्रबोधन करने के लिए एक ऑनलाइन प्रबोधन उपकरण का प्रचालन किया है। 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल ने 2709 साइटों को चालू कर दिया है।

16. त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन :

परियोजना की अवधि समाप्त होने के बाद परिसंपत्तियों का रखरखाव करने व उन्हें बनाए रखने के लिए न्याय विभाग, 36 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और उनके संबंधित उच्च न्यायालयों/शाखाओं के बीच त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

17. प्रचार :

- **व्यावसायिक परामर्श** : एक पेशेवर संचार सलाहकार एजेंसी–मैसर्स पर्पल फोकस प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न प्रचार उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और परियोजना के आउटपुट और ई–कोर्टस सेवाओं के बारे में जागरूकता में सुधार करने के लिए एक प्रभावी संचार रणनीति और कार्रवाई के लिए एक सुसंगत मीडिया योजना को विकसित और कार्यान्वित करने में ई–कोर्टस पीएमयू की सहायता के लिए नियुक्त किया था। पोस्टर, ब्रोशर और उपयोगकर्ता मैनुअल बनाए और मुद्रित किए गए हैं। इन्हें 14 अगस्त, 2018 को माननीय मंत्री, विधि और न्याय द्वारा लॉन्च किया गया था और उन्हें देश भर के सभी हितधारकों में वितरित किया गया था।
- **ई–संपर्क** : 3 जुलाई, 1 अगस्त 2018, 18 अक्टूबर, 2018 और 14 नवंबर, 2018 को निकनेट (NICNET) ई–मेल डेटाबेस पर सूचना और सार्वजनिक सेवा संदेशों को साझा करने के लिए ई–संपर्क, एनआईसी के प्लेटफार्म के माध्यम से चार ई–कोर्ट केंपेन चलाए गए थे।
- **न्यूजप्रिंट कैम्पेन** : 1 करोड़ रुपये की लागत से 3 और 10 नवंबर, 2018 को अंग्रेजी और हिंदी में दो न्यूज पेपर प्रिंट कैम्पेन पूरे किए गए। नवंबर 2018 – जनवरी, 2019 के दौरान अंग्रेजी, हिंदी और 16 क्षेत्रीय भाषाओं में न्यूजप्रिंट कैम्पेनों को पूरा किया गया।
- **रेडियो कैम्पेन** : 30 सेकंड वाले ऑडियो जिंगल के माध्यम से ई–कोर्टस सेवाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए जनवरी–मार्च, 2019 के दौरान हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो अभियान पूरे किए गए।
- **एसएमएस अभियान** : 109 करोड़ मोबाइल नंबरों के ई–संपर्क डेटाबेस से जुड़े प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचने के लिए जनवरी–मार्च, 2019 और अक्टूबर, 2019 के दौरान एसएमएस अभियान चलाया गया था। प्रचार अभियान के प्रभाव के रूप में, ई–कोर्ट ऐप डाउनलोडों में तेजी देखी गई। 30 दिनों के औसत 11,436 डाउनलोडों के साथ, 11 मार्च, 2019 को एक दिन में 1,11,218 डाउनलोडों का उच्चतम उछाल दर्ज किया गया, इसकी तुलना 31 जनवरी –2019 की स्थिति के अनुसार उन 30 दिनों के औसत से की जा सकती है, जब से ऑडियो अभियान की शुरुआत हुई थी। यह 169% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, अक्टूबर 2019 अभियान के दौरान, 2803 के दैनिक डाउनलोडों के मुकाबले, अभियान के दौरान डाउनलोडों की अधिकतम संख्या 23,114 थी। इसके अलावा, 7–22 अक्टूबर के बीच कुल डाउनलोडों की सख्या 2,07,838 पर रही, जो पिछले 15 दिनों की तुलना में 164.6% अधिक थी।

18. राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन :

18.1 **उद्देश्य** : प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी। इस मिशन में न्यायिक प्रशासन में लंबित मामलों और उनके लंबन को चरणबद्धरूप से समाप्त करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा बनाना, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्याबल में वृद्धि करना अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की रि–इंजीनियरिंग करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और कार्य योजना कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए

विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है, जिसमें सदस्यों के रूप में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष; विधि और न्याय मंत्री, आंध्र प्रदेश; विधि, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री, जम्मू और कश्मीर; भारत के अटॉर्नी जनरल; अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग; सचिव, विधि कार्य विभागय सचिव, विधायी विभाग; सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया; भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव; निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी; और अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शामिल हैं। न्याय विभाग के सचिव, इस सलाहकार परिषद् के संयोजक हैं। राष्ट्रीय मिशन की एक कार्य योजना 5 रणनीतिक पहलों के तहत तैयार की गई थी, जिनकी समय–समय पर राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद् द्वारा समीक्षा की जाती है। सलाहकार परिषद् की बैठक छह महीने में एक बार होती है। अब तक सलाहकार परिषद् की ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं।

18.2 अधीनस्थ न्यायपालिका

संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 20.12.2019 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 23,597 है। न्यायिक अधिकारियों के भरे हुए और खाली पदों की संख्या क्रमशः 18,237 और 5,360 है। न्यायिक अधिकारियों के पदों की राज्य–वार स्वीकृत संख्या, कार्यकारी संख्या और रिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध – XIII में दिया गया है।

सितंबर, 2016 में, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा था कि वे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की कैडर संख्या को बढ़ाएं और राज्य न्यायपालिका को भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करें। यही बात मई, 2017 में फिर से दोहराई गई थी। अगस्त, 2018 में, मामलों के बढ़ते हुए लंबन के संदर्भ में, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखा था कि वे नियमित रूप से रिक्तियों की स्थिति की निगरानी करने और मलिक मजहर सुल्तान मामले में (2006 की अपील (सिविल) 1867 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य में,) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करें। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी 2018 की एक सू–मोटो रिट याचिका (सिविल) संख्या–2 में रिक्त पदों को भरने की निगरानी की जा रही है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों को भरने के लिए जनवरी, 2018, जुलाई, 2018 और नवंबर, 2018 के महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधि सचिवों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। न्याय विभाग ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृति संख्या और कार्यकारी संख्या और मासिक आधार पर रिक्तियों की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए अपनी वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल भी बनाया है।

एक सुचारू और समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों को नियमित रूप से भरने के लिए न्याय विभाग ने 28 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को केंद्रीय चयन तंत्र बनाने का सुझाव दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 09 मई, 2017 को सरकार के सुझावों को स्वः प्रेरणा से (सू–मोटो) एक रिट याचिका में परिवर्तित कर दिया और सभी राज्य सरकारों (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव दर्ज करने का निर्देश दिया। उपरोक्त मामला वर्तमान में न्यायालय के विचाराधीन है।

18.3 न्यायालयों में लंबित मामले

देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति नीचे दी गई है :

उच्चतम न्यायालय	59,535
उच्च न्यायालय	45, 26,079
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	3,15, 24,931

सरकार ने मामलों के लंबन (पेंडेंसी) को कम करने के लिए अलग–अलग उपाय किए हैं, जिसमें न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करने के माध्यम से न्यायालयों को सुदृढ़ करना, रिक्तियों को भरना और न्यायिक अवसंरचना में सुधार करना शामिल हैं। इसी के साथ, अन्य विधायी और नीतिगत पहलों के माध्यम से देरी और बकाया की समस्याओं को भी देखा जा रहा है, जैसे न्यायालय प्रक्रियाओं की पुनः इंजीनियरिंग करना, अत्यधिक मुकदमे वाले क्षेत्रों की पहचान करना और विवाद के वैकल्पिक समाधान तंत्र को बढ़ावा देना।

वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित कुल दीवानी और आपराधिक मामलों से संबंधित त्रैमासिक आँकड़े, उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), देश भर के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर आंकड़े (डेटा) प्रदान करता है। एनजेडीजी पर उपलब्ध सूचनाओं का डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो मामले और न्यायालय प्रबंधन के लिए उपयोगी साबित होंगे। एनजेडीजी को वर्लड बैंक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 द्वारा सराहा और स्वीकार किया गया, जिसमें भारत को 63 वीं रैंक पर रखा गया है और इसमें 2019 से 14 रैंक का सुधार हुआ है।

आपराधिक और दीवानी मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में प्रावधानों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। सिविल विचारणों के मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) में प्रासंगिक संशोधन किए गए हैं जिसमें प्रत्येक पक्ष को दिए जाने वाले स्थगनों की संख्या को सीमित करना [1] ई–मेल के माध्यम से सम्मन की तामील करने की अनुमति देना, [2] उन मामलों में वाद को खारिज करने के लिए उपबंध करना, जहां लागत का भुगतान करने में वादी की विफलता के परिणाम स्वरूप सम्मन नहीं दिए गए हों [3] और प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दर्ज करने की समय सीमा को सीमित करने के उपबंध करना शामिल हैं [4] इसी तरह, शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता) में कई संशोधन किए गए हैं। इनमें अनावश्यक स्थगनों को हतोत्साहित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 का संशोधन करना, शमनीय अपराधों की सूची को युक्तिसंगत बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 का संशोधन करना, सौदा अभिवाक पर एक नए अध्याय–XXIक को अंतर्वेशित करना, उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए धारा 436क को अंतर्वेशित करना, जो अधिकतम कारावास का आधा हिस्सा गुजार चुके हैं; और आपराधिक मामलों में ऑडियो/वीडियो प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देना शामिल है। हालाँकि, बार–बार यह देखा गया है कि इन विधायी परिवर्तनों का वांछित प्रभाव अभी तक अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन प्रावधानों के लागू न करने के कारण पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया है।

अप्रैल 2017 में, बकाया समिति (एरियर कमेटी) द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि भर्ती की एक वैकल्पिक विधि, जैसे, केंद्रीय चयन तंत्र का सृजन, शुरू की जा सकती है।

इस संबंध में, यह प्रस्तावित किया गया था कि उच्च अधीनस्थ राज्य न्यायपालिका के लिए सीधी भर्ती के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उनके नामिती की अध्यक्षता में और उच्च न्यायालय और अन्य विशेषज्ञों, जो भी आवश्यक समझे जाएं, के प्रतिनिधित्व के साथ एक केंद्रीयकृत चयन समिति का गठन किया जाए। न्याय विभाग ने उच्चतम न्यायालय के महासचिव को उन विभिन्न मॉडलों का प्रस्ताव देते हुए पत्र लिखा था, जिन पर केंद्रीय चयन तंत्र के सृजन और संचालन के लिए विचार किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने न्याय विभाग द्वारा लिखे गए पत्र पर स्वप्रेरणा से (सूओ–मोटो) संज्ञान लिया और मामले में एक न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) को नियुक्त किया। इस न्यायमित्र ने एक संकल्पना नोट प्रस्तुत किया, जिसे उसके बाद उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के साथ उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए साझा किया गया था। इस पर, 21 राज्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, जिसमें से 4 राज्यों ने कुछ चिंताओं को व्यक्त किया है। मामला अभी लंबित है।

18.4 विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' के संविदा संकेतक प्रवर्तन के तहत सुधार

- विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' उन विनियमों को मापती है, जो व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ाते हैं और जो इसे बाधित करते हैं।
- रैंकिंग उद्देश्यों के लिए, 10 संकेतकों पर 193 देशों के कार्य निष्पादन को मापा जाता है।
- ये संकेतक, मानकीकृत मामले परिदृश्यों के आधार पर दिल्ली और मुंबई में स्थित छोटे और मध्यम आकार की फर्मों के लिए व्यावसायिक विनियमन से संबंधित हैं।
- संविदा लागू करना एक ऐसा संकेतक है, जो न्यायपालिका में किसी मानकीकृत वाणिज्यिक विवाद को हल करने और अच्छी प्रथाओं की श्रृंखला के लिए समय और लागत को मापता है।
- न्याय विभाग, संविदा संकेतक प्रवर्तन के लिए नोडल विभाग है। न्याय विभाग ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग विधि कार्य विभागय उच्च न्यायालय, दिल्ली और बॉम्बेय विधि विभाग, दिल्ली और महाराष्ट्र और उच्चतम न्यायालय की ई–कमेटी के सदस्यों के साथ सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में एक कृतक बल (टास्क फोर्स) बनाया गया है।
- यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य होता है कि इस सूचक में भारत की रैंकिंग, रिपोर्ट में शीर्ष 50 में आ जाए।
- अक्टूबर 2019 में जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 में, भारत ने 193 अर्थव्यवस्थाओं में से 63 वां स्थान प्राप्त किया, यह पिछली रिपोर्ट में 77 वें स्थान से 14 स्थान की छलांग है।
- हालांकि, संविदा संकेतक प्रवर्तन में, रैंकिंग 163 पर ही बनी रही, जैसा कि 2019 की रिपोर्ट में थी।
- संविदा संकेतक प्रवर्तन में निम्नलिखित मापदंडों को मापा जाता है :

  क. व्यावसायिक मामलों के लिए समय का अनुमान। इसमें फाइलिंग और सेवा चरण, विचारण और निर्णय चरण और निर्णय चरण के प्रवर्तन के दौरान लिया गया समय शामिल होता है।

  ख. वाणिज्यिक मामलों के लिए लागत अनुमान। इसमें, अटॉर्नी फीस, कोर्ट फीस (केवल निर्णय तक) और विशेषज्ञ शुल्क और प्रवर्तन शुल्क शामिल होते हैं।

  ग. न्यायिक प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता। इसमें कोर्ट संरचना और कार्यवाही, केस मैनेजमेंट, कोर्ट ऑटोमेशन और वैकल्पिक विवाद समाधान शामिल होते हैं।

- इस वर्ष में किए गए सुधार :

  क. दिल्ली में 75 जिला न्यायालयों को वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है,

जिनमें से 70 कार्य कर रहे हैं। दिल्ली राजधानी क्षेत्र की सरकार ने दिल्ली में 22 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ–साथ वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं (डीएचजेएस) के 22 पदों के सृजन के लिए 8 अगस्त, 2019 को अधिसूचना जारी की है।

ख. मुंबई में 16 सिटी सिविल कोर्ट को कामर्शियल कोर्ट के रूप में नामित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 16 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए 16 पदों के सृजन के लिए दिनांक 13 सितंबर, 2019 को अधिसूचना जारी की है।

ग. वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा विनिश्चित किए जा सकने वाले वाणिज्यिक विवादों के विशिष्ट मूल्य को घटाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है [अधिनियम की धारा 2 (1) (i)],

घ. व्यावसायिक कानूनी अधिनियम, 2015 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से व्यावसायिक मामलों के उनके दर्ज होने से पहले की मध्यस्थता और निपटान शुरू किया गया है।

18.5 वाणिज्यिक मामलों का समय अनुमान :

वाणिज्यिक	न्यायालयकितना समय लिया गया (दिनों में)			
	फाइलिंग और सेवा चरण	विचारण और निर्णय चरण	निर्णय के चरण का प्रवर्तन	कुल
दिल्ली और मुंबई	45	1095	305	1445

18.6 न्यायिक प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता :

घटक (0–18)	बिन्दु
कोर्ट का ढांचा और कार्यवाही (0–5)	4.5
मामला प्रबंधन (0–6)	1.5
कोर्ट आटोमेशन (0–4)	2.0
वैकल्पिक विवाद समाधान (0–3)	2.5
कुल	**10.5 / 18**

18.7 ई–कोर्ट सेवा पोर्टल और ई–कोर्ट सेवा ऐप के माध्यम से निम्नलिखित 7 इलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) को वकीलों के लिए उपलब्ध कराया गया है :

1. विधिक विनियमन और निर्णय विधि तक पहुँच ;
2. न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म;
3. अधिसूचनाएं प्राप्त करें
4. किसी मामले की स्थिति पता करें ;
5. केस दस्तावेजों को देखें और प्रबंधित करें
6. कोर्ट के साथ फाइल ब्रीफ और दस्तावेज
7. दिए गए मामले पर न्यायालय के आदेश और फैसले तक पहुंच।

18.8 ई–कोर्ट सेवा पोर्टल और जस्टिस ऐप के माध्यम से निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) न्यायिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं :

1. विधि, विनियमनों और निर्णय विधि तक पहुँच ;
2. स्वचालित रूप से उनके डाकेट पर सभी मामलों के लिए एक सुनवाई अनुसूची सृजित करें;
3. वकीलों को सूचनाएं भेजें;
4. उनके डाकेट पर केस की स्थिति का पता करें;
5. केस दस्तावेज देखें और प्रबंधित करें;
6. निर्णय लेखन में सहायता;
7. न्यायालय के आदेशों का सेमी–आटोमैटिक सृजन;
8. किसी विशेष मामले में न्यायालय के आदेश और निर्णय को देखें।

18.9 न्याय विभाग द्वारा न्यायिक अधिकारियों/वकीलों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला की स्थितिः

अक्टूबर, 2018 से, न्याय विभाग और दिल्ली और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक अधिकारियों/वकीलों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं:

दिनांक	स्थान	भाग लेने वाले	विवरण
25.10.2018	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	लॉ फिल्म, एडवोकेटस एंड अदर स्टेकहोल्डर्स ऑफ दिल्ली।	न्याय विभाग द्वारा आयोजित बैठक में लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आमंत्रितों को सामान्य रूप से 'संविदा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टस 'के लिए किए गए सुधारों के बारे में बताया गया था। वाणिज्यिक न्यायालयों के प्रावधानों और प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। ई–कोर्ट, एनजेडीजी, विभिन्न ऐप्स, सुविधाओं, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन उपकरण, ई–फाइलिंग, ई–भुगतान, एनएसटीईपी, आदि के बारे में जानकारी दी गई। ईओडीबी पर ब्रोशर वितरित किया गया।
16.12.2018	दिल्ली न्यायिक अकादमी	दिल्ली के 75 न्यायिक अधिकारी	न्याय विभाग द्वारा आयोजित। उपरोक्त के अलावा, ई–कोर्ट पर विभिन्न मुद्रित और प्रकाशित प्रचार सामग्री वितरित की गई थी।
29.01.2019	तीस हजारी कोर्ट	तीस हजारी कोर्ट के 80 न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता	–तदेव–
02.02.2019	दिल्ली न्यायिक अकादमी	दिल्ली के 50 न्यायिक अधिकारी	– तदेव –
	सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई	न्यायिक अधिकारी	बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित

	सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई	अधिवक्ता	बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित
	दिल्ली उच्च न्यायालय	न्यायिक अधिकारी/ अधिवक्ता	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित
12.02.2019	कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली	न्यायिक अधिकारी/ अधिवक्ता	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
15.02.2019	तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली	तीस हजारी कोर्ट के न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
18.02.2019	रोहिणी कोर्ट	न्यायिक अधिकारी	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
22.02.2019	तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली	अधिवक्ता	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
06.03.2019	रोहिणी कोर्ट	अधिवक्ता	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
11.03.2019	द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली	न्यायिक अधिकारी	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
26.03.2019	साकेत कोर्ट, नई दिल्ली	न्यायिक अधिकारी/ अधिवक्ता	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
10.04.2019	सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई	न्यायिक अधिकारी	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
26.04.2019	दिल्ली उच्च न्यायालय	अधिवक्ता	न्याय विभाग द्वारा आयोजित
08.05.2019	राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली	न्यायिक अधिकारी	दिल्ली जिला वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्याय विभाग द्वारा
07.04.2019	सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई	न्यायिक अधिकारी	56 न्यायिक अधिकारियों के लिए बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित
19.04.2019	स्माल काज कोर्ट, मुंबई	न्यायिक अधिकारी	38 न्यायिक अधिकारियों के लिए बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित
21.07.2019	सीएमएम कोर्ट, मुंबई	न्यायिक अधिकारी	88 न्यायिक अधिकारियों के लिए बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित

18.10. किए गए सुधार के प्रसार के लिए ई–समिति और न्याय विभाग द्वारा निम्नलिखित आईईसी सामग्री डिजाइन, विकसित, मुद्रित और वितरित की गई है :

क. उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों की ई–फाइलिंग प्रक्रिया के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल, इलैक्ट्रोनिक–पे, एनएसटीईपी, सीआईएस 3.0

ख. ई–कोर्टस सेवाएं, इलैक्ट्रोनिक–पे, एनएसटीईपी पर विवरणिका

ग. ई–कोर्टस सेवाएं पर 2 पैम्फलेट (द्विभाषी)

19. न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन योजना :

19.1 स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के साथ न्याय विभाग द्वारा सितंबर, 2013 में न्यायिक सुधारों पर

कार्य अनुसंधान और अध्ययन की एक प्लान योजना को तैयार किया गया था। योजना का उद्देश्य न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में कार्य अनुसंधान और अध्ययनों को बढ़ावा देना है। ये उद्देश्य इतने व्यापक हैं कि उनमें राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन के वृहत्तर उद्देश्य अर्थात् प्रणाली में विलंब और मामलों के बकायों को कम करके पहुँच बढ़ाने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और कार्यनिष्पादन मानकों को स्थापित करके और क्षमता में सुधार करके उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के उद्देश्यों को कवर करने की दृष्टि से न्यायिक प्रदायगी के कानूनी और न्यायिक मामलों के प्रत्येक पहलू को शामिल किया जा सके।

अब तक इस योजना के तहत 43 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्रवाई योग्य बिंदु संबंधित अधिकारियों को उनके उपयुक्त विचार के लिए भेज दिए गए हैं।

20. न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)

20.1 **उद्देश्य और कार्य क्षेत्र** : राज्यों में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना संबंधित राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। हालाँकि, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993– 94 में न्यायपालिका के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की गई थी। इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करना शामिल है।

20.2 **वित्त पोषण (फंडिंग पैटर्न)**: प्रणाली में विलंब और मामलों के बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और कार्य निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करके जवाबदेही बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, अगस्त, 2011 में स्थापित राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन (नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्मस) का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। तदनुसार, वर्ष 2011–12 से योजना के वित्तपोषण प्रतिमान को 50:50 से संशोधित करके 75:25 किया गया था (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10)। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को निधियों के संवर्धित आवंटन के साथ, स्कीम के फंड शेयरिंग पैटर्न को 2015–16 से फिर से 75:25 से संशोधित कर 60:40 (केंद्रः राज्य) (8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को 100% धन दिया जाता है।

20.3 **भौतिक और वित्तीय प्रगति** : इस योजना की शुरुआत से, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को 7453.10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से 2014–15 से लेकर 11.12.2019 तक 4008.80 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है (53.78%), जिसमें 2019–20 में 702.86 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। 11 दिसंबर, 2019 तक, उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 19,447 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम उपलब्ध थे। इसके अलावा, 2,753 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम निर्माणाधीन थे। दिसंबर, 2019 तक उच्च न्यायालयों द्वारा बताई गई 18,554 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यकारी संख्या के साथ यदि इन आंकड़ों की तुलना की जाए, तो न्यायिक जनशक्ति की वर्तमान संख्या के लिए पर्याप्त न्यायालय कक्ष/कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं। 2014–15 से लेकर 11.12.2019 तक 3,514 कोर्ट हॉल और 2,367 रिहायशी आवासों का निर्माण किया गया है, इसमें से, 562 कोर्ट हॉल और 251 आवासीय इकाइयां वर्ष 2019–20 में बनाई गई हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 23,597

न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के अनुरूप अब कोर्ट रूमों/कोर्ट हॉलों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिसंबर, 2019 तक, 17,015 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध थीं और 1,778 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन थीं।

20.4 **योजना की निरंतरता** : व्यय वित्त समिति ने अगस्त, 2017 में निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दी। नवंबर, 2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन (नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्मस) के माध्यम से मिशन मोड में कार्यान्वित किए जाने के लिए इस योजना को 31 मार्च, 2020 तक 3,320 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी रखने की स्वीकृति दी। तथापि, योजना के तहत केवल 2,253.21 करोड़ रुपए (2016–17 के दौरान 621.21 करोड़ रुपए, 2018–19 के दौरान 650 करोड़ रुपए और 2019–20 के दौरान 982 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराए गए हैं।

20.5 **योजना के दिशा–निर्देशों का संशोधन** : योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशानिर्देशों को 2018–19 से संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा–निर्देशों में भारित मानदंड (वेटेज क्राइटेरिया), शामिल हैं, जो एक वैज्ञानिक फार्मूला है, जिसे इस योजना के तहत धन के अंतर–राज्यीय वितरण के लिए वर्ष 2018–19 से अपनाया गया है। यह मानदंड, 4 मापदंडों पर आधारित है, अर्थात् (i) राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले कोर्ट हॉल की संख्या, (ii) राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्य न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले आवासीय इकाइयों की संख्या (iii) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में न्यायिक अधिकारियों की कार्यकारी संख्या, और (iv) अधीनस्थ न्यायपालिका में 10 वर्ष और अधिक पुराने मामलों का लंबन। इस तरह के मानदंडों के आधार पर, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को धन के अस्थायी आवंटन के बारे में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष की शुरु में सूचित किया जाता है, ताकि वे तदनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें।

इसके अलावा, संशोधित दिशा–निर्देशों में कोर्ट हॉलों और केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार इस योजना के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली न्याय विकास के निर्माण के लिए मानदंड और विनिर्देश भी शामिल हैं। कोर्ट डेवलपमेंट प्लानिंग सिस्टम पर बेसलाइन रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति की सिफारिशों के आधार पर 2017–18 से इन मानदंडों और विनिर्देशों को अपनाया गया है। मौजूदा मानदंडों और पद्धतियों और कुछ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडबल्यूडी) के मानदंडों का विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जा रहा है।

20.6 **न्याय विकास मोबाइल ऐप** : केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र की तकनीकी सहायता से ऑन–लाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रयोजन के लिए 11 जून, 2018 को माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा शुरू की गई निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए 'न्याय विकास' नाम का वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं। राज्य सरकारों ने चल रही और पूरी की गई योजनाओं के संबंध में राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और आंकड़ों/सूचना को दर्ज और अपलोड करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए सर्वेयर और माडरेटर नामांकित किए हैं। 33 राज्यों में उपयोगकर्ता, वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा दर्ज कर रहे हैं और भू–टैगिंग के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। पोर्टल में दर्ज परियोजनाओं की कुल संख्या 1474 है, जिसमें 787 पूर्ण और 687 निर्माणाधीन परियोजाएँ भी शामिल हैं। 830 परियोजनाओं को जियो–टैग किया गया है।

21. ग्राम न्यायालय

21.1 **उद्देश्य और कार्यक्षेत्र** : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, 2 अक्टूबर, 2009 से लागू हुआ। इस अधिनियम में नागरिकों को उनके घर पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना का उपबंध है। न्याय विभाग की वेबसाइट पर अधिनियम की एक प्रति रखी गई है। ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) के संदर्भ में, राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के एक समूह के लिए एक या दो ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, जहां एक सन्निहित समूह पंचायतों के समूह के लिए किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है। इसलिए, अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, राज्य सरकारों से समय–समय पर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।

21.2 **भौतिक और वित्तीय प्रगतिः** उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 11 राज्यों द्वारा 353 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 221 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर–आवर्ती व्यय के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने के लिए आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवर्ती और गैर–आवर्ती सहायता, वित्तीय सीमा के अधीन है, जैसा कि योजना के दिशा–निर्देशों में दिया गया है। केंद्र सरकार, ग्राम न्यायालय के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित करने की लागत के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की एकबारगी सहायता के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय 18.00 लाख रुपए (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपये, वाहन के लिए 5 लाख रुपये और कार्यालय सज्जा के लिए 3 लाख रुपये) और तीन वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती व्यय के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपए की राशि शामिल है। (11 दिसंबर, 2019 तक)

अब तक राज्यों को 67.00 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें 2019–20 में 6.40 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित	कार्यरत	स्वीकृति धनराशि (लाख रुपए में)
1.	मध्य प्रदेश	89	87	2456.40
2.	राजस्थान	45	45	1240.98
3.	कर्नाटक	2	0	25.20
4.	उड़ीसा	22	16	337.40
5.	महाराष्ट्र	39	24	337.80
6.	झारखंड	6	1	75.60
7.	गोवा	2	0	25.20
8.	पंजाब	2	2	25.20
9.	हरियाणा	3	2	25.20
10.	उत्तर प्रदेश	113	14	1323.20
11.	केरल	30	30	828.00
12.	**कुल**	**353**	**221**	**6700.18**

22. न्यायपालिका की सेवा शर्तें

22.1 राष्ट्रमंडल मजिस्ट्रेट और जजेज एसोसिएशन (सीएमजेए), लंदन के लिए भारत की सदस्यता

कॉमनवेल्थ मजिस्ट्रेट और जजेज एसोसिएशन के लिए भारत की सदस्यता को नवीनीकृत किया गया था, जो 2018 में आयोजित सीएमजेए के त्रिवार्षिक सम्मेलन में समाप्त हो गई थी। 54 सदस्य देशों में से 31 देशों का प्रतिनिधित्व उनके मुख्य न्यायाधीशों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। जहाँ तक भारत का संबंध है, उक्त सम्मेलन में कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। सदस्यता के नवीकरण के परिणामस्वरूप, श्री जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, तत्कालीन न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सितंबर 2019 में पोर्ट मोरोस्बी, पापुआ न्यू गुइना में सीएमजेए सम्मेलन, 2019 में भाग लिया।

22.2 उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से अवगत कराया गया।

उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव देते हुए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था। इन नियमों की विधि कार्य और विधायी विभाग के परामर्श से जांच की गई थी। इन नियमों को उच्चतम न्यायालय द्वारा मई, 2019 में अधिसूचित किया था।

22.3 मोरक्को राज्य के साथ समझौता ज्ञापन

कैबिनेट ने 3.7.2019 को अपनी बैठक में मोरक्को राज्य के साथ किए जाने वाले समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी।

22.4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1956

उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में दिनांक 08 अगस्त, 2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया।

23. न्याय तक पहुँच के तहत न्याय विभाग के सकारात्मक हस्तक्षेप

23.1 शिकायतों का निवारण

(क) न्याय विभाग को राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से नागरिकों से बड़ी संख्या में नागरिकों की शिकायतें सीधे ऑनलाइन से प्राप्त करनी होती हैं। 01.01.2019 से 05.12.2019 तक 8249 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस दौरान, 8549 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इस विभाग को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 20 विभागों में से एक विभाग आँका गया है, जिन्हें सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, डाक विभाग से भी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) न्याय विभाग को उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, विधिक सहायता/कानूनी मदद/कानूनी जागरूकता/ई–कोर्ट/न्यायिक सुधार आदि से संबन्धित शिकायतों को देखने का अधिदेश है। केवल इन विषयों से संबन्धित शिकायतें न्याय विभाग द्वारा देखी जाती हैं।

(ग) न्यायपालिका से संबंधित शिकायतों को इलेक्ट्रोनिक रूप से आगे के कार्यवाही के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के महा सचिव, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दिया जाता है। सूचना के लिए एक प्रति शिकायतकर्ता को पृष्ठांकित कर दी जाती है।

(घ) न्याय विभाग द्वारा अग्रेषित की गई शिकायतों पर न्यायपालिका द्वारा उनकी स्वयं की इन–हाउस पद्धति के अनुसार विचार किया जाता है व उनकी जांच की जाती है और शिकायतों से निपटने की प्रणाली/प्रक्रिया को सामान्यतया साझा नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में, न्याय विभाग शिकायतकर्ताओं को नतीजे से सूचित करने की स्थिति में नहीं होता है।

(ड.) न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, शिकायत धारकों/नागरिकों की जानकारी/मार्गदर्शन के लिए वेबसाइट www.doj.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।

24. न्याय तक पहुँच की योजना :

24.1 न्याय विभाग : न्याय तक पहुँच के बारे में संवैधानिक अधिदेश

न्याय विभाग को भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 39क के तहत "न्याय तक पहुँच" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का अधिदेश है। अनुच्छेद 39क में यह उपबंध है कि "राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस तरह संचालन करना सुनिश्चित करेगा कि विविध तंत्र समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रह जाए, उपर्युक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य नीति से निःशुल्क विधिक सदस्यता की व्यवस्था करेगा।

24.2 न्याय तक पहुँच के तहत न्याय विभाग के सकारात्मक हस्तक्षेप

24.2.1 सभी के लिए न्याय तक पहुँच के अपने लक्ष्य को पूरा करने की आकांक्षा : न्याय विभाग ने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में तीन कार्यक्रमों की शुरुआत की है अर्थात् टेली–लॉ : कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त करना, न्याय बंधु (प्रो–बोनो लीगल सर्विसेज) और न्याय मित्र।

24.2.2 टेली लॉ प्रोग्राम :

विशेष रूप से पैनल वकीलों से कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई, टेली–लॉ सेवा का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और ऑनलाइन चैट सुविधा के माध्यम से पैनल वकीलों को जरूरतमंद और वंचितों को जोड़ना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) की धारा 12 के तहत हाशिये पर पड़े लोगों और पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपदा पीड़ित, दुर्व्यापार के शिकार व्यक्ति आदि शामिल हैं। यह सेवा देश के 28 राज्यों के 115 आकांक्षी जिलों में 28060 सीएससी में लागू की जा रही है। इसके अलावा, यह 11 राज्यों में चयनित 1800 (सीएससी) में भी चल रही है, जिसमें 2017 से उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल हैं। देश के सभी जिलों में 2020–2021 तक टेली–लॉ प्रोग्राम का विस्तार किया जाएगा। यह कार्यक्रम दो अलग–अलग कार्यान्वयन ढांचों के साथ चलने के लिए बनाया गया है। नवंबर, 2019 तक 135536 लाभार्थियों को कानूनी सलाह दी गई है, जिसमें 51600 (महिलाएं); 14318 (अनुसूचित जाति) और 19490 (अनुसूचित जनजाति) शामिल हैं। गैर–पंजीकृत सेवाओं तक आसानी से पहुँचने के लिए टेली–लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मामलों के पंजीकरण की सुविधा के लिए पैरा–लीगल वालन्टियर्स (पीएलवी) को मोबाइल एप्लिकेशन तक पहुँच प्रदान की गई है। एक टेली–लॉ डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है, जो हितधारकों को दर्ज–पूर्व, दर्ज किए गए मामलों का और पैनल के वकीलों द्वारा दी गई सलाह का सीएससी वार और गाँव वार विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। एक समर्पित टेली–लॉ पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे 22 अधिसूचित भाषाओं में, जिनमें अंग्रेजी, हिन्दी, बांग्ला, उर्दू और असमी आदि शामिल हैं, http:èèwww-tele&law.in/ पर देखा जा सकता है।

24.2.3 न्याय बंधु (प्रो–बोनो लीगल सर्विस) : इस कार्यक्रम का उद्देश्य, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना है। यह सेवा उन अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है, जो पंजीकृत वादियों/आवेदकों के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वालिंटियर्स के रूप में सेवा देने के लिए न्याय विभाग के साथ पंजीकृत होते हैं। पंजीकृत वादियों और पंजीकृत प्रो–बोनो अधिवक्ता के बीच सहज संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, एक न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जिसे Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। 9 दिसंबर, 2019 तक 1108 वकीलों को पंजीकृत किया गया है और उन्हें अब तक 516 मामले सौंपे गए हैं। समर्पित वेब–पोर्टल के साथ–साथ IOS उपयोगकर्ताओं के लिए न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित करने और देश में मुफ्त कानूनी ढांचे को संस्थागत बनाने के प्रयासों को सुविधाजनक और सुदृढ़ करने के लिए उन्हें एकीकृत करने के उपाय किए जा रहे हैं।

24.2.4 **न्याय मित्र प्रोग्राम** : न्यायालय में एक दशक से अधिक पुराने लंबित मामलों में न्यायपालिका की सुविधा के लिए न्याय मित्र प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। न्याय मित्र, उच्च न्यायालय/जिला न्यायालयों का कानूनी डिग्री धारक/कानूनी पृष्ठभूमि वाला कोई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी होता है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक नियुक्त किए गए 4 न्याय मित्रों ने 186 लंबित मामलों के निपटान में सहायता प्रदान की है। उन्होंने लंबित मामलों का निपटान करने में लोक अदालत के दौरान सहायता भी प्रदान की। अगस्त 2019 में 93 जिला न्यायालयों में 93 न्याय मित्र और 7 उच्च न्यायालयों में 7 न्याय मित्र, कुल 100 न्याय मित्रों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुशंसित 18 न्याय मित्रों के नियुक्ति आदेश दिसंबर 2019 में जारी किए गए हैं।

24.2.5 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष पहल : न्याय वितरण प्रणाली और विधिक सेवा प्राधिकरण की क्षमता में सुधार के लिए समाज के हाशिये और कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातीय समुदायों की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उपरोक्त के अलावा, विशिष्ट, स्थानीय पहलों के अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और जम्मू–कश्मीर राज्यों में कमजोर आबादी की कानूनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए अभिनव गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर के लिए न्याय तक पहुँच योजना के तहत योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए न्याय विभाग ने मंत्रालयों (केंद्रीय/राज्य) और संबद्ध विभागों जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और नालसा/एसएलएसए आदि के साथ सहयोग और साझेदारी की है। अब तक भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 2089 निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया है। त्रिपुरा में, 9 कानूनी जागरूकता अभियान (एलएसी) आयोजित किए गए और 726 ग्रामीणों ने इन कानूनी जागरूकता अभियानों में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश में, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीन प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और 178 गाँव बूरा और गाँव बुरीस को प्रशिक्षण दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश (3) और मणिपुर (14) में 17 विधिक सहायता क्लीनिक (एलएसी) स्थापित किए गए हैं। मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 149 पैरा लीगल वालन्टियर्स को प्रशिक्षित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 48 रिटेनर्स व वकीलों और कानूनी सहायता पार्षदों के लिए एक ओरियंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

25. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

25.1 **अधिदेश** : भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए उपबंध दिए गए हैं और यह सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे विधि और ऐसी विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती हो। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवंबर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए नीतियाँ और सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिलों में और अधिकतर तालुकों में लोक सदालतों का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय से संबन्धित विधिक सेवा कार्यक्रम का संचालन करने और इसको कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को गठित किया गया है।

25.2 नालसा का कामकाज

नालसा, देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी और किफायती योजनाएं बनाता है। मुख्यतया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है :

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत शामिल किए गए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना;
- विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना; और
- ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

25.3 निःशुल्क विधिक सेवाएं

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नांकित शामिल हैं: –

(क) कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;

(ख) विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवा प्रदान करना;

(ग) विधिक कार्यवाही में आदेश प्राप्त करना और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति करना।

(घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान देश भर में विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से 14.72 लाख पात्र व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

26. लोक अदालत

26.1 विवाद समाधान की वैकल्पिक विधि की सुविधा के लिए नालसा, लोक अदालतों का आयोजन करता है। यह एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालय में लंबित मामले/विवाद अथवा मुकदमेबाजी से पूर्व के चरण में मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्वक किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस तरह के निर्णय के खिलाफ कोई अपील, किसी न्यायालय के समक्ष नहीं की जा सकती है। तीन प्रकार की लोक अदालतें हैं, जैसे कि नियमित लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें।

1) मुकदमेबाजी–पूर्व और मुकदमेबाजी के बाद के दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकारियों/समितियों द्वारा राज्य/जिला अधिकारियों की सुविधा/विवेक के अनुसार नियमित लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

2) भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक एक ही दिन में मामलों के (मुकदमेबाजी–पूर्व और मुकदमेबाजी के बाद दोनों प्रकार के मामलों) निपटारे के लिए हर तिमाही में राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

3) जन सुविधा सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए मुकदमेबाजी से पहले का तंत्र प्रदान करने के लिए अधिकांश जिलों में स्थायी लोक अदालतें, स्थायी अधिष्ठापनाएं हैं।

26.3 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

(लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लोक अदालत		राष्ट्रीय लोक अदालत
		देश में आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	वाद से पहले के और वाद के बाद के मामलों की संख्या	देखे गए कुल मामलों की संख्या
1	2015–16	1.68	152.99	196.78
2	2016–17	1.19	17.24	96.92
3	2017–18	1.09	19.28	57.31
4	2018–19	1.16	10.46	58.95
	कुल	**5.12**	**199.97**	**409.96**

टिप्पणी: निपटाए गए मामलों में वाद से पहले के और वाद के बाद के मामले शामिल हैं।

इसके अलावा, 2019–20 के दौरान (सितंबर तक) स्थायी लोक अदालतों की 14230 बैठकें हुई थी और 60080 मामलों को निपटाया गया था और निपटाए गए मामलों का कुल मूल्य 222.54 करोड़ है।

26.4. कानूनी जागरूकता शिविर

कानूनी अशिक्षा किसी राष्ट्र की वृद्धि और विकास को प्राप्त करने में एक गंभीर खतरा पैदा करती है क्योंकि कानूनी जागरूकता व्यक्ति को कानूनी और कानून के तहत अपने अधिकारों को जानने में समर्थ बनाता है, जिससे समाज में कानूनी संस्कृति में वृद्धि होती है। इस तरह की कानूनी अशिक्षा को समाज से मिटाने के उद्देश्य से, विधिक सेवा संस्थान देश के विभिन्न हिस्सों में हर वर्ष कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं और सरकार के विभिन्न कानूनों और लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। नवंबर, 2019 तक वर्ष के दौरान, विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए 1.76 लाख कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 2.45 करोड़ लोगों की उपस्थिति देखी गई।

26.5. विधिक सशक्तीकरण/सेवा शिविर

समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचने के उद्देश्य से, एक नवीन दृष्टिकोण को विधिक सेवा संस्थानों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया गया। इस साल, विधिक सशक्तीकरण शिविरों (लीगल एम्पावरमेंट कैम्प्स) ने न केवल समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को लक्षित किया, बल्कि उन लोगों को भी, जो देश के दूर–दराज के इलाकों और सुदूर के कोनों में रह रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ इन शिविरों का आयोजन किया जाता है, वह सूचना के अंतराल को पाटने और नागरिकों की सही हकदारियों तक पहुंच बनाने के लिए है। इन शिविरों के माध्यम से गरीब, कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों की पहचान करने और कानून और कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें उनके हक से जोड़ने का प्रयास किया गया है। नवंबर, 2019 तक, वर्ष के दौरान, 568 विधिक सशक्तीकरण शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 11.01 लाख लोगों को कानून के तहत विभिन्न लाभ प्राप्त हुए।

26.6. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) की 17वीं अखिल भारतीय बैठक

विधिक सेवा संस्थानों की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने के साथ–साथ अपनी भविष्य की परियोजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए, 18 अगस्त, 2019 को, महाराष्ट्र, नागपुर में 17वीं अखिल भारतीय बैठकें आयोजित की गईं।

26.7. न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

न्यायालय आधारित विधिक सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कानूनी सहायता लाभार्थियों के लिए एकल केंद्र (वन स्टॉप सेंटर) के रूप में कार्य करने के लिए फ्रंट कार्यालयों को उन्नत करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की हैं।

26.8. इंटर्नशिप कार्यक्रम

जेलों, संप्रेक्षण गृहों, मानसिक अस्पतालों, जिला अदालतों, मध्यस्थता केंद्रों, जेजेबी आदि के कामकाज पर एक वास्तविक जीवन का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए नालसा, देश भर के विभिन्न लॉ–कॉलेजों के लॉ–छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। इंटर्नशिप कार्यक्रम, जो 21–23 दिनों की अवधि के लिए वर्ष में दो बार आयोजित किए जाते हैं, तीन स्तरीय मॉडल का है। पहले 2 हफ्तों में, छात्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ काम करने की आवश्यकता होती है, तीसरे सप्ताह में कानून के छात्रों को दिल्ली एसएलएसए के लिए काम करने की आवश्यकता होती है और शेष 3 दिनों के लिए छात्रों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के साथ इंटर्न करने का अनुभव मिलता है। 2019 में भी, इस तरह के इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

26.9. पैनल वकीलों और अर्ध विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) का प्रशिक्षण

विधिक सेवा संस्थान, समाज के कमजोर और हाशिये पर पड़े वर्गों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए विभिन्न विधिक सेवा संस्थानों द्वारा पैनल वकीलों और पीएलवी के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने पैनल वकीलों के लिए 3 प्रशिक्षण मॉड्यूल और अर्ध विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। नवंबर, 2019 तक वर्ष के दौरान, पैनल वकीलों के लिए 1,104 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और पीएलवी के लिए 1,455 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

26.10. सर्वोत्कृष्ट पीएलवी, पैनल वकील, डीएलएसए और एसएलएसए का सराहना समारोह

नालसा ने 9 नवंबर, 2019 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पैनल वकीलों और पीएलवी के प्रयासों और कड़ी मेहनत को स्वीकार करने के लिए 'विधिक सेवा दिवस' के एक भाग के रूप में प्रशंसा समारोह का आयोजन किया। उक्त अवसर पर, उक्त चार श्रेणियों में से प्रत्येक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रूप से कार्य करने वालों की माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई :

27. विभाग की विविध गतिविधियां

27.1 **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं :

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करना और संबन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत जैसा कि अपेक्षित है, विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ–साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://doj.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत सभी अवर सचिवों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के संदर्भ में, सभी निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यरत अवर सचिवों, जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, के संबंध में अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

(ड.) वर्ष 2018 के दौरान (01.01.2018 से 31.12.2018 तक) विभाग में 189 आरटीआई आवेदन पत्र और दस्ती रूप से 28 अपीलें और 3416 आरटीआई आवेदन पत्र और 151 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं, उन्हें अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए संबन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को अग्रेषित कर दिया गया।

(च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1/5/2011–आईआर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के पैरा–1.4.1 के अनुसार यह विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

27.2 महिलाओं का सशक्तीकरणः

कार्य – स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण : कार्य–स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुपालन में विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए 04.06.2018 को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं।

27.3 स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार, विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया। वर्ष 2018–2019 के दौरान, न्याय विभाग में 1.4.2018 से 15.4.2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा और 01.09.2018 से 02.10.2018 तक स्वच्छता ही सेवा नामक दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके दौरान कई कार्यकलाप जैसे कि लॉन का सौंदर्यीकरण, परिसरों के अंदर वृक्षारोपण, मॉड्यूलर फर्नीचर की स्थापना, व्यापक सफाई अभियान, परिसर के अंदर पुराने रिकार्डों की छंटाई, जंक/पुरानी वस्तुओं का निपटान, और न्याय विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान, आदि किए गए।

वर्ष 2018–19 के दौरान, स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए जैसे कि शौचालयों और कैंटीन क्षेत्र का नवीकरण, सफाई उपकरणों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 15.00 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे।

27.4 ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

कागज रहित कार्यालय की ओर अग्रसर होने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने ई–ऑफिस को प्रचालनात्मक करने की पहल की है। ई–ऑफिस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए ई–ऑफिस पर सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग, भारत सरकार के शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाले उन मंत्रालयों/विभागों में से एक है, जिन्होंने पूर्ण ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर लिया है।

28. राजभाषा अनुभाग :

उद्देश्य : विभाग में राजभाषा अनुभाग फरवरी, 2016 में गठित किया गया था। न्याय विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कारगर कार्यान्वयन और राजभाषा विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करने में विभाग को सहायता देता है। इस अनुभाग को विभाग की विभिन्न सामग्रियों का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त सरकार के कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

28.1 राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टों का संग्रहण और विश्लेषण : विभाग के सभी अनुभागों से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टों को संग्रहीत करके उनकी समीक्षा की गई। रिपोर्टों में पाई गई कमियों के बारे में अनुभागों को सूचित किया गया तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में सुझाव दिए गए। इन रिपोर्टों के आधार पर समेकित विवरण तैयार किया गया और उसे राजभाषा विभाग को भेजा गया। इन रिपोर्टों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकों में समीक्षा भी की गई।

28.2 **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें** : वर्ष 2019 के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में एक–एक बैठक आयोजित की गई और विभाग के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति की समीक्षा की गई। इन बैठकों के कार्यवृत विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में परिचालित किए गए। यह समिति, विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की पुनरीक्षा करती है और उसके बारे में निर्णय लेती है। इस समिति की बैठकों में संघ सरकार का अधिकाधिक कार्य हिंदी में किए जाने के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की बैठकें क्रमशः दिनांक 21.03.2019 को (पहली), 28.06.2019 को (दूसरी), 30.09.2019 को (तीसरी) और 30.12.2019 को (चौथी) आयोजित की गईं।

28.3 सरकारी कामकाज में हिन्दी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन : विभाग में कर्मचारियों के लिए सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना और अधिकारियों के लिए हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2016–17 से आरंभ की गई है। हिन्दी में टिप्पण और आलेखन प्रोत्साहन योजना के तहत सचिव महोदय ने दिनांक 16 सितंबर, 2019 को (14 सितंबर, 2019 को शनिवार का अवकाश होने के कारण) हिन्दी दिवस के अवसर पर 5 अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

28.4 **हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन** : विभाग में राजभाषा हिन्दी के क्रमिक रूप से प्रयोग को बढ़ाने, राजभाषा अधिनियम, 1976, नियमों और विनियमों और हिन्दी के उपयोग के बारे में जानकारी देने और स्टाफ के हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 25.02.2019 से 08.03.2019 तक (पहली) 03.06.2019 से 07.06. 2019 तक (दूसरी) 24.07.2019 से 30.07.2019 तक (तीसरी) और 16.12.2019 से 20.12.2019 तक (चौथी) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

28.5 **विभाग के विभिन्न दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद** : समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, ई–बुक, निष्पादन बजट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया–ज्ञापन, मंत्रिमंडल हेतु टिप्पणियों (केबिनेट), संसद प्रश्नों में दिए गए आश्वासनों पर कार्यान्वयन रिपोर्टों, नालसा से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और सामान्य रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों, जिनमें अधिसूचनाएं, मंत्री महोदय की ओर से भेजे जाने वाले अर्ध शासकीय पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पत्र और दैनिक प्रकृति के सामान्य आदेश शामिल हैं, आदि का अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कार्य सम्पन्न किया गया। इसके अलावा, संविधान दिवस, 2019 से संबंधित सामग्री/दस्तावेजों जैसे ब्रोशर्स, पुस्तिकाओं, हैंड आउटस, पम्पलेटस, डिस्प्ले कार्डस, बैनर्स, पीपीटी आदि का भी हिन्दी अनुवाद किया गया।

29 हिन्दी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन :

विभाग में 16 सितंबर, 2019 को हिन्दी दिवस मनाया गया (14 सितंबर, 2019 को शनिवार का अवकाश होने के कारण)। हिन्दी दिवस पर माननीय सचिव महोदय की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेश का वाचन किया गया। सचिव (न्याय) ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इसके अलावा, विभाग में 02.09.2019 से 16.09.2019 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान चार लिखित प्रतियोगिताओं नामतः हिन्दी निबंध, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता और श्रुत लेखन प्रतियोगिता तथा दो मौखिक प्रतियोगिताओं अर्थात् काव्य पाठ प्रतियोगिता और आशु संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 89 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को 4 नकद पुरस्कार (प्रथम रू 3000 रुपए, द्वितीय रु 2000 रुपए, तृतीयः 1500 और प्रोत्साहन : 1000 रुपए) और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। सचिव (न्याय) महोदय ने इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए।

30 हिंदी पुस्तकों की खरीद :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग में पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखकों और विशिष्ट व्यक्तियों की पुस्तकों की सूची सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से तैयार की जा रही है।

31. संविधान दिवस और नागरिक कर्तव्य (26 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2020 तक)

31.1 **परिचय** : न्याय विभाग को मूल कर्तव्यों सहित नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों और कार्यकलापों के माध्यम से भारत के नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

माननीय विधि और न्याय मंत्री ने माननीय राज्यपालों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कार्यक्रम की शुरुआत की और अनुरोध किया है कि वे मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से राज्यों में गतिविधियों को शुरू करें और सक्रिय रूप से भाग लें।

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 24.11.2019 'मन की बात' कार्यक्रम में संविधान दिवस और

संवैधानिक मूल्यों के लिए हमारी प्रतिबद्धता का जिक्र किया।

31.2 राष्ट्रव्यापी संविधान दिवस समारोह 2019

सचिव (न्याय) ने सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों, भारत सरकार के सचिवों, सभी अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों आदि को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे 26.11.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे एक साथ संविधान की उद्देशिका का वाचन करें। संयुक्त सचिव (न्याय विभाग) की ओर से एक और पत्र सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया, जिसमें गतिविधियों की रिपोर्ट भेजने और फोटोग्राफों को अपलोड करने के लिए अलग यूजरनेम और पासवर्ड सूचित किए गए थे। न्याय विभाग के उपरोक्त कार्यों के परिणामस्वरूप, यह एक ऐतिहासिक घटना बन गई, जिसमें संविधान की उद्देशिका को व्यापक रूप से केंद्र सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के कार्यालयों, नौसेना, वायु सेना और सेना द्वारा यहाँ तक कि सियाचिन में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पुरातत्व स्थलों, स्कूलों, कॉलेजों, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटरों, न्यायपालिका और विदेशों में भारतीय मिशनों में पढ़ा जा रहा था।

अकेले स्कूलों के संदर्भ में, उद्देशिका पढ़ने में देश–भर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 10 करोड़ छात्रों ने भाग लिया। 58 लाख एनएसएस और एनवाईकेएस युवाओं ने उद्देशिका के वाचन में भाग लिया। इसके अलावा, न्याय विभाग को 26.11.2019 को आयोजित किए गए संविधान दिवस समारोह की गतिविधियों के लगभग 1800 चित्र और 1400 वीडियो प्राप्त हुए। व्हाटसएप, ई–मेल के माध्यम से और 26.11.19 को आयोजित संविधान दिवस समारोह गतिविधियों की वेबसाइट के माध्यम से 18000 चित्र और 1400 वीडियो प्राप्त किए गए थे।

वास्तविक नियंत्रण रेखा, सियाचिन ग्लेशियर की अग्रिम चौकी पर संविधान उद्देशिका का वाचन

पंचरथों के ऐतिहासिक स्मारक ममल्लापुरम में संविधान दिवस पर शपथ लेते पर्यटक

केंद्रीय विद्यालय, डीआरडीओ, बेंगलुरु (कर्नाटक) में संविधान दिवस पर शपथ लेते हुए छात्र

31.3 नागरिकों के कर्तव्यों पर जागरूकता पैदा करने के लिए वर्षभर के कार्यकलाप

न्याय विभाग ने भारत और विदेशों में मूल कर्तव्यों सहित नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्षभर का कार्यक्रम बनाया है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की सांकेतिक सूची के साथ एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति, और ऐसी गतिविधियों को लागू करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ सचिव स्तर की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं, जिनमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय; सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डाक विभाग आदि शामिल हैं।

अब तक, 25 राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के 21 मंत्रालयों/विभागों ने उपर्युक्त कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग लगातार निम्नलिखित के रूप में विभिन्न घटनाओं के संचालन में लगे हुए हैं :

1. MyGov, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय – नवंबर 2019 में ऑनलाइन लोगो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 1109 लोगों ने भाग लिया; संविधान की उद्देशिका को पढ़ने और प्रमाणपत्र सृजन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म सृजित किया गया – 06 जनवरी 2020 तक कुल 6365 प्रमाण पत्र सृजित किए गए। MyGov पर 26 नवंबर – 26 दिसंबर 2019 तक एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें 1,03,329 लोगों ने भाग लिया। MyGov पर 26 नवंबर, 2019 से 26 जनवरी, 2020 तक ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 6 जनवरी 2020 तक प्राप्त कुल 4043 आवेदन हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, MyGov पर नागरिकों के लिए "#Itsmyduty" को विकसित किया गया है, ताकि सोशल मीडिया पर मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कहानियों को hastag- #Itsmyduty पर साझा किया जा सके।
2. रेल मंत्रालय – आईआरसीटीसी वेबसाइट पर मूल कर्तव्यों पर पेज का एक लिंक प्रदान किया है; टिकटों के पीछे की तरफ पर मूल कर्तव्य मुद्रित करवाए हैं; दक्षिण केंद्र रेलवे ने जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मौला–अली (आंध्र प्रदेश) में वर्तमान भारत में मूल कर्तव्यों और उनका महत्व विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया।
3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय – माननीय प्रधानमंत्री ने 24.11.19 को 'मन की बात' में संविधान के महत्व पर जोर दिया; ऑल इंडिया रेडियो (AIR) ने 18 दिसंबर 2019 को वार्तालाप (टॉक शो) का आयोजन किया, जिसमें सचिव (न्याय) ने भाग लिया; दूरदर्शन नियमित रूप से शनिवार को 10.30 बजे (अपराह्न) संविधान और मूल कर्तव्यों पर साप्ताहिक पैनल चर्चा आयोजित कर रहा है और डीडी न्यूज पर रविवार को दोपहर 2.00 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट होता है। सदस्य सचिव (नालसा) ने 18 दिसंबर 2019 को आयोजित चर्चा में भाग लिया।
4. डाक विभाग – नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियों के एक भाग के रूप में, डाक विभाग अस्थायी रूप से निर्धारित तिथि 26 जनवरी 2020 को भारत के संविधान पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा।
5. संसदीय कार्य मंत्रालय – 26 नवंबर 2019 को सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों का विशेष समारोह का आयोजन किया गया; 26 नवंबर 2019 को संविधान पर पीएच कॉम्प्लेक्स में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई; राष्ट्रीय युवा संसद योजना पर आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया।
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय – मंत्रालय ने 11 एफडी पर 11 लघु फिल्में विकसित की हैं (लगभग 30–40 सेकंड की अवधि की); 11 एफडी पर 1 समेकित फिल्म (लगभग 1 मिनट की अवधि की) और 11 मूल कर्तव्यों पर 11 रेडियो जिंगल्स बनाई।

7. संविधान और नागरिक कर्तव्यों पर वार्तालाप करने और व्याख्यान देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और 8 स्टेट बार काउंसिलों के माध्यम से 20 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से जानकार व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन्स) की सूची न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न विभागों (जैसे कि वित्तीय सेवाओं के विभाग) से संविधान के विभिन्न विषयों पर अपने कर्मचारियों से वार्तालाप करने के लिए जानकार व्यक्तियों को भेजने के लिए अनुरोध प्राप्त किए जा रहे हैं।

8. ऑल इंडिया रेडियो (AIR) ने 18 दिसंबर 2019 को नागरिकों के कर्तव्यों पर वार्तालाप (टॉक शो) का आयोजन किया, जिसमें सचिव (न्याय) ने भाग लिया। दूरदर्शन संविधान और मूल कर्तव्यों पर शनिवार को 10.30 बजे (अपराह्न) साप्ताहिक पैनल चर्चा आयोजित कर रहा है और उसका डीडी न्यूज पर रविवार को दोपहर 2.00 बजे रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है। सदस्य सचिव (NALSA) ने 18 दिसंबर 2019 को आयोजित चर्चा में भाग लिया।

9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उत्तरी ब्लॉक परिसर में संविधान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया।

31.4 न्याय विभाग की पहल :

न्याय विभाग ने अपनी ओर से, नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में वर्षभर चलने वाले कार्यक्रम की तैयारी के भाग के रूप में कई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आयोजित की हैं :

- संविधान दिवस और नागरिकों के कर्तव्यों के लिए एक समर्पित वेबसाइट विकसित की गई है।
- आईईसी सामग्री, उद्धरण, तस्वीरें और वीडियो गैलरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं।
- मंत्रालयों, राज्य सरकार, न्यायपालिका, गैर सरकारी संगठनों, सीएसआर द्वारा सक्रिय गतिविधियों के कैलेंडर, चित्र और वीडियो अपलोड करने की सुविधा सृजित की गई।
- (एक) ब्रोशर, (बारह) पोस्टर और (तीन) स्टैंडीज विकसित किए गए हैं और उन्हें न्याय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और (एक) फ्लायर अनुमोदन के अधीन है। यह ब्रोशर, अब 13 भाषाओं में उपलब्ध हैं (9 अतिरिक्त भाषाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं)। 22 भाषाओं में पोस्टर और स्टैंडीज का अनुवाद प्रगति पर है।
- संविधान दिवस और नागरिक कर्तव्यों पर वार्ता करने/व्याख्यान देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से 2,270 जानकार व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) और 8 स्टेट बार काउंसिलों से 25 जानकार व्यक्तियों की सूची www.doj.gov.in पर उपलब्ध है।
- विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए संविधान और मूल कर्तव्यों पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रस्तुति www.doj.gov.in पर उपलब्ध है।
- संविधान की उद्देशिका (Preamble) को पढ़ने और जनता द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए 10x20 फीट की उद्देशिका दीवार (Preamble Wall) (बैनर) डिजाइन की गई है। इसे जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख स्थानों, आयोजनों में लगाया जाएगा।
- नवोदय विद्यालय संगठन के 8 क्षेत्रीय कार्यालयों को 6500 पोस्टर और केवीएस के 25 क्षेत्रीय कार्यालयों को 12000 पोस्टर, भेजे गए हैं।

31.5 विश्व पुस्तक मेला 2020

न्याय विभाग ने 4 जनवरी, 2020 से 12 जनवरी, 2020 तक प्रगति मैदान में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में संविधान दिवस और नागरिक कर्तव्यों पर एक स्टाल लगाया। इस स्टाल में ''डिजिटल प्रदर्शनी'' प्रदर्शित की गई है, जिसमें संविधान, संविधान सभा, संविधान सभा के संस्थापक सदस्यों के भाषणों के अंशों से संबंधित तथ्य शामिल हैं। संविधान की उद्देशिका को पढ़ने के लिए एक ''कियोस्क'' की स्थापना की गई है, ताकि सभी लोगों विशेष रूप से बच्चों को उद्देशिका पढ़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो

सके। न्याय विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्यों और मूल कर्तव्यों के विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 7 जनवरी 2020 को विश्व पुस्तक मेले, प्रगति मैदान में थीम पैविलियन (हॉल नंबर 7 ई) में आयोजित की गई थी। यह क्विज प्रतियोगिता दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई थी। भाग लेने वाले प्रत्येक स्कूल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को न्याय विभाग द्वारा बनाए गए मूल कर्तव्य वाला पोस्टर दिया गया। दर्शकों में क्विज प्रतियोगिता के विषय में गहरी रुचि रखने वाले छात्रों के साथ–साथ आम जनता भी शामिल थी। इसके अलावा, उद्देशिका और मूल कर्तव्यों को पढ़ने, संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने और हस्ताक्षर करने के लिए हस्ताक्षर दीवार (सिग्नेचर वाल) को लोगों को मुख्य हॉल के बाहर रखा गया है।

विश्व पुस्तक मेले 2020 में नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी को दर्शाने वाला स्टेंडी

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2020 में शपथ दीवार

अनुबंध–I

(देखें अध्याय–I पैरा –2)

विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट

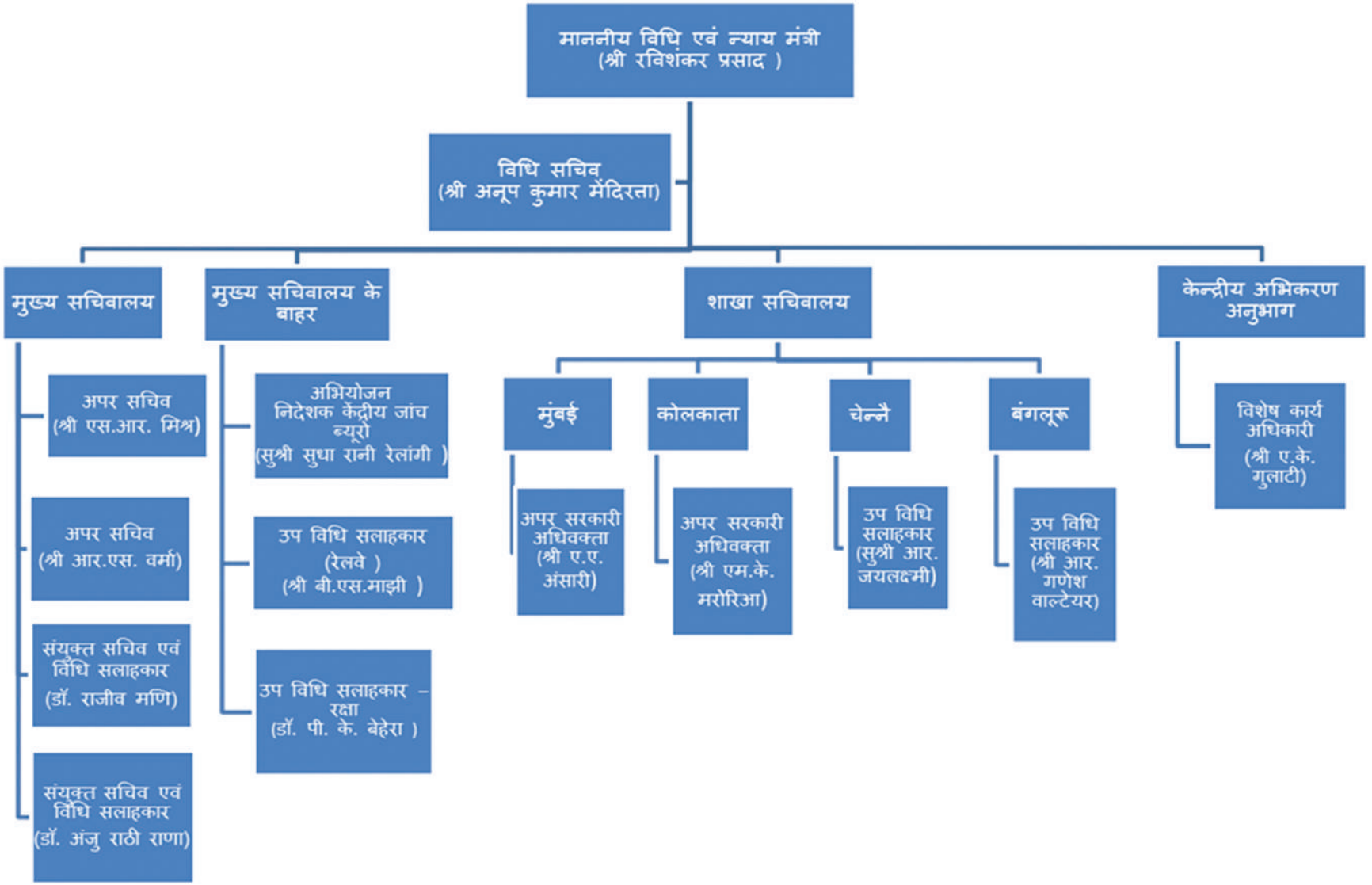

अनुबंध – II

अध्याय–I का पैरा – 18 देखें,

21वें विधि आयोग द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट

क्र. सं.	रिपोर्ट सं. और रिपोर्ट का शीर्षक	केन्द्र सरकार/उच्चातम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त संदर्भों का विवरण	प्रस्तुत करने की तारीख
1.	**रिपोर्ट सं. 263:** बालकों का संरक्षण (अंतरदेशीय अपसारण और प्रतिधारण) विधेयक, 2016	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सीआर सं. 6449/2006 सीमा कपूर और अन्य बनाम दीपक कपूर और अन्य (आदेश दिनांक 24.02.2016)	17.10.2016
2.	**रिपोर्ट सं.264:** दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (खाद्य अपमिश्रण संबंधी उपबंध)	उच्चतम न्यायालय, सिविल मूल अधिकारिता, रिट याचिका सं. 2012 का 159 स्वामी अच्यूतानंदतीर्थ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य	17.01.2017
3.	**रिपोर्ट सं. 265:** 'अवयस्क 'के भरण–पोषण धन सेउदभूत आय को छूट देने की प्रत्याशाएं	दिनांक 27.10.2016 के मा.पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एफएओ–एम– 2012 का 183 पायल मेहता बनाम संजय सरीन मामले में आदेश	20.03.2017
4.	**रिपोर्ट सं.266** अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (विधिक वृत्तित का विनिमयन)	उच्चतम न्यायालय, दांडिक अपील सं.63/2006 महीपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	23.03.2017
5.	**रिपोर्ट सं.267:** घृणापूर्ण भाषण	रिट याचिका (सी) 157/2013 प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	23.03.2017
6.	**रिपोर्ट सं.268 :** दंड प्रक्रिया संहिता,1973 का संशोधन जमानत संबंधी उपबंध	विधि और न्यांय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली	23.05.2017
7.	**रिपोर्ट सं. 269:** अंडे देने वाली मुर्गियों (लेयरों) और ब्रोयलर चिकन का परिवहन और उनकी आवास–व्यवस्था;	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली (दिनांक 02.03.2017 का पत्र)	03.07.2017
8.	**रिपोर्ट सं. 270:** विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली (दिनांक 16.02.2017 का पत्र)	04.07.2017

9.	**रिपोर्ट सं.271:** मानव डी.एन.ए. प्रोफाइल डी.एन.ए. आधारित तकनीक के उपयोग और विनियमन का प्रारूप विधेयक	विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, बायोटेकनॉलाजी विभाग, नई दिल्ली; (प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भ से)	26.07.2017
10.	राष्ट्रीय वाद नीति, 2016 की जांच	(i) विधि कार्य विभाग (ii) प्रधानमंत्री कार्यालय	05.06.2017
11.	**रिपोर्ट सं. 272:** भारत में अधिकरणों की कानूनी संरचना: एक मूल्यांकन	उच्चतम न्यायालय, सिविल अपील सं. 3455/2010 गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमि. बनाम एस्सार पॉवर लिम.	27.10. 2017
12.	**रिपोर्ट सं. 273:** यातना और अन्य क्रूरतापूर्ण, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का विधान के माध्यम से कार्यान्वयन	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली	30.10.2017
13.	**रिपोर्ट सं. 274:** न्यायालय की अवमानना अधिनियम,1971 की समीक्षा (अधिनियम की धारा 2 तक सीमित)	विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली	17.4.2018
14.	**रिपोर्ट सं. 275:** विधिक अवसंरचना: सूचना का अधिकार नियम, 2005 के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य (2015) 3 एससीसी 251 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	18.04.2018
15.	**रिपोर्ट सं. 276:** कानूनी संरचना : द्यूत और खेलों में दांव, जिसके अंतर्गत भारत में क्रिकेट में दांव भी है	बीसीसीआई बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य (2016) 8 एससीसी 535 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	05.07.2018
16.	**रिपोर्ट सं. 277:** अनुचित अभियोजन (न्याय की हत्या): विधिक उपचार	दिल्ली उच्च न्यायालय (बबलू चौहान@डबलू बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य सरकार, 247 (2018) डीएलटी 31)	30.08.2018

अनुबंध – III

अध्याय–I का पैरा 21 देखें,

आयकर अपीलीय अधिकरण में दिनांक 01.12.2019 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	भू–सै.	शा.वि.
अध्यक्ष	1	1	–	–	–	–	–
उपाध्यक्ष	8	6	–	–	2	–	–
लेखा सदस्य	41	20	5	2	13	–	1 (ओ.एच.)
न्यायिक सदस्य	39	23	7	1	8	–	–
पंजीकार	1	1	–	–	–	–	–
उप पंजीकार	2	2	–	–	–	–	–
सहायक पंजीकार	12	5	3	1	3	–	–
हिंदी अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**104**	**58**	**15**	**4**	**26**	**0**	**1**

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	भू–सै.				शा.वि.			
						अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.
वरिष्ठ निजी सचिव	91	50	13	1	27	–	–	–	–	–	–	–	–
निजी सचिव	17	6	4	1	6	–	–	–	–	–	–	–	–
अधीक्षक	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कार्यालय अधीक्षक	62	42	9	2	8	–	–	–	–	–	1	–	–
हिंदी अनुवादक	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वरिष्ठ लेखाकार	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**174**	**102**	**26**	**4**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

नोटः 7 वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पदों को तदर्थ आधार पर भरा गया है।

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	भू–सै.				शा.वि.			
						अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.
उच्च श्रेणी लिपिक	75	32	10	5	24	–	–	2	–	–	–	–	2
आशुलिपिक 'घ'	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अवर श्रेणी लिपिक	115	56	25	8	23	–	–	1	–	–	–	2	–
स्टाफ कार चालक	30	3	9	1	4	1	1	7	4	–	–	–	–
कुल	**221**	**92**	**44**	**14**	**51**	**1**	**1**	**10**	**4**	**0**	**0**	**2**	**2**

	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	भू–सै.				शा.वि.			
						अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.
मल्टी टास्किंग स्टाफ	191	86	44	15	46	1	0	7	8	3	0	3	1
कुल	191	86	44	15	46	1	0	7	8	3	0	3	1

अनुबंध –IV

(देखें अध्याय–I पैरा –23)

दिनांक 01.01.2020 तक सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	143	38	26.57	6	4.19	15	10.48	–	–	2	1.39
समूह 'ख'	186	27	14.51	8	4.30	28	15.05	3	1.61	6	3.22
समूह 'ग' (सफाई वाला को छोड़कर)	269	73	27.13	13	4.83	33	12.26	–	–	2	0.74
समूह 'ग' (सफाई वाला)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**598**	**138**	**23.07**	**27**	**4.51**	**76**	**12.70**	**3**	**0.50**	**8**	**1.33**

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण

इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

* उपर्युक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पदों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

वर्ष 2019–20 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्ति पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्ति पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनु–सूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 10+11)
	अधिसूचित	भरे गए	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह ''क'' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या स्तंभ 2 में से	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या स्तंभ 3 में से	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 19+20)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	–	1	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	–	1	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	—	–

- सीएसएस और सीएसएसएस के संवर्गों के विभिन्न पदों की रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिकलित की जाती हैं। इस विभाग द्वारा सीएससीएस संवर्ग के केवल समूह 'ग' के पदों की रिक्तियों का परिकलन किया जाता है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

भाग II – प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	–	37	–	–	14	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	30	–	–	5	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

भाग III–प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा) भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ख'	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
'ग' (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

अनुबंध – V

(देखें अध्याय–I पैरा –23)

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वि

समूह	**विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)**	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	**महिला कर्मचारियों की संख्या**
समूह क	143	41
समूह ख	186	54
समूह 'ग' (सफाई वाला को छोड़कर)	269	16
समूह 'ग' (सफाई वाला)	–	–
कुल	**598**	**111**

समूह	**आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)**	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	**महिला कर्मचारियों की संख्या**
समूह क	104	10
समूह ख	174	55
समूह ग	221	56
मल्टीग टास्किंग स्टाफ	191	10
कुल	**690**	**131**

अनुबंध – VI

(देखें अध्याय–I पैरा–24)

अनुबंध– VII

(देखें अध्याय–I पैरा –25)

अनुबंध– VIII

(देखें अध्याय–II पैरा–2)

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठन चार्ट
01.01.2020 के अनुसार

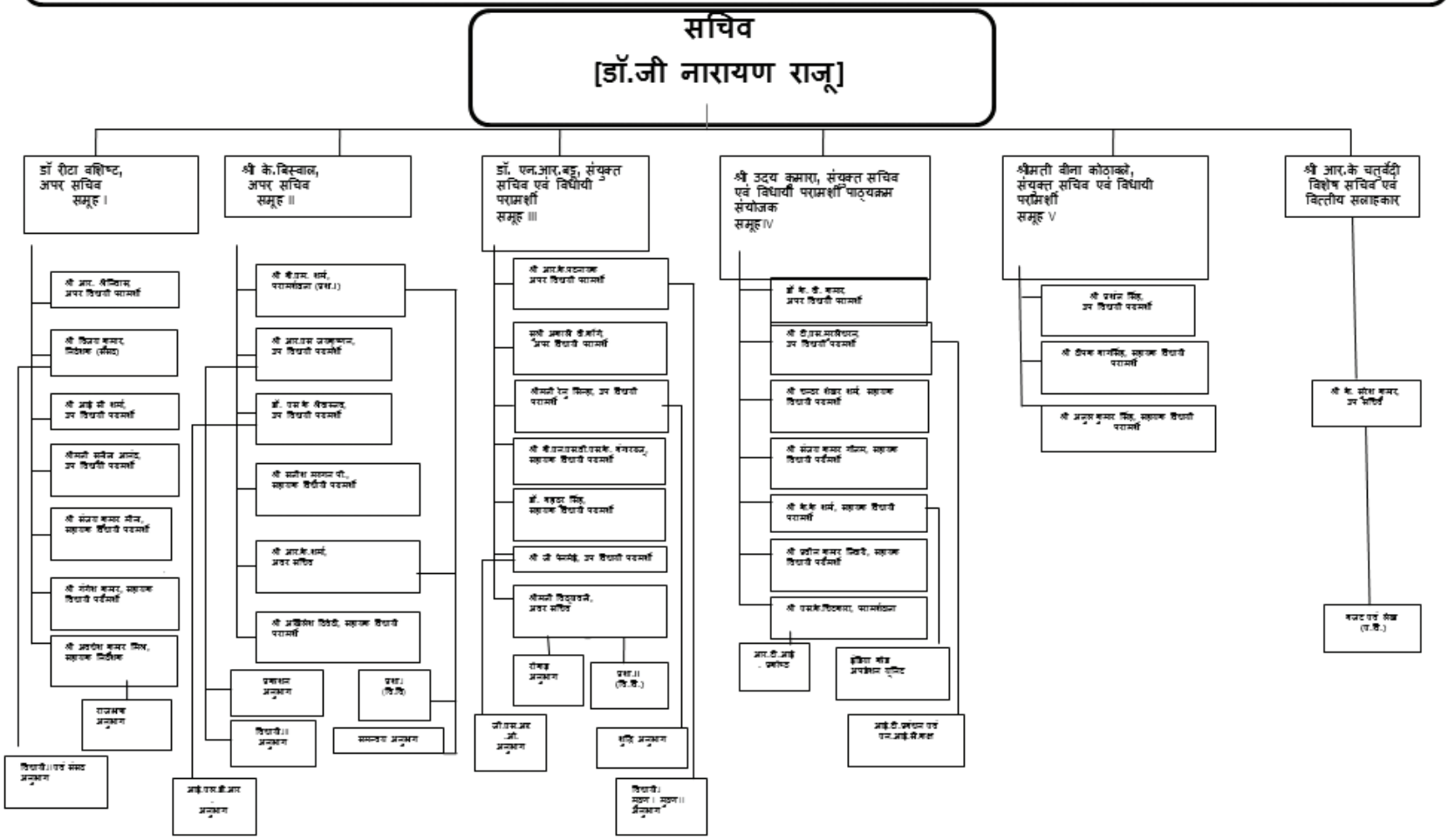

अनुबंध –IX

(अध्याय– I I, पैरा–43 देखें)

01 जनवरी, 2020 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	%	अनु. जन जाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	दिव्यांग जन	%
क	78	11	14.10	5	6.41	17	21.79	–	–	2	2.56
ख	101	21	20.79	3	2.97	14	13.86	–	–	3	2.97
ग	110	27	24.54	8	7.27	17	15.45	–	–	–	–
कुल	**289**	**59**	**20.41**	**16**	**5.53**	**48**	**16.60**	–	–	**5**	**1.73**

अनुबंध –X

(अध्याय– I I, पैरा–43 देखें)

01.01.2020 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत (%)
समूह क	78	17	21.79
समूह ख	101	35	34.65
समूह ग	110	13	11.81
कुल	**289**	**65**	**22.49**

अनुबंध–XI

(देखें अध्याय–2, पैरा–44)

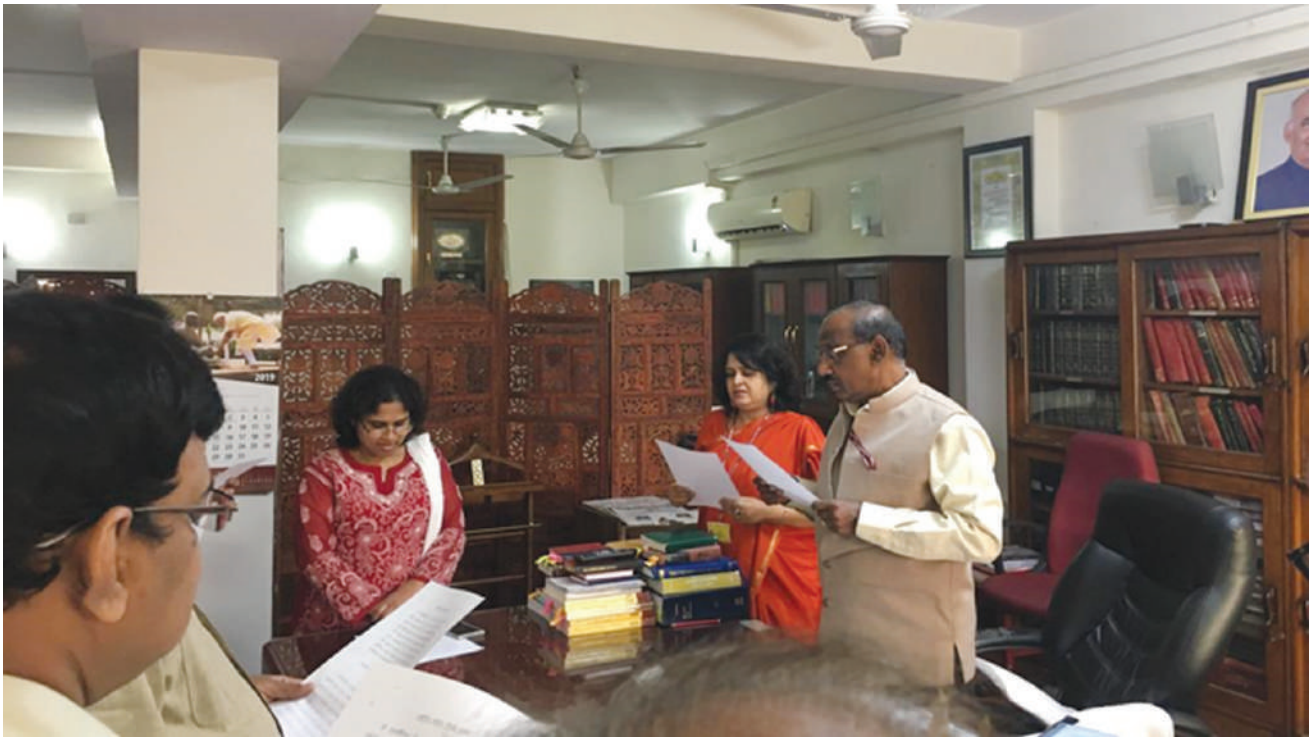

अनुबंध–XII

(देखें अध्याय–3, पैरा–1)

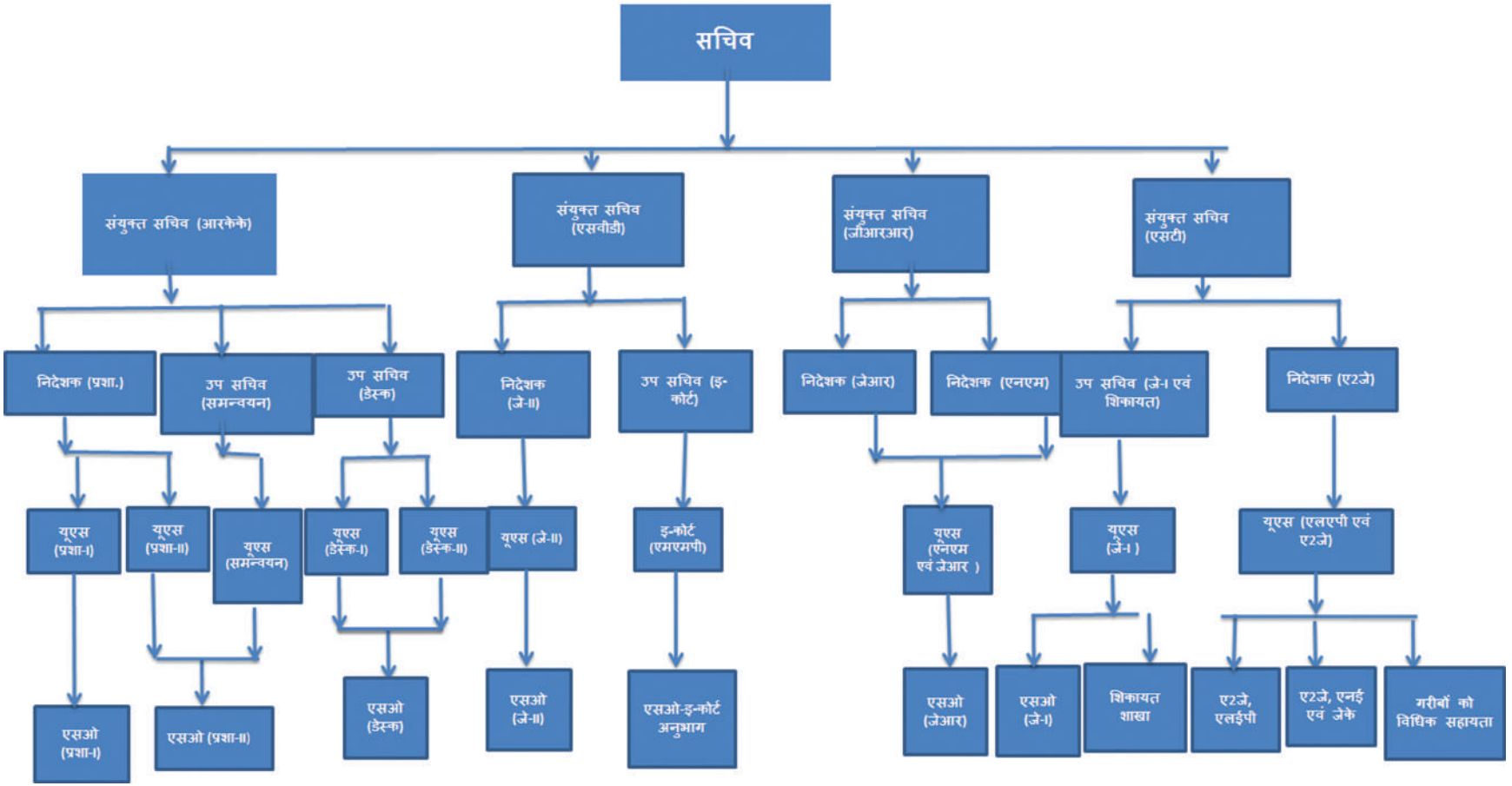

आरकेके : श्री राजिन्द्र कुमार कश्यप
एसवीडी : श्री सदानंद वसंत दाते

जीआरआर : श्री जीआर राघवेन्द्र
एसटी : श्रीमती सुषमा तायशेटे

अनुबंध–XIII

(देखें अध्याय–III, पैरा–18)

20.12.2019 की स्थिति के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पदों की राज्यवार नवीनतम रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पदों की कुल संस्वीकृत संख्या	कुल कार्यरत संख्या	कुल रिक्त पद
1.	अंडमान और निकोबार	0	13	–13
2.	आंध्र प्रदेश	597	529	68
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	27	14
4.	असम	441	412	29
5.	बिहार	1847	1161	686
6.	चंडीगढ़	30	29	1
7.	छत्तीसगढ़	468	394	74
8.	दादर और नागर हवेली	3	3	0
9.	दमन और द्वीप	4	3	1
10.	दिल्ली	799	681	118
11.	गोवा	50	43	7
12.	गुजरात	1506	1185	321
13.	हरियाणा	772	475	297
14.	हिमाचल प्रदेश	175	152	23
15.	जम्मू और कश्मीर	290	232	58
16.	झारखंड	677	462	215
17.	कर्नाटक	1345	1106	239
18.	केरल	536	461	75
19.	लक्ष्दीप	3	3	0
20.	मध्य प्रदेश	2021	1587	434

21.	महाराष्ट्र	2189	1942	247
22.	मणिपुर	55	39	16
23.	मेघालय	97	49	48
24.	मिजोरम	64	46	18
25.	नागालैंड	33	25	8
26.	ओडिशा	919	771	148
27.	पुडुचेरी	26	11	15
28.	पंजाब	675	579	96
29.	राजस्थान	1428	1121	307
30.	सिक्किम	25	19	6
31.	तमिलनाडू	1224	1087	137
32.	तेलंगाना	413	334	79
33.	त्रिपुरा	120	96	24
34.	उत्तर प्रदेश	3416	2012	1404
35.	उत्तराखंड	294	228	66
36.	पश्चिमी बंगाल	1014	920	94
		23597	**18237**	**5360**

Contents

S.No.	Chapter No.	Subject	Page No.
1.		Introduction and composition of the Ministry of Law and Justice	(i-ii)
2.	Chapter-I	Department of Legal Affairs	1-46
3.	Chapter-II	Legislative Department	47-92
4.	Chapter-III	Department of Justice	93-124
5.	Annexure-I	Organisation Chart of Department of Legal Affairs	125
6.	Annexure-II	Reports given by the 21st Law Commission to the Government of India	126-127
7.	Annexure-III	Total number of Employees of I.T.A.T. including SCs, STs, OBCs, Ex-Servicemen, PH	128-129
8.	Annexure-IV	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Department of Legal Affairs	130-133
9.	Annexure-V	Representation of female employees in Department of Legal Affairs	134
10.	Annexure-VI	Celebration of International Yoga Day	135
11.	Annexure-VII	Swachhta Pakhwada	136
12.	Annexure- VIII	Organisation Chart of Legislative Department	137
13.	Annexure-IX	No. of SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Physically Handicapped in Legislative Department	138
14.	Annexure-X	Representation of female employees in Legislative Department	139
15.	Annexure- XI	Swachhta Pledge of the Legislative Department	140
16.	Annexure-XII	Organisation Chart of Department of Justice	141
17.	Annexure-XIII	Subordinate Judiciary- Latest vacancy state wise report.	142

INTRODUCTION

Ministry of Law and Justice is the oldest limb of the Government of India dating back to 1833 when the Charter Act, 1833 was enacted by the British Parliament. The said Act vested legislative power in a single authority for the first time, namely the Governor General of Council. By virtue of this authority and the authority vested under him under section 22 of the Indian Councils Act, 1861 the Governor General in Council enacted laws for the country from 1834 to 1920. After the commencement of the Government of India Act, 1919 the legislative power was exercised by the Indian Legislature constituted thereunder. The Government of India Act, 1919 was followed by the Government of India Act, 1935. With the passing of the Indian Independence Act, 1947, India became a Dominion and the Dominion Legislature made laws from 1947 to 1949 under the provisions of section 100 of the Government of India Act, 1935 as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947. Under the Constitution of India which came into force on the 26th January 1950 the legislative power is vested in Parliament.

COMPOSITION OF THE MINISTRY

Ministry of Law and Justice comprises of the Legislative Department and the Department of Legal Affairs and Department of Justice. In so far as Department of Justice is concerned, a separate Chapter (Chapter III) has been brought out covering all details.

The Department of Legal Affairs is concerned with advising the various Ministries of the Central Government while the Legislative Department is concerned with drafting of principal legislation for the Central Government.

MISSION

To transform Government into an efficient and responsible litigant;

To bring reforms in the Indian Legal System to achieve expansion, inclusion and excellence in Legal Education, the Legal Profession and legal services, including the Indian Legal Service.

To develop a system towards creating legal professionals so that they can meet future challenges not only for India but also of the World both in litigation and non-litigation field and to focus on their social responsibility and strong professional ethics. Having constraints such as enormous litigation, consequent burden on the public exchequer or on resources including man power and need to confer wide discretionary powers on government authorities, our mission is aimed to have proper legal framework to channelize administrative power, conflict management, help in enforcing rule of law & achieving the objectives set by various wings of government.

OBJECTIVES

- To facilitate the functioning of Ministries and Departments for good governance by providing legal advice/opinion relating to matters referred to by them as well as examination of legislative proposals.
- To reform the Indian Legal Service to make it efficient, responsive and globally competitive.
- To develop a comprehensive e-governance solution for Central Agency Section IT enabled transformation of the Department of Legal Affairs.
- To reduce litigation and encourage settlement of disputes by Alternative Dispute Resolution (ADR) methods.
- To promote excellence in the Legal Profession and to develop a frame work to usher in a new era in the field of legal education.
- To bring in Legal reforms.
- To effectively administer the acts under the purview of this Department viz., the Advocates Act, 1961, the Notaries Act, 1952, the Legal Services Authorities Act, 1987 and the Advocates Welfare Fund Act, 2001.

CHAPTER-I
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
(VIDHI KARYA VIBHAG)

1. FUNCTIONS AND ORGANISATIONAL SET UP

1.1 The Department has been allocated the following items as per the Government of India {Allocation of Business} Rules, 1961:-

1. Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party.

2. Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.

3. Conduct of cases in the Supreme Court and the High Courts on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.

4. Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits for the execution of decrees of Civil Courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India intestate.

5. Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.

6. Indian Legal Service.

7. Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.

8. Law Commission.

9. Legal Profession including the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts.

10. Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of further powers; persons entitled to practice before the Supreme Court, references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.

11. Administration of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952)

12. Income-tax Appellate Tribunal.

The Department has also been allocated administration of the following Acts:-

(a) The Advocates Act, 1961

(b) The Notaries Act, 1952

(c) The Advocates' Welfare Fund Act, 2001;

In addition, the Commercial Courts Act, 2015 and the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 is also being administered by the Department.

1.2 The Department is also administratively in-charge of the Income Tax Appellate Tribunal and the Law Commission of India. The Department is also administratively concerned with all the matters relating to the Indian Legal Service. It is further connected with the appointment of Law Officers namely the Attorney General of India, the Solicitor General of India and the Additional Solicitor Generals of India. With a view to promote studies and research in law and for improvement in legal profession, this Department sanctions grant-in-aid to certain institutions engaged in these fields like Indian Law Institute and Bar Council of India.

2. ORGANISATIONAL SET-UP

The Department of Legal Affairs has a two tier set up, namely, the Main Secretariat at New Delhi and the Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bengaluru. The nature of duties discharged can be broadly classified into two areas- Advice work and Litigation work. The Organisational Chart of the Department of Legal Affairs is at **Annexure-I**.

(1) MAIN SECRETARIAT

(i) The set up at the Main Secretariat includes Law Secretary, Additional Secretaries, Joint Secretary and Legal Advisers and other Legal Advisers at various levels. The work relating to tendering of legal advice and conveyancing has been distributed amongst groups of officers. Each group is normally headed by an Additional Secretary or a Joint Secretary or a Joint Secretary and Legal Adviser, who, in turn, is assisted by a number of other Legal Advisers at different levels.

(ii) The litigation work in the Supreme Court on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India and some administrations of the Union Territories is handled by the Central Agency Section presently headed by an officer of the rank of Additional Secretary who is assisted by a Senior Government Advocate, two Additional Government Advocate, two Deputy Government Advocate, three Assistant Government Advocate, one Under Secretary, one Section Officer and other staff.

(iii) The litigation work in the High Court of Delhi and CAT (Principal Bench) on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India is processed by the Litigation (High Court) Section presently headed by a Deputy Legal Adviser.

(iv) The litigation work in the Subordinate Courts in Delhi is handled by the Litigation (Lower Court) Section presently headed by an Assistant Legal Adviser.

(v) The Department has a special cell, namely, Implementation Cell for dealing with the implementation of the recommendations of the Law Commission and the administration of the Advocates Act, 1961 and the Advocates Welfare Fund Act, 2015. It also deals with the legal profession. This Cell has also been entrusted with the work of coordination under the Right to Information Act, 2005.

(vi) There is one post of Joint Secretary & Legal Adviser each in Railway Board and Department of Telecommunications respectively and the incumbents to the posts function from the said offices. Presently, a Deputy Legal Adviser is functioning in Railway Board. One Assistant Legal Adviser functions from the Army Purchase Organisation under the Ministry of Defence. In addition, some posts of different levels such as Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser also exist in the Ministry of Defence, Ministry of Labour, Ministry of Urban Development, SFIO, NTRO and CBI.

(2) CREATION OF ILS

With the development of the society the legal profession underwent a metamorphosis and several attempts have been made for proper dispensation of justice and to cater the legal needs of the society. One such attempt made in 1956 to cater the needs of the Government qualitatively is creation of Central Legal Service (the forerunner of the present Indian Legal Service). The Government of India in the Ministry of Law and Justice established Indian Legal Service under the Indian Legal Service Rules, 1957, which came into force on the 1st October 1957. Since inception the officers of the Indian Legal Service have been rendering dedicated service to the nation by giving legal advice in important matters to various Ministries/Departments of the Government of India and drafting bills and ordinances which are introduced in Parliament. This service has given Governors to States, Secretary General to both the Houses of Parliament, Chief Election Commissioner and Election Commissioners, Judges to High Courts and Judicial Members to various Tribunals like CAT, ITAT, DRT etc. and Information Commissioner.

(3) ROLE OF ILS

The officers of the Indian Legal Service (ILS) manning the Department of Legal Affairs and Legislative Department being the principal legal organ of the Government of India have risen to the challenges and performed at optimum levels. The digital revolution has changed the dynamics of information sharing and the economy has created new areas of wealth creation. This necessitates the ILS officers to update the legal skill and acumen to cater to emerging legal needs. They being the Principal Legal Advisers to the Government have responded effectively and speedily to the demands made upon them by the various organs of the Government and play a pivotal role in both advisory as well as in drafting work.

3. ADVICE 'A' SECTION

Advice 'A' Section has received 3369 references from various Ministries/ Departments of the Government of India for vetting of Documents and Legal opinions/Advices on various issues (including references for advice received from the office of Law Secretary, Addl. Secretaries and Joint Secretaries) which were duly attended and the opinion tendered by the officers of this Department were forwarded to the respective Ministries/ Departments, for needful action. In addition, the officers of this Department also participated in various National/ International Meetings and Conferences.

2. Apart from tendering legal advice, this section has dealt with references and other communications received by the Hon'ble Minister and Officers of this Department.

3. 49 matters relating to RTI Application pertaining to the Advice A & B Sections were also dealt with.

4. 182 references relating to conveyancing including a number of international agreements were also dealt with.

5. During the aforesaid period, 162 Cabinet Notes and 77 references relating to State Bills and Ordinances were received for examination.

6. During the aforesaid period a total of 27 Public Grievances were dealt with by the Section.

4. ADVICE 'B' SECTION

Advice 'B' Section has received a total of 3480 references during the period from 01.01.2019 to 31.12.2019 from various Ministries/ Departments of the Government of India for vetting of Documents and Legal opinions/advice on various Legal issues which were duly attended to by Advice B Section

2. During the aforesaid period total 185 Cabinet Notes/Legislative Proposals, around 1255 SLPs/Litigation matters were received for examination/advice.

3. In addition to this, the officers of this Department have participated in 253 National/ International Meetings and Conferences.

4. This section has also dealt with references and official communications received by the Hon'ble Minister(s) office and officers of this department.

5. Further, 38 Parliament Question/Assurances were also dealt with.

5. JUDICIAL SECTION

1) Conduct of Central Govt. litigation before various courts of law through Law Officers/Panel Counsel:

a) Two Additional Solicitors General of India (ASGI) have been appointed while one ASGI has been re-appointed for the Supreme Court of India. ASGI for the High Court of Rajasthan and ASGI for Allahabad High Court have been re-appointed and resignation of ASGI for the High Court of Karnataka and High Court of Calcutta have been processed.

b) 07 new Assistant Solicitors General of India (Asst. SGIs) have been engaged one for each of the High Courts at Jammu, Indore, Amravati, Ernakulam, Patna and Hyderabad. Besides this the resignation of two Asst. SGI have been processed.

c) 684 panel counsel for the Supreme Court of India have been empanelled afresh.

d) 35 Sr. Arbitration Panel Counsel have been empanelled for conducting Arbitration cases before the Arbitrators in Delhi.

e) Good number of Advocates have been empanelled for conducting Central Govt. litigation before various Courts / Tribunals across the country. State-wise details, in this regard, are as under:

Sl. No.	State/UT	Total Number of Advocates empanelled in various categories
1.	Delhi	53
2.	Uttar Pradesh	174
3.	West Bengal	119
4.	Maharashtra	193
5.	Bihar	06
6.	Andhra Pradesh	15
7.	Punjab & Haryana	01
8.	Assam	50
9.	UTs of Jammu & Kashmir and Ladakh	46
10.	Jharkhand	66
11.	Kerala	69
12.	Madhya Pradesh	34
13.	Tamilnadu	29
14.	Odisha	01
15.	Rajasthan	250
16.	Uttarakhand	40
	TOTAL	**1146**

f). Resignations of 32 panel counsel, deletion of two names of panel counsel due to their death and removal of one panel counsel on account of misconduct, have been processed.

g). Proposals are received regarding separate panels of advocates for the specific representation of some particular Ministries / Departments / Boards for the approval of this Ministry.

h). Requests / proposals are received from a number of Ministries / Departments of the Government of India for the engagement of Law Officers (i.e. Attorney General for India, Solicitor General of India & Additional Solicitors General of India), of panel counsel and of private Advocates to represent them in various courts in the country on normal or special terms & conditions. During the said period, about 120 such proposals have been processed.

2) Clarification on various issues viz. terms of engagement of panel counsel, issues related to fee schedule etc.

Various issues are received from time to time regarding the terms & conditions of engagement of panel counsel, their fee schedule etc. During the said period, about 50 such clarifications have been issued.

3) Appointment/nomination of Arbitrators and Arbitration panel counsel in domestic as well International commercial disputes, involving Government/PSE on the one hand and PSE/ private party on the other:

Requests / proposals are received from various Ministries/Departments/PSE etc. regarding appointment of Arbitrators in their Arbitration cases arising out of dispute on various kinds of agreements with other parties. During the said period, total 4 (four) Arbitrators have been appointed in such matters. Besides this, requests are also received regarding engagement of Arbitration Panel Counsel to represent various Ministries / Departments in Arbitration cases. During the said period, in response to such requests, Arbitration panel counsel have been engaged in about 100 Arbitration cases.

4) Entering into Treaties and Agreements with foreign countries in matters of civil law:

a). Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, is the nodal Ministry for reciprocal arrangement with foreign countries. However, during the said period no such new arrangement was made.

b). Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs undergoes various agreements on legal co-operation under civil law with other countries. However, during the said period no such new agreement was signed.

5) Examination and processing of requests arising out of bilateral treaties in respect of service of summons etc. (Mutual Legal Assistance Treaties/reciprocal arrangements) and multilateral treaties (the Hague convention of 1965/1971):

M/o Law & Justice, Department of Legal Affairs is the Central Authority under Hague Convention, 1965 for service abroad of judicial & extra judicial documents in civil and commercial matters. Under this obligation, about 2500 requests have been processed.

6) RTI related work:

About 55 physically received RTI Applications have been processed. This section also deals with the online RTI applications and 141 such online RTI applications have been processed during the said period.

7) Public Grievances:

55 physically received public grievances/ representation have been processed. This section also deals with online public grievance on the PG portal and 99 such grievances / representations have been disposed of during the said period.

6. NOTARY CELL

The administration of the Notaries Act, 1952 and the Rules, 1956 framed thereunder comes under the purview of the Notary cell. The Notary Cell deals with examination/scrutiny of the memorials/applications received from different States/Union Territories in the country and processing of these memorials for appointment of Notaries. This Cell conducts inquiries into the allegations of professional misconduct on the part of the Notaries. The Notary Cell also renews certificates of practice of notaries, issued by the Central Government every five years. For sufficient reasons, it also grants extension of the area of practice to the notary public, on receipt of an application for the purpose.

In addition to the Notaries appointed earlier by the Central Government in various parts of the country, in this period, 8521 more Notaries were also appointed. 1062 Notary Certificates have been renewed during the period under consideration.

7. IMPLEMENTATION CELL

LAW COMMISSION REPORTS – Publication: The Implementation Cell is responsible for processing of reports of the Law Commission, laying them before the Parliament and forward reports to the concerned Ministries/Departments for their examination/implementation as well as pursues them for expeditious action. As per the terms of reference of the 20th Law Commission of India, the Commission submits its reports in Hindi and English with sufficient number of copies for being placed on Tables of both Houses of Parliament. The Commission also makes its reports available through website or otherwise as soon as reports are submitted to the Government. Therefore, the reports of the Law Commission are not published. Till 31.12.2019 the Law Commission of India has submitted 277 reports have been laid before both the Houses of the Parliament. All the reports received till 31.12.2019 had also been forwarded to the concerned Ministries/Departments for their examination/implementation or further action at their end. The Implementation Cell, in pursuance of the recommendations of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice, since 2005 has been continuously laying Annual statement showing the status of pending Law Commission Reports before both the Houses of the Parliament. The last of such Statement (14th Statement) was laid on the Table of both the Houses of Parliament (in Lok Sabha on 11.12.2019 and Rajya Sabha on 12.12.2019).

LEGAL EDUCATION: The Cell is responsible for further improvement in legal education.

ADMINISTRATION OF STATUTES: The Cell is also concerned with the administration of the following Acts :-

THE ADVOCATES ACT, 1961: The Advocates Act, 1961 ("Act") which was enacted to amend and consolidate the law relating to legal practitioners and to provide for the constitution of Bar Councils at State level and an All India Bar. The Act recognizes only one class of persons who are entitled to practice the profession of law in India, namely, advocates, vide its section 29. Section 30 of the Act, which was not in force, has been brought into force w.e.f. 15th June, 2011 (vide Notification No. S.O. 1349(E) dated 09.06.2011).

THE ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 2001: Social security in the form of financial assistance to junior lawyers and welfare schemes for indigent or disabled advocates has always been a matter of concern

for the legal fraternity. Certain States enacted their own legislation on the subject. The Parliament enacted "Advocates Welfare Fund Act, 2001" applicable to the Union Territories and the States which do not have their own enactments on the subject, for creation of "Advocates Welfare Fund" by the appropriate Government. This Act makes it compulsory for every advocate to affix stamps of the requisite value on every Vakalatnama filed in any court, tribunal or other authority. Sums collected by the way of sale of "Advocates' Welfare Funds Stamps" constitute an important source of the Advocates' Welfare Fund. Any practicing Advocate may become member of the Advocates' Welfare Fund on payment of an application fee and annual subscription. The Fund shall vest in and be held and applied by the Trustee Committee established by the appropriate Government. The Fund shall, inter alia, be used for making ex-gratia grant to a member of the fund in case of a serious health problem, payment of a fixed amount on cessation of practice and in case of death of a member, to his nominee or legal heir, medical and educational facilities for the members and their dependants, purchase of books and for common facilities for advocates.

8. RTI CELL

Under the provisions of the Right to Information Act, 2005 the RTI Cell acts as a nodal agency for RTI matters. The RTI Cell receives and thereafter forwards the RTI application to the concerned Central Public Information Officers/Public Authorities. It also coordinates follow-up action on Appeals/orders received from the Central Information Commission. The RTI Cell is also responsible for submission of quarterly return on RTI applications/Appeals to the CIC. The RTI Applications/Appeals received online on RTI Web Portal are also being forwarded online to the concerned CPIO/Public Authority and Appellate Authority.

2. Department of Legal Affairs has presently 11 CPIOs at the level of Deputy Secretary/Under Secretary and 7 Appellate Authorities at level of Additional Secretaries, Joint and equivalent Officers. The details of the RTI Applications/Appeals received from 01.01.2019 to 04.12.2019 are as follows:-

S.No.	RTI Matters	Total
1.	RTI Requests(received physically)	1094
2.	RTI request (received online)	1610
	Total RTI request	2704

S.No.	First Appeals	Total
1.	RTI First Appeals received online	101
2.	RTI First Appeals received physically	48
3.	Total First Appeals Disposed	72

S.No.	Second Appeals	Total
1.	Second Appeals before Hon'ble Central Information Commission	25

9. LIBRARY & RESEARCH SECTION

The Library and Research Section is a specialized research oriented unit which looks after the requirements of Legal Books/Journals/Online IP base Software's and other research materials of the Ministry of Law and Justice. This section provides reference and legal research services to the Hon'ble MLJ, MSLJ, Law Officers and ILS Officers of Department of Legal Affairs and Legislative Department.

2. During 01st April to 06th December 2019, Library and Research Section acquired 66 numbers of books and 1237 copies of Bare Acts.

3. The Library and Research Section subscribes to 16 Indian law Journals, 2 Foreign Law Journals.

4. The Library and Research Section has acquired/subscribed to the following Online Services/CD ROM for retrieval of Case Laws, Judgments and Articles etc. for the use of Officers of this Ministry.

a) AIR Comprehensive Software/Database

b) SCC online case finder.

c) SCC Online (IP) Services.

d) Manupatra Online (IP) Services.

e) Westlaw India Online (IP) Services.

f) CLA Online (IP) Services.

10. PROGRESSIVE USE OF HINDI IN OFFICIAL WORK IN THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

(1) The Department of Legal Affairs has taken following steps to implement various instructions issued by the Department of Official Language on the progressive use of Hindi for official purposes of the Union as contained in the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :-

A. Notification under the Rule 10(4) of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976 :

This Department was notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976 on 21-3-1980. All officers and employees proficient in Hindi to submit drafts etc. of all communications addressed to State Governments/Union Territories and to private individuals and also to Central Government offices located in Regions "A" and "B" and of communications in reply to letters etc., received in Hindi or signed in Hindi, including appeals, representations etc., from the employees only in Hindi.

B. ORGANISATION OF HINDI DAY/HINDI MONTH

With a view to accelerating the use of the Official Language and to increase the awareness of the employees as regards the Official Language policy and the various incentive schemes for using Hindi in official work, Hindi Day was celebrated in the Department on 14-9-2019. Hon'ble Minister for Law & Justice, Law Secretary and Rajbhasha Adhikari in their messages appealed to the officers and employees of the Department

to adopt Hindi in their day-to-day official work. Hindi Day message received from Hon'ble Home Minister was also circulated in the Department and its sub-ordinate offices. In order to make the various programmes organised in this connection effective, 'Hindi Month' was organised in the Department from 1.9.2019 to 30.9.2019. This was done with the twin objectives of (a) giving wider publicity to the various schemes and (b) generating maximum output in terms of work done in Hindi. This year, during the 'Hindi Month', 6 competitions viz, 'Hindi Essay Competition', 'Hindi Typing Competition', 'Translation Competition', 'Hindi Noting and Drafting Competition', 'Hindi dictation Competition' for group 'D' employees and LDC & court clerks, and 'Official work in Hindi' Competition were organised in the Department. 102 officers/ employees participated in these competitions. 'Hindi Day' was also celebrated in the Branch secretariats and other offices under administrative control of the Department. Various competitions were organised on this occasion and there is provision to give cash prizes to successful participants.

C. Implementation of orders relating to the Official Language.

A review of the check points for implementation of orders relating to the Official Language was made and orders for creation of adequate number of check points (eight) in accordance with Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976 were issued on 16-11-1994. The effectiveness of check points is regularly monitored through the quarterly progress reports received from sections/offices.

(1) In Sections / Units where the staff are proficient in Hindi, the use of Hindi in their day to day work is being encouraged. Work relating to grant of various types of leave is being done in Hindi. Almost all cases relating to House Building Advances, GPF Advances and Withdrawals etc. are also being processed in Hindi and orders are also being issued in Hindi.

(2) All general orders, notifications, resolutions and administrative reports etc. are invariably issued in bilingual form. All letters received in Hindi are invariably replied to in Hindi only. Strict vigilance is maintained to ensure that there is no violation of the relevant rules in this regard. The position in this regard is regularly monitored in the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee to be held in every quarter.

(3) Hindi specimen of standard drafts of letters sent frequently by various sections and all forms used in the Department has been translated into Hindi and it has sent to Central Translation Bureau for vetting so that employees can use them without any difficulty. Entries in service books are also being made in Hindi. All rubber stamps, name plates, sign boards etc., are invariably prepared in bilingual form.

(4) All the 247 computers in the Department are bilingual. Facility to work in Hindi is available on the computers provided to the officers and sections of the Department.

(5) Hindi/ Hindi Stenography/ Hindi Typing Training is being imparted to the employees of the Department and its sub-ordinate offices under the Hindi Teaching Scheme. Employees are awarded personal pay/ Advance increments/ Cash Awards etc. on passing the examination after successful completion of the training as per the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.

(6) In pursuance of the instructions of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and assurances given to the First Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language,

in order to review compliance of the statutory provisions relating to Official Language and discuss problems faced in this regard, an Inspection Team has been constituted in the Department of Legal Affairs under the chairmanship of Rajbhasha Adhikari for inspection of Sections, Branch Secretariats and Benches of ITAT and other offices under the administrative control of the Department.

(7) Presidential orders issued by the Department of Official Language on the recommendations contained in 9 parts of the Report of the Committee of Parliament on Official Language are being implemented in the Department and its sub-ordinate offices. The position in this regard is regularly reviewed in the meeting of the Departmental Official Language Implementation Committee to be held in every quarter.

(8) The meetings of Official Language Implementation Committee of the Department are held regularly. Rajbhasha Adhikari of the Department is the chairman of this committee and Deputy Secretary (Admn.), all USs and all Section Incharges and Branch Officers are members of this committee whereas Deputy Director (O.L.)/Assistant Director (O.L.) is the member secretary. In these meetings, Compliance Status of Quarterly progressive report and implementation of orders related to Official Language are reviewed. Minutes of the meetings are circulated to all concerned for follow-up action.

11. LITIGATION (HIGH COURT)

The Litigation (HC) Section handles the Litigation work in Delhi High Court on behalf of all the Ministries/ Departments of Govt. of India except for Railways and Income Tax Departments. Officer-in-Charge, assisted by Assistant Legal Adviser/Superintendent (L) and other staff, looks after the Litigation work as follows: -

(a) The cases dealt with and contested in Delhi High Court are generally related to: -

Civil and Criminal Writ Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India, Civil Misc. Applications, Division Bench Appeals, Company Applications, Execution Applications and Criminal Misc.

(b) And the cases dealt with and contested in Courts other than Delhi High Court are generally related to: -

National Consumer Dispute Redressal Commission, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, NCLT, NCLAT, Un-lawful activities (Prevention Tribunal), Debt Recovery Tribunal, Debt Recovery Appellant Tribunal, Immigration Appellate Committee, Appellate Tribunal for Electricity, Central Information Commission, District Consumer Form, NGT etc.

2. The Litigation work is dealt with by two Sections - Litigation (HC) Section 'A' and 'B' being supervised by Assistant Legal Adviser/Superintendent (L). Section 'A' deals with the advance notices pertaining to the Writ Petitions, Letters Patent Appeals (LPA), and Miscellaneous Petitions under Article 226 & 227 of the Constitution of India including matters of general natures. Section 'B' deals with the Original Revisions etc. and the Writ Petitions filed on behalf of the Union of India in the Hon'ble Delhi High Court. This Section also deals with in matters related to other Courts/ Tribunals as mentioned in para 1(b) above.

3. To conduct the Central Govt. litigation in the Hon'ble Delhi High Court, on the panel of Union of India, there is one Additional Solicitor General of India (ASG), 30 Central Government Standing

Counsel (CGSC), 235 Senior Counsel and 168 Govt. Pleaders (GP). For litigation in National Green Tribunal (NGT) there is one Senior CGSC and one Additional CGSC on the panel. For litigation in Armed Forces Tribunal there is a panel of 40 Government Counsel consisting of CGSCs, Senior Counsel and Central Government Counsel (CGC). In matters of public importance and also involving complicated questions of Law, one of the Law Officers namely- Attorney General of India/ Solicitor General of India/ Additional Solicitor General of India is engaged. Close liaison is being maintained with the concerned Departments and Counsel to safeguard the interest of Union of India (UOI) in the Hon'ble Delhi High Court. The Deputy Legal Adviser and other Officers keep a close watch over the progress of the cases at each stage.

4. During the period from 1.1.2019 to 19.12.2019 Litigation (HC) Section has engaged Law Officers and Govt. Counsel in 7468 cases to conduct the litigation in Delhi High Court and 2204 cases pertaining to Armed Forces Tribunal. Section wise details of receipt of cases for the calendar year 2019 (till date) as follow:-

SECTION	Cases received from1/1/2019 to 19/12/2019
A	6810
B	658
AFT Cell	2204
Total	9672

5. This Unit deals with the payment of professional fee bills of ASG and Govt. Counsel held on the panel of Union of India in Delhi High Court. This Spending Unit was allocated budget of Rs.9 Crore under the professional services head, for the financial year 2019-20. The funds were fully utilized and approximately 7500 professional fee bills to the tune of Rs.9 Crore were duly processed and paid to the concerned ASG and Govt. Counsel during the period from 01/4/2019 to 10/12/2019. A proposal for revision of estimates to the tune of Rs.11 Crore for 2019-20 has been submitted to the concerned authorities.

LITIGATION IN CAT (Principal Branch)

The Litigation CAT (PB) Delhi Cell looks after the Cases/Litigation work related to the Ministries and Department of UOI and nominate the Counsel from the approved panel to defend the interest of Ministries/ Departments of UOI in CAT (PB), Delhi. Panel lists are available on the website of Ministry of Law and Justice at:- *legalaffairs.gov.in/judicial.section*

2. During the period from 1.1.2019 to 19.12.2019, Litigation CAT (PB) Cell has engaged Govt. Counsel in 1584 cases to conduct the litigation in CAT (PB). Details of receipt of cases as follow:-

LITIGATION IN CAT (PB) DELHI

SECTION	Cases received from 1/1/2019 to 19/12/2019
CAT (PB) Cell	1584

12. LITIGATION (LOWER COURT) SECTION, TIS HAZARI

The Litigation work in the various District Courts as well as Consumer Forums/Tribunals in Delhi / New Delhi on behalf of all Ministries / Departments of Government of India except Railways and Income-tax Department is handled by Litigation (Lower Court) Section. The Litigation work, in the above said Courts / Tribunals are look after by an Assistant Legal Adviser & In charge assisted by Superintendent (Legal)/ Assistant(Legal).

2. There is a panel of Senior Panel Counsels and Additional Central Government Counsels are nominated for contesting the cases on behalf of Union of India, i.e. Government of India. On receipt of request from the Administrative Ministry / Department, action is taken to engage a suitable counsel to appear on their behalf in the Courts. During the period under report this Section engaged Counsels in 692 cases. Close liaison is maintained with various Department as well as Govt. Counsels at all times to safeguard the interest of the Government (Union of India) in the District Courts / Consumer Forums / Tribunals.

3. When cases are decided by the Hon'ble Courts, the Govt. Counsels have to submit their fee bill in a prescribed format. The fee bills are scrutinized very carefully, having regard to the terms and conditions of their appointment before certifying and making payment at the prescribed rates. The period under report this section received 712 fee bills from Government Counsel/Senior Panel Counsels. Finance Year 2019-20, this section has allocated budget of Rs. 1,33,00,000/-(One crore and thirty three lakhs). Out of this amount Rs. 66,33,307/- (Sixty six lakh thirty three thousand three hundred seven) has been paid to the Government Counsel/Senior Panel Counsel for their Professional Bills.

4. In order to keep pace with the development of Information Technology in the Judiciary especially at the level of District Courts / Sub-ordinate Courts and also to ensure effective functioning of Lower Court (Litigation) Section, a proposal for computerization of this Section was submitted to the Competent Authority along with the System-study Report conducted by the National Informatics Center (NIC) server of District and Session Court with the Litigation(LC) Section.

5. The Assistant Legal Adviser who is also the Branch Officer of this Section has been designated as Central Public Information Officer under the Right to Information Act, 2005.

13. CENTRAL AGENCY SECTION

Central Agency Section (CAS) was set-up in the year 1950. This office is responsible for conducting litigation before Hon'ble Supreme Court of India on behalf of all Ministries / Departments of the Central Government and also on behalf of National Capital Territory of Delhi, Union Territories, the office of the Comptroller & Auditor General of India and all field offices under CAG. Special Leave Petitions and Appeals in certain matters on behalf of Union of India are filed after obtaining opinion of Law Officers on the feasibility of filing Special Leave Petitions/Appeals in the Supreme Court through Central Agency Section. An officer of the level of Additional Secretary is functioning as In-charge of this Office and has been delegated the power of Head of Department. He is assisted by 6 Government Advocates and 3 Consultants (Advocates-on-Record). There are 672 Government Panel Counsels. The Central Agency Section functions from the Supreme Court Compound, New Delhi.

The functions of the Central Agency Section are as under:

- References of the Ministries/ Departments of Government of India received through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to obtain the opinion of Ld. Attorney General, Ld. Solicitor General and Ld. Additional Solicitor Generals.
- Engagement of Law Officers / approved Panel Counsels for various cases.
- Conduct and supervision of litigation on behalf of Union of India/ NCT of Delhi, C & AG and Union Territories in the Supreme Court of India.
- Supervision of Records, payment of fee bills of Law Officers, Panel Counsels, Computer Typists and Photocopy Machine Operators.

2. Government Advocates in the Central Agency Section require the qualification of Advocate-on-Record of the Supreme Court. They appear before the Supreme Court in matters pertaining to the Union of India, NCT of Delhi, C&AG and Union Territories as per the Supreme Court Rules.

3. As per computerized record of Central Agency Section during the period from 01.01.2019 to 05.12.2019, it has received 4709 new cases from various Ministries/Departments of Government of India, NCT of Delhi, CAG and Union Territories in which the Union of India or Union Territories are either petitioner or respondent.

14. BRANCH SECRETARIAT, KOLKATA

During 2019-2020, the Branch Secretariat, Kolkata is headed by Additional Government Advocate/Incharge who also functions as overall In-charge. It has eight wings viz. Advice, Administration, Cash & Accounts, Hindi, Counsel Fee Bill, Litigation, CAT/Lower Court and R & I Section. In addition, this Branch Secretariat has a Library containing more than 10293 books under the supervision of Assistant Legal Adviser.

2. The Litigation Wing of the Branch Secretariat, Kolkata looks after the entire litigation matters pertaining to the High Court at Calcutta both in the Original and Appellate Side. The Branch Secretariat, Kolkata is looking after the entire litigation matters pertaining to the High Court at Calcutta both in the Original and Appellate Side. The Branch Secretariat is looking after litigation for the Union of India in the High Courts including Circuit Benches at Port Blair, Jalpaiguri and Tribunals, District Forums, State Commissions and Lower Courts covering 12 States and one Union Territory. The Branch Secretariat also looks after the service matters relating to Central Government employees before the Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench as well as the other benches at Cuttack, Guwahati, Patna and Circuit Benches at Andaman & Nicobar Islands, CGIT, Arbitration, NGT, NCLT. Panel Counsel are also engaged to appear before the various Tribunals like NGT, CESTAT, State Consumer Forums and DRAT, DRT, Consumer Forum, Lower Courts etc. and in Arbitration matters before the Ld. Arbitrators on receipt of specific requests from Ministries/Departments concerned.

3. The Advice Wing of this Branch Secretariat renders legal advice and Litigation Wing conducts litigation pertaining to all the Ministries including the Income Tax Department, Enforcement Directorate, Ministry of Defence, Ministry of Home, Ministry of External Affairs and all other Ministries/

Departments having their offices at West Bengal, Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Andaman and Nicobar Islands and any other Autonomous bodies situated outside the Eastern Zone or being their headquarter i.e, Ordnance Factory Board is in Kolkata on receipt of references from concerned Departments/Ministries.

4. During 2019-2020 the Advice Wing is headed by the Additional Government Advocate. Total 883 numbers of references from various Ministries/Departments of Central Government have been received and dealt with by the Advice Wing up to December, 2019. Pleadings, Agreements/contracts filed in various Courts as well as before Central Administrative Tribunals are also vetted by this Branch Secretariat. Apart from this it is expected that the total number of references for advice received and dealt with during 2019-2020 (upto March 2020) will be around 1000.

5. In litigation wing, Government advocates who are regular employees act as Advocate-on-Records as well as Government Pleader within the meaning of Order-XXVII Rule 8B(a) of the Code of Civil Procedure, 1908 and get the matter heard/argued through a panel Counsel engaged for this purpose.

6. During 2019-2020, both the Additional Government Advocate and three Junior Central Government Advocate of this Branch Secretariat (two Junior Central Government Advocate with effect from 21.12.2019) act as Advocate-on-Records for and on behalf of the Union of India in the Calcutta High Court and also appear before the Court as Government Pleader. One Deputy Legal Adviser and one Assistant Legal Adviser are also posted to look after Advice and Litigation work.

7. The total number of High Court cases received/conducted by the Litigation Division of the Branch Secretariat, Kolkata during 2019-2020 up to December, 2019 were 2130 and the number of cases disposed of during the said period were 1476. Similarly, the number of litigation expected to be handled during the whole of 2019-2020 will be around 3000. The number of cases received in the Branch Secretariat, Kolkata for engagement on service matters before CAT, Calcutta Bench during 2019-2020 (up to December, 2019) was 482 and it is expected that total number of such cases will be around 630 during 2019-2020 (upto March, 2020). The number of cases in Courts below including arbitration cases handled during 2019-2020 (up to December, 2019) was 228 and it is expected that another 90 cases (approximately) will be received during the remaining period of 2019-2020 (upto March, 2020). The number of cases in other High Courts handled during 2019-2020 (up to December, 2019) was 67 and it is expected that another 30 cases (approximately) will be received during the remaining period of 2019-2020 (upto March, 2020).

8. Branch Secretariat, Kolkata has Appellate Authority (Additional Government Advocate), CPIO and ACPIO to deal with the RTI matters. During 2019-2020 total 17 RTI references are received till December, 2019 and duly disposed of within stipulated time.

9. During 2019-2020 claims of the professional fee bills submitted by the panel counsel have been speedily processed and of the sanctioned Budget Estimates of Rs.3,00,00,000/- (Rupees three crores only) for payment towards Professional Fees to the Counsel, an amount of Rs.2,80,61,067/- (Rupees two crore eighty lakh sixty one thousand sixty seven only) have been utilised to make payments to them till December, 2019 for the cases relating to High Court at Calcutta. An additional amount of Rs.1,00,00,000/- (Rupees one crore only) has been sought in the Revised Estimates

2019-2020 which along with the remaining amount of the budget will be paid in the next three months of 2019-2020.

10. The Hindi Section is under the supervision of the Deputy Legal Adviser with the assistance of Junior Translation Officer for enhancing use of Hindi as official language in this Branch Secretariat. During April, 2019 to December, 2019 quarterly meetings of Rajbhasha Coordination Committee has been organised regularly and Hindi workshops were also organised regularly. Employees are regularly deputed for training in Hindi under training of Central Teaching Scheme. Reference matter has been prepared and distributed among Sections for doing work of regular nature in Hindi. 'HINDI PAKHWADA' was also celebrated in this Branch Secretariat with great enthusiasm during September 2019. During 'HINDI PAKHWADA' eight competitions were organised and the winners were granted prizes along with certificates. Required reports are forwarded on regular basis in the prescribed proforma to Main Secretariat. Many other official programmes like 'Swachchta Pakhwada' was celebrated in 'Hindi'. The telephone directory, various stamps, the statement regarding earned Leave, Half Pay Leave and Commuted Leave of the Branch Secretariat, Kolkata have been made 'bi-lingual'. All documents under Section 3(3) of Official Language Act are issued bilingual. In the 55th meeting of Kolkata Town Official language Implementation Committee' two employees of the Branch Secretariat, Kolkata have been awarded second and third prizes for their literary work published in 'Swarnima 2017-2018'.

11. Various accounts and budget related work in the Branch Secretariat, Kolkata are being done online using various software provided by NIC and also using the portal based payment system 'PFMS' developed by NIC. All payments to employees, Government Counsels and other service providers are being made online through PFMS portal. Further the tax deducted at source is being intimated to the Income Tax Department online in electronic format 24G every month. Subsequently quarterly return of TDS are also been prepared in electronic format 24Q and 26Q and submitted to the Income Tax Department through TIN facility centre through CDs. New format in respect of GST-TDS is deducted and a return is filed to the GST authority. Periodicals reports are directly submitted to Pay & Accounts Office online. In addition information regarding licence fee payment for Government quarters is also required to be sent online to the Directorate of Estates using Government Accommodation Management System (GAMS). For procurement of Goods and stationery Government e-procurement website https://gem.gov.in is being used extensively. New pension cases are being processed through 'Bhavishya' online portal.

12. The Branch Secretariat, Kolkata have a Local Area Network connected with each Section/ Officer's room. Almost all the Computers in the Branch Secretariat, Kolkata now have internet connection. A leased line from 'Bharat Sanchar Nigam Limited' is being acquired for implementation of e-Office.

13. Under the supervision of Assistant Legal Adviser, the Library of this Branch Secretariat, Kolkata, containing more than 10293 books and journals, is proving its worthiness and is very helpful for use in Litigation and also adhering advice. The journals/books are also being utilised by the Counsels while conducting cases. Online legal library 'Manupatra' and 'SCC Online Law Journal' have also been subscribed by this Branch Secretariat.

14. The Aadhar based Biometric Attendance System is in operation in this Branch Secretariat. Another biometric attendance system is in operation since 12th April, 2011 before the introduction of Aadhar Based Biometric system.

15. The software 'LIMBS', developed by NIC, is also functional in the Branch Secretariat, Kolkata. The matters pertaining to Ministry of Law duly updated by Litigation section. The programme is proving very useful in monitoring the litigation and bringing down costs as well. In this regard it is stated that to reduce the paper work and ease the functioning of litigation work and records, Branch Secretariat, Kolkata has entered list of cases from 2005 onwards, pertaining to High Court, in the Computers allotted to different Sections.

16. International Yoga Day was observed in the Branch Secretariat, Kolkata with much enthusiasm on 21st June, 2019.

17. The last audit of the Branch Secretariat, Kolkata was conducted by an Audit Party from the Office of the Director General of Audit: Central, Kolkata with effect from 01.04.2016 to 31.03.2018. Six audit objections were made during the course of periodical inspection of accounts by the Audit Party. Action has already been taken and intimated to the Audit to drop the paras of audit objection.

Details of outstanding Audit Objections during 01.04.2016 to 31.03.2018 for the Branch Secretariat, Kolkata

Sl. No.	**Paras/Queries up to 31.03.2018**	**Subject in brief**	**Action taken for settling the paras as in Col.2**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Para 2.1 of Audit Report	Observation on implementation of LIMBS	Action taken and reply furnished to Audit.
2	Para 2.2. of Audit Report	Irregularity in tendering of Security Services	Action taken and reply furnished to Audit.
3	Para 2.3 of Audit Report	Observation on outsourcing of services	Action taken and reply furnished to Audit.
4	Para 2.4(i) of Audit Report	Observation maintenance of Assets- Physical verification of fixed assets	Action taken and reply furnished to Audit.
	Para 2(4)(ii) of Audit Report	No requisite certification on paid vouchers	Action taken and reply furnished to Audit.
5	Para 2.1 of Audit Report	Irregularities in payment towards Journey by owned/Arranged/Private Vehicle amounting to 0.33 lakh	Action taken and reply furnished to Audit.
6	Para 2.2. of Audit Report	Short deduction of Licence Fee amounting to 0.06 lakhs	Action taken and reply furnished to Audit.

18. Cleanliness Drive under 'Swachch Bharat Abhiyaan' is being continued in the Branch Secretariat, Kolkata as a regular process. A Committee headed by Assistant Legal Adviser has been constituted for supervision of cleanliness drive and weeding out of old records. 'Swachchta Pakhwada' has been observed during 1st to 15th April, 2019. This Branch Secretariat has got a cleaner and beautiful look due constant endeavour of Officers and members of staff and is continuing process of its further betterment.

15. BRANCH SECRETARIAT, BENGALURU

The Branch Secretariat has jurisdiction over the States of Karnataka and Andhra Pradesh in handling litigation and advice of various Central Government Departments/Ministries. Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat, Bengaluru.

ADVICE: The Branch Secretariat renders legal advice to all the Central Government Departments and offices located in the States of Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. 641 references were received during the period 01.01.2019 to 09.12.2019 for advice and about 215 advice cases are expected for the remaining period upto 31.03.2020. The advice work includes scrutiny and vetting of pleadings i.e., statement of objections, counter affidavits to be filed before the High Courts i.e., High court of Karnataka, Bangalore, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga and High court of Andhra Pradesh, Amaravathi/High Court for the State of Telangana at Hyderabad respectively, reply statement filed before Central Administrative Tribunal, written statement, counter affidavits, counter statements, versions filed before District Courts, Subordinate Courts and various other Tribunals.

Examined the feasibility of filing SLP, Appeals, review etc. interpretation of laws guiding Departments on legal sustainability of their action and holding discussions with the administrative Departments, whenever necessary.

LITIGATION: The Branch Secretariat supervises the entire litigation of the Central Government Departments and offices in the High court of Karnataka, Bangalore, Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad & Gulbarga and High Court of Andhra Pradesh Amaravathi/High Court for the State of Telangana at Hyderabad, Subordinate Courts located at Bengaluru and twin cities of Hyderabad and Secunderabad and CAT Benches in both the States. This Branch Secretariat also looks after the work of Government litigation in the District Consumer Dispute Redressal Fora, the State Consumer Redressal Commissions of the States, Central Govt. Industrial Tribunal and Debt Recovery Tribunal. 4295 litigation matters, which include nomination of counsel, counsel fee bills and general correspondence relating to litigation, were received during the period 01.01.2019 to 09.12.2019 and about 1415 litigation matters are expected for the remaining period upto 31.03.2020. The function of the Branch Secretariat in this regard includes engagement/ nomination of the Counsel and distribution of cases among the Central Government Counsel.

COUNSEL'S FEE BILLS: This Branch Secretariat itself processes counsel fee bills and pays the fees directly from its centralized funds to the Assistant Solicitor General of India and Central Government Counsel in the High Court of Karnataka, Bengaluru. 766 fee bills were received during the period from 01.01.2010 to 09.12.2019 and about 215 fee bills are expected for the remaining period upto 31.03.2020. So far as the Circuit Benches of High Court of Karnataka at Dharwad and Gulbarga are concerned, the counsel fee bill is borne by the Department concerned on whose behalf the Counsel conducts the cases and not by the Branch Secretariat, Bengaluru. The Departments concerned pay the fee for Central Government panel

Counsel in CAT, District and subordinate Courts. Hence this Branch Secretariat is not certifying counsel fee bills. However, this Ministry clarify as and when requests are received.

MANAGEMENT OF UNDERTAKINGS OF ICDAR REGIONAL CENTRES

The Competent Authority in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, New Delhi has authorized DLA & In-charge to take charge of the ICDAR Regional Centers located at Bengaluru and Hyderabad and to secure the possession of the said undertakings and to make a complete inventory of all their properties and assets pertaining to undertakings bide letter dated 16.07.2019.

SWATCH BHARAT MISSION

Swachchta Pakhwara observed during the period from 01.04.2019 to 15.04.2019 in a befitting manner by adhering to the objectives behind the Swachh Bharat Mission of the Government.

INTERNATIONAL YOGA DAY

Observed 4th International Yoga Day in a befitting manner on 21.06.2019.

CELEBRATION OF VIGILANCE AWARENESS WEEK

Celebrated Vigilance Awareness Week in a befitting manner from 28th October, 2019 to 02nd November, 2019 the theme "Integrity – A way of life".

OFFICIAL TOURS

i) DLA & In-Charge attended a meeting with Union Law Secretary and other senior officers in Delhi during the period 14.07.2019 to 17.07.2019 to discuss the issue of taking over of the Regional Centres of ICDAR at Bengaluru & Hyderabad and other administrative issues.

ii) DLA & In-Charge visited Hyderabad during the period 23.10.2019 to 26.10.2019 in connection with the taking over of the Regional Centre of ICDAR, Hyderabad.

16. BRANCH SECRETARIAT, CHENNAI

Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat at Chennai.

ADVICE: The Branch Secretariat renders legal advice to all Central Government Offices located in the States of Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Puducherry. Around 955 references have been received for advice and disposed of.

LITIGATION: The Branch Secretariat, Chennai looks after the entire litigation work of Central Government (except cases relating to Railways, Income-Tax, Central Excise and Customs, etc.) in the High Court of Madras, Madurai Bench of Madras High Court and High Court of Kerala. It also looks after the Central Government litigation work in the City Civil Courts, Presidency Courts of Small Causes, Subordinate Courts, Tribunals, Consumer Fora, etc. in Tamil Nadu and Kerala. Besides, the Branch Secretariat, Chennai has also been entrusted with the work of Central Government litigation before the Madras Bench of Central Administrative Tribunal at Chennai and Ernakulam Bench of Central Administrative Tribunal in Kerala. During the given period about 7100 litigation matters received and disposed of accordingly which include

receipts, fee bills and files opened regarding High Court/CAT/LC etc.

The Branch Secretariat keeps the Ministries and Departments of the Central Government informed about the important developments of their cases as well as the results of the litigation with suitable advice for further action, if required. Pleadings, affidavits etc., to be filed in the Courts/ Tribunals / Consumer Fora / Arbitration matters in Tamil Nadu and Kerala are scrutinized and vetted at the draft stage. Functions of Branch Secretariat, Chennai also include engagement / nominations of the Counsel and collection of materials from the Central Government Departments involved in the cases for being passed on to the Counsel after necessary scrutiny of the documents from the legal angle.

COUNSEL FEE BILLS: The Branch Secretariat itself makes payment of professional fees directly from its funds to the Additional Solicitor General of India, Assistant Solicitor General, Senior Panel Counsel and the Central Government Standing Counsel in respect of cases before the Madras High Court and Madurai Bench of Madras High Court. During the given period around 1928 bills were received and an amount of Rs. 2,23,23,155/- was paid towards settlement of fee bills of the counsel of High Court, Madras and Madurai Bench of Madras High Court. Fee Bills preferred by the Central Government Counsel for appearance before the Central Administrative Tribunal and Subordinate Courts are scrutinized / certified and sent to the Departments concerned for payment.

MEETING OF CENTRAL GOVT. COUNSELS

Deputy Legal Adviser conducted review meeting with Counsel periodically to monitor the conduct of Central Govt. Litigation and to ensure that Central Government cases do not go unrepresented. Counsel is also instructed to bring to the notice of the Ld. ASG/Law Ministry regarding Orders passed by Courts that have all India ramifications/financial implications.

Celebration of 5th 'International Day of Yoga' on 21st June, 2019

The 5th 'International Day of Yoga' was celebrated on 21st June, 2019 in this Branch Secretariat. A yoga session of two hours was conducted by a faculty of Krishnamachari Yoga Mandiram, Chennai on 19th & 21st June, 2019 and all officers and staff of this Branch Secretariat participated.

Observance of 'Hindi Month' in September 2019

In accordance with directives of Department of Official Language, Main Secretariat, Hindi Month was observed in September 2019. In order to encourage usage of Hindi in day-to-day official work, various competitions were conducted under the guidance of Deputy Director, Hindi Teaching Scheme, Chennai. All officers/officials of Branch Secretariat participated enthusiastically in these competitions and other related activities. During the prize distribution function, the Deputy Legal Adviser/In-charge, Branch Secretariat and the Deputy Director, Hindi Teaching Scheme provided valuable suggestions to improve usage of Hindi.

Observance of 'VIGILANCE AWARENESS WEEK'

As per CVC guidelines, 'VIGILANCE AWARENESS WEEK' was observed in this Branch Secretariat from 28th October to 1st November, 2019 with the theme, 'Integrity – A way of life'. In this regard, 'Integrity pledge' was administered to all officials of this Branch Secretariat by the Deputy Legal Adviser/In-charge on 28th October, 2019.

'Swachcha Bharath' Mission

The Deputy Legal Adviser & Incharge of this Branch Secretariat has been periodically monitoring and inspecting cleanliness activities of the office.

Retainer Fees

Out of its allotted funds, the Branch Secretariat has been entrusted with the job of making payment of Retainer Fee to Standing Government Counsel of district & subordinate courts in Tamil Nadu. An amount of Rs. 23,04,000/- has been paid towards Retainer fees during 01-01-2019 to 30-11-2019. Payment is made on a quarterly basis to all counsel.

Implementation of e-office

This office had already initiated correspondence with NIC, Chennai and BSNL, Chennai for provision of necessary pre-requisites towards implementation of e-office in this Branch Secretariat. E-payment of all bills including fee bills are being made and directly credited to concerned Counsel. Further, necessary modifications have been incorporated in the 'Litcase' software under the guidance of concerned NIC personnel, so that information/data related to Fee Bill receipts and their disposal are duly updated.

RTI receipts

During the period 01-01-2019 to 30-11-2019, 41 online RTI applications were received and disposed; 06 RTI applications were physically received (by post) and disposed; and 03 RTI appeals were physically received (by post) and disposed.

17. BRACH SECRETARIAT, MUMBAI

ORGANIZATION:

The Ministry of Law & Justice has been basically divided into two sets, i.e. the Main Secretariat and its Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bengaluru.

As far as the work handled by Mumbai Branch Secretariat is concerned, it includes tendering of legal advice, handling of litigation work pertaining to Bombay High Court, litigation pertaining to other subordinate courts which falls under the entire Western Region consisting of Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Goa States and the administration of the Branch Secretariat.

The Additional Govt. Advocate, at present, is the overall In-charge of the Branch Secretariat. One Additional Govt. Advocate, One Sr. PPS, One Assistant Legal Adviser, Four PSs & Two Superintendent (Legal) are assisting the Additional Govt. Advocate in handling the advice, litigation and administrative matters of the Branch Secretariat. The Section Officers assist the Additional Govt. Advocate in the Administration and Accounts matters.

In addition to the above, the work of the Branch Secretariat is bifurcated into separate sections for its smooth functioning, i.e. Advice Section, Misc. Original Side Litigation Section consisting of erstwhile Misc. Original Side Litigation, Arbitration, Suits, Land Acquisition References, Company matters and cases pertaining to DGFT/FERA/FEMA in Original Side as well as Appellate Side and Appellate Side Litigation

Section consisting of Misc. Appellate Side Section and Criminal Side Matters. Each Section is headed by a senior Officer of this Branch Secretariat who is assisted by an officer.

There are one Assistant(Legal), two Assistant Section Officers (CSS), three Senior Court Clerk Grade-I, two Senior Court Clerk Grade-II and two Court Clerks, who assist the Officers in discharging their duties.

FUNCTIONS & DUTIES:

The Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Mumbai renders advice to various Ministries/Departments of Government of India on receipt of the respective references by it on different kinds of legal matters and attends to the litigation work of the Central Government in Bombay High Court, C.A.T., National Company Law Tribunal other Tribunals and before all the Subordinate Courts of entire Western Region. The entire work is performed by its Officers under the guidance of the Additional Government Advocate/In-charge of this Branch Secretariat. This Branch Secretariat is always guided by the Hon'ble Law Secretary.

LEGAL ADVICE:

The references received from various Ministries/Departments of Central Government seeking legal advice are examined at the first instance by the Superintendent (Legal) and thereafter put up to the Additional Government Advocate/In-charge who in turn mark the cases as per extant work allocation Order. If required, the advice matters are also referred to the Ld. Additional Solicitor General of India for his expert opinion.

As far as the current year is concerned, this Branch Secretariat has received about 3437 cases being reference seeking advice and this Branch Secretariat has disposed 3360 cases and 77 cases is pending on date.

LITIGATION:

The litigation of this Branch Secretariat is headed by the Additional Government Advocate/Incharge, Additional Government Advocate, Assistant Legal Adviser(s) and Superintendent (Legal) in discharging the duties and in handling the litigation matters filed in Bombay High Court either filed by the Government of India or against it. So also, the litigation pertaining to Sub-ordinate Courts is handled by the Branch Secretariat. Wherever necessary the litigation is handled through the Advocates/Counsel appointed/empanelled on the Panel of Government of India for Bombay High Court on its Ordinary Original Civil Jurisdiction, Appellate Jurisdiction & Criminal Jurisdiction and through other Counsel empanelled on different Panels appearing before the different Courts of law.

As far as in calendar year 2019 is concerned, this Branch Secretariat has received about 1387 cases in different litigation sections. The Counsel were engaged for protecting the interest of Government of India involved in the matter through different Central Government Ministries/Departments and on or about 740 litigation cases have been disposed of before the Hon'ble High Court and 647 cases is pending on date.

ADMINISTRATION:

The Additional Government Advocate/In-charge is the head of the Administration of the Branch Secretariat, Mumbai. He is normally assisted by DDO, Section Officer and Assistant Section Officers in

handling the day-to-day administrative matters of the Branch Secretariat.

OFFICIAL LANGUAGE:

The Additional Govt. Advocate & In-charge of this Branch Secretariat also works in the capacity of "Vibhagiya Rajbhasha Adhikar" and other officers nominated by him work for promotion and maximum usage of Official Language in the Branch Secretariat. A "Rajbhasha Samiti" is constituted in this Branch Secretariat with Sh. A. A. Ansari, Additional Govt. Advocate as Chairman. The Committee is submitting the periodical Reports to the In-charge.

18. LAW COMMISSION OF INDIA

The Law Commission of India is constituted normally every three years with definite terms of reference to work for Law Reforms. The Twenty-First Law Commission of India was the last Law Commission constituted for a period of three years from 1st September, 2015 to 31st August, 2018. The 21st Law Commission consisted of a Chairman, two full-time Members, one Member-Secretary, two Ex-officio Members and three Part-time Members. The Commission consists of Law Officers of Indian Legal Service. A small group of secretarial staff looks after the administration.

Terms of Reference:

The Terms of Reference of the Twenty-first Law Commission consisted the following:

A. Review/Repeal of obsolete laws:

i. Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed.

ii. Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalization and need change.

iii. Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment.

iv. Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them.

v. Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department.

vi. Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law.

B. Law and Poverty:

i. Examine the Laws which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations.

ii Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor.

C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure:

i. Elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair.

ii. Simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice.

iii. Improvement of standards of all concerned with the administration of justice.

D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble to the Constitution.

E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto.

F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities.

G. Recommend to the Government measures for making the statute book up-to-date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility.

H. Consider and to convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs).

J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalized.

Encouragement to students:

The Commission conducts voluntary internship programmes, viz., Summer Internship Programme and Winter Internship Programme. The internship programme is conducted by the Law Commission with a view to train and inculcate orientation in legal research and law reform amongst law students to have better understanding of Law in its making and establishment of the Rule of Law.

Objectives & Achievements:

The Law Commission of India has submitted 277 Reports so far on different subjects. The 21st Law Commission had taken up various subjects on references made by Department of Legal Affairs, Supreme Court and High Courts and submitted Fifteen Reports including a Report on the draft National Litigation Policy 2016. Reports given by the 21st Law Commission to the Government of India are at **Annexure II**.

Visit of Foreign Delegations:

The 21st Law Commission held discussions with the delegations from United States of America and with the

German delegation on law reforms and strengthening of the rule of Law.

Follow-Up:

The Reports of the Law Commission are laid in Parliament from time to time by the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice and forwarded to the concerned administrative Departments/Ministries for implementation. They are acted upon by concerned Departments/ Ministries depending on the Government's decision. Invariably, the Reports are cited in Courts, Parliamentary Standing Committees, in academic and public discourses.

19. STEPS TAKEN FOR STRENGTHENING THE ARBITRATION MECHANISM

The Central Government had amended the Arbitration and Conciliation Act, 1996, by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015, inter-alia, in order to make arbitration process user friendly, cost effective and expeditious. However, some practical difficulties in applicability of the amendment Act have been brought to notice of the Department of Legal Affairs. Further, it was felt that there is need to strengthen institutional Arbitration mechanism in the country. In this regard, a High Level Committee under the Chairmanship of Justice B. N. Srikrishna, Retired Judge, Supreme Court of India, was constituted by the Central Government to review the institutionalization of arbitration mechanisms in India and submit a Report on suggested Reforms. The Committee submitted its Report on 30th July, 2017 and recommended some amendments in the Act.

Taking in to the consideration of the recommendation of the Committee, the Government has brought the following legislations:

(A) The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019: The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 has been notified in the Gazette of India on 26.07.2019. The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 provides the following:-

- Establish a new institution to be called the New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) for better management of arbitration in the country and to declare it an institution of national importance.
- To take over International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) without interfering with the activities and without adversely affecting the character of ICADR as a Society.
- NDIAC will be a seven member body to be headed by a Former Judge of Supreme Court or a High Court or an eminent person.
- Appointment of persons of repute and having knowledge and expertise in institutional arbitration as Chairperson and Members of the NDIAC.
- NDIAC would bring in targeted reforms to develop it as a flagship institution for domestic and international arbitration.
- NDIAC will also conduct arbitration in a professional manner in the most cost effective way.
- To set up an Arbitration Chamber, which would empanel professional arbitrators at national and international level.

- An Arbitration Academy to be set up by NDIAC to train arbitrators in India, so as to empower them to compete on par with reputed arbitral institutions.

(B) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019: The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 has been notified in the Gazette of India on 09.08.2019. The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 seeks to achieve the following:

- Creation of an arbitral institution namely the Arbitration Council of India (ACI) which will grade arbitral institution.
- ACI will be a seven member body to be headed by a Former Judge of Supreme Court or a High Court or an eminent person.
- Appointment of persons of repute and having knowledge and expertise in institutional arbitration as Chairperson and Members of the ACI.
- ACI will perform the following functions and duties:
    - o recognise professional institutes providing accreditation of arbitrators;
    - o hold training, workshops and courses in the area of arbitration in collaboration of law firms, law universities and arbitral institutes;
    - o promote institutional arbitration by strengthening arbitral institutions;
    - o conduct examination and training on various subjects relating to arbitration and conciliation and award certificates thereof;
    - o establish and maintain depository of arbitral awards made in India;
    - o make recommendations regarding personnel, training and infrastructure of arbitral institutions; and
    - o such other functions as may be decided by the Central Government.
    - o maintain an electronic depository of all arbitral awards.
- Amended sub section (1) of section 29A by excluding International Arbitration from the bounds of timeline and further to provide that the time limit for arbitral award in other arbitrations shall be within 12 months from the completion of the pleadings of the parties.
- Inserted a new section 42A which provides the arbitrator and the arbitral institutions shall keep confidentiality of all arbitral proceedings except award. Further, a new section 42B protects an Arbitrator from suit or other legal proceedings for any action or omission done in good faith in the course of arbitration proceedings.
- Inserted a new section 87 which provides to clarify that unless parties agree otherwise the Amendment Act 2015 shall not apply to (a) Arbitral proceedings which have commenced before the commencement of the Amendment Act of 2015 (b) Court proceedings arising out of or in relation to such arbitral proceedings irrespective of whether such court proceedings are commenced prior to or after the

commencement of the Amendment Act of 2015 and shall apply only to Arbitral proceedings commenced on or after the commencement of the Amendment Act of 2015 and to court proceedings arising out of or in relation to such Arbitral proceedings. However, section 87 has since been struck down by the Supreme Court in the case of Hindustan Construction Company Vs. Union of India and Ors.

20. INDIAN LAW INSTITUTE (ILI)

Introduction: ILI is a Premier Legal Research Institute founded on 27th December, 1956. The prime objective of the Institute is to promote advanced studies and research in law and to contribute substantially in reforming the administration of Justice, so as to meet the socio economic aspirations of the people through law and its instrumentalities. The Institute got the status of Deemed University in the year 2004. The Institute got its first ever accreditation with 'A' grade by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) during March, 2017 with a CGPA of 3.35 on a 4.00 point scale. The Institute conducting Masters in Law and Doctoral courses as well as few PG Diploma Courses in various areas of law, i.e., Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws.

Academic Programmes: After the declaration as Deemed University in 2004, the institute launched research oriented LL.M. programme. The admission to LL.M. programme is strictly on merit in Common Admission Test (CAT) conduct every year and Personal Interview. Presently the following programmes are conducted by the Institute:

Programme(s)	**Students Enrolled in academic session 2019-20**
LL.M.- 1 Year (Full Time)	36
P G Diploma Courses(Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws)	265
Ph.D in Law	4
Total No. of Students	305

- The Institute has a Ph.D. programme. There are 29 scholars enrolled as on date.
- E Learning courses of three months duration on "Cyber Law" (33rd batch) and "Intellectual Property Rights and IT in the Internet Age" (44th batch) was completed on August 21, 2019.
- 96 students were enrolled for the 34th batch of online certificate course in Cyber Law and 53 students were enrolled for the 45th batch of online certificate course in IPR.

Activities of the Institute:

- 47 Foreign Parliamentary Officials from 20 countries led by Bureau of Parliamentary Studies and Training (BPST), Lok Sabha Secretariat visited the Institute on September 30, 2019 and an interactive discussion over Parliamentary Democracy in India was held with the ILI Faculty Members.

- The Indian Law Institute organized a One Day National Seminar on "Exploring Disability Rights Paradigm in India" on Saturday, September 28, 2019 at ILI.
- The ILI organised a visit of officials from office of the Attorney general of Nepal on August 25-28, 2019 for upgrading their knowledge on Attorney system in Indian Legal System. The visit covered wider aspects relating to Criminal Justice System in India.
- The Human Rights and Business Academy (HURBA) in collaboration with the Indian Law Institute will organize an intensive certificate course on "Business and Human Rights" from July 8-12, 2019.
- The International Yoga Day was celebrated at the Indian Law Institute on June 21, 2019.
- The Indian Law Institute along with Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab, Maharashtra, National Law University -Nagpur, Himachal Pradesh, National Law University, Shimla in collaboration with Law Mantra organized a two day international seminar on "Challenges and Prospects of Alternate Dispute Resolution" on June 14-15, 2019 at the ILI.
- The Indian Law Institute organised a workshop on "Methodology of Muslim Law Reform and the Role of Islamic Jurist" on May 1, 2019 at the Institute.
- The Indian Law Institute organized a One day Seminar on *"Media, Law and Elections"* in collaboration with IMS Law College Noida, on Friday, April 5, 2019 at the ILI.
- Indian Law Institute in collaboration of National Trust (Ministry of Social Justice & Empowerment Govt. of India) organised a National Seminar on "Legal Capacity Building/ Capacity Building of persons with Intellectual and Developmental Disabilities (PwIDDS)" on October 23, 2019 at the ILI.
- Indian Law Institute in collaboration with Menon Institute of Legal Advocacy & Training (MILAT), Commonwealth Legal Education Association (CLEA) and Lloyd Law College, Greater Noida organised a Workshop on "Teaching Techniques and Research' for young law teachers and research scholars" from November 6-12, 2019 at ILI and Lloyd Law College.
- Indian Law Institute in collaboration with Cyber laws Net organised an International Conference on "Cyber Law, Cyber Crime & Cyber Security" on November 20-22, 2019.
- Indian Law Institute in collaboration with MAADHYAM (Council for Conflict Resolution) & SAARC LAW (India Chapter) conducted an Integrated Certificate Course in Mediation on November 22-24, 2019 (Phase -I) & December 06-08, 2019 at the ILI.
- Indian Law Institute and Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) along with the Independent Thought(i-Thought) organised a one day State Consultation on "Strengthening Legal and Institutional Mechanism to end Child Marriages in Delhi" on September 19, 2019 at the Institute.
- As part of the Swachhata drive of the Government, the Swachhata Rankings of Higher Educational Institutions was conducted by the Ministry of Human Resource Development. The UGC Inspection team visited the Institute on September 2, 2019 examined and verified the infrastructural facilities and the hygiene parameters of the Institute.

- The Indian Law Institute in collaboration with National Human Rights Commission have organized the following Training Programmes during the period under consideration:

➢ Two-Days Training Programme for First Class Judicial Magistrates on Human Rights: Issues and Challenges on September 21-22, 2019.

➢ One Day Training Programme for officials working in "Juvenile Homes, Old Age Homes and Health Sector" on August 10, 2019

➢ Two Days Training Programme for Prison Officers on Human Rights: Issues and Challenges on November 23-24, 2019.

Visit to the Institute:

- Students of George School of Law, Kolkata, visited the Institute on July 18, 2019.
- Civil Judges (Jr. Division) 2016 batch Uttarakhand visited the institute on August 7, 2019.
- Students of Modern College, Mohan Nagar, Ghaziabad visited the institute on September 25, 2019.
- Students of Mody University of Science and Technology, Rajasthan visited the institute on September 25, 2019.
- 47 Foreign Parliamentary Officials from 20 countries along with officers from Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat visited the Indian Law Institute on September 30, 2019.

Publications:

Research Publications Released:

The following research publications have been released by the ILI during the period of report:

- *Journal of the Indian Law Institute* (JILI) – Published quarterly containing research articles on contemporary legal issues of National/International Importance.
- *ILI Newsletter* – Published quarterly referring various activities undertaken by the Institute during the year and forthcoming activities.
- *Index to Legal Periodicals* – Published yearly and contains indexes, periodicals (including year books and other annual publications) pertaining to law and related fields being received (either by subscription or exchange or complementary) by the ILI Library.
- *Annual Survey of Indian Law* –Published yearly and is a very prestigious publication of the Institute and contains Annual Survey of Indian Law including latest trends in every branch of law of importance.
- ILI Law Review (Summer) & (Winter)

Books:

- Dispelling Rhetorics Law of Divorce and Gender Inequality in Islam

- Law of Sedition in India and Freedom of Expression
- Intellectual Property Rights and Human Rights with special emphasis on India
- Right to Bail Law
- Human Rights of Vulnerable Groups : National and International Perspectives *(Under print)*

Forecast of Activities (from 11.12.2019 to 31.03.2020):

I Publication: The following research documents are proposed to be published during the above period:

(i) Journal of the Indian Law Institute (Quarterly publication)

(ii) ILI Newsletter with Case Comments and Legal Jottings (Quarterly)

(iii) Annual Survey of Indian Law – 2019

(iv) Index to Legal Periodicals – 2019

II Seminar/Conference/Training Programme/Workshop: The Institute shall organize a three training programmes in collaboration with National Human Rights Commission for Media Personnel, Judicial Officers etc. during the remaining period of financial year 2019-20.

(i) One Workshop in collaboration with DCPCR will be held during the remaining period of financial year 2019-20.

(ii) Some more Special Lectures/ Interaction with ILI faculty members / students have been planned.

III Examination/admission:

(i) End Trimester/ Semester Examination of LL.M. 1/2/ Years will be commenced during the above period.

(ii) P.G. Diploma Courses will be completed and exam will be held during the above period.

(iii) E-learning Courses batch No. 34 of Online Cyber Law & 45 of Online IPR Course will be completed by March 2019. Admission for next batches will commence by the end of December 2019 and Bach No.35 of Online Cyber Law & batch no.469

21. INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL (ITAT)

Origin:

Section 252 of the Income-tax Act, 1961 provides that the Central Government shall constitute an Appellate Tribunal consisting of as many Judicial Members and Accountant Members as it thought fit, to exercise the powers and discharge the functions conferred on the Appellate Tribunal by the said Act. The Income-tax Appellate Tribunal was established on 25th January, 1941, in pursuance of a similar provision contained in the Indian Income-tax Act, 1922.

Constitution:

The Income Tax Act, 1961 further provides that, a Judicial Member of the Tribunal shall be a person, who has for at least 10 years held a Judicial Office in the territory of India or has been a Member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-II of that service or any equivalent or higher post for at least three years or who has been an advocate for at least ten years. An Accountant Member shall be a person, who has for at least 10 years been in practice of accountancy (a) as Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), or as a Registered Accountant under any law formerly in force or partly as a Registered Accountant & Partly as a C.A., or who has been a Member of the Indian Income Tax Service, Group A and has held the post of (Additional) Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for at least three years.

Members and Staff:

The present sanctioned strength of Members of Tribunal is 126 for 63 benches spread over 28 cities throughout the country out of which only 85 Members are in position. The Tribunal is presently headed by the President assisted by ten (10) Vice - Presidents. At present, three (3) post of Vice-President and thirty eight (38) post of Members are vacant.

Powers and Functions:

The Income-tax Appellate Tribunal, constituted under the Income-tax Act, deals with second appeals in all matters of direct taxes and appeals against the revision orders of Administrative Commissioners as well as orders denying registration under Section 12A or under Section 80G of the Income-tax Act 1961.

The powers and functions of the Appellate Tribunal are exercised and discharged by the Benches constituted by the President of the Tribunal from amongst the Members thereof. Generally, a Bench consists of one Judicial Member and one Accountant Member. However, in appropriate cases, at the discretion of the President, a Bench may consist of more than two Members. The President or any other Member of Tribunal authorised in this behalf by the Central Government may, sitting singly, dispose of any case which has been allotted to the Bench of which he is a Member and which pertains to an assesse whose total income as computed by the Assessing Officer in the case does not exceed fifty (50) lakhs rupees and the President may, for the disposal of any particular case, constitute a Special Bench consisting of three or more Members, one of whom shall necessarily be a Judicial Member and one Accountant Member, subject to the provisions of the Income-tax Act, 1961.

Procedure and Rules:

The Appellate Tribunal has the power to regulate its own procedure and the procedure of its Benches in all matters arising out of the exercise of its powers or in the discharge of its functions, including the places at which the Benches shall hold their sittings.

The Appellate Tribunal has, accordingly, framed its own rules called the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963. The said Rules are best suited for the expeditious disposal of all matters pending before the Income-tax Appellate Tribunal. The Tribunal functions not only as the final fact finding authority in the matters concerning Income-tax but also in all matters of taxation such as Wealth-tax, Gift-tax etc. The

Appellate Tribunal is manned by efficient personnel discharging their functions to the best of their ability and holding the scales of justice evenly between the tax payer and the Revenue without fear or favour.

The matters which the Appellate Tribunal disposes are of vital importance involving revenue to the tune of several crores. The Tribunal is entrusted with the responsible task of deciding intricate questions of law and fact. The presence of both the Judicial and Accountant Members ensures that Questions of fact which arise for consideration are properly enquired into and that the accountancy point, as also the legal angle, are weighed properly. The Tribunal allows the representatives of both the parties to appear before it and invariably hears them before passing any order. The Members hear the parties, peruse the evidence on record, make their own notes, refer to the authorities cited at the Bar, confer among themselves and then pass final orders. The procedure is, by itself, a succor that Questions of fact are properly and judicially decided and inference drawn by the Tribunals are beyond reproach.

Pendency of Appeals:

At the beginning of financial year 2019-20 i.e. 1st April, 2019, the Pendency of the appeals was 92205 and as on 1st December, 2019 the number of appeals pending in the Income-tax Appellate Tribunal stands at 89577.

It will be seen from the following table that the commitment to reduce pendency is showing encouraging results after all the newly created Benches were made functional:

Year(April to March)	Institution	Disposal	Pendency at the end of year
2004-2005	57331	78901	137164
2005-2006	45283	73979	108468
2006-2007	43192	65524	86136
2007-2008	44356	59653	70839
2008-2009	40372	55889	55322
2009-2010	42023	49353	47**992**
2010-2011	43875	36293	55574
2011-2012	42346	33816	64104
2012-2013	43934	33752	74286
2013-2014	46243	31886	88643
2014-2015	45089	30494	103238
2015-2016	39743	51010	91971
2016-2017	48800	48385	92386

2017-2018	50222	49791	92817
2018-2019	51154	51766	92205
2019-2020 (April, 2019 to November,2019)	34374	37002	89577

Efforts for reduction of pendency:

Necessary instructions have already been issued to all the Benches to scrutinize and identify cases which are covered by decisions of I.T.A.T., High Courts, and the Supreme Court and post them on priority basis. This includes group and small matters. The Bar has also been requested to bring to the notice of I.T.A.T., all such covered cases for out of turn posting. Besides, appeals dealing with Search & Seizure matters and appeals against Order passed under Section 263 by the administrative Commissioners are also given priority in their disposal. Similarly, appeals against the denial of registration to charitable institutions under Section 12A and denial of recognition under Section 80 G are also given priority . Appeals of Senior Citizens are also taken up for priority hearing, wherever the Tribunal is so approached. Further, vide Finance Act 2015 an amendment in Income Tax Act 1961 was made that the appeal involving assessed income upto Rs. 50 lakhs can be heard by Single Member Bench and accordingly the same has been implemented.

The pendency figure of Single Member Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January,2019	11982
February,2019	12459
March,2019	12657
April,2019	13116
May,2019	13474
June,2019	13101
July,2019	13861
August,2019	14128
September,2019	14339
October,2019	14343
November,2019	14276

The pendency figure of Wealth Tax Cases is as under:-

Month	Total Pendency
January,2019	631
February,2019	604
March,2019	610
April,2019	510
May,2019	459
June,2019	447
July,2019	432
August,2019	404
September,2019	374
October,2019	356
November,2019	342

There are 63 sanctioned Benches of the I.T.A.T. wherein the required strength of the Members is 126 but presently there are only 85 Members, because of which some of the Benches are not regularly functioning which has resulted in increase of pendency thereof.

Computerisation:

The process of computerization started in the Income Tax Appellate Tribunal in early 2000 and in recent years, this process has gained great momentum with several innovative projects being implemented in day-to-day activities of the Tribunal. Over the years, various projects have been undertaken and implemented by the Tribunal to live upto its motto "Nishpaksh Sulabh Satvar Nyay".

ACHIEVEMENTS:

(a) ITAT Online Project

This pilot project is the first initiative to automate the process of judicial administration in the Tribunal starting from receipt and registration of appeals and applications till disposal and uploading of Tribunal orders. This project has been commissioned and implemented in all Benches of the Tribunal in a phased manner. ITAT Online is a web-based application which can be accessed from anywhere and anytime. As of now, all Benches of ITAT have been connected to the ITAT Online database and activities like registration, data updation, Tribunal order uploading, etc., are being carried out through the web application. Web-cum-Database Server of this project has been setup in the NIC Cloud Servers in Shastri Park, New Delhi.

(b) ITAT Official Website

As an extension of the ITAT Online Project, Official Website of Income Tax Appellate Tribunal has

been created and commissioned to deliver judicial and general information to the general public. The Official website has been redesigned to make it more user friendly, informative, responsive, updated and compliant with the Government of India, Guidelines for Websites. Dynamic information like Cause Lists, Constitution, Case Status, Order Search, Pronouncement Search, etc. have been provided to cater to the judicial information needs of the litigants before the Tribunal. This apart, static information like Holiday Lists, Tenders and Auctions, Notice Board, Right to Information, etc has been made accessible to the litigants in particular and public in general. This website is widely used and appreciated. As per the assurance given by ITAT to the Parliamentary Standing Committee on Official Language, the website and application have been made functionally bilingual, thereby enhancing the reach of the website to common man.

(c) NIC E-Mail

In furthering the utilization of Information and Communication Technology in general administration and effective communication between various Benches, Members and officers, ITAT has subscribed for E-mail services offered by National Informatics Centre. NIC E-Mail accounts have been created for all Benches, Zones, Members, Registry Officers, Sr. PS/PS and all sections of Head Office also as per requirement of officials. E-Mail Ids have also become essential for officials dealing with administrative and financial works. Accordingly, NIC Mail Ids are being created for those users also. In recent years, due to its ease, fastness, simplicity and economic-and-ecological advantage over conventional methods of communication, usage of E-Mail has started to gain acceptance of the users.

(d) Infrastructure Up-gradation

ITAT has always been conscious that better computerization needs better infrastructure. Accordingly, ITAT has been replacing the old and obsolete Computers, printers and other equipment with the latest ones in a phased manner. All Members of ITAT have already been provided with laptops for their official use.

Hon'ble President has envisaged that Information and Communication Technology shall be utilized more and more in dissemination of judicial information to the litigants. In this direction, it has been decided that Notice Boards present on the 10th Floor of office premises of ITAT, Delhi Benches shall be digitized. The process has been initiated.

Future Projects:

(a) Redevelopment of Mobile Application and launching of E-Filing

The development of this project has already been entrusted to a NICSI-Empanelled vendor. The official website has already been launched alongwith the Android based Mobile application. IOs Application is also prepared and the same is in testing process. E-filing module is also developed and the same is in testing mode. It is expected to roll out the same soon.

(b) E-Court

During the last year, E-courts were setup at ITAT Rajkot, Guwahati, Ranchi, Patna and Jabalpur

Benches. Bench proceeding were conducted at ITAT Rajkot, Guwahati, Ranchi, Patna, Nagpur, Panaji and Jabalpur Bench connecting to ITAT Ahmedabad, Pune, Kolkata and Delhi Benches respectively. A total number of 1198 appeals were heard through E-court at these places respectively. In addition to the above, e-Court equipment is being procured and installed at all remaining Benches of the Tribunal.

(c) CCTV Installation in ITAT Benches

As per Hon'ble Supreme Court of India vide judgment dated 14.08.2017 directed that CCTV Cameras with audio and video recording be installed in all Tribunals including the Income Tax Appellate Tribunal. As well as Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, vide their letter dated 29.09.2017, directed the ITAT to install the CCTV Cameras in Court Rooms and other important locations of all Benches of the Tribunal.

Accordingly, procurement of CCTV Cameras was done initially for the 17 functional Benches. CCTV Cameras are working in good condition and recordings are regularly done. CCTV System has been installed at ITAT, Nagpur on 18.09.2019 and is functioning properly. Procurement and installation of the CCTV system is under process for remaining Benches as well.

Establishment of New Bench :-

Subsequent to establishment of Circuit Bench o ITAT at Dehradun and Varanasi suitable amendments were made in the standing order of ITAT regarding change of jurisdiction.

Own buildings of I.T.A.T.:

Income Tax Appellate Tribunal (I.T.A.T.) purchased land at Pune, Bengaluru, Jaipur, Lucknow & Guwahati for office-cum-residential accommodation. The Govt. of Odisha has allotted a plot of land measuring 1.601 acre to I.T.A.T., Cuttack Bench for construction of office building and staff quarters at Cuttack. Further, ITAT made two installments of payment for allotment of land for office premises for I.T.A.T. Kolkata Benches, Kolkata at New Town Area, Kolkata at Financial and Legal Hub developed by West Bengal Housing and Infrastructure Development Corporation Ltd. (WBHIDCO). Further, the Ministry of Law & Justice has approved the proposal of I.T.A.T. for purchase of space for office premises for I.T.A.T. Delhi Benches through E-Auction at World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi by depositing earnest money of Rs.5.20 crore which is to be paid to NBCC India Ltd.

Details of Status of Land:

(i) Pune: Architectural drawings with options have to be finalized for which meeting with Architect and CPWD Officials is being proposed shortly by I.T.A.T., Pune.

(ii) Bengaluru: Construction work of building has been completed and inaugurated by Hon'ble Prime Minister of India on 06.03.2019 and Bangalore Bench is functioning in the Building. However, the Ministry vide letter dated 13.11.2019 has conveyed the concurrence to release a sum of Rs. 1.75 Crore for carrying out the additional work.

(iii) Jaipur: Construction of the building has been completed. Jaipur Bench is functioning in the Building.

(iv) Lucknow: Construction of office-cum-Residential complex has commenced and boundary wall have been constructed incurring expenditure Rs. 63,42,638/- out of the authorized amount of Rs. 87,40,898/- during the F.Y. 2018-19 and balance amount has been surrendered.

During the current F.Y.2019-20 an authorization dtd. 04.06.2019 has been issued to the tune of Rs 15, Crores to (incur an expenditure of Rs 13.00 Crores for Civil work and Rs. 2.00 Crore for Electrical work only) toward construction of Office-Cum-residential complex for ITAT, Lucknow Benches Lucknow.

(v) Cuttack: I.T.A.T., has acquired a land admeasuring 1.601 acre in Sector-1, CDA, Cuttack i.e. Revenue Plot No.1/09(P) of Khata No.1/1 of Mouza Subarnapur, Cuttack Sadar Rahasil, Cuttack allotted by Govt. of Odisha for constructing ITAT's own Office Building and Staff quarters. The work is almost on the verge of completion.

(vi) Ahmedabad: ITAT Ahmedabad Bench has requested the Ministry for permission towards purchase of land for Income Tax Appellate Tribunal's Office-cum-residential complex at Ahmedabad. ITAT, vide letter dated 29th May, 2019 has submitted the required additional inputs as requested by the Ministry to accord permission and approval for the purchase of land at ITAT, Ahmedabad.

Efforts are on for obtaining land for offices premises of ITAT at Ahmedabad, Gowahati, Kolkata and other places.

Facilities for Members:

The Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 19.9.2003 in SLP (L) Mos.6905/1998 & TP(C) Nos. 659 and 672-673 of 1998 in the case of Union of India and others Vs. All Gujarat Federation of tax consultants had directed the Government to provide various facilities to the Members of Income Tax Appellate Tribunal and every effort has been made by the ITAT to provide the said facilities to the Members.

Benevolent Fund:

A Benevolent Fund, the corpus of which has been built out of voluntary contributions by the officers and staff, also exists in the Income-tax Appellate Tribunal. The President, Income-tax Appellate Tribunal, is the patron. Officers and staff contribute voluntarily to this fund and disbursements are made to officials in need of medical or other emergent situations on the recommendation of Committee formed under the Rules.

Right to Information Act, 2005:

It is being implemented by the Income Tax Appellate Tribunal.

All India Refresher Course on Right to Information Act 2005 for First Appellate Authorities, CPIOs and APIOs and other officials was conducted on 14.12.2018 at Delhi, for improving the skills of knowledge on Right to Information Act.2005.

Benches spread over 11 stations of ITAT have been registered on the website of CIC, Delhi and have submitted the quarterly report for the year 2017-18.

Other Important Events and Activites:

"Swachhta Pakhwada" was organized at all the Benches of Income Tax Appellate Tribunal as per the guidelines of Ministry of Drinking Water and Sanitization, Government of India. "Swachhta Pledge" was administered to all officers and staff of ITAT.

National Judicial Academy, Bhopal organized two Seminars for Members of the Income Tax Appellate Tribunal with a view to capacity building and enhancing excellence in justice delivery. The first such Seminar was organized from 21st to 23rd September, 2018, in which 42 Members participated. The second Seminar was organized from 4th to 6th January, 2019, in which 38 Members participated.

An All India Refresher Training Programme for supervisory staff of Income Tax Appellate Tribunal was held on 15th & 16th February, 2019 at Jaipur. The staff and officials of ITAT are sent on training all throughout the year, to give them training on various subjects like handling of CAT Cases, Administration matters and training to Cashiers. They are sent to various training institutes like ISTM at New Delhi, INGAF at Mumbai, NIFM at Faridabad.

The Income Tax Appellate Tribunal celebrated its 78th Foundation Day on 25th January, 2019 at all its Benches.

Implementation of Official Language Policy:

Official Language Implementation Committees have been constituted at all the Benches of Income-tax Appellate Tribunal, with a view of keeping a watch and providing guidance for proper implementation of the official language policy prescribed by Department of official language, Government of India.

Progress in achieving the targets set for Hindi correspondence and its implementation is monitored by the concerned Benches and their quarterly reports regarding progressive use of Hindi is regularly scrutinized by Head Quarters at Mumbai. Training in Hindi/Hindi Typing/Hindi Stenography is offered by nominating sufficient number of officials under Hindi Teaching Scheme., Department of official language, Government of India.

Hindi workshops are also held in all the Benches for proper implementation of the Official Language policy and to encourage use of Hindi and to remove the hesitation of officers / employees to work in Hindi.

Every endeavour is being made for the progressive use of Hindi by doing the work in Hindi as much as required in accordance with the provisions of the Official Language Act, 1963.

This year sufficient funds were provided to purchase Hindi Books at all the Benches. All offices of Income Tax Appellate Tribunal were instructed to make expenditure towards purchase of Hindi Books (i.e. 50% of total library grant) as per the Official Language policy and in accordance with the targets fixed by the Department of Official Language, Government of India.

With a view to create awareness in regard to the use of Official Language Hindi in official work as well as to accelerate the pace of its progressive use, Hindi Day & Hindi Fortnight have been organized at all benches.

An Annual Journal 'Srijan" is published at Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai. It contains photos of the Hindi Pakhwada Programmes, Hindi Workshops, besides articles, stories, poems and travelogues, etc. written by Members, Officers and employees of various Benches of ITAT.

IMPLEMENTATION OF INSTRUCTIONS REGARDING REPRESENTATIVE IN SERVICES OF HANDICAPPED, SHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES, AND EX-SERVICEMEN ETC.

The Government of India's instructions regarding the concessions in appointments to the Handicapped, Scheduled Castes & Scheduled Tribes and Ex-Serviceman etc., were duly implemented during the year 2019-2020 and the statistics relating to representation of these categories in services of the Income-tax Appellate Tribunal is at **ANNEXURE 'III'**.

22. VIGILANCE ACTIVITIES

The Vigilance Unit in the Ministry of Law and Justice caters to Department of Legal Affairs (including Income Tax Appellate Tribunal) and Legislative Department. The Vigilance Unit is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of Joint Secretary who is appointed with the concurrence of Central Vigilance Commission. Vigilance Unit is presently headed by Sh. R.S. Verma, Additional Secretary. The overall responsibility of vigilance activities of both of these Departments rests with the Chief Vigilance Officer. The Chief Vigilance Officer is the nodal point in the vigilance unit set up for these Departments and is entrusted with the following:

- Identification of sensitive areas prone to malpractices/ temptation and taking preventive measures to ensure integrity/ efficiency in government functioning.
- Taking suitable action to achieve the targets fixed by the Department of Personnel & Training on anti-corruption measures;
- Scrutiny of complaints and initiation of appropriate investigation measures;
- Inspection and follow up action on the same;
- Furnishing comments of the Department to the Central Vigilance Communication on the investigation reports of the Central Bureau of Investigation;
- Taking appropriate action in respect of departmental proceedings on the advice of Central Vigilance Commission or otherwise;
- Obtaining first and second stage advice of the Central Vigilance Commission wherever necessary; and
- Obtaining the advice of Union Public service Commission in regard to the nature and quantum of penalty to be imposed, wherever necessary.

Preventive vigilance continues to receive priority attention with emphasis on identification of areas sensitive or prone to malpractices and temptation. The guidelines/ instructions issued from time to time by the Department of Personnel & Training and Central Vigilance Commission in this regard are followed. Vigilance Awareness Week was observed in the week starting from 28.10.2019 to 02.11.2019.

23. GENDER ISSUES

The Complaints Committee under Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has been set up by the Department vide Order dated 7th February,2019,

to look into the complaints on sexual harassment from employees of both the departments i.e. Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Complaints Committee shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of CCS (CCA) Rules, 1965. The report of the Complaints Committee should be treated as enquiry report. It will examine the complaints made against sexual harassment by women employee(s) and, if necessary, conduct an enquiry. On completion of the same, the Committee will submit its findings to the Joint Secretary (Admin.I), D/o Legal Affairs for further necessary action. The Committee is presently headed by Dr. Reeta Vasishta, Additional Secretary, Legislative Department.

Statements showing the total number of government servants, number of Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and physically handicapped amongst them in the Department of Legal Affairs and Legislative Department as on 31.03.2019 is enclosed at **Annexure - IV**.

The representation of female employees in the Department of Legal Affairs and ITAT is given at **Annexure - V**.

24. CELEBRATION OF INTERNAIONAL YOGA DAY 2019

International Yoga Day was celebrated by the Department of Legal Affairs in its Main Secretariat and all the Branch Secretariats i.e. Kolkata, Chennai, Mumbai and Bengaluru. In the Department of Legal Affairs, a Yoga Demonstration under the supervision of trained Yoga Teachers was held for the benefit of Officers& Staff. Senior Officers and other Officers/Officials of the Department of Legal Affairs have participated in the celebration and performed Yogasanas demonstrated by the trainers.

At the Branch Secretariat, Chennai, Yoga session for two hours was conducted by a faculty of Krishnamachari Yoga Mandiram, Chennai on 19th & 21st of June, 2019 and all the Officers and staff participated. Similarly, Branch Secretariat, Kolkata, Mumbai and Bengaluru has also celebrated International Yoga Day with enthusiasm on 21st June, 2019. Photographs of the Celebration are placed at **Annexure VI**.

25. SWACHH BHARAT ABHIYAAN

In pursuance of directions of the Government, Swachhta Pakhwara was observed for the period from 1st April to 15th April 2019 by the Department of Legal Affairs and its Branch Secretariats located at Kolkata, Mumbai, Chennai and Bengaluru as well as the offices of the ITAT in the Country.

Law Secretary gave message on the observance of Swachhta Pakhwara by Department of Legal Affairs as part of the Swachh Bharat Mission. The period from 11th September 2019 to 2nd October 2019 was also observed as SWACHHATA HI SEVA with theme 'Plastic Waste Management' by the Department including the Brach Secretariats. Instructions were issued regarding Action on focused plastic waste management. Posters and banners were displayed in the Main Secretariat, Branch Secretariats so that message of cleanliness spreads throughout. Activities as envisaged under Swachhta Action Plan like digitization of office records, basic maintenance, sanitation and SWM, cleaning and beautification of surrounding areas, swachhata workshops etc., were also undertaken during the period. Photographs of the Swachhta Pakhwara are placed at **Annexure VII**.

26. CONSTITUTION DAY

26th Nov, 2019 was celebrated as 'Constitution Day'. The Celebration consisted of reading out of 'Preamble' to the Constitution of India.

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

27. INITIATIVES TAKEN UNDER 'MINIMUM GOVERNMENT AND MAXIMUM GOVERNANCE

I. Simplification of official procedure:-

Admn.IV Section is cadre controlling authority for the employees belonging to the three services of Central Secretariat Service viz. CSS, CSSS and CSCS. The Procedure prescribed by DOP&T is being followed in dealing with administrative matters.

II. Digital India - Following initiatives have been taken under the Digital India Program.

a. LIMBS (Legal Information and Management Briefing System)

The Legal Information Management & Briefing System (LIMBS) is a web based application for proactive monitoring of court cases. Through Gazette Notification issued on Feb. 08, 2016 by Department of Legal Affairs, all the Ministries of Government of India and their Departments, sub-departments, attached offices are brought under the ambit of LIMBS.

It is an innovative and easy to access online tool which is available 24x7 to all the stakeholders viz., government officials, Department users, nodal officers, higher officials of Ministries, advocates, arbitrators and claimants of 62 Ministries to upload the latest information which is concurrently available on real time basis on a single unified platform to avoid confusion, delay and further reduce financial burden on public exchequer.

In the short span of 4.4 years, LIMBS has a centralized database of 5.20 lakh court cases in which Union of India (UOI) is one of the party, 12328 government officials/users, 4788 arbitration cases and details of more than 18000 advocates (as on 03.01.2020).

LIMBS captures the basic details such as court name, case no, date of filing, petitioner & respondent names, history of case, name and mobile no of respondent's advocate and petitioner's advocate, judge's name, category of case, status of case, next hearing date, details of last hearing etc. Contempt cases and important cases have highest priority therefore displayed separately. Auto generated SMS alerts are sent to users, advocates, concerned officer, nodal officers and secretaries of Ministries/Departments regarding upcoming Important Cases, Contempt Cases, SLPs /Appeals etc. One page summary report and graphs have made a perceptible improvement in the working of legal process in Ministries. Also, a simple interface is developed in the LIMBS to monitor the important cases in more proactive manner. The highest priority has been assigned to the important cases. The Nodal Officer of a Ministry can mark the cases as important with approval of the Secretary. The Single Window Clearance (SWC) utility has been developed to capture timelines of physical process of filing of SLPs/Appeals. Through Unique Document Locker (UDL) facility on LIMBS platform users/stakeholders are allowed to upload court case specific documents such as reply filed, affidavit submitted, scanned copy of judgment etc. online. It allows to upload information for a close group which is visible within the group to ensure confidentiality. UDL acts like a repository of information related to a court case to help higher officials in data driven decision making. UDL also eliminate the avoidable delays as no physical movement of the document is required. This utility is also helpful in performance and legal auditing. Vault-E-document Vault facility on LIMBS platforms provides users with an online document vault where they can upload documents such as important judgment, circulars etc. online for the benefits of wider section of people for education and knowledge purposes. The information in e-document vault can

be very helpful in analysis of court cases and suggest a way forward and also reduces physical movement of papers. Transfer Case Utility helps user to transfer cases pertaining to a user to another user. This utility is very helpful in case of a user gets transferred/promoted. This utility has been added on LIMBS platform on users' request.

Further, there are two add-on modules in LIMBS viz., Advocate Module and Arbitration Module. Advocate, an important stakeholder in the entire chain of legal process of court case, has become an integral part of LIMBS. Advocates who have been nominated in any government court case get system generated login credentials. Advocates are present at court and have the first-hand information and can upload the documents such as judgment copies, reply filed, court proceeding details, notices etc. against each court case on LIMBS. Advocate module also fulfills the long pending demand of timely online filling of Advocate bills through LIMBS portal. Uploading of information by Advocate will make system more prompt and responsive. LIMBS has been integrated with e-Courts website for sharing of data through API. Arbitration module on LIMBS platform provides a comprehensive monitoring of arbitration claim cases. A claimant can register on LIMBS platform using a simple one-time registration process and can upload an arbitration claim. LIMBS provides a claimant with e-document upload facility by which he/she can upload the relevant documents and can also know the status of claim and its progress at various stages in the relevant departments. Arbitration Module allows the government officials to enter the internal proceeding details, nomination of arbitrators and its proceeding details etc.

As per the direction of the Cabinet Secretariat, existing LIMBS application is to be migrated to a more robust and open source technology platform and therefore, LIMBS Ver. 2 has been developed and is scheduled to be rolled out/launched in January, 2020. The new version will be more scalable, thus more features/modules can be added in future such as user-friendly dashboard, integration with other court websites through APIs and inclusion of CNR no. field for all High Courts etc. Advocates/counsels will be able to register their claims with unique computer generated number, which alone to be processed by all the Ministries for settling their claims in the modified version of LIMBS.

Harnessing the power of Information Technology through ever evolving LIMBS application can prove to be a game changing player in reducing the Govt. of India litigation.

b. NDSAP (National Data Sharing and Accessibility Policy)

The objective of this policy is to facilitate the access to Government of India owned shareable data and information in both human readable and machine readable forms through a network all over the country in a proactive and periodically updatable manner, within the framework of various related policies, Acts and rules of Government of India, thereby permitting wider accessibility and use of public data and information.

Benefits of NDSAP:-

a) Maximising use

b) Avoiding duplication

c) Maximised integration

d) Ownership information

e) Better decision-making

c. E-Office

The main objectives of e-office are:-

a) To improve efficiency, consistency and effectiveness of government responses

b) To reduce turnaround time and to meet the demands of the citizens charter

c) To provide for effective resource management to improve the quality of administration

d) To reduce processing delays

e) To establish transparency and accountability

f) The system will automate movement of files within government offices.

III. Reduction of Decision making level - In some cases like sanction of leave etc. power has been delegated.

IV. On-line processing of Pension cases – Pension cases are dealt online.

28. DETAILS OF FOREIGN VISITS UNDERTAKEN BY THE HON'BLE MINISTER OF LAW & JUSTICE, OFFICERS OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS AND LAW OFFICERS W.E.F. 01-01-2019 TO 19.12.2019:

S. No.	Name & Designation	Country Name	Purpose of visit and duration
1.	Shri Ravi Shankar Prasad, Hon'ble Minister of Law & Justice	Colombo, Sri Lanka	To attend the Commonwealth Law Ministers' Meeting from 5th to 7th November, 2019.
2.	Shri Ajay Goyal, Joint Secretary	Bishkek, Kyrgyzstan	To attend the 17th Meeting of State Prosecutors of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Member States on 1st October, 2019.
3.	Dr. Anju Rathi Rana, Joint Secretary & Legal Adviser	Vienna, Austria	To attend the Cross-Regional workshop in implementing project "Strengthening Gender Mainstreaming in the Criminal Justice Responses to Violent Extremism leading to Terrorism in South and South East Asia by The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) from 15th to 17th January, 2019.
4.	Shri R. K. Srivastava, Additional Legal Adviser	The Hague, Netherlands	To attend the meeting of the Special Commission on the Judgement Project (draft Convention on recognition and enforcement of Foreign Judgements in Civil

			or Commercial matters) followed by Diplomatic Conference from 29th June to 2nd July, 2019.
		Da Nang, Vietnam	To attend the 28th Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee (RCEP TNC 28) and related meetings from 19th to 27th September, 2019.
5.	Ms. Pinky Anand, Additional Solicitor General	Bishkek, Kyrgyzstan	To attend the 17th Meeting of State Prosecutors of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Member States from 20th September to 1st October, 2019.
6.	Shri Aman Lekhi, Additional Solicitor General	Kathmandu, Nepal	To attend the Regional Consultation on Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants from 6th to 8th November, 2019.
7.	Ms. Madhavi Divan, Additional Solicitor General	Kuala Lampur, Malaysia	To attend the Commonwealth Asia High-level Regional Dialogue from 18th to 20th November, 2019.
8.	Dr. R.J.R. Kasibhatla, Deputy Legal Adviser	The Hague, Netherlands	To attend the Final hearing in Vodafone Arbitration matter under India-Netherlands BIPA from 11th to 14th February, 2019.
		Bali, Indonesia	To attend the meeting of the Working Group on Investment (WGI) and to attend the 25th round of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) from 21st to 28th February, 2019.
		Singapore	To attend the Final Hearings in the Vedanta Arbitration Case from 29th April to 10th May, 2019.
		Bangkok, Thailand	To attend the 5th Intersessional Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group on Investment (RCEP-WGI) from 28th to 31st May, 2019.
		Zhengzhou, China	To attend the 27th meeting of the RCEP Trade Negotiations Committee from 26th to 31st July, 2019.
		Singapore	To attend the 7th Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership

			Working Group meeting from 15th to 18th September, 2019.
		Bangkok, Thailand	To attend the 7th Intersessional Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Committee (7th ISSL RCEP TNC) and related meetings from 15th to 19th October, 2019.
9.	Ms. Arti Chopra, Deputy Legal Adviser	The Hague, Netherlands	To attend the meeting of the Special Commission on the Judgement Project (draft Convention on recognition and enforcement of Foreign Judgements in Civil or Commercial matters) followed by Diplomatic Conference from 21st to 24th June, 2019.
10.	Shri Prafulla Kumar Behera, Deputy Legal Adviser	Vienna, Austria	To attend the 52nd Session of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) from 15th to 17th July, 2019.
11.	Shri Saurabh Kumar, Private Secretary to Hon'ble Minister of Law & Justice	Colombo, Sri Lanka	To attend the Commonwealth Law Ministers' Meeting from 5th to 7th November, 2019.
12.	Shri K.M. Arya, Asst. Legal Adviser	Paris, France	To attend the Oral Hearings for the quantum phase of Arbitration Hearing in Antrix Devas Case from 29th April to 3rd May, 2019.

CHAPTER - II
LEGISLATIVE DEPARTMENT

Legislative Department acts mainly as a service provider in so far as the legislative business of the Union Government is concerned. It ensures smooth and speedy processing of legislative proposals of various administrative Departments and Ministries.

1. FUNCTIONS

1.1 The Legislative Department, being a service-oriented Department of the Government of India, is concerned with the following matters, namely:-

(i) Scrutiny of Notes for the Cabinet in relation to all legislative proposals from drafting angle;

(ii) Drafting and scrutiny of all Government Bills including Constitution (Amendment) Bills, translation of all the Bills into Hindi and forwarding of both English and Hindi versions of the Bills to the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat for introduction in Parliament; drafting of official amendments to the Bills; scrutiny of non-official amendments and rendering assistance to administrative Ministries/ Departments to decide the acceptability or otherwise of non-official amendments;

(iii) Rendering assistance to Parliament and its Joint/Standing Committees at all stages through which a Bill passes before enactment. This includes scrutiny of, and assistance in, preparation of reports and revised Bills for the Committees;

(iv) Drafting of Ordinances to be promulgated by the President;

(v) Drafting of legislation to be enacted as President's Acts in respect of States under President's rule;

(vi) Drafting of Regulations to be made by the President;

(vii) Drafting of Constitution Orders, *i.e.* Orders required to be issued under the Constitution;

(viii) Scrutiny and vetting of all statutory rules, regulations, orders, notifications, resolutions, schemes, etc., and their translation into Hindi;

(ix) Scrutiny of State legislation in the concurrent field, which require assent of the President under article 254 of the Constitution;

(x) Scrutiny of legislation to be enacted by the Union Territory Legislatures;

(xi) Elections to Parliament, the Legislatures of States and Union Territories and Offices of the President and Vice-President;

(xii) Apportionment of expenditure on elections between the Union and the States/Union Territories having Legislatures;

(xiii) Election Commission of India and electoral reforms;

(xiv) Administration of the Representation of the People Act, 1950; the Representation of the People Act, 1951; the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xv) Matters relating to Chief Election Commissioner and other Election Commissioners under the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xvi) Matters relating to the Delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies.

(xvii) Legislation on matters relating to personal laws, transfer of property, contracts, evidence, civil procedure, etc., in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution;

(xviii) Imparting training in legislative drafting to the officers of the Union/State Governments, etc.

(xix) Publication of Central Acts, Ordinances and Regulations and their authorised translations in Hindi and other languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution and also translation of legal and statutory documents.

(xx) Publication of Hindi translation of selected judgments of the Supreme Court and High Courts on cases pertaining to constitutional, civil and criminal laws in the form of law Journals (Patrikas).

2 Legislative Department does not have any statutory or autonomous body under its control. It has two other wings under it, namely, the Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan, which are responsible for propagation of Hindi and other Official Languages in the field of law.

(a) Official Languages Wing of the Legislative Department is responsible for preparing and publishing standard legal terminology and also for translating into Hindi, all the Bills to be introduced in Parliament, all Central Acts, Ordinances, Subordinate legislations, etc., as required under the Official Languages Act, 1963. This Wing is also responsible for arranging translation of the Central Acts, Ordinances, etc., into the Official Languages as specified in the Eighth Schedule to the Constitution as required under the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973. The Official Languages Wing also releases grants-in-aid to various registered voluntary organisations engaged in promotion and propagation of Hindi and other regional languages and those organisations, which are directly engaged in the publication of legal literature and propagation of Hindi and other Languages in the field of law.

(b) Vidhi Sahitya Prakashan is mainly concerned with bringing out authoritative Hindi versions of reportable judgements of the Supreme Court and the High Courts with the objective of promoting the progressive use of Hindi in the legal field. Vidhi Sahitya Prakashan brings out various publications of legal literature in Hindi. It also holds exhibitions in various States for giving wide publicity to legal literatures available in Hindi and to promote their sales.

2. ORGANISATIONAL SET UP

The organisational set-up of the Legislative Department includes the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary & Legislative Counsel, Additional Legislative Counsel, Deputy Legislative Counsel and Assistant Legislative Counsel and other supporting staff. The work relating to legislative drafting in the case of

principal legislation and to scrutinising and vetting of subordinate legislation have been distributed among various Legislative Groups. Each Legislative Group is headed by a Joint Secretary & Legislative Counsel or Additional Secretary, who in turn is assisted by a number of Legislative Counsel at different levels. The Secretary of the Legislative Department acts as the Chief Parliamentary Counsel and the Additional Secretary is in charge of all subordinate legislation. The Organisational Chart of the Legislative Department is at **Annexure-VIII**.

3. LEGISLATION

Legislation is one of the major instruments of articulating the policy of the Government. In this context, the Legislative Department plays an important role to secure the policy objectives, which the Government may wish to achieve through legislation.

(2) Legislative Department not only performs functions as a servicing Department for drafting the legislation initiated by the administrative Ministries and Departments but also initiates legislative proposals in respect of the matters with which it is administratively concerned.

(3) Legislative Department drafts the Finance Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government every year. This exercise is undertaken in the Legislative Department on the budget proposals being brought before it by the Ministry of Finance. For the purposes of convenience, the various subjects on which Bills are drafted in the Legislative Department at the behest of administrative Ministries/ Departments may be broadly categorised as under:-

(a) Constitutional amendments;

(b) Economic and corporate laws;

(c) Civil Procedure and other social welfare legislation;

(d) Repeal of obsolete laws; and

(e) Miscellaneous laws

4. During the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2019, this Department has examined 125 Notes for the Cabinet/new legislative proposals in consultation with different Ministries/Departments for drafting Bills/Ordinances for introduction in the Houses of the Parliament. 67 Legislative Bills were forwarded to Parliament for introduction during this period. The list of Bills forwarded to Parliament during this period is as follow:-

Bills forwarded to Parliament for introduction during 2019

Sl. No.	**Titles**
1.	The Finance Bill, 2019
2.	The Constitution (One Hundred and Twenty-fifth Amendment) Bill, 2019
3.	The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2019
4.	The Registration of Marriage of Non-Residential Indians Bill, 2019

5.	The Appropriation Bill, 2019
6.	The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2019
7.	The International Financial Services Centres Authority Bill, 2019
8.	The Cinematograph (Amendment) Bill, 2019
9.	The National Institutes of Food Technology Entrepreneurship and Management Bill, 2019
10.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019
11.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019
12.	The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019
13.	The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019
14.	The Special Economic Zones (Amendment Bill, 2019
15.	The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019
16.	The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019
17.	The Dentists (Amendment) Bill, 2019
18.	The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2019
19.	The Finance (No.2) Bill, 2019
20.	The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019
21.	The National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019
22.	The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019
23.	The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019
24.	The Consumer Protection Bill, 2019
25.	The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2019
26.	The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019
27.	The Central Universities (Amendment) Bill, 2019
28.	The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019
29.	The Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2019
30.	The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019
31.	The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2019
32.	The Appropriation (No.2) Bill, 2019
33.	The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019
34.	The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019
35.	The Right to Information (Amendment) Bill, 2019
36.	The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019
37.	The National Medical Commission Bill, 2019
38.	The Code on Wages, 2019

39.	The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019
40.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019
41.	The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019
42.	The Repealing and Amending Bill, 2019
43.	The Companies (Amendment) Bill, 2019
44.	The Dam Safety Bill, 2019
45.	The National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019
46.	The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2019
47.	The Chit Funds (Amendment) Bill, 2019
48.	The Jammu and Kashmir Reservation (Second Amendment) Bill, 2019
49.	The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019
50.	The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Bill, 2019
51.	The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019
52.	The International Financial Services Centres Authority Bill, 2019
53.	The Recycling of Ships Bill, 2019
54.	The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019
55.	The Industrial Relations Code, 2019
56.	The Special Protection of Group (Amendment) Bill, 2019
57.	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019
58.	The Appropriation (No.3) Bill, 2019
59.	The Arms (Amendment) Bill, 2019
60.	The Anti-Maritime Piracy Bill, 2019
61.	The Citizenship (Amendment) Bill, 2019
62.	The Constitution (One Hundred and Twenty- Sixth Amendment) Bill, 2019
63.	The Central Sanskrit Universities Bill, 2019
64.	The Personal Data Protection Bill, 2019
65.	The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019
66.	The Code on Social Security, 2019
67.	The Insolvency and Bankruptcy (Second Amendment) Bill, 2019

5. Out of the Bills which were pending before Parliament and those introduced during the period from 01.01.2019 to 31.12.2019, 51 Bills have been enacted into Acts and 1 Constitutional Amendment Act. The list of the Acts enacted during this period is as follow:-

Sl. No.	Title of the Acts
1.	The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019 (1 of 2019)
2.	The National Council for Teacher Education (Amendment) Act, 2019 (2 of 2019)
3.	The Appropriation (No.6) Act, 2018 (3 of 2019)
4.	The Appropriation Act, 2019(4 of 2019)
5.	The Appropriation (Vote on Account) Act, 2019(5 of 2019)
6.	The Personal Laws (Amendment) Act, 2019 (6 of 2019)
7.	The Finance Act, 2019(7 of 2019)
8.	The Special Economic Zones (Amendment) Act, 2019 (8 of 2019)
9.	The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Act, 2019 (9 of 2019)
10.	The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019)
11.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2019 (11 of 2019)
12.	The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2019 (12 of 2019)
13.	The Dentists (Amendment) Act, 2019 (13 of 2019)
14.	The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (14 of 2019)
15.	The Central Universities (Amendment) Act, 2019 (15 of 2019)
16.	The National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019 (16 of 2019)
17.	The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019)
18.	The Appropriation (No.2) Act, 2019 (18 of 2019)
19.	The Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 (19 of 2019)
20.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (20 of 2019)
21.	The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (21 of 2019)
22.	The Companies (Amendment) Act, 2019 (22 of 2019)
23.	The Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019)
24.	The Right to Information (Amendment) Act, 2019 (24 of 2019)
25.	The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019 (25 of 2019)
26.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2019 (26 of 2019)
27.	The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2019 (27 of 2019)
28.	The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019 (28 of 2019)
29.	The Code on Wages, 2019 (29 of 2019)
30.	The National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019)
31.	The Repealing and Amending Act, 2019 (31 of 2019)
32.	The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019)

33.	The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 (33 of 2019)
34.	The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019)
35.	The Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)
36.	The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Act, 2019 (36 of 2019)
37.	The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019 (37 of 2019)
38.	The National Institute of Design (Amendment) Act, 2019 (38 of 2019)
39.	TheJallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Act, 2019 (39 of 2019)
40.	TheTransgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (40 of 2019)
41.	The Chit Funds (Amendment) Act, 2019 (41 of 2019)
42.	The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019(42 of 2019)
43.	The Special Protection Group (Amendment) Act, 2019 (43 of 2019)
44.	The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019 (44 of 2019)
45.	The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019 (45 of 2019)
46.	The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 (46 of 2019)
47.	The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (47 of 2019)
48.	The Arms (Amendment) Act, 2019 (48 of 2019)
49.	The Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019)
50.	The International Financial Services Centre Authority Act, 2019 (50 of 2019)
51.	The Appropriation (No.3) Act, 2019 (51 of 2019)

6. CONSTITUTION AMENDMENT ACT

Sl. No.	Title of the Constitutional Amendment Act
1.	The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 as The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019

7. 16 Ordinances have promulgated by the President under article 123 of the Constitution during the period from 01/01/2019 to 31/12/2019:-

Sl. No.	Title of the Ordinance
1.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019(1 of 2019)
2.	The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2019(2 of 2019)
3.	The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 (3 of 2019)

4.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019(4 of 2019)
5.	The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019(5 of 2019)
6.	The Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (6 of 2019)
7.	The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019(7 of 2019)
8.	The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019(8 of 2019)
9.	The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019(9 of 2019)
10.	The New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019(10 of 2019)
11.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019(11 of 2019)
12.	The Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019(12 of 2019)
13.	The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019(13 of 2019)
14	The Prohibition of Electronic-Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019 (14 of 2019)
15.	The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019(15 of 2019)
16.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2019 (16 of 2019)

8. Two Regulations have been issued under article 240 of the Constitution during the period from 01/01/2019 to 31/12/2019:-

Sl. No.	**Title of the Regulation**
1.	The Daman and Diu Civil Courts (Amendment) Regulation, 2019 (1 of 2019)
2.	The Dadra and Nagar Haveli (Civil Courts and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulation, 2019 (2 of 2019)

9. SUBORDINATE LEGISLATION

During the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2019, the number of statutory rules, regulations, orders and notifications scrutinized and vetted by this Department was 3602.

10. FUNCTIONS OF THE ELECTION COMMISSION

Since the time of independence, free and fair elections are being held as per the principles enshrined in the Constitution and the laws governing elections in India. The Constitution has vested in the Election Commission the superintendence, direction and control of the entire process of conducting elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and Vice President of India.

(2) Election Commission is a permanent constitutional body. Initially, the Election Commission had only a Chief Election Commissioner. At present, it consists of Chief Election Commissioner and two Election Commissioners. For the first time, two additional Election Commissioners were appointed on 16th October,1989 but they had a short tenure till 1st January,1990. Later, on 1st October,1993, two additional Election Commissioners were appointed. Since then, the multi-member Election Commission has been in operation.

(3) The Chief Election Commissioner and Election Commissioners are appointed by the President of India. As per the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Conditions of Service) Act, 1991 (11 of 1991), they have tenure of six years, or up to the age of 65 years, whichever is earlier. They enjoy the same status and receive salary and perks as are available to Judges of the Supreme Court of India. The Chief Election Commissioner can be removed from office only in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

(4) Political parties are registered with the Election Commission in terms of section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951). The Election Commission ensures inner party democracy in their functioning by insisting upon them to hold organisational elections at periodic intervals. Political parties registered with the Commission are granted recognition at the State and National levels on the basis of their poll performance at general elections according to criteria specified by it.

(5) The Election Commission has its independent Secretariat for the work relating to the smooth conduct of elections to Parliament and State Legislatures. Legislative Department is entrusted with the functions as the nodal Department for providing Governmental sanctions.

(6) In the year 1950, in the matters of election expenses, it was decided by the Central Government in consultation with the State Governments that the expenditure incurred in relation to the preparation of electoral roll to the Assembly constituencies would be shared on 50:50 basis between the Central Government and the State Governments. Further, the expenditure on account of conduct of elections to the House of the People and the State Legislative Assembly would be borne by the Central Government and the concerned State Government and if the election to the House of the People and the State Legislative Assembly are held simultaneously, then, the expenditure would be shared on 50:50 basis between Central and concerned State Government. The initial expenditure will be borne by the respective State Governments and on submission of the audited report, the Central Government's share will be reimbursed.

11. ELECTION LAWS AND ELECTORAL REFORMS

Legislative Department is administratively concerned with the following Acts in connection with the conduct of elections to Parliament, State Legislatures and to the offices of the President and the Vice-President, reform of these laws/rules made thereunder and matters pertaining/incidental thereto:

(i) The Representation of the People Act, 1950,

(ii) The Representation of the People Act, 1951,

(iii) The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952,

(iv) The Delimitation Act, 2002,

(v) The Andhra Pradesh Legislative Council Act, 2005,

(vi) The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010.

2. The electoral system of our country, which is also called the first-past-the-post system of elections, has completed seventy years. We have covered the journey of these seventy years after India became Republic with glory and exemplary successes in all the fields. This has been the result of the relentless toil

and continuous struggle of the millions who have shaped the present and future of this great country with their sweat and blood. Undoubtedly, this journey has not been an easy sail and we have witnessed much turbulence and turmoil during this period. During this period, the political scenario and the electoral process of the country have undergone continuous epoch-making changes. With each election, the complexities of the electoral process and the election management have been increasing. Every single ballot has proved extremely valuable. In such a scenario, allegations and counter-allegations are invariably made. Some inroads by corrupt and criminal elements has posed a challenging task for the conduct of free and fair elections.

3. The aforesaid scenario, which has been continuously changing, has necessitated reforms of electoral laws on several occasions. In the light of the experience gained during elections, recommendations of the Election Commission, the proposals from different sources including political parties, eminent men in public life and the deliberations in the Legislatures and various public bodies, the successive Governments have taken a number of measures, from time to time, to bring about electoral reforms; though need to effect a comprehensive package of electoral reforms cannot be gainsaid.

4. The Conduct of Elections Rules, 1961 were amended vide notification dated 22nd Oct, 2019. The object of the amendment is to provide for postal ballot facility for aged people and persons with disability (PWDs) and also for those who are not in a position to be present in their polling station on the day of poll owing to exigencies of their service conditions.

12. ELECTRONIC VOTING MACHINES

The Electronic Voting Machine (EVM), the replacement of the ballot box is mainstay in the electoral process. First conceived in 1977 in the Election Commission, the Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL), Hyderabad was assigned the task to design and develop it. In 1979, a proto-type was developed, which was demonstrated by the Election Commission before the representatives of political parties on 6th August, 1980. The Bharat Electronic Ltd. (BEL), Bengaluru, another public sector undertaking, was co-opted along with ECIL to manufacture EVMs once a broad consensus was reached on its introduction.

(2) First time use of EVMs occurred in a bye-election in Kerala in May, 1982. However, the absence of a specific law prescribing its use led to the Supreme Court striking down that election. Subsequently, in 1989, the Parliament amended the Representation of the People Act, 1951 to create a provision for the use of EVMs in the elections. A general consensus on its introduction could be reached only in 1998 and these were used in 25 legislative assembly constituencies spread across three States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Delhi. Its use was further expanded in 1999 to 45 parliamentary constituencies and later, in February 2000, to 45 assembly constituencies of the Haryana assembly elections. In the State assembly elections, held in May 2001, in the States of Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and West Bengal, the EVMs were used in all the assembly constituencies. Since then, for every State assembly elections, the Commission used the EVMs. In 2004, in the general elections to the Lok Sabha, the EVMs (more than one million) were used in all 543 parliamentary constituencies in the country. EVMs have been used in all elections since 2004.

(3) The design and application of EVMs in the elections are considered a significant achievement in global democracy. It has brought more transparency, swiftness, and acceptability in the system. It has also helped in creating a vast pool of election officials well versed in its use. In its evolution, the Commission has issued series of instructions, frequently asked questions, and technical guidelines. A number of judicial

pronouncements has also helped in making the EVMs an integral component of our electoral system.

13. TECHNICAL EXPERT COMMITTEE

ECI-EVMs were endorsed by a technical experts sub-committee appointed by the Government of India at the initiative of the Goswami Committee on Electoral Reforms in 1990. This Committee was headed by Prof. S. Sampath, the then Chairman RAC, Defense Research and Development Organization, with Prof. P.V. Indiresan, the then with IIT, Delhi and Dr. C. Rao Kasarbada, the then Director, Electronics Research and Development Center, Trivandrum as members. The Commission has been consulting a group of technical experts on all EVM related technical issues. In November, 2010, the Commission has expanded its Technical Expert Committee by including two more experts.

(2) All the matters, related to upgradation and disposal of EVMs, are consulted with the Technical Expert Committee (TEC) and thereafter a decision in the matter is taken. At present, the Commission has a stock of 17.8 lakhs Ballot Units, 11.8 lakh Control Units and 17.45 lakhs of Voter Verifiable Paper Audit Trail Units (VVPATs) of latest M-3 series.

14. STATUS FOR THE PROGRESS OF ELECTORS' PHOTO IDENTITY CARD (EPIC)

The use of electors' photo identity cards by the Election Commission is slowly and surely making the electoral process simple, smoother and quicker. A decision was taken by the Election Commission of India in 1993 to issue photo identity cards to electors throughout the country to check bogus voting and impersonation of electors at elections. The electoral roll is the basis for issue of EPICs to the registered electors. The electoral rolls are normally revised every year with 1st January of the year as the qualifying date. Every Indian citizen who attains the age of 18 years or above as on that date is eligible for inclusion in the electoral roll and can apply for the same. Once he is registered in the roll, he would be eligible for getting an EPIC. The scheme of issuing the EPICs is, therefore, a continuous and ongoing process for the completion of which no time limit can be fixed as the registration of electors is a continuous and ongoing process (excepting for a brief period between the last date for filing nomination and completion of electoral process) on account of more number of persons becoming eligible for the right of franchise on attaining the age of eighteen. The Commission's continuous effort is to provide the EPICs to the electors who have been left out in the previous campaigns as well as the new electors. The Election Commission, which is in overall charge of implementation of the scheme of issuance of photo identity cards to electors, has been monitoring its progress on regular basis.

(2) It has been the endeavour of the Election Commission to achieve the target of 100% coverage under the EPIC scheme, as far as practicable, in a time-bound manner. No standard time period is defined by the Commission for issue of EPIC. However, constant efforts are being made to issue EPIC to all such persons whose names have already been enrolled in the electoral roll:----

(i) Special photography campaigns are organized to make EPIC of all voters.

(ii) Photographs of electors in the cases where these are not available in the electoral database are collected/taken by conducting a special drive from time to time.

(iii) Booth Level Officers are appointed by the Commission to collect photographs and make EPIC of all voters;

(iv) 25th January has been declared as the National Voters' Day so as to ensure hassle free enrolment and issue of EPIC to all newly registered electors.

(3) Latest data (2019) in respect of coverage of EPIC in States/UTs, available in the Commission is given below:-

STATEMENT SHOWING THE STATUS OF EPIC, 2019

S. No.	Name of the State	EPIC %
1	Andhra Pradesh	100.00
2	Arunachal Pradesh	99.97
3	Assam	94.07
4	Bihar	100.00
5	Chhattisgarh	100.00
6	Goa	97.98
7	Gujarat	99.99
8	Haryana	100.00
9	Himachal Pradesh	100.00
10	Jammu & Kashmir	93.00
11	Jharkhand	100.00
12	Karnataka	100.00
13	Kerala	100.00
14	Madhya Pradesh	100.00
15	Maharashtra	96.68
16	Manipur	100.00
17	Meghalaya	100.00
18	Mizoram	100.00
19	Nagaland	98.36
20	Odisha	98.38
21	Punjab	100.00
22	Rajasthan	100.00
23	Sikkim	100.00
24	Tamil Nadu	100.00
25	Telangana	100.00
26	Tripura	100.00
27	Uttrakhand	100.00
28	Uttar Pradesh	99.99

29	West Bengal	100.00
30	Andaman & Nicobar Islands	97.36
31	Chandigarh	100.00
32	Dadra and Nagar Haveli	100.00
33	Daman and Diu	100.00
34	National Capital Territory of Delhi	100.00
35	Lakshadweep	100.00
36	Puducherry	99.98
	ALL India	**99.36**

15. VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL (VVPAT)

The Government of India notified the amended Conduct of Elections Rules, 1961 on 14th August, 2013, enabling the Commission to use Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) with EVMs. The Commission used VVPAT with EVMs first time in bye-election from 51-Noksen (ST) Assembly Constituency of Nagaland. Thereafter, VVPAT units were used in selected constituencies in every election to Legislative Assembly and 8 Parliamentary Constituencies in General Election to the House of the People-2014. The Election Commission has used VVPAT units in all constituencies in the assembly elections recently held in Gujarat and Himachal Pradesh in November- December 2017.

The Commission has procured 17.45 Lakh VVPAT units on the manufacturers namely; M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru and M/s. Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad which were deployed in all constituencies in General Election to Lok Sabha, 2019.

Voter Verifiable Paper Audit Trail is an independent system attached with the Electronic Voting Machines that allows the voters to verify that their votes are cast as intended. When a vote is cast, a slip is printed containing the serial number, name and symbol of the candidate and remains exposed through a transparent window for 7 seconds. Thereafter, this printed slip automatically gets cut and falls in sealed drop box of the VVPAT.

16. COURT CASES INVOLVING ELECTION LAWS

Legislative Department, being administratively in-charge of various election laws has also to handle various court cases involving validity of election laws. In the beginning of the year 2019, there were 276 cases pending in the Supreme Court and different High Courts on election related matter. During the said year, 30 fresh cases were received, in which para wise comments, counter affidavits and appropriate instructions, as the case may be, have been conveyed to the concerned Government Counsel. During the period 15 cases have been disposed of. Now, there are about 291 cases pending before the Supreme Court and various High Courts. All cases are being effectively monitored.

17. CONDUCT OF PARLIAMENTRAY WORK

During the year 2019-20, the Legislative Department, which has been allocated the job of coordination/ conduct of Parliamentary business of the Ministry of Law and Justice, handled the following work:-

S. No.	Item of Business	Figures for the Ministry of Law and Justice.
1.	Lok Sabha Questions	202
2.	Rajya Sabha Questions.	162
3.	Private Members' Bill in Lok Sabha.	47
4.	Private Members' Bills in RajyaSabha	09
5.	Private Members' Resolutions	02
6.	Calling Attention Notices in Lok Sabha.	-
7.	Calling Attention Notices in Rajya Sabha.	04
8.	Short Duration Discussion in Lok Sabha.	01
9.	Matter raised during Zero Hour	16
10.	Matter raised under Rule 377 in Lok Sabha.	11
11.	Special Mention in Rajya Sabha.	11

18. CONSULTATIVE COMMITTEE:

The Consultative Committee of Members of Parliament attached to the Ministry of Law and Justice was constituted on the 16th September, 2009 with 15 Members under the Chairmanship of Hon'ble Minister of Law and Justice.

19. THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2017:-

As per the existing provisions of section 20A of the Representation of the People Act, 1951 and rules made thereunder, a Non-Resident Indian (NRI) who wishes to cast his vote has to be present in his constituency at the time of election and that the said provisions do not allow for the mode of external voting which is in vogue in some other countries. A proposal for introduction of voting by proxy for overseas electors has been approved by the Cabinet in its meeting held on 2nd August, 2017. A Bill in this regard namely; the Representation of the People Bill, 2017 envisaging proxy voting by overseas electors was passed by Lok Sabha on 09.08.2018 and was pending consideration by Rajya Sabha. However, on dissolution on 16th Lok Sabha, the said Bill has lapsed. A case is being presented for reintroduction of the Bill.

20. LEGISLATION IN CONCURRENT LIST

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the following subjects which fall under List III- Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution have been allocated to this Department as regards legislation: –

(a) marriage and divorce, infants and minors, adoption, wills, intestate and succession, joint family and partition;

(b) transfer of property other than agricultural land (excluding benami transactions, registration of deeds and documents);

(c) contracts, but not including those relating to agricultural land;

(d) actionable wrongs;

(e) trusts and trustees, administrators-General and Official Trustees;

(f) evidence and oaths;

(g) civil procedure including limitation and arbitration;

(h) charitable and religious endowments and religious institutions.

21. REPORTS OF THE LAW COMMISSION OF INDIA

Reports of the Law Commission of India on personal laws and on certain subjects mentioned in List III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, with which this Department is administratively concerned are being examined in consultation with the concerned Ministries/Departments of Central Government, State Governments/ Union Territories.

22. JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

The Joint Committee on Offices of Profit, which is constituted during the tenure of each Lok Sabha (since the Second Lok Sabha), undertakes the work of continuous scrutiny in respect of nature, character and composition of Offices of Profit, statutory and non-statutory bodies under the Government of India or any State Government with a view to recommend to the Government of India for amending the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

23. THE PERSONAL LAWS (AMENDMENT) ACT, 2019

The Personal Laws (Amendment) Act, 2019 (6 of 2019) further amended the Divorce Act, 1869 (4 of 1869), the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 (8 of 1939), the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954), the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955) and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) to omit the provisions that are discriminatory to the leprosy affected persons contained therein.

24. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ORDINANCE, 2019

While the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018 was pending consideration in Rajya Sabha, both Houses were adjourned. As both Houses of Parliament were not in session and the practice of divorce by triple *talaq* (*i.e talaq-e-biddat)* was continuing, in order to prevent such practices and to give continued effect to the provisions of the the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (Ord. 1 of 2019) was promulgated on the 12th January, 2019.

25. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) SECOND ORDINANCE, 2019

In order to replace the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019, necessary official amendments to the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018 were moved in

Rajya Sabha. However, the Bill could not be taken up for consideration in Rajya Sabha and both Houses were adjourned. Since both Houses of Parliament were not in session and the practice of divorce by triple *talaq* (*i.e talaq-e-biddat)* was continuing, in order to prevent such practices and to give continued effect to the provisions of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 (Ord. 4 of 2019) was promulgated on the 21st February, 2019.

26. THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ACT, 2019

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019, which replaced the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019, has been enacted as Act 20 of 2019 on the 31st July, 2019. The enactment is for prevention of divorce by way of *talaq-e-biddat* by certain Muslim husbands in spite of the same having been set aside by the Supreme Court. This Act is in force from the 19th September, 2018 (i.e. the date from which the first Ordinance, namely, the Muslim Woman (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018 (Ord. 7 of 2018).

27. PETITIONS AND OTHER COURT CASES RELATING TO PERSONAL LAWS AND OTHER SUBJECTS

The Legislative Department, being in-charge of personal laws and matters relating to List III- Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, such as, the Contract Act, 1872, the Evidence Act, 1872, the Indian Trust Act, 1882, the Transfer of Property Act, 1882, the Partition Act, 1893, the Code of Civil procedure, 1908, the Limitation Act, 1963, etc.; including office of profit, handled various petitions and other court cases in the Supreme Court and various High Courts. During the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2020, 45 fresh cases have been received. Parawise comments, counter affidavits and appropriate instructions, as the case may be, have been prepared and conveyed to the Government Counsel.

28. STATE LEGISLATIVE PROPOSALS

Legislative proposals relating to the subjects allocated to this Department sponsored by the State Governments, which, by virtue of the provisions of clause (2) of article 254 of the Constitution, require assent of the President, are scrutinised in the Department. During the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2019, 58 references relating to State Bills/Ordinances have been scrutinised.

29. CONDUCT OF PARLIAMENTARY WORK

During the year 2019-20, Legislative III Section has handled Parliament Questions, both starred and unstarred and other references in respect of the subjects allocated to the Section. The numbers of Parliamentary reference are as under:

Sl. No.	Item of business	Figures
1.	Lok Sabha Questions	15
2.	Rajya Sabha Questions	8
3.	Private Member Bills	9
4.	Matter of Public Importance	1

Besides the above, briefs relating to Private Members' Bill and Resolutions were also prepared in the Department. Further, replies to the Parliament Questions were also transmitted electronically in addition to forwarding their hard copies.

30. INSTITUTE OF LEGISLATIVE DRAFTING AND REASEARCH (ILDR)

Legislative drafting is a specialised job which involves drafting skills and expertise. Apart from in-depth knowledge of laws and their regular updation, continuous and sustainable efforts are required to enhance the skills of legislative drafting. The Officers of the Central Government, State Governments and Union Territory Administrations dealing with legislative proposals and the students of law need training and orientation to develop the aptitude and the skills in legislative drafting.

2. In January, 1989, with a view to increase the availability of trained officers to deal with legislative proposals as also trained Legislative Counsel in the country, the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR) was established as a Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice.

3. The ILDR conducts one Basic Course and one Appreciation Course in Legislative Drafting every year which are as follows:

   (i) The Basic Course is of three months' duration and meant for the middle level officers of the State Governments/Union Territories.

   (ii) The Appreciation Course is of fifteen days' duration for middle level officers of Central Government Ministries/Departments/Attached/Subordinate Offices and Central Public Sector Undertakings.

   (iii) Voluntary Internship Scheme for students of law. This Scheme is intended to motivate students in creating interest in legislative drafting skills and secure knowledge about the nature and working of the Legislative Department. The Voluntary Internship Scheme has been devised for Law students who are studying in Third Year of Three Year LLB Course or Fourth or Fifth year of Five year LLB course, from four to six weeks. The said scheme has been started from the year 2013.

   (iv) So far, the ILDR has conducted 22 Appreciation Courses and 31 Basic Courses on Legislative Drafting. A total of 344 officers of State Governments handling legislative proposals have been trained through Basic Course and 353 officers from Central Government Ministries / Departments associated with legislative proposals have been benefitted through Appreciation Course. Further, 284 students from various Universities and Colleges have been benefitted by the Voluntary Internship Scheme.

4. The following activities have been performed by ILDR during the period: -

   (i) Thirty first Basic Course in Legislative Drafting from 1st July, 2019 to 27th September, 2019. Twenty-two trainee officers were benefitted by the said Course.

   (ii) Twenty-second Appreciation Course in Legislative Drafting from 4th February, 2019 to 18th February, 2019. Thirty six trainee officers were benefitted by the Basic Course.

(iii) Imparted training to the trainee officers of "Second National Training Programme in Legislative Drafting" conducted by the Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat 7th August, 2019. Twenty-three participants from Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislature Secretariats were benefitted. Also, imparted training to the trainee officers on "Subordinate Legislation and its Implications" conducted by the Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat 29th August, 2019. Forty-one participants from Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislature Secretariats were benefitted.

5. On the basis of evaluation of activities of ILDR complying with the guidelines of Quality Management System Manual (QMSM), ILDR has secured the upgradation of ISO certification from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015.

31. E- GOVERNANCE INITIATIVES

(i) Content Management Framework (CMF based official website):

The Legislative Department has launched its Content Management Framework (CMF) based official website. The said CMF based website of the Department has been issued with 'Certified Quality Website' (CQW) Certificate after due verification by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology.

The said Open Source Content Management Framework developed by National Informatics Centre (NIC) is Guidelines for Indian Government Websites (GIGW) compliant and would enable static sites to migrate to a dynamic portal automatically making available certain special features like Mobile Friendliness (adaptable screen sizes to use in Android, IOS and Windows); Text Speech Enablement (option for visually challenged persons to read the content of the webpage); Language Translation/Transliteration (Translation of English content to local language); and Visitor Analytic Dashboard. Users can easily navigate and search for the content they are looking for.

(ii) Implementation of e-Office Lite:

Implementation of e-Office(Lite) for tracking purposes, as part of good governance and being an important Mission Mode Projects of the Government, has been made operational in the Legislative Department.

(iii) Cyber Security Instructions to thwart any possible cyber attack in the Legislative Department:

Compliance of E-Governance Policy under Information Technology in coordination with National Informatics Centre to counter cyber threats are done periodically. The Cyber Security Instructions as provided by the Government from time to time to sensitise the officers and staff of the Legislative Department on the continuing threat of data pilferage, hacking and similar cyber attacks by non-State entities have also been circulated for strict adherence in order to thwart any possible cyber attack and secure the Department's website.

32. RTI APPLICATIONS

Consequent upon the enactment of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Legislative Department constituted a Right to Information Cell with effect from the 12th August, 2005 with one Appellate Officer, one Central Public Information Officer and one Central Assistant Public Information Officer. At present Shri Udaya Kumara, Joint Secretary, Shri Vinay Kumar Mishra, Deputy Legislative Counsel and Ms. Vidyawati, Under Secretary are functioning as the Appellate Authority, Central Public Information Officer and the Central Assistant Public Information Officer, respectively. This Department has launched a separate webpage under the caption *"Right to Information"* on the Department's official website and maximum information pertaining to this Department have been disseminated therein in consonance with the provisions of the Right to Information Act, 2005 so as to ensure the object of proactive disclosure of information envisaged under the said Act. Further, contact E-mail addresses have been created in coordination with the NIC Cell for Appellate Authority and Central Public Information Officer of this Department, so as to make this Department's official website more user friendly for the public to utilize the provisions of the said Act. The contact e-mail address of the Appellate Authority is aa-rti-legis@nic.in and that of the Central Public Information Officer is cpio-rti-legis@nic.in.

(2) Keeping in view, the various provisions of RTI Act, 2005, the applications received from the applicants are thoroughly examined and the available information collected from the concerned administrative units of the Legislative Department is provided to the applicants. Also, the applications which contain the subject matter pertaining to other Ministries/Departments of the Central Government are promptly transferred to the concerned Ministries/Departments in center consonance with the relevant provision of the said Act. Further, in case of First appeals, the same are independently examined by the Appellate Authority and disposed of within the prescribed time limit. During the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2019, One thousand five hundred fifty three (1553) applications seeking information under the said Act were received, which were promptly attended to by giving due reply to the applicants as per the provisions of the Right to Information Act, 2005 and the rules made thereunder. Ninty five (95) first appeals were preferred before the Appellate Authority out of which 95 (Ninty five) cases were duly disposed off on merits during the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2019. As per the trends of inflow of applications, it is expected that some 300 more applications are expected during the remaining three months of 2019-20. On account of handling of RTI cases this Department has earned Rs. 3,752/- towards application fee and copying charges during the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2019.

33. CORRECTION SECTION

MAINTENANCE OF CENTRAL AND STATE CODES

Central Acts

The Correction Section is responsible for maintenance and updation of the Central legislations, the Constitution of India and Orders issued thereunder, Manual of Election Laws, Central Ordinances, Regulations, President's Acts and compilation of State Acts for the use of officers in the Ministry of Law and Justice. This Section maintains master copies of the India Code, which contains unrepealed Central Acts and acts as a reference for the Minister-in-charge, officers in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) and the Law Officers of the Government of India. These are valuable reference books and are also used for publishing the revised editions of Acts by the Central Government. The work

of updating of Central Acts is an ongoing process and the enforced Central Acts of year 2019 have been updated in the master copy of the India Code.

This Section was entrusted with the work of uploading of unrepealed Central Acts, Regulations, Ordinances etc. from the year 2017 onwards on the official website of our Department at www.legislative.gov.in. Therefore, this section uploaded unrepealed Central Acts which are in force from year 2017 on the official website of the Department, www.legislative.gov.in which are available under the heading "Legislative References". After creation of India Code Unit in the Department, uploading of Central Acts is now done by the India Code Unit. As per the directions of the Hon'ble Secretary, Legislative Department, a hyperlink (https://indiacode.nic.in) for India Code Portal is created in the official website (www.legislative.gov.in) under heading "India Code". In addition to this, the Section also uploaded 16 Central Ordinances and 2 Central Regulations of the year 2019 on the official website of the Department. A List of Central Acts arranged, both alphabetically and chronologically, has also been uploaded on the official website of Legislative Department at www.legislative.gov.in under the heading 'Documents'.

In year 2019, the Section has downloaded Gazette copies of fifty-one Acts of Parliament (including two Finance Acts and four Appropriation Acts), Sixteen Central Ordinances and two Central Regulations from the official website of the Directorate of Printing, Department of Publication at http://www.egazette.nic.in. The section has prepared a folder of Acts passed by the Parliament in year 2019 and incorporated amendments of 25 amending Acts in the master copies of Principle Acts. The details of Acts, Ordinances and Regulations downloaded are as follows:

A. Principal Acts downloaded in the year 2019 (excluding Appropriation Acts and Finance Act):

1. The Central Education Institutions (Reservation in Teacher's Cadre) Act, 2019.
2. The New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019.
3. The Muslim Women (Protection of Rights On Marriage) Act, 2019.
4. The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019.
5. The National Medical Commission Act, 2019.
6. The Jammu And Kashmir Reorganisation Act, 2019.
7. The Prohibition Of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Group (Amendment) Act, 2019.
8. The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019.
9. The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019.

B. Amendment Acts downloaded in year 2019:

1. The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019 (1 of 2019).

2. The National Council for Teacher Education (Amendment) Act, 2019 (2 of 2019).

3. The Personal Laws (Amendment) Act, 2019 (6 of 2019).

4. The Finance Act, 2019.

5. The Special Economic Zones (Amendment) Act, 2019.

6. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2019.

7. The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2019.

8. The Aadhaar And Other Laws (Amendment) Act, 2019.

9. The Central Universities (Amendment) Act, 2019.

10. The National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019.

11. The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019.

12. The Companies (Amendment) Act, 2019.

13. The Finance (No. 2) Act, 2019.

14. The Right to Information (Amendment) Act, 2019.

15. The Protection Of Human Rights (Amendment) Act, 2019.

16. The Insolvency And Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2019.

17. The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2019.

18. The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019.

19. The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019.

20. The Public Premises (Eviction Of Unauthorised Occupants) Amendment Act, 2019.

21. The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.

22. The National Institute Of Design (Amendment) Act, 2019.

23. The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Act, 2019.

24. The Special Protection Group (Amendment) Act, 2019.

25. The Arms (Amendment) Act, 2019.

C. Ordinances downloaded in year 2019:

1. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (1 of 2019).

2. The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2019 (2 of 2019).

3. The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 (3 of 2019).

4. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 (4 of 2019).

5. The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 (5 of 2019).

6. The Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (6 of 2019).

7. The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (7 of 2019).

8. The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 (8 of 2019).

9. The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (9 of 2019).

10. The New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019. (10 of 2019).

11. The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (11 of 2019).

12. The Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 (12 of 2019).

13. The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Ordinance, 2019 (13 of 2019).

14. The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage And Advertisement) Ordinance, 2019

15. The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019.

16. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2019

D. Regulations downloaded in year 2019:

1. The Daman And Diu Civil Courts (Amendment) regulation, 2019.

2. The Dadra And Nagar Haveli (Civil Courts And Miscellaneous Provisions) Amendment Regulation, 2019.

Based on the Acts of Parliament, the amendments have been carried out in the master copies of the principal Acts. During the year 2019, the Acts which have been brought into force by the respective administrative Ministries, date of enforcement and their notification numbers have been entered at the relevant places of master copies of the Acts.

State Acts

During the year 2019, the Section has received a total 66 State Acts and 16 Ordinances from 9 States, namely Andhra Pradesh, Assam, Delhi, Kerala, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana and Uttar Pradesh . All Acts and Ordinances have been entered in the relevant registers and folders.

34. INDIA CODE UPDATION UNIT

Each year number of legislations (both principal Acts and Amending Acts) are passed by the legislature and it is difficult for judiciary, lawyers as well as citizens to refer relevant and up to date Acts when required. This can be solved by building up an exhaustive repository of all the Acts and Amendments in one place which is

open to all. A need has been felt for the development of building up Central repository of all the Acts and their subordinate legislations (made from time to time) at one place which are easily accessible to all stakeholders with a view to make such laws available in up-to-date form when required by public, lawyers, judges, etc., and to avoid private publishers from exploiting the general public with enormous prices by claiming published updated laws as their copyrighted work. In fact, this is the most vital reason why should make India Code available over Internet. Keeping all these aspects in view, India Code Information System (ICIS), a one stop digital repository of all the Central and State Legislations including their respective subordinate legislations has been developed with the help of NIC under the guidance of Ministry of Law and Justice (Legislative Department). It is an important step in ensuing legal empowerment of all citizens as well as the object of *ONE NATION –ONE PLATFORM*.

SALIENT FEATURES

The main object of this system is to provide a one stop repository of all the Acts and Legislations in India in the latest and updated format as and when required by the general public, lawyers, judges and all other interested parties. With the help of this system, not only the procedures of locating the relevant precedents and amendments has been simplified and retrieving any Central or State Act of one's interest in an up-to-date form has been made User-Friendly and accessible at push of few buttons. A mobile application has also been developed through which such information is accessible on mobile from anywhere. This system promotes public knowledge on all laws made in India. It also helps as effective information management to support the work of the administrative authorities and provision of ready access to it by the public in digital form.

This repository consists of all the Central Acts and State Acts. It is a central database repository which shall contain all laws made in India. As and when any new Acts, amendments to existing Acts are passed and subordinate legislations are made, respective authority has been provided with the facility to upload on central repository.

Under ICIS, indiacode.nic.in website has been developed which consist of all Central as well as State Acts along with their Subordinate Legislations. All Central Acts and State Acts will provide details relating to Sections, Schedules, Short titles, Enactment Dates and also very significant Foot-Notes in every Act. Search facility has been made available on the following fields:

1. Act Year
2. Act Number
3. Enactment Date
4. Short Title
5. Ministry
6. Department

A Free Text Search is also available.

MAJOR E-GOVERNMENT INITIATIVES

With the help of this system, any member of the public can have access to the existing enactments and also

the procedures of locating the relevant precedents and amendments being simplified for retrieving any Central Act and State Act including any subordinate legislation made thereunder. The up to date legislative documents will be made extremely User-Friendly and accessible at push of few buttons.

As an on ongoing process of updating and uploading of Central Acts on the New India Code website, Central Acts from the years 1838 to 2019 have been updated and uploaded. Hindi version of these Acts are available at www.legislative.gov.in. As far as updating and uploading of subordinate legislations are concerned, all the administrative Ministries and Departments in the Government of India have been requested to make available the updated versions and many Ministries/Departments have completed uploading of their subordinate legislations.

The ICIS is a major E-Government initiative containing all existing Central and State Acts of country having largest democracy at one place, therefore, available Acts are referred nationally as well as internationally by law makers, Judiciary, Academicians, Law Students, etc. Thus, web portal is accessed globally. The ICIS prevents the monopoly of private publishers who may claim copy rights of their publication for the citizen for their own laws.

35. PRINTING SECTION

The Printing Sections of the Legislative Department, namely, the Printing I and Printing II, undertake the processing of legislation for printing at various stages. These two Sections handle the work relating to the editing of manuscripts of the Bills (including preparation of contents and annexures, wherever required), Ordinances, Regulations, Adaptation Orders, Orders issued under the Constitution of India, Delimitation Orders and other statutory instruments before sending them to Press. The Printing Sections are checking the proofs of the Bills, etc., at multiple stages and after approval, the same are sent to Legislative I Section, which forwards them to Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat for printing of 'To be introduced in Lok Sabha/ Rajya Sabha stage copies. The Bills, which are required to be introduced at a short notice are also got printed by the Printing Sections on behalf of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats. Subsequently, the printed copies of the Bills are examined at various stages, namely, 'To be/As introduced' stage, 'As passed by the Lok Sabha/Rajya Sabha' stage, 'As passed by both the Houses' stage, 'Assent copy' stage, 'Signature copy' stage and at last, after assent of the President, the Act is prepared and processed for publication in the Official Gazette. Immediately thereafter, the Act is prepared and edited again for publishing the same as A-4 stage copy for public sale. Proofs of the A-4 size copies of the Acts are again scrutinized and got approved before returning to the Government Press for final printing and the printed copies of the Acts are checked for errata and released for sale.

2. Besides the editing and proof-checking of various other publications like the Constitution of India, India Code, Acts of Parliament, the Printing Sections have also undertaken the updating of the modified editions of the Central Acts as per the requirements of this Department.

3. During the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2019 the Printing I and Printing II Sections have performed the following tasks, namely:

   (a) edited manuscripts and checked the proofs, scrutinized copies of 107 Bills, 51 Bill Gazettes, 16 Ordinances and 2 Regulations

(b) checked the computer printout of the India Code (Total 1625 pages);

(c) 51 A-4 Acts have been prepared;

(d) edited and checked the proofs of 3 Constitution Orders;

4. Further, Printing Sections have checked 1084 pages of the Constitution of India.

36. GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (GSRO) SECTION

1. The revised edition of the Central Acts is published by the Legislative Department and the subordinate legislations made under the Acts are published by the administrative Ministry/Department concerned.

2. The subordinate legislations, namely, consisting of general statutory rules and orders, notifications, etc., under an enactment is prepared and issued by the Ministry or Department which is administratively concerned with the Act, after vetted by the Legislative Department. Pursuant to the recommendations of the Parliamentary Committee on Subordinate Legislation, a scheme for maintaining subordinate legislation up-to date and making the same available expeditiously to the public was formulated. The administrative Ministries are required under the said scheme, to maintain folders, containing up-to date copies of rules, orders and notifications issued by them.

3. The Rajya Sabha Committee on subordinate Legislation in its 135th Report has recommended that Ministries, as part of their e-governance initiative may, put all legislation on their websites, preferably bilingually. The Committee has further recommended that the Ministry of Communication and information Technology would develop standard application software with an internet interface for use in all Ministries, which would provide a searchable database of subordinate legislation linked to the principal Acts, administered by the respective Ministry.

4. The General Statutory Rules and Orders (GSRO) Section maintains alphabetical registers of General Statutory Rules and Orders (GSRO) issued by the various Ministries/Departments published in the Gazette of India for official use.

5. The General Statutory Rules and Orders (GSRO) Section has during the year 2019-20 sorted out the Gazette notifications relating to subordinate legislation issued by various Ministries/Departments under Part-II, Section 3, Sub- sections (i) and (ii), both pertaining to Ordinary and Extra-odinary. Entries of various notifications have been made in the alphabetical registers along with corrections relating to Part-II, Section 3, Sub-sections (i) and (ii) of various Ordinary and Extraordinary.

6. The G.S.R.O. Section arranged various precedents for Government Officers for drafting and vetting work.

7. The GSRO Section has also performed other work such as relating to RTI applications/RTI appeals and Parliament Questions.

37. INTEGRATED FINANCE AND BUDGET AND ACCOUNTS SECTION (IFD)

The Integrated Finance and Budget and Accounts Section is responsible for the work relating to preparation of Budget Estimates and Revised Estimates for all the three Departments of the Ministry of Law and Justice,

namely, Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Justice. Further, the work relating to finalisation of Budget, Pre-Budget Discussion and seeking supplementary/ additional funds are also looked after by this Section. The preparation of the Detailed Demands for Grants of the whole Ministry and compiling of Election Commission of India and Supreme Court of India Demands for Grants is also done by Budget and Accounts Section. Apart from this, the Section is also dealing with the proposals which involve financial implications for concurrence of Financial Advisor and wherever specific opinion is required to be taken from the Ministry of Finance, the same is also processed before forwarding to Ministry of Finance.

(2) IF&B&A Section is also responsible for the work relating to provisional release of funds to the States/Union Territories on account of Election related expenditure.

38. PUBLICATION SECTION

Publication Section brings out, from time to time, modified editions of the Central Acts and other important publications like the Constitution of India, Manual of Election Law, Orders issued under the Constitution of India, Index to Central Acts in Alphabetical and Chronological orders, Index to Statutory Definitions, etc.

The updated copy of the Constitution of India (English Version) with foot notes is made available in the website of this Department.

Manuscripts (English version) of nine Acts duly incorporating the up to date amendments have been prepared and forwarded to Official Languages Wing for necessary action. Publication of certain Central Acts are under process at different stages of printing.

39. THE OFFICIAL LANGUAGE SECTION

The Official Language Section of the Legislative Department is administratively responsible for the implementation of the Official Language Policy of the Union of India; the Official Language Act, 1963 and the Official Language Rules, 1976. This Section is also responsible for increasing the progressive use of Hindi for official purposes of the Union of India in addition to translation work from English to Hindi and *vice-versa*.

(1) Implementation of the Constitutional and other provisions of the Official Language Policy.

During the period from 01 January, 2019 to 31 December, 2019 the Legislative Department has taken the following steps to implement the Official Language Policy in all its manifestations:-

As per the provisions of the Official Language Rules 1976 , at present, more than 88.33%, 80.66% and 64.66% letters to regions 'A', 'B' and 'C' are being sent in Hindi respectively. Constant efforts are being made to achieve the targets stipulated in the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The replies to the letters, applications, representations etc. received in Hindi are being sent invariably in Hindi. The same received in English are also being answered in Hindi as per the Official Language Policy. All the Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative Reports, other Reports, Contracts, Notices and the Documents to be laid before the Parliament are prepared and issued bilingually as per sub-section(3) of section 3 of the Official Language Act, 1963 .

Legislative Department was notified on 29th April, 1979 under sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language Rules, 1976 for conducting the official business in Hindi. The officers and employees who are proficient in

Hindi have been directed to submit the drafts etc. only in Hindi. For this purpose, 17 sections out of 31 have been specified to transact the official work in Hindi under sub-rule (4) of rule 8 of the Official Language Rules, 1976.

(2) The Quarterly Progressive Reports for the Progressive Use of Official Language Hindi:

The Quarterly Progressive Reports of Hindi are regularly sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Through these Reports, position of employees regarding Hindi training and their overall work in Hindi is reflected and it is ensured that the percentage of correspondence as well as noting and drafting in Hindi increases as per the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

(3) Meetings of the Official Language Implementation Committee:

An Official Language Implementation Committee has been constituted in this Department under the Chairmanship of Joint Secretary and Legislative Counsel (OL Wing). The meeting of this Committee is held once in every three months regularly to assess the progressive use of Hindi for official purposes. The agenda and minutes of these meetings are sent to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The minutes are also circulated to all the officers and Sections of the Department for compliance. Quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee were held during the year on 29th March, 2019 (I), 25th June, 2019 (II), 30th September, 2019 (III) and 18th December, 2019 (IV) respectively. This Committee provides effective means to identify problems and suggests the solutions with regard to the progressive use of Hindi. In the meetings of this Committee, the Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for transacting the official work of the Union in Hindi, is also discussed and every effort is made to achieve the prescribed targets therein. The orders, circulars, directives, notifications, resolutions, recommendations etc. regarding the implementation of Official Language Policy of the Union of India are also discussed in these meetings.

(4) The Hindi Advisory Committee of the Ministry.

As per the guidelines issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, the Hindi Advisory Committee of the Ministry was constituted on 4th August, 1967 under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Law and Justice. This Committee has jointly been constituted for Department of Legal Affairs and Legislative Department. The Committee comprises Hon'ble Members of Parliament, nominated by Ministry of Parliamentary Affairs and the Committee of Parliament on Official Language, the nominees of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, nominees of prominent All India Hindi Voluntary Organizations, nominees of the Ministry of Law and Justice and those of Department of Official Language as non-official members. The Secretaries, Additional Secretaries and the concerned Joint Secretaries of the Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Official Language are the official members of this Committee.

(5) Hindi Training:

This Department nominates its officers/employees for the various training courses of Hindi conducted by Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. These Hindi Language Courses are *Prabodh, Praveen* and *Pragya.* There are training courses for Hindi typing and Hindi Shorthand

also. The nomination to these Hindi courses is a continuous process as the officers/employees get recruited, promoted and transferred on regular basis.

(6) Hindi Fortnight:

A 'Hindi Fortnight' from 14th September to 28th September, 2019 was organized in this Department. Various Hindi competitions were held during this period and a large number of officers and employees participated in these competitions. Out of these, two competitions were organized exclusively for non-Hindi speaking personnel. There were first, second, third and consolation prizes of Rs.4000/-, Rs.3000/- Rs.2000/- and Rs.750/- respectively. An amount of Rs.79,500/- was sanctioned to be given to the winners of these competitions.

(7) Incentive Schemes for working in Hindi:

There are three incentive schemes in operation in this Department for the progressive use of Hindi as directed by Department of Official Language. During the year 2019-20, eight employees were awarded prizes under the incentive scheme for noting/drafting done originally in Hindi. One employee each was awarded prizes under the incentive scheme for stenography and typing in Hindi in addition to English. One officer was awarded prize for giving dictation in Hindi. Apart from these schemes, officers & employees are granted cash prizes and advance increments on passing the Hindi Training Courses of Hindi Language, Hindi shorthand and Hindi typing conducted by the Hindi Teaching Scheme.

(8) Committee of Parliament on Official Language.

The Committee of Parliament on Official language was set up in1976 to monitor and give suggestions for the progressive use of Official Language Hindi in Central Government Ministries/ Departments and their offices. As far as Legislative Department is concerned, orders issued by the Department of Official Language, based on the recommendations of this Committee are being implemented.

40. OFFICIAL LANGUAGES WING

(1) FUNCTIONS

The Official Languages Wing is a successor Organisation of the Official Languages (Legislative) Commission under the Legislative Department. It has been entrusted with the following functions :-

(i) Preparation and publication of a standard legal terminology for use, as far as possible, in all Official Languages;

(ii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President;

(iii) Preparation of authoritative texts in Hindi of all Rules, Regulations and Orders made by the Central Government under any Central Act or any Ordinance or Regulation promulgated by the President;

(iv) Preparation of authoritative texts of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President in the respective Official Languages of the States and to arrange

for the translation of all Acts passed and Ordinances promulgated in any State into Hindi, if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi; and

(v) Translation into Hindi of deeds, legal documents like contracts, agreements, leases, bonds, mortgages etc. of different Departments;

(vi) Translation into Hindi of all statutory Notifications under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 ;

(vii) Translation into Hindi of statutory Rules issued by Governments of States under Presidential Rule;

(viii) Translation into Hindi of all the Parliament Questions/Answers, Assurances etc, relating to the Ministry of Law and Justice;

(ix) Training in Legislative Drafting in Hindi to Officers from Hindi speaking States;

(x) Work relating to Coordination Committee of Hindi speaking States for ensuring effective coordination in the evolution of uniform legal phraseology and model of standard clauses in Hindi and publication thereof;

(xi) Work relating to Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Law and Justice;

(xii) Work relating to providing Grants-in-Aid to voluntary organisations for promotion of Official Languages in the field of law;

(xiii) Publication of diglot editions of Central Acts (with legislative history) and popularisation thereof;

(xiv) Preparation and maintenance of India Code in Hindi (Bharat Sanhita) and also in diglot form; and

(xv) Publication of regional language versions of the Constitution of India and their release.

(2) LEGAL GLOSSARY

Since the inception of Official Languages (Legislative) Commission in 1961, seven editions of Legal Glossary have been brought out and every successive edition is larger in size. While the first edition (1970) contained 20,000 entries, the sixth edition (2001) of Legal Glossary contained approximately 63,000 entries spread over in eight parts. Latest 7th Edition of Legal Glossary has been published in the year 2015 and contained approximately 65,000 entries spread over in seven parts. The Legal Glossary brought out by the Official Languages Wing, which is one of the most important and prestigious publications, has received wide acclaim by discerning men of law and letters.

(3) CONSTITUTION OF INDIA

Besides, the authoritative text of the Constitution of India in addition to Hindi (the Official Language of the Union), the authoritative texts of the Constitution of India have been brought out in 15 other regional languages, namely, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit,

Tamil, Telugu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani. Recently competent Authority has also been pleased to approve the publication of Constitution of India in Manipuri Language Diglot form (English-Manipuri) and Dogri language Diglot form (English-Dogri).

(4) BHARAT SANHITA

All the Central Acts have been compiled and brought out in the form of India Code in handy volumes. The last edition of India Code consisting of eight volumes was published in 1959. Action has already been initiated for bringing out Bharat Sanhita (Revised Edition of India Code) in diglot form in chronological order.

One of the salient features of the Code is that the statement of objects and reasons appended to the principal Bills have also been added at the end of each Act and included in the revised edition of India Code. Volume I to XXXI of the revised edition of India Code have already been published and manuscripts of the India Code Volume XXXII and XXXIII have been sent to Press.

(5) PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF CENTRAL ACTS

During the period under report, authoritative texts of about 29 Acts in Hindi have been published in the Official Gazette under section 5 (1)(a) of the Official Languages Acts, 1963. Now the total number of such Acts since 1963 have gone up to 2477.

(6) PUBLICATION OF DIGLOT EDITIONS OF CENTRAL ACTS

Central Acts, for which there is likelihood of public demand, are published by the Official Languages Wing in diglot form. When there is a public demand for a particular Act, the same is published in diglot form (Hindi & English) for sale to general public. Total number of such Acts is 401 as on date.

(7) AUTHORISED HINDI TRANSLATION OF BILLS, ORDINANCES, ETC.

Sub-section (2) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that all Bills to be introduced or amendments thereto moved in either House of the Parliament shall be accompanied by Hindi translation of the same. During the period under report, the Hindi translation of 88 Bills, simultaneously with their English texts, was supplied to the Houses of Parliament. Besides this, Hindi translation of 15 Ordinances and 3 Notes for the Cabinet and 48 Acts were also prepared.

(8) GENERAL STATUTORY RULES AND ORDERS (G.S.R.OS)

Sub-section (3) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 lays down the foundation for bilingual working of the Central Government. Under clause (1) of that sub-section, all resolutions, general orders, rules, notifications etc., issued or made by the Central Government must be both in Hindi and English languages. During the period under report,9169 pages of such statutory rules/notifications etc., were prepared for different Departments of the Central Government.

(9) PREPARATION AND PUBLICATION OF AUTHORITATIVE TEXTS OF RULES, REGULATIONS, ORDERS ETC.

Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 requires that translation in

Hindi published under the authority of the President in the Official Gazette of any Order, Rule, Regulation or Bye-law issued under the constitution or under any Central Act shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi. Some Rules, Regulations, Orders etc., are at different stages of translation. During the period under report, 6237 pages of Recruitment Rules were translated.

(10) MAINTENANCE OF CENTRAL ACTS, ETC.

The Correction Section of the Official Languages Wing is maintaining and updating the Central legislations kept as master copies in the form of India Code, India Code (Diglot), Acts of Parliament (English) and sansad ke Adhiniyam (Hindi). It also keeps Constitution of India and important manuals including Manual of Election Law up-to- date for reference by the officers in this Wing. This Section is responsible for carrying out the amendments made by the amending Acts passed by the Parliament in the aforesaid master copies of Central Acts.

Besides, manuscripts of Hindi Text of the Central Acts proposed to be published in Diglot form prepared by O.L. Wing and during the year, manuscript of two diglot Acts are prepared.

In addition to above, this Section supplied –

(a) Supplied information regarding publication of e-gazette coies of Central Acts to various State Governments for translation into their respective regional languages ;

(b) Supplied E-Gazette copies of Hindi version of Central Acts to Hindi speaking States for republication in their State Gazettes ;

(c) Undertakes the work relating to publication; and

(d) Assists the Regional Languages unit of the Wing in connection with preparation of translation of Central Acts in Regional Languages and also assisted said Unit in conducting the Working Group (Regional Languages) meeting for deciding and approving the words to be included in glossary in respective regional languages.

(11) EDITING OF MANUSCRIPTS OF BILLS, ACTS, ORDINANCES, DIGLOT EDITIONS, ETC. AND PUBLICATION THEREOF

The Printing Section of the Official Languages Wing is primarily concerned with the editing of manuscripts and checking of proofs of Bills, Ordinances, Regulations, President's Acts etc; issued under the Constitution of India, Delimitation of Council Constituencies orders, etc; Bills, which are required to be introduced in a short time, are also printed on behalf of the Houses of People or the Council of States. Editing and Proof-Checking of the publication in diglot form of the Constitution of India, Manual of Election Law, revised Edition of India Code, modified diglot edition of Central Acts, statutory Rules and Orders, Annual Reports etc. are also done in this Section. This Section is also responsible for the printing and publication of Central Acts, Ordinances, Regulations, President's Act, etc; and their subsequent reprints in diglot form as publication for sale. This Section discharged all its responsibilities during the year under review.

The Printing Section of the Official Languages Wing is also performing the duties of the publication Section. During the period under report, 22 Acts were authenticated and 15 Ordinances were got published by this Section.

(12) PREPARATION AND PUBLICATION OF STANDARD LEGAL DOCUMENTS

Section 3 (3)(iii) of the Official Languages Act, 1963 requires that both Hindi and English Languages are to be used for agreements, contracts, leases, bonds, tenders etc., issued by or on behalf of the Central Government. or any Ministry, Department or office thereof. In order to comply with the requirement of the said Act, the Official Languages Wing has prepared Hindi version of the documents in eight volumes for various Ministries and Departments of the Central Government with a view to achieve uniformity in their translation. During the period under report, the Hindi version of 2572 pages of Parliament Questions Answers/ Assurances of this Ministry was also prepared.

(13) ESTABLISHING THE INDIAN LANGUAGES IN THE SPHERE OF LAW

The Official Languages Wing, Regional Languages Unit is constantly doing the work of translation of Central Acts into Hindi as enshrined in the Eighth Schedule to the Constitution of India. So far as the regional languages are concerned, this work is being done with the co-operation of respective State Governments.

The Official Languages Wing has also published the authoritative texts of Central Acts in regional languages as envisaged under section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973). During the period under report, translation of 25 Central Acts have been approved by the Working Group (Regional Languages) and 94 Central Acts in Regional Languages including Hindi have been authenticated as authoritative texts by the President of India. Besides the Authoritative texts of the Constitution of India in addition to Hindi has been brought out in 15 other Regional Languages that is, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telgu, Urdu, Sindhi, Nepali and Konkani.

(14) WIDE DISTRIBUTION OF CENTRAL ACTS, LEGAL GLOSSARY ETC.

The Gazette copies of Hindi version of Central Acts after they have been authenticated and published in the Gazette of India have been sent to Hindi speaking States. They were also sent to Gujarat and Maharashtra and the High Courts in these States. Further, these copies were sent to the concerned Ministries and Departments of Government of India, Andaman and Nicobar Islands, the Nagri Pracharini Sabha, Parliament Library and other Libraries. Copies of the Central Acts in diglot form are regularly sent to all States (Hindi as well as non-Hindi speaking States), Supreme Court of India, Parliament Library and all High Courts. The Constitution of India Legal Glossary also have be distributed into the Lok Sabha and Rajya Sabha and all the Ministries to the Government of India.

(15) WORK RELATING TO THE HINDI SALAHKAR SAMITI

The Twelfth Hindi Salahkar Samiti of this Ministry was constituted vide Resolution No.E.4(1)/2014-O.L.Wing (LD) dated 14th May, 2015 for three years and further its tenure was extended with effect from 14th May, 2018 for one year or remaining tenure of present Lok Sabha. The process of reconstituting the Hindi Salahkar Samiti is underway. The functions of the Samiti are normally to advise the Central Government on matter relating to :-

(i) preparation of Hindi version of Central Acts and statutory rules ;

(ii) the evolution of common legal terminology ;

(iii) the production of standard law books in Hindi for imparting legal education in Hindi in law

colleges and Universities ;

(iv) publication of law journals and reports in Hindi ;

(v) matters ancillary and incidental to any of the above items ; and

(vi) suggest ways and means for the propagation and development of Hindi in the field of law for official use.

(16) GRANTS IN AID TO VOLUNTARY ORGANISATIONS

There is a scheme for the promotion of Official Languages of the Union and States for propagation and development of Hindi and other Indian languages in the field of law. Under the scheme ,Voluntary Organisations and institutions are provided with financial aid. Since 1985, the Official Languages Wing has been implementing this scheme to give financial assistance to those voluntary organisations which are engaged in the activities for development and propagation of literature in the field of law and other regional languages which could be in the form of proposed commentaries, treatises, books on legal subjects, law journals, law compendium and other publications as are conducive to enrichment, propagation and development of Hindi and other regional languages of the State. A High Powered Committee has been constituted w.e.f. 25th April] 2019 for three years under the Chairmanship of Justice Dr. Satish Chandra (Retd.) Judge of High Court of Allahabad, and the other members of the Committee are Smt. Kumud L. Das, Advocate, Supreme Court of India, New Delhi, Prof. (Dr.) Subash Chandra Gupta, Professor and Head - Deptt. of Law, HNB Garhwal University, Dr. BGR, Campus, Pauri Garhwal and Joint Secretary and Legislative Counsel of Official Languages Wing as Member -Secretary.

The meeting of newly constituted High Powered Committee is likely to be convened shortly for considering the applications received from Voluntary Organisations for giving gratns to them for the financial year 2019-2020.

(17) SPECIAL STEPS ADOPTED FOR THE PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGES

Official Languages Wing has hosted a website on 3-12-2001 and its Universal Resource Locater is http://lawmin.nic.in/olwing. Apart from this, the important Acts of Parliament in various regional languages have also been hosted under the respective languages on the home page of the O.L. Wing. In order to facilitate printing of various Bills, Notifications, Orders, Recruitment Rules etc. the O.L. Wing has started using the Unicode fonts and provides soft copies of the Hindi Texts.

The Constitution of India, I.P.C., Cr. P.C. and the Manual of Election Laws have already been hosted on the net. This website has been further enriched by listing central enactment from the Year 1838 to 2018, Principle as well as amending along with 10 important legislations have also been uploaded on the web site in PDF format for the benefit of legal fraternity and general public as well as the law students.

During the period under report, Bill Section, Translation-I Section, Translation-II Section, Legislative- I, Legislative-II Section, Printing Section, Correction Section, Administration Section, Cash Section and Library of O.L. Wing were fully computerized. The Camera Ready copies of almost all the Bills were prepared during the period under report. For ease of working, the O.L. Wing has started using Mangal font which has universal functionality in Hindi Language.

A list of Names, Addresses, e-mail address and Contact Numbers of all the Group 'A' officers of the O.L. Wing in English and Hindi has also been hosted on the home page of O.L. Wing.

The Scheme for Assistance to Voluntary Organisations for promotion of Official Languages in the field of Law both in English and Hindi and has also been hosted on the Net.

41. VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

In the year 1958, the Committee of Parliament on Official Languages recommended that arrangements be made to bring out authorised translation of important judgements of the Supreme Court of India and the High Courts and this work could be entrusted to a Central Office under the supervision of Law Department. Thereafter, on the recommendations of the Hindi Advisory Committee, a "Journal Wing" was set up in the Legislative Department in the year 1968 with the object of promoting the use of Hindi in the legal field which was subsequently redesignated as "VIDHI SAHITYA PRAKASHAN".

Initially, after translating in Hindi and making headnotes thereof monthly publication of all the reportable judgements of the Supreme Court of India, as marked 'REPORTABLE' was started in April, 1968 and it was designated as "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika". Another monthly publication containing judgements of the High Courts was started in January, 1969 and it was designated as "Uchcha Nayayalaya Nirnaya Patrika". In the year 1987 "Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika" was bifurcated into two Nirnaya Patrikas i.e. "Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika" and "Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika". Later on, due to ever-increasing volume of Supreme Court's reportable judgements as well as dearth of requisite editorial staff in the Vidhi Saahitya Prakashan, the "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika" has been publishing in Hindi only important selected reportable judgements of the Supreme Court since 1990. The "Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika" and "Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika" respectively are publishing in Hindi only important selected judgements in civil and criminal matters of all High Courts of the country.

Apart from the publication of the above three Patrikas, the Vidhi Sahitya Prakashan is also responsible of the following works, namely :–

(a) Publication of text books in Hindi in the field of law for use in the academic and other circles as reference books;

(b) Translation and publication of legal classics in Hindi :

(c) Awarding of various prizes for the best publications in Hindi in the field of law;

(d) Sale of Hindi publications of the Vidhi Sahitya Prakashan and diglot editions etc. of the Official Languages Wing of the Legislative Department ; and

(e) Holding of conferences, seminars and book exhibitions at different places in India, particularly in Hindi speaking States for popularisation and improvement of legal literature in Hindi.

In addition to above, standard law books in Hindi written by eminent authors are also being published by the Vidhi Sahitya Prakashan for the use of law students, law teachers, lawyers and judicial officers, In order to give incentive to authors writing law books originally in Hindi, the prizes and certificates respectively are awarded annually for best publications in Hindi in the field of law.

Seminars in law colleges, High Courts, District Courts etc. of the State Governments of the Hindi as well as non-Hindi speaking States are held from time to time for propagation and development of Hindi in the field of law. Vidhi Sahitya Prakashan also holds exhibitions of its own publications, including diglot (Hindi-English) editions of the Central Acts of the Official Languages Wing in different Hindi and non-Hindi speaking States and looks after the sale of these publications.

A quarterly journal entitled 'Vidhi Sahitya Samachar' is also being published which contains detailed information regarding various activities in the field of law and publications of the Vidhi Sahitya Prakashan. A 'Publication List' containing priced publications available with Vidhi Sahitya Prakashan is also made available to the customers from time to time.

The details of progress made during the year 2019 are given below :–

Publication of Nirnaya Patrika : During the period under report, at the editing/translation stage the 'Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika' has been updated upto December, 2019, 'Uchcha Nyayalaya Civil Nirnaya Patrika' has been updated upto September, 2019 and 'Uchcha Nyayalaya Dandik Nirnaya Patrika' has been updated upto September, 2019.

Award of Prizes : Under the Scheme for writing, translating and publication of law books in Hindi and awarding prizes to such books written or published in Hindi for use as text books or reference books, the award to the tune of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five lakh only), [the 1st prize for Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only), the 2nd prize for Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand only) and 3rd prize for Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only] are awarded annually for the best publication in Hindi in the five principal branches of law.

Publication of Books : Thirty four standard law books in Hindi have been published by Vidhi Sahitya Prakashan. Text Books titled 'Bharitya Samvidhan ke Prumukh Tatv', 'Apkritya Vidhi Ke Prumukh Nirnay' and 'Bharat ka Samvidhanik Itihas' are in process of revision and reprinting.

Seminars, exhibitions and sale of books, etc. : In the sequence of holding seminars and books exhibitions, in the year 2019, exhibitions of books have been organised in District Court, Rudraprayag, District Court Chamoli, Sikkim High Court (Gangtok), Kerala High Court (Ernakulum), District Court Jodhpur and District Court Jaisalmer. In these exhibitions, the advocates showed keen interest and highly appreciated the publications of Vidhi Sahitya Prakashan. All Publications available for online sale at https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

During the period from 1st January, 2019 to 30th November, 2019 the total sale figure of Vidhi Sahitya Prakashan is Rs. 1,03,40,036/- (Rupees One crore three lakhs forty thousand and thirty-six only).

Business Section

Organising of Book Exhibition cum Sales Counter: In regard to organizing of book exhibition cum sales counters only six following exhibitions cum sales counters have been organized by the Business Section during the year 2019:

(i) (a) District Court – Rudrapryag during 8th & 9th July, 2019

(b) District Court – Chamoli (Gopeshwar) during 11th & 12th July, 2019.

(ii) Sikkim High Court – Gangtok during 29th & 30th August, 2019

(iii) Kerala High Court – Ernakulum during 22nd & 23rd October, 2019

(iv) (a) District Court – Jodhpur during 16th & 17th December, 2019

(b) District Court – Jaisalmer during 19th & 20th December, 2019

Softcopies in PDF format of Uchhatam Nayalaya Nirnaya Patrika upto August, 2019, Uchha Nayalaya Civil Nirnaya Patrika upto June, 2019 and Uchha Nayalaya Dandik Nirnaya Patrika upto May, 2019 have already been uploaded on the website of the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice. Besides of this printed hardcopy these partrikas are available in the Vidhi Sahitya Prakashan for sale upto May, 2019, February, 2019 and January, 2019 respectively.

During 1st January, 2019 to 30th November, 2019 total sale proceeds of Law publication published by Legislative Department (Official Language Wing and VSP) is Rs. 1,03,40,036/- (Rupees One crore three lakhs forty thousand and thirty-six only).

42. DEPUTATION/DELEGATION ABROAD: LEGISLATIVE DEPARTMENT

Shri K. Biswal, Additional Secretary, Legislative Department visited Singapore from 10th June, 2019 to 14st June, 2019 to attend the Singapore Cooperation Programme Training Award Course on International Trade Law in Singapore.

43. RESERVATION FOR THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS IN SERVICE POSTS.

Officers of the level of Deputy Secretary/Director are functioning as Liaison Officers for the three Administrative Wings of the Legislative Department, viz., Legislative Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan to oversee the implementation of Orders/Instructions of the Government on reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and Physically Handicapped persons in service/posts in respective units.

A Statement showing the total number of employees in the Department (Main), Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan and number of employees belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically handicapped persons and the female employees amongst them as on 01.01.2020 is enclosed (**Annexure-IX** and **Annexure-X**).

44. SWACHHTA PAKHWADA:

This Department has celebrated Sawachhta Pakhwada from 01/04/2019 to 15/04/2019 and Swachhta Activities were made and Training Session on Zero Garbadge was conducted by the Expert. A pledge was also administered by Secretary Legislative Department (**Annexure XI**).

45. PUBLIC GRIEVANCES

During the period from 1st January, 2019 to 31st December, 2019 Legislative Department received 1076 public grievances on CPGRAMS portal. Further 151 public grievances were pending before 1st January, 2019. During the said period 625 grievances have been disposed off and action is being taken for disposed of remaining grievances on priority basis.

46. DEPARTMENT ACCOUNTING ORGANISSATION

The Secretary is the Chief Accounting Authority in the Ministry of Law and Justice. He discharges his functions with the assistance of Additional Secretary (Financial Adviser) and Chief Controller of Accounts.

2. As per Rule 70 of GFRs 2017, the Secretary of a Ministry/Department who is the Chief Accounting Authority of the Ministry/Department shall: –

(i) Be responsible and accountable for financial management of his Ministry or Department.

(ii) Ensure that the public funds appropriated to the Ministry are used for the purpose for which they were meant.

(iii) Be responsible for the effective, efficient, economical and transparent use of the resources of the Ministry in achieving the stated project objectives of that Ministry, whilst complying with performance standards.

(iv) Appear before the Committee on Public Accounts and any other Parliamentary Committee for examination.

(v) Review and monitor regularly the performance of the programs and projects assigned to his Ministry to determine whether stated objectives are achieved.

(vi) Be responsible for preparation of expenditure and other statements relating to his Ministry as required by regulations, guidelines or directives issued by Ministry of Finance.

(vii) Shall ensure that his Ministry maintains full and proper records of financial transactions and adopts systems and procedures that will at all time afford internal controls.

(viii) Shall ensure that his Ministry follows the Government procurement procedure for execution of works, as well as for procurement of services and supplies and implements it in a fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective manner.

(ix) Shall take effective and appropriate steps to ensure his Ministry:-

(a) Collects all moneys due to the Government and

(b) Avoids unauthorized, irregular and wasteful expenditure.

3. As per Para 1.2.2 of Civil Accounts Manual, the Chief Controller of Accounts for and on behalf of the Chief Accounting Authority is responsible for :-

(a) Arranging all payments through the Pay and Accounts Offices/Principal Accounts Office except where the Drawing and Disbursing Officers are authorized to make certain types of payments.

(b) Compilation and consolidation of accounts of the Ministry/ Department and their submission in the form prescribed, to the Controller General of Accounts; preparation of Annual Appropriation Accounts for the Demands for Grants of his Ministry/Department, getting them duly audited and submitting them to the CGA, duly signed by the Chief Accounting Authority.

(c) Arranging internal inspection of payment and accounts records maintained by the various subordinate formations and Pay and Accounts Offices of the Department and inspection of records pertaining to transaction of Government Ministries/Departments, maintained in Public Sector Banks.

4. The Chief Controller of Accounts, Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India performs his duties with the assistance of two Pr. Accounts Officers and four Pay and Accounts Officers amongst other staff.

5. The Ministry of Law and Justice, Supreme Court has 53 DDOs including 33 CDDOs and 20 NCDDOs. The non-cheque drawing DDOs submit bills to the Pay and Accounts Office under pre-check system of payment. The PAO-wise detail of the CDDOs and NCDDOs is as under:

S.No.	PAO	D.D.O.	
		CDDOs	NCDDOs
1	PAO (EO)	4	3
2	PAO (LA)	29	12
3	PAO (SCI)	0	1
4	PAO (LD)	0	4

6. As per Para 1.2.3 of Civil Accounts Manual, Principal Accounts Office in New Delhifunctions under a Principal Accounts Officer who is responsible for : -

a) Consolidation of the accounts of the Ministry/Department in the manner prescribed by CGA;

b) Preparation of Annual Appropriation Accounts of the Demands for Grants controlled by that Ministry/ Department, submission of Statement of Central Transactions and material for the Finance Account of the Union Government(Civil) to the Controller General of Accounts;

c) Payment of loans and grants to State Government through Reserve Bank of India, and wherever this office has a drawing account payment therefrom to Union Territory Government/ Administrations;

d) Preparation of manuals keeping in view the objective of management accounting system if any, and for rendition of technical advice to Pay and Accounts Offices, maintaining necessary liaison with CGA's Office and to effect overall coordination and control in accounting matters;

e) Maintaining Appropriation Audit Registers for the Ministry/ Department as a whole to watch the progress of expenditure under the various Grants operated on by the Ministry/Department;

Principal Accounts Office/Officer also performs all administrative and coordinating function of the accounting organization and renders necessary financial, technical, accounting advice to department as well as to local Pay & Accounts offices.

7. As per provisions contained in Civil Accounts Manual, Pay & Accounts offices make payments pertaining to respective Ministries/ Departments and in certain cases payments will be made by the departmental Drawing and Disbursing Officers (DDOs) authorized to draw funds, by means of cheques drawn on the offices/branches of accredited bank that may be authorized for handling the receipts and payments of the

Ministry/Department. These payments will be accounted for in separate scrolls to be rendered to the Pay and Accounts Offices of Ministry/Department concerned. Each Pay and Accounts Office or Drawing and Disbursing Officer authorized to make payments by cheques, will draw only on the particular branch/branches of the accredited bank with which the Pay and Accounts Office or the Drawing and Disbursing Officer as the case may be, is placed in account. All receipts of the Ministry/Department are also be finally accounted for in the books of the Pay and Accounts Office. The Pay and Accounts office is the basic Unit of Departmentalized Accounting Organization. Its main function include:-

- Pre-check and payment of all bills, including those of loans and grants-in-aid, submitted by Non-Cheque Drawing DDOs.
- Accurate and timely payments in conformity with prescribed rules and regulations.
- Timely realization of receipts.
- Issue of quarterly letter of credit to Cheque Drawing DDOs and post check of theirVouchers/bills.
- Compilation of monthly accounts of receipts and expenditures made by them incorporating there with the accounts of the cheque Drawing DDOs.
- Maintenance of GPF accounts other than merged DDO and authorization of retirement benefits.
- Maintenance of all DDR Heads.
- Efficient service delivery to the Ministry/Department by the banking system by way of e-payment.
- Adherence to the prescribed Accounting Standards, rules and principles.
- Timely, accurate, comprehensive, relevant and useful financial reporting.

8. The specific approval of the CGA, Ministry of Finance would have to be obtained in connection with any proposal for creation (or re-organization) of a new Pay & Accounts Office or for adding to the list of cheque drawing DDOs included in the Scheme of Departmentalization of Accounts of a Ministry/ Department.

9. The overall responsibilities of Departmental Accounting Organization in respect of Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India are:-

- Consolidation of monthly accounts of Ministry and its submission to the CGA.
- · Annual Appropriation Accounts.
- Statement of Central Transactions.
- Preparation of "Accounts at a Glance".
- Union Finance accounts which are submitted to the CGA, Ministry of Finance andPrincipal Director of Audit.
- Payments of grants-in-aid to State Government /Grantee Institutions/Autonomous Bodies etc.

- Rendering technical advice to all PAOs and Ministry; if necessary in consultation with other organization like DOPT, Ministry of Finance and CGA etc.
- Preparation of Receipt Budget.
- Preparation of Pension Budget.
- Procuring and supplying of cheque books for and on behalf of PAOs/Chequedrawing DDOs and Personal Deposit Account Holder.
- Maintaining necessary liaison with Controller General of Accounts office and toeffect overall co-ordination and control in accounting matters and accredited Bank.
- Verify and reconcile all receipts and payments made on behalf of Ministry of Law and Justice through the accredited Bank.
- Maintaining accounts with Reserve Bank of India relating to Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India and reconciling the cash balances.
- Ensuring prompt payments.
- Speedy settlement of Pension/Provident fund and other retirement benefits.
- Internal Audit of the Ministry, subordinate and attached offices under Ministry of Law and Justice and its Grantee institutions, etc.
- Making available accounting information to all concerned authorities.
- Budget co-ordination works of Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India.
- Monitoring of New Pension Scheme and pension revision cases of Pre-2006 and Pre - -1990 retirees.
- Computerization of Accounts and e-payment.
- Administrative and co-ordination function of the accounting organization.
- Universal Roll out of Public Financial Management System (PFMS) for Central Sector Scheme.
- Universal Roll out of Non-Tax Receipt Portal(NTRP) as per M/o Finance guidelines.

10. Accounting information and data are also provided to the Ministry to facilitate effective budgetary and financial control. Monthly and progressive expenditure figures under various subheads of the grant of the Ministry of Law and Justice, Supreme Court of India are furnished to Budget Section. Progress of expenditure against budget provisions are also submitted monthly to Secretary, Addl. Secretary & Financial Adviser as well as Heads of Divisions of the Ministry controlling the grant for purposes of better monitoring of expenditure.

11. The Accounting organization also maintains accounts of long-term advances such as House Building Advance and Motor Car Advance and GPF accounts of employees of the Ministry.

12. The verification and authorization of pensionery entitlement of officers and staff members is done by the Office of the Chief Controller of Accounts on the basis of service particulars and pension papers furnished by Heads of Offices. All retirement benefits and payments like gratuity, cash equivalent to leave salary as well as payments under Central Government Employees Group Insurance Scheme; General Provident Fund etc. are released by CCA's office on receipt of relevant information / bills from DDOs.

13. INTERNAL AUDIT WING -The Internal Audit Wing carries out audit of accounts of various offices of the Ministry to ensure that rules, regulations and procedures prescribed by the government are adhered to by these offices in their day to day functioning.

Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It basically aims at helping the organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. It is also an effective tool for providing objective assurance and advice that adds values, influence change that enhances governance, assist risk management and control processes and improve accountability for results. It also provides valuable information to rectify the procedural mistakes and deficiencies and, thus, acts as an aid to the management. The periodicity of audit of a unit is regulated by its nature and volume of work and quantum of funds.

There are 51 Auditee units / DDOs under various departments of Ministry of Law & Justice and Supreme Court of India excluding autonomous bodies and other grantee institutions and specific schemes under the Ministry. In the Financial Year 2019-20, Eleven (11) units of Ministry of Law & Justice have been audited. The audit of more units/DDOs could not be conducted because there is no sanctioned post/permanent manpower for the Internal Audit Wing, Principal Accounts Office of this ministry. The audit work is being managed by officers and staffs posted in different Pay & Accounts Offices and Principal Accounts Office along with two Consultants engaged from the empanelled list of retired officers/officials being maintained by the O/o Controller General of Accounts.

Achievements:- There were a total of 323 outstanding audit paras in respect of Ministry of Law & justice till the financial year 2015-16. Thereafter, several reminders and circulars were sent to the concerned Offices/ Departments, 215 paras pertaining to the period till 2015-16 ; 193 pertaining to the year 2016-17 and 32 paras pertaining to period 2017-18 and 51 paras pertaining to period 2018-19 have been settled by the Internal Audit Wing. However, the Current status of outstanding internal audit paras are appended below:-

F.Y.	Number of outstanding paras	Number of paras dropped	Number of paras remaining
Till 2015-16	323	215	108
2016-17	251	193	58
2017-18	60	32	28
2018-19	138	51	87
2019-20 115	17	98	
	887	**508**	**379**

14. Banking Arrangements :-Indian Bank, State Bank of India, UCO Bank and Dena Bank are accredited banks for PAOs and its field offices of the Ministry of Law, Justice and SCI. Cheques issued by the PAOs/CDDOs are presented to the nominated branch of the accredited bank for payment. The receipts are also remitted to the accredited banks by the respective CDDOs/PAOs. Any change in accredited bank required specific approval of Controller General of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance.

15. New Initiatives:-

i. Public Financial Management System

Public Financial Management System (PFMS) initially started as a Plan scheme named CPSMS of the Planning Commission in 2008-09 as a pilot in four States of Madhya Pradesh, Bihar, Punjab and Mizoram for four Flagship schemes e.g. MGNREGS, NRHM, SSA and PMGSY. After the initial phase of establishing a network across Ministries / Departments, it has been decided to undertake National rollout of CPSMS (PFMS) to link the financial networks of Central, State Governments and the agencies of State Governments. The scheme was included in 12th Plan initiative of erstwhile Planning Commission and Ministry of Finance.

The mandate given to PFMS by Cabinet decision is to provide:

- A financial management platform for all plan schemes, a database of all recipient agencies, integration with core banking solution of banks handling plan funds, integration with State Treasuries and efficient and effective tracking of fund flow to the lowest level of implementation for plan scheme of the Government.
- To provide information across all plan schemes/ implementation agencies in the country on fund utilization leading to better monitoring, review and decision support system to enhance public accountability in the implementation of plan schemes.
- To result in effectiveness and economy in Public Finance Management through better cash management for Government transparency in public expenditure and real-time information on resource availability and utilization across schemes. The roll-out will also result in improved programme administration and management, reduction of float in the system, direct payment to beneficiaries and greater transparency and accountability in the use of public funds. The proposed system will be an important tool for improving governance.

Modules to implement the Mandate

Modules developed /under development by PFMS for stakeholders as per the Union Cabinet above mandate are as under:

I. Fund Flow Monitoring

(a) Agency registration

(b) Expenditure management and fund utilisation through PFMS EAT module

(c) Accounting Module for registered agencies

(d) Treasury Interface

(e) PFMS-PRI fund flow and utilization interface

(f) Mechanism for State Governments towards fund tracking for State schemes

(g) Monitoring of Externally Aided Projects (EAP):

II. Direct Benefit Transfer DBT modules

(a) PAO to beneficiaries (b) Agency to beneficiaries (c) State treasuries to beneficiaries

III. Interfaces for Banking

(a) CBS

(b) India Post

(c) RBI

(d) NABARD & Cooperative Banks

Modules to implement Enhanced mandate:

IV. PAO Computerization-Online payments, receipts and accounting of Govt. of India

(a) Programme Division module

(b) DDO module

(c) PAO module

(d) Pension module

(e) GPF & HR module

(f) Receipts including GSTN

(g) Annual Financial Statements

(h) Cash Flow Management

(i) interface with non-civil ministries

V. Non – Tax Receipt Portal

Other Departmental Initiatives:-

To leverage the capabilities of PFMS, several other departments have approached PFMS for developing utilities for their departmental needs as follows:

VI. Interface for MHA (Foreigners Division) Monitoring of Agencies receiving fund under FCRA

VII. CBDT PAN Validation

VIII. GSTN bank account validation

Implementation Strategy:-

An action Plan has been prepared and approved by Ministry of Finance for phasedimplementation of Public Financial Management System.

Improved Financial Management through:

- Just in Time (JIT) release of funds
- Monitoring of use of funds including ultimate utilization

Strategy:

- Universal rollout of PFMS which inter alia includes
- Mandatory registration of all Implementing Agencies (IA) on PFMS and
- Mandatory use of Expenditure Advance & Transfer (EAT) Module of PFMS by all IAs

I. Implementation Strategy for Central Sector (CS) schemes/transactions

- Activities to be completed
- Mandatory registration and use of EAT module by IAs
- Mapping of all relevant information of Schemes
- Uploading of budget of each scheme on PFMS
- Identify implementation hierarchy of each Scheme
- Integration of Systems Interface of specific Schemes with PFMS e.g. NREGASoft, AwasSoft
- Deployment and Training of Trainers

II. Implementation Strategy for Central Assistance to State Plan (CASP)

- Activities to be undertaken by states
- State Treasury Integration with PFMS
- Registration of all SIAs on PFMS (1st level & below)
- Mapping of State Schemes with corresponding central schemes
- Configuration of State Schemes on PFMS

* Configuring State Scheme Components

* Identify and configure hierarchy of each state scheme

- Integration of PFMS with Scheme specific software application
- Deployment and training of Trainers
- Continuous support for implementation

Out of four (04) Pay & Accounts Offices viz. PAO(LA), PAO(LD), PAO(EO) & PAO(SCI) under Ministry of Law & Justice and Supreme Court of India, roll out of payment and accounting module of Public Financial Management System (PFMS) in three (03) Pay & Accounts Offices viz. PAO(LA), PAO(LD) & PAO(EO) has been successfully implemented in 2018-19 except PAO(SCI), which is still working on COMPACT as permitted by the CGA.

Status of EIS / CDDO / NTRP Module in Ministry of Law & Justice:-

1. Implementation of CDDO Module for electronic payments by CDDOs					
Ministry/ Department	**Total No. of CDDOs**	**No. of CDDOs on board PFMS**	**Remaining No. of CDDOs**	**Month-wise plan for bringing on board PFMS**	
				Feb 20	**Mar 20**
M/o Law & Justice	33	29	4	1	3

2. Employee Information System (EIS) Module					
Ministry/ Department	**Total No. of DDOs**	**No. of DDOs on board PFMS**	**Remaining No. of DDOs**	**Month-wise No. of DDOs to be onboarded**	
				Feb 20	**Mar 20**
M/o Law & Justice	53	47	6*	1	3

** In two (02) DDOs EIS is not required at present.*

3. Non Tax Receipts Portal (NTRP) Module			
Ministry/Department	**Total No. of PAOs**	**No. of PAOs on board PFMS**	**Remaining No. of PAOs**
M/o Law & Justice	4	4	nil

Salient Features of Appropriation Accounts 2019-20

(₹ in crores)

MAJOR HEAD	Budget Estimates	Final Estimates	Expenditure	Excess(+) Saving (-)
Grant No. 61 2052-Secretariat General Services	120.15	124.17	117.73	-6.44
2014-Administration of Justice	598.03	519.78	515.04	-4.74
2015-Election	1087.12	912.10	912.84	0.74
2020-Collection of Taxes on Income & Expenditure	90.35	100.27	94.25	-6.02
2070-0ther Administrative Services	12.98	11.79	10.81	-0.98

2552-North Eastern Areas	112.70	28.94	0	-28.94
3601-Grants-in-Aid to State Governments.	515.00	656.69	656.69	0
3602-Grants-in-Aid for UT Governments	50	0	0	0
4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	1800	3678.57	3676.96	-1.61
			Amount surrendered during the year	-526.20
Total	**4386.33**	**6032.31**	**5984.32**	**-574.19**
Appropriation No.63-Supreme Court of India				
MH-2014 Administration of Justice (Charged)	251.06	258.53	258.53	0

(Source : Appropriation Accounts 2019-20)

CHAPTER-III

DEPARTMENT OF JUSTICE

1. ORGANISATION AND FUNCTIONS:

The Department of Justice forms part of the Ministry of Law and Justice. It is headed by Minister, Law & Justice. The Secretariat is headed by Secretary (Justice). The organizational setup includes four Joint Secretaries, eight Directors/Deputy Secretaries and eleven Under Secretaries. The sanctioned strength of the Department of Justice is 103, out of which, 45 posts are lying vacant. Out of 58 present incumbents, only 11 women officer/officials are working in this Department. The functions of the Department of Justice include the appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court of India and Chief Justices and Judges of the High Courts and their service matters. In addition, the Department implements important schemes for infrastructure development of subordinate courts, computerization of the courts and setting up of Fast Track Special Courts. The Organizational Chart of the Department of Justice is at **Annexure-XII**.

1.1 As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, as amended from time to time), the subjects handled by the Department of Justice, inter-alia, include the following:

i. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowance), pensions and travelling allowances.

ii. Appointment, resignation and removal etc. of Chief Justice and Judges of High Courts in States, their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances;

iii. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial Officers in Union Territories;

iv. Constitution and organization (excluding jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but including contempt of such Court) and the fees taken therein;

v. Constitution and organization of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners except provisions as to officers and servants of these courts;

vi. Administration of justice and constitution and organization of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.;

vii. Courts fees and Stamp duties in the Union Territories;

viii. Creation of All India Judicial Service;

ix. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories;

x. Extension of the Jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the Jurisdiction of a High Court;

xi. Legal Aid to the poor;

xii. Administration of Justice; and

xiii. Access to Justice Delivery and Legal Reforms;

2. APPOINTMENT OF JUDGES:

2.1. Supreme Court of India:

With effect from 09.08.2019, the Judge Strength of the Supreme Court has been increased from 31 to 34 (including the Chief Justice of India). During the period from 01.04.2019 to 31.12.2019, 08 Judges were appointed in the Supreme Court.

As on 31.12.2019, 33 Judges are in position, leaving 1 vacancy of Judge to be filled. Taking forward the aim of ensuring a more representative judiciary, for the first time in the history of Supreme Court of India, 3 women Judges; and a Judge in the Supreme Court of India from Scheduled Caste communities, after a gap of over 9 years, were appointed.

2.2. High Courts:

During the period from 01.04.2019 to 31.12.2019, 69 fresh appointment of Judges in the High Courts, and 67 Judges of High Courts as Permanent Judges were appointed. Further, appointment of 18 Chief Justices of High Courts; and 03 Chief Justices and 8 Judges of the High Courts were transferred from one High Court to another. 07 Additional Judges were given fresh term.

As on 31.12.2019, against the sanctioned strength of 1079 Judges in the High Courts, 678 Judges were in position, leaving vacancies of 401 posts of Judges to be filled.

2.3. Common High Court:

Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 dated 09.08.2019 has reorganised High Court of Jammu & Kashmir and is now be Common High Court for Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.

3. FAMILY COURTS:

3.1 The Family Courts Act, 1984 provides for establishment of Family Courts by the State Governments in consultation with the High Courts with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and for matters connected therewith. Under Section 3(1) (a) of the Family Courts Act, it is mandatory for the State Governments to set up a Family Court for every area in the State comprising a city or a town whose population exceeds one million. In other areas of the States, the Family Courts may be set up if the State Governments deem it necessary.

3.2 The main objectives and reasons for setting up of Family Courts are:

(i) To create a Specialized Court which will exclusively deal with family matters so that such a court has the necessary expertise to deal with these cases expeditiously. Thus, expertise and expeditious disposal are two main factors for establishing such a court;

(ii) To institute a mechanism for conciliation of the disputes relating to family;

(iii) To provide an inexpensive remedy; and

(iv) To have flexibility and an informal atmosphere, in the conduct of proceedings.

3.3 A scheme of Central financial assistance was started in the year 2002-03 for setting up of Family Courts. As per the scheme, Central Government provided 50% of the cost of construction of the building of Family Court and residential accommodation of the Judge subject to a ceiling of Rs.10.00 lakh as a one-time grant as Plan support and Rs.5 lakh annually as the recurring cost under Non-Plan. The State Government was required to provide matching share. A grant of Rs.11.50 crore was released to the State Governments till the year 2012-13. The component provided for grant for construction of building of Family Court and residential accommodation of the Judges has been subsumed in the Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary.

4. FAST TRACK COURTS:

Fast Track Courts (FTCs) are set up by the State Governments as per their need and resources, in consultation with the High Courts concerned. In the Memorandum submitted to the 14th Finance Commission, the Union Government had proposed setting up of **1800** FTCs at a cost of **Rs.4144.00 crore** during the period 2015-2020 **for dealing with** heinous crimes. The Commission endorsed the proposal and urged the State Governments to utilize enhanced fiscal space available to them through devolution (32% to 42%). 704 numbers of FTCs are functional all over the country (as on 30.09.2019).

5. SPECIAL COURTS FOR TRIAL OF CRIMINAL CASES INVOLVING ELECTED MPS/ MLAS:

12 Special Courts (02 Special Courts in NCT of Delhi and 01 Special Court each in the States of Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal) were set up for expeditious trial and disposal of criminal cases involving elected MPs/ MLAs. **Rs.65.04 lakh** were allocated during the Financial Year 2017-18 and **Rs.714.96 lakh were** allocated during Financial Year 2018-19. **The Apex Court has directed for continuance of 10 above Courts (except the Court of Bihar and Kerala) till further orders. Thus presently 10 Special MP/MLA Courts are functional, to whom an amount of Rs.650 lakh has been sanctioned during the Financial Year 2019-20 in two installments.**

6. FIFTEENTH FINANCE COMMISSION:

A Memorandum of Justice Sector was prepared and submitted to the 15th Finance Commission. The total financial implications involved is **Rs.14380.66 crore** for proposals supporting Fast Track Courts, setting up of Justice Clock and information centre at Court Complexes, different proposals for enhancing Access

to Justice, constructions of Lawyers' Halls and pre-institutions Mediation Centres.

However, the 15th Finance Commission has sought revised projections including recommendations for sector specific grants to States for the period 2021-22 to 2025-26 which is under process of submission.

7. ISO 9001:2015 CERTIFICATION:

Department of Justice was issued a Certificate of Registration as per ISO 9001:2008 standards on 18.04.2016. This Certificate is being extended from time to time. After a comprehensive Surveillance and Upgradation undertaken by M/s Intertek India Private Limited. Department of Justice was issued a Certificate of Registration w.e.f. **23.05.2019** as per ISO 9001:2015 standards (upgraded version) which are valid till **16.04.2022**.

8. FAST TRACK SPECIAL COURTS:

8.1 In furtherance to The Criminal Law (Amendment) Act, 2018, Government has finalized a scheme in August 2019 for Setting up of a total of 1023 Fast Track Special Courts (FTSCs) across the country for expeditious trial and disposal of pending cases pertaining to Rape and Prevention of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, in a time-bound manner under Centrally Sponsored Scheme. The Scheme is for one year spread over two financial years i.e. 2019-20 and 2020-21. The total cost of the project is estimated to be Rs.767.25 crore which has a Central Share of Rs.474 crore (to be met from Nirbhaya Fund).

8.2 Hon'ble Supreme Court in SUO MOTU WRIT (CRIMINAL) NO.1/2019 dated 25thJuly, 2019 has *inter-alia* also directed for setting up of exclusive POCSO Courts in districts, where pendency of such cases is more than hundred. The Apex Court is monitoring these Courts. In keeping with the above directions it is proposed to set up 389 of 1023 FTSC Scheme Courts exclusively for POCSO Act related cases.

8.3 The State Governments/UT Administration have been communicated and asked to furnish required details for release of Central Share. Till 31.12.2019, after receipt of willingness/requisite inputs from 21 States, funds to the tune of Rs.91.44 crore (for the F.Y 2019-20) have been released to 21 States viz. Nagaland, Maharashtra, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Manipur, Odisha, Telangana, Assam, Tamil Nadu, Rajasthan, Tripura, Uttarakhand, Karnataka, Gujarat, Chhattisgarh, Haryana, Delhi, Chandigarh Administration, Punjab, Himachal Pradesh, for setting up of 496 numbers of FTSCs including 242 exclusive POCSO courts. Other States/UTs have been reminded and are being pursued vigorously for setting up FTSCs /exclusive POCSO courts expeditiously.

9. NATIONAL JUDICIAL ACADEMY:

9.1 The National Judicial Academy (NJA), Bhopal, is an autonomous body established in 1993 (w.e.f. 17.08.1993) under the Societies Registration Act, 1860. This independent body functions with its office at the Supreme Court of India and its campus at Bhopal, Madhya Pradesh. This is an Apex body which imparts judicial training to Judges/Judicial Officers of the country and provide facilities for training of ministerial officers working in the Supreme Court, study of court management and administration of justice in the States/Union Territories, organization of conferences, seminars, lectures

and research in matters relating to court management and administration. The core objectives of the said society have been to foster development of national judiciary in the country and strengthen administration of justice, judicial education, research and policy formulation.

9.2 The Hon'ble Chief Justice of India (CJI) is the Chairman of the General Body of NJA as well as the Chairman of the Governing Council, the Executive Committee and the Academic Council of NJA. The affairs of the Academy are managed by a Governing Council. The Academy is fully-funded by the Government of India. It has a Director as the Principal Executive Officer. NJA's academic staff positions include, in addition to the Director, one post of Additional Director (Research& Training), 2 posts of Professor, 2 posts of Assistant Professor, 6 posts of Research Fellow and 5 positions of Law Associate. NJA's administrative officers and staff include, in addition to the Director, posts of Registrar, Additional Registrar, Chief Accounts Officer, Maintenance Engineer and other managerial and functional positions.

9.3 During the FY 2019-20, funds to the tune of **Rs.9.00 crore** were allocated under the Head "Grants-in-Aid (General)", **Rs.1.00 crore** were allocated under the Head "Grants-in-Aid (Swachhata Action Plan)" and **Rs.1 crore** were allocated under the Head "Grants-in-Aid (Creation of Capital Assets)". Thus, a total of **Rs.11 crore** has been allocated to National Judicial Academy, Bhopal during FY 2019-20, which has been released to them.

9.4 During the current academic year, the Academy has approved 63 Training programmes for judicial officers. The programmes *inter-alia* also include refresher courses for Commercial courts, conference on judicial ethics and accountability, national seminars on working of the Juvenile Justice Boards in India, refresher courses for Family/POCSO/Human Rights/SC/ST (PoA) courts, workshops on Counter Terrorism, seminars for foreign judges etc.

10. E-COURTS MISSION MODE PROJECT PHASE-II:

10.1. Introduction:

With its objective of universal computerisation of all the district & subordinate Court complexes, DoJ in close coordination with eCommittee of Supreme Court of India is implementing eCourts Mission Mode Project Phase-II. The time period for implementation of eCourts project is four years (2015-19) or until the project is completed, whichever is later. So far, out of total outlay of Rs. 1670 crore, the Government has released a sum of Rs. 1249 crore as on date to various organizations involved in the implementation of the project. This includes a sum of Rs. 955.86 crore released to all High Courts.

10.2 ICT Enablement of District & Subordinate Courts:

With its objective to provide designated services to litigants, lawyers and Judiciary through universal computerization, the Department of Justice has completed ICT enablement of 16,845 District & Subordinate Courts under the eCourts MMP. Key features include provisioning of basic digital infrastructure for ICT enablement consisting of various modules, such as computer hardware, computerization of DSLAs/ TLCs, Local Area Network (LAN), internet connectivity and installation of standard application software at each court complex, trainings at SJAs, installation of kiosks,

change management, etc.

Video Conferencing facility has been operationalised between 3240 court complexes & 1272 corresponding jails. Additional features of the Project include delivery of the services; inter alia, case registration, cause-lists, daily case status, and final order/judgment.

11. NATIONAL JUDICIAL DATA GRID (NJDG.ECOURTS.GOV.IN)

National Judicial Data Grid (NJDG) for District & Subordinate Courts is created as an online platform under the Project & it provides information relating to judicial proceedings/decisions of computerized district and subordinate courts of the country. Currently litigants can access case status information in respect of over 12.82 crore pending and disposed cases and more than 10.89 crore orders / judgments pertaining to these computerized courts. The portal also provides online information to litigants such as details of case registration, cause list, case status, daily orders, and final judgments.

12. JUSTICE CLOCK:

Justice Clock is an electronic message sign board system which is used to bring awareness about justice sector such as well performing courts and provides information on various services and schemes provided by the court complexes to the general public. Through effective use of database created through National Judicial Data Grid (NJDG), it makes available this information to public in general to create awareness about the judicial sector.

Justice Clock has been installed at Jaisalmer House, Department of Justice, New Delhi. The Justice Clock installed at the Department of Justice, Government of India provides information regarding top district courts which disposed highest % of for 2 years, 2-5 years and above 10 years old court cases and other information through which the citizens can benefit such as legal aid programs and access to justice schemes.

Considering the significant positive level of awareness created by Justice Clock amongst the public, it was proposed to take it forward by installing such Justice Clocks in all High Courts. eCommittee, Supreme Court of India in its meeting held on 20th February, 2018 resolved to accept the proposal of the Department of Justice for installation of Justice Clocks in all High Courts. Department of Justice had released funds to the tune of Rs. 4.94 crore to High Courts during July, 2018 for installation of Justice Clocks under the eCourts Project Phase-II.

In pursuance thereof, Justice Clock has been installed by 9 High Courts: Allahabad (Allahabad, Lucknow), Chhattisgarh, Gauhati (Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland), Jharkhand, Meghalaya, Manipur, Madhya Pradesh, Odisha & Telangana.

13. SERVICES UNDER ECOURTS PROJECT:

a. SMS Push: For the benefit of litigants and lawyers, the facility of providing case information service(s) through SMS has been implemented and the process of disseminating system-generated SMSs is operational.

b. SMS Pull: The SMS pull facility under eCourts Project was inaugurated on 22nd September, 2017. The case details can be obtained under SMS pull facility by sending unique CNR number

(Case Number Record) to 9766899899 through SMS.

c. Email: Automated mailing has been made operational for all the District & Taluka Courts in the Country. At present more than 1 lakh mails are being sent daily. Cause lists, judgments, case status etc. can be received in the litigants' mailbox on registration of email address with the respective courts under the eCourts Project through emailing service.

d. Web: Litigant centric information can be obtained through the website of the eCourts portal by accessing using the URL: https://ecourts.gov.in.

e. Mobile App: ECourts mobile app with the facility of QR Code has also been launched for use of litigants and lawyers. Services under different captions viz. Search by CNR, Case Status, Cause List and My Cases are available on this App. with availability on both Google Play Store and Apple Store, the total downloads have crossed 37.9 lakh.

f. Judicial Service Centers: Judicial Service Centers (JSC) have been established at all computerized courts to serve as a single window for filing petitions and applications by litigants/ lawyers, and for obtaining information on ongoing cases and copies of orders and judgments etc.

g. Kiosks: Information Kiosks have been setup at all computerized court complexes for disseminating judicial information related to cause lists and other case related information to the lawyers and litigants.

14. CASE INFORMATION SYSTEM:

A new and user-friendly version of Case Information Software (CIS 3.0) has been developed and deployed at all the computerized District and Subordinate Courts. QR Code facility has been made operational in the software. On the basis of printed QR Code, one can check current status of the case. Till date, 21 High Courts have migrated to Case Information System National Core version 1.0.

15. WIDE AREA NETWORK (WAN) CONNECTIVITY:

One of the important eCourts project components is establishment of Wide Area Network (WAN) connecting all District and Subordinate court complexes, spread across the country. The eCommittee of Supreme Court of India gave approval to award the eCourts' WAN project to BSNL. Work order to the tune of Rs. 169 crores has been awarded to BSNL for establishing Wide Area Network (WAN) connecting 2992 district and subordinate court complexes across the country including 547 court complexes with no connectivity. The activities of BSNL with clear phases, tasks, milestones and timelines are monitored on a weekly basis. National Informatics Centre has operationalised an online monitoring tool for tracking real-time progress and monitoring of pan - Indian WAN project against the set baselines. As on 31st December, 2019, BSNL has commissioned 2709 sites.

16. TRI-PARTITE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING:

Tri-partite Memorandum of Understanding has been signed between Department of Justice, 36 State Governments/ UTs and their respective High Courts/Benches to ensure maintenance of assets and sustainability after the end of project period.

17. PUBLICITY:

- Professional consultancy: A professional communication consultant agency was engaged for assisting the eCourts PMU in developing and implementing an effective communication strategy and a coherent media plan for action, to effectively use various publicity tools and improve awareness about project outputs and eCourts Services. Posters, brochures and user manuals are designed and printed. They were launched by Hon'ble Minister, Law and Justice on 14th August, 2018 and were distributed to all stakeholders across the country.

- eSampark: Four eCourts campaigns were done through eSampark, NIC's platform for sharing informational and public service messages, on the NICNET email database on 3rd July, 1st August 2018, 18th October, 2018 and 14th November, 2018.

- Newsprint Campaigns: Two newsprint campaigns in English and Hindi completed on 3rd and 10th November, 2018 at a cost of Rs 1 crore. Newsprint campaigns in English, Hindi and 16 regional languages were completed during November 2018 – January, 2019.

- Radio campaign: Radio campaign in Hindi and 10 regional languages disseminating awareness on eCourts Services through 30 seconds audio jingles were completed during January – March, 2019.

- SMS campaign: SMS campaign was carried out during Jan-March, 2019 and October, 2019, to reach the relevant recipients from the eSampark database of 109 crores mobile numbers. As an impact of the publicity campaign, we have seen a spurt in the eCourts app downloads. The highest surge was recorded at 1,11,218 downloads in a single day on 11th March, 2019, with a 30-day average of 11,436 downloads; this compares to the 30-day average of 4329 downloads as on 31-January-2019 which was the beginning of the audio campaign. This presents an increase of over 169%. Further, during the October 2019 campaign, as against the daily download of 2803, the peak download during the campaign was 23,114. Also, the total downloads between 7-22 October stood at 2,07,838, a spike of 164.6% over the previous 15 days.

18. NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS:

18.1 Objectives: National Mission for Justice Delivery and Legal reforms was set up in August, 2011 with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. The Mission has been pursuing a coordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration, which, *inter-alia*, involves better infrastructure for courts including computerization, increase in strength of subordinate judiciary, policy and legislative measures in the areas prone to excessive litigation, re-engineering of court procedure for quick disposal of cases and emphasis on human resource development.

To advise on the goals, objectives and strategies of the National Mission and the Action Plan and its implementation, an Advisory Council has been constituted under the Chairmanship of Minister of Law and Justice with wide ranging membership which include Minister of State in the Ministry of Home Affairs; Chairperson of the Department-related Parliamentary Standing Committee on

Personnel, Public Grievance, Law and Justice; Minister of Law & Courts, Andhra Pradesh; Minister of Law, Justice & Parliamentary Affairs, Jammu & Kashmir; Attorney General of India; Chairperson, Law Commission of India; Secretary, Department of Legal Affairs; Secretary, Legislative Department; Solicitor General of India; Secretary-General, Supreme Court of India; Director, National Judicial Academy; and Chairman, Bar Council of India. Secretary, Department of Justice is the Convener of the Advisory Council. An Action Plan of the National Mission was formulated under 5 strategic initiatives which are reviewed by the Advisory Council of the National Mission from time to time. The Advisory Council meets once in six months. Eleven meetings of the Advisory Council have been held so far.

18.2 Subordinate Judiciary

As per the Constitutional framework, the selection and appointment of judges in subordinate courts is the responsibility of the High Courts and State Governments concerned. As per information made available by the High Courts and respective State Governments, as on 20.12.2019 the sanctioned strength of Judicial Officers of District and Subordinate Courts is 23,597. The number of Judicial Officers in position and vacant posts is 18,237 and 5,360 respectively. A statement showing state-wise sanctioned strength, working strength and vacancy of judicial officers at **Annexure-XIII**.

In September, 2016, Union Minister of Law & Justice wrote to the Chief Ministers of States and the Chief Justices of High Courts to enhance the cadre strength of the District and Subordinate Courts and provide physical infrastructure to the State judiciary. The same was reiterated in May, 2017. In August, 2018, in the context of increasing pendency of cases, the Union Minister of Law & Justice has written to all Chief Justices of High Courts to monitor the Status of the vacancies regularly and to ensure proper coordination with the State Public Service Commission to fill up vacant posts as per time schedule prescribed by the Hon'ble Supreme Court in the Malik Mazhar Sultan case. The filling up of vacancies is also being monitored by the Supreme Court in a Suo-Motu writ petition (civil) no. 2 of 2018.

A series of meetings were held with Registrars General of all High Courts and Law Secretaries of all State Governments / UTs through Video Conferencing in the months of January, 2018, July, 2018 and November, 2018 to follow up on filling up posts of Judicial Officers in District and Subordinate Courts. The Department of Justice has hosted a web-portal on its website for reporting and monitoring of sanctioned and working strength, and vacancies of Judicial Officers of District and Subordinate Courts on monthly basis.

In order to facilitate regular filling up of these vacancies in a smooth and time-bound manner, the Department of Justice *vide* its letter dated 28th April, 2017 suggested creation of a Central Selection Mechanism to the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court Suo Motu converted the Government's suggestions into a writ petition on 09th May, 2017 and directed all State Governments (including Union Territories) to file their responses and suggestions by way of affidavits. The above matter is *sub-judice* at present.

18.3 Pendency in Courts

The status of pendency of cases in various courts in the country is given below:

Supreme Court	59,535
High Courts	45, 26,079
District and Subordinate Courts	3, 15, 24,931

The Government has also taken different measures to reduce pendency which include strengthening of courts through increase in sanctioned strength of judges and judicial officers, filling up of vacancies and improvements in the judicial infrastructure. At the same time, the problems of delays and arrears are also being addressed through other legislative and policy initiatives, such as, re-engineering of court procedures, identification of areas prone to excessive litigation, and promotion of alternative dispute resolution mechanisms to reduce the burden of courts.

At present, quarterly statistics relating to the total number of civil and criminal cases pending before the Supreme Court, High Courts and District & Subordinate Courts are made available by the Supreme Court. In addition, the National Judicial Data Grid (NJDG), provides data on cases pending in the District Courts and High Courts across the country. Efforts are in place to introduce application of cutting edge technologies such as Artificial Intelligence and data mining to use the information available on NJDG for data analysis which will prove useful in case and court management. NJDG has been appreciated and acknowledged by the World Bank in the Ease of Doing Business Report, 2020 which placed India on the 63rd Rank, a jump of 14 ranks from 2019.

A series of provisions have been introduced in procedural laws to enable the expeditious disposal of criminal and civil cases. In case of civil trials, relevant amendments to the Code of Civil Procedure (CPC) including provisions limiting the number of adjournments that may be granted to each party[1], allowing service of summons through email;[2]providing for dismissal of suit where summons are not served in consequence of plaintiffs failure to pay costs;[3] and limiting the time limit for filing of written statement by the defendant.[4] Similarly, in the Code of Criminal Procedure (Cr.P.C.) several amendments have been made to ensure speedy disposal. These include, amendment of Section 309, Cr.P.C. to discourage unnecessary adjournments; amendment of Section 320, Cr.P.C. to rationalise the list of compoundable offences; insertion of a new Chapter XXIA on plea bargaining; insertion of Section 436A for release of under-trial prisoners who have undergone half of the maximum imprisonment; and permitting the use of audio/video technology in criminal cases. However, it has been repeatedly observed that the desired impact of these legislative changes has not yet been fully realized on account of the non-implementation of these provisions by subordinate courts.

During the meeting convened by the Arrears Committee in April 2017, it was suggested that an alternate method of recruitment, such as, the creation of a central selection mechanism may be introduced. In this regard, it was proposed that a centralized selection committee for direct recruitment to higher subordinate state judiciary be constituted under the chairmanship of Chief Justice of India and his nominee and with representation from the High court and other experts as may be necessary. The Department of Justice (DoJ) had written to the Secretary General of the Supreme Court proposing

different models that could be considered for creation and operation of the central selection mechanism. The Supreme Court took suo-moto cognizance of the letter written by the DoJ and appointed an *Amicus Curiae* in the matter. The Amicus submitted a concept note which was then shared with the High Courts and the State Governments for their comments/suggestions. Pursuant to this, 21 States have submitted their response out of which 4 States have expressed certain reservation. The matter is currently pending.

18.4 Reforms under Enforcing Contracts Indicator of World Bank's Doing Business Report

World Bank Report on Doing Business measures regulations that enhance business activity and those that constrain it.

- For ranking purposes, performance of 193 countries on 10 indicators is measured.
- Indicators relate to business regulation for small and medium sized firms located in Delhi and Mumbai based on standardized case scenarios.
- Enforcing Contracts is one such indicator, which measures the time and cost to resolve a standardized commercial dispute as well as a series of good practices in the judiciary.
- Department of Justice (DoJ) is the nodal department for the Enforcing Contract indicator. DoJ has created a Task force under the chairmanship of Secretary, Department of Justice, with members from the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Department of Legal Affairs (DoLA), the High Court of Delhi and Bombay, the Law Departments of Delhi and Maharashtra and the eCommittee of the Supreme Court.
- Target is to ensure that India's ranking in this indicator comes within the top 50 in the Report.
- In Doing Business Report 2020 released in October 2019, India achieved 63rd position out of the 193 economies, a jump of 14 positions from the 77th position in the previous report.
- However, in Enforcing Contracts indicator, ranking remained the same at 163 as in the 2019 report.
- Enforcing Contracts indicator measures the following parameters:

  a. Time estimates for commercial cases. This includes time taken during filing and service phase, trial and judgment phase, and enforcement of judgment phase.

  b. Cost estimates for commercial cases. This includes attorney fees, court fees (upto judgment only) and expert fees, and enforcement fees.

  c. Quality of Judicial Process Index. This includes court structure and proceedings, case management, court automation, and alternative dispute resolution.

- Reforms undertaken in this year:

  a. 75 District Courts in Delhi have been designated as Commercial Courts out of which 70 are functional. Government of NCT of Delhi has issued notification dated 8th August, 2019 for the creation of 22 posts of Delhi Higher Judicial Services (DHJS) for Commercial Courts

Judges along with ancillary staff for 22 dedicated Commercial Courts in Delhi.

b. 16 City Civil Courts in Mumbai have been designated as Commercial Courts. Government of Maharashtra has issued notification dated 13th September, 2019 for the creation of 16 posts for Commercial Courts Judges along with ancillary staff for 16 dedicated Commercial Courts in Mumbai.

c. Specified value of commercial dispute that can be decided by Commercial Courts reduced to Rs. 3 lakh [section 2(1)(i) of the Act]

d. Pre-institution mediation and settlement of commercial cases through District Legal Services Authorities under the Commercial Courts Act, 2015 has commenced.

18.5 Time Estimates of commercial cases:

Commercial Court	Time Taken in Days			
	Filing and service phase	Trial and judgment phase	Enforcement of judgment phase	Total
Delhi and Mumbai	45	1095	305	1445

18.6 Quality of Judicial Process Index:

Component (0-18)	Points
Court structure and proceedings (0-5)	4.5
Case Management (0-6)	1.5
Court automation (0-4)	2.0
Alternative Dispute Resolution (0-3)	2.5
Total	**10.5/18**

18.7 Following 7 ECMT made available for Lawyers through the eCourts services portal and eCourts services app:

1. Access laws, regulations & case laws;
2. Access forms to be submitted to the court;
3. Receive notifications
4. Track status of a case;
5. View & manage case documents
6. File briefs & documents with the court

7. Access court orders and decisions on a given case.

18.8 Following 8 Electronic Case Management Tools (ECMT) made available for Judicial Officers through eCourts services portal as well as the JustIS app:

1. Access laws, regulations and case law;
2. Automatically generate a hearing schedule for all cases on their docket
3. Send notifications to lawyers
4. Track the status of a case on their docket
5. View & manage case document
6. Assist in judgment writing
7. Semi-automatic generation of court orders
8. View court orders and judgments in a particular case.

18.9 Status of training / workshops for Judicial Officers / Lawyers by DoJ:

Following workshops for training of Judicial Officers / Lawyers have been conducted by DoJ and High Courts of Delhi and Bombay since October, 2018:

Date	Place	Participants	Details
25.10.2018	Indian Law Institute, New Delhi	Law Firms, Advocates and other stakeholders of Delhi.	Organized by DoJ.About 50 participants attended the meeting.The invitees were informed about the reforms undertaken for 'Enforcing Contracts' in general. The provisions and procedures of Commercial Courts were discussed. Information about eCourts, NJDG, various apps, facilities, Electronic Case Management Tools available for Judges and Advocates, eFiling,e-Payment, NSTEP,etc.Brochure on EoDB was distributed.
16.12.2018	Delhi Judicial Academy	75 Judicial Officers of Delhi.	Organized by DoJ.In addition to above, various printed and published publicity material on eCourts were distributed.
29.01.2019	Tis Hazari, Courts	80 Judicial Officers of Tis Hazari Court.	-do-
02.02.2019	Delhi Judicial Academy	50 Judicial Officers of Delhi.	-do-

	City Civil Courts, Mumbai	Judicial Officers	Organized by Bombay High Court.
	City Civil Courts, Mumbai	Lawyers	Organized by Bombay High Court.
	High Court of Delhi	Judicial Officers and Lawyers.	Organized by Delhi High Court
12.02.2019	Karkardooma Courts, Delhi.	Judicial Officers and Advocates.	Organized by DoJ
15.02.2019	Tis Hazari Courts, Delhi	Judicial Officers and Lawyers of Tis Hazari Courts.	Organized by DoJ
18.02.2019	Rohini Court	Judicial Officers	Organized by DoJ
22.02.2019	Tis Hazari Courts, Delhi	Advocates	Organized by DoJ
06.03.2019	Rohini Court	Advocates	Organized by DoJ
11.03.2019	Dwarka Courts, New Delhi	Judicial Officers.	Organized by DoJ
26.03.2019	Saket Courts, New Delhi	Judicial Officers/ Advocates.	Organized by DoJ
10.04.2019	City Civil Courts, Mumbai	Judicial Officers	Organized by DoJ
26.04.2019	Delhi High Court	Lawyers	Organized by DoJ
08.05.2019	Rouse Avenue Courts, New Delhi	Judicial Officers	Organized by DoJ for Judicial Officers of Commercial Courts of Delhi District
07.04.2019	City Civil Court, Mumbai	Judicial Officers	Organized by Bombay High Court for 56 Judicial Officers
19.04.2019	Small Cause Court, Mumbai	Judicial Officers	Organized by Bombay High Court for 38 Judicial Officers
21.07.2019	CMM Court, Mumbai	Judicial Officers	Organized by Bombay High Court for 88 Judicial Officers

18.10. Following IEC material has been designed, developed, printed and distributed by the e-Committee and the DoJ for dissemination of the reforms undertaken:

a. User Manual for eFiling procedure for High Courts and District Courts, ePay, NSTEP, CIS 3.0

b. Brochure on eCourts Services, ePay, NSTEP,

c. 2 Pamphlets on eCourts Services (bilingual).

19. SCHEME FOR ACTION RESEARCH AND STUDIES ON JUDICIAL REFORMS

19.1 A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms was formulated by the Department of Justice in September, 2013 with necessary approval of Standing Finance Committee. The objective of the Scheme is to promote action research and studies in the field of Judicial Reforms. The objective is wide enough to include each and every aspect of legal and judicial matters of justice delivery in order to cover the broader object of the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms, *viz.* the objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and improving capacities.

So far, 43 projects have been Sanctioned under the Scheme out of which 21 projects have been completed. Actionable Points from recommendations given by implementing agencies have been forwarded to authorities concerned for their appropriate consideration.

20. CENTRALLY SPONSORED SCHEME (CSS) FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR THE JUDICIARY

20.1 Objective and Scope: Development of Infrastructural Facilities for Judiciary in the States is the prime responsibility of the State Governments concerned. However, to augment the resources of the State Governments, a Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of infrastructure facilities for the judiciary was launched by the Central Government in the year 1993- 94. The scheme, as it stands now, covers construction of court buildings and residential quarters for Judges / Judicial Officers of District and Subordinate Courts.

20.2 Funding Pattern: Infrastructure development for the subordinate judiciary is a major thrust area of the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms set up in August, 2011 with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. Accordingly, the funding pattern of the Scheme was revised from 50:50 to 75:25 (90:10 for North Eastern States) from the year 2011-12 onwards. With the enhanced devolution of funds to the States on the recommendations of the 14thFinance Commission, the fund sharing pattern of the Scheme has again been revised from 75:25 to 60:40 (Centre: State) (90:10 for the 8 North-Eastern and 3 Himalayan States) with effect from 2015-16. 100% funding is given to Union Territories.

20.3 Physical and Financial Progress: Since inception of the Scheme, the Central Government has provided financial assistance amounting to Rs. 7453.10 crore to State Governments / Union Territories. Out of this, an amount of Rs.4008.80 crore has been provided since 2014-15 till 11.12.2019 (53.78%), which includes Rs. 702.86 crore in 2019-20. As per information collected from High Courts as of December 11, 2019, there were 19,447 court halls / court rooms available for District and Subordinate Courts in the country. In addition, 2,753 court halls / court rooms were under construction. Comparing these figures with the working strength of 18,554 judges / judicial officers reported by High Courts as of December, 2019, adequate court rooms / court halls are available for the current strength of judicial manpower. 3,514 Court Halls and 2,367 Residential Accommodation

were constructed / completed since 2014-15 till 11.12.2019, out of this 562 court halls and 251 residential units have been constructed in the year 2019-20. Focus is now to match the availability of court rooms / court halls with the sanctioned strength of 23,597 judicial officers / judges in District and Subordinate Courts. Considerable progress has also been made with regard to availability of residential units for judicial officers in District and Subordinate Courts. As of December, 2019, 17,015 residential units were available and 1,778 residential units were under construction.

20.4 Continuation of Scheme: The Expenditure Finance Committee approved the continuation of Centrally Sponsored Scheme (CSS) for on-going under construction projects in August, 2017. In November, 2017, the Union Cabinet also approved continuation of the Scheme upto 31st Mach, 2020 with an outlay of Rs. 3,320 crore to be implemented in Mission Mode through the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. However, only Rs. 2,253.21 crore (Rs.621.21 cr during 2016-17, Rs.650 cr during 2018-19 & Rs.982 cr during 2019-20) has been made available under the Scheme.

20.5 Revision of guidelines of the Scheme: The Guidelines of the Scheme have been revised from 2018-19 for smooth and effective implementation of the Scheme. The revised guidelines include weightage criteria, a scientific formula, has been adopted from the year 2018-19 for inter-state distribution of funds under under the Scheme. The criteria is based on 4 parameters, namely, (i) number of court halls left for construction with reference to sanctioned strength of judicial officers in the State/UT (ii) number of residential units left for construction with reference to sanctioned strength of judicial officers in the State/UT (iii) working strength of judicial officers with reference to sanctioned strength of judicial officers in the State/UT, and (iv) pendency of 10 years and more old cases in subordinate judiciary. Based on such criteria the tentative allocation of funds to States/UTs is informed to the State Governments and UT Administrations in advance in the beginning of the financial year to enable them to submit their proposals accordingly.

In addition, the revised guidelines also include norms and specifications for construction of court halls and Nyaya Vikas, online monitoring system for the Scheme which have been introduced as per the directions of the Union Cabinet. The norms and specifications have been adopted from 2017-18 based on recommendations of the National Court Management Systems Committee of the Supreme Court in the Baseline Report on Court Development Planning System, existing norms and practice being followed by different State Governments and certain CPWD norms.

20.6 Nyaya Vikas Mobile App: As per the directions of the Union Cabinet, the on-line monitoring system has been developed with the technical assistance of National Remote Sensing Centre of ISRO. For the purpose, the web portal and mobile app named “Nyaya Vikas” have been developed for monitoring of construction projects which was launched by Hon’ble Minister of Law and Justice on 11th June, 2018. The State Governments have nominated Nodal Officer at State level and Surveyors & Moderators for each project to enter and upload data/information relating to ongoing and completed projects. The Users in 33 States are entering data through web portal and uploading photographs through mobile app with geo-tagging. Total number of projects entered in the portal is 1474, including 787 completed and 687 under construction. 830 projects have been geo-tagged.

21. GRAM NYAYALAYAS

21.1 Objective and Scope: The Gram Nyayalayas Act, 2008 came into force with effect from 2nd October, 2009. The Act provides for establishment of Gram Nyayalayas at intermediate Panchayat level for the purpose of providing access to justice to the citizens at their doorstep. A copy of the Act has been placed on the website of Department of Justice. In terms of Section 3(1) of the Gram Nyayalayas Act, State Governments, after consultation with the High Court concerned, may, by notification, establish one or two more Gram Nyayalayas for every Panchayat at intermediate level or a group of contiguous Panchayats at intermediate level in a district or where there is no Panchayat at intermediate level in any State, for a group of contiguous group Panchayats. Establishment of Gram Nyayalayas is, therefore, not mandatory on the part of State Governments as per the Act. However, State Governments are requested from time to time to establish Gram Nyayalayas.

21.2 Physical and Financial Progress: As per the information available, 353 Gram Nyayalayas have been notified by 11 States, out of which 221 Gram Nyayalayas are functional. To encourage the states, the financial assistance is provided for non-recurring expenses for setting up of Gram Nyayalayas, and for meeting the cost of recurring expenditure towards running these Gram Nyayalayas for the first three years. The recurring and non- recurring assistance is subject to financial ceilings as provided in the guidelines of the scheme. The Central Government is providing assistance to states for Gram Nyayalayas which include Rs. 18.00 lakh per Gram Nyayalaya towards cost of establishing the Gram Nyayalaya as a Ministry of Law and Justice one-time assistance (Rs. 10 lakh for office building, Rs. 5 lakh for vehicle and Rs. 3 lakh for furnishing the office) and Rs. 3.20 lakh per Gram Nyayalaya per annum as recurring expenditure for a period of three years. As on 11th December, 2019 a sum of Rs. 67.00 crore has been sanctioned to States so far which include Rs. 6.40 crore in 2019-20. Details are given below:

Sl. No.	State	Notified	Functional	Funds sanctioned (Rs. in lakhs)
1.	Madhya Pradesh	89	87	2456.40
2.	Rajasthan	45	45	1240.98
3.	Karnataka	2	0	25.20
4.	Odisha	22	16	337.40
5.	Maharashtra	39	24	337.80
6.	Jharkhand	6	1	75.60
7.	Goa	2	0	25.20
8.	Punjab	2	2	25.20
9.	Haryana	3	2	25.20
10.	Uttar Pradesh	113	14	1323.20
11.	Kerala	30	30	828.00
12.	**Total**	**353**	**221**	**6700.18**

22. SERVICE CONDITIONS OF JUDICIARY

22.1 Membership of India to the Commonwealth Magistrate and Judges' Association (CMJA) London

Membership of India to the Commonwealth Magistrate and Judges' Association (CMJA) was renewed which was discontinued in 1998 in the Triennial conference of CMJA held in September, 2018, out of 54 countries which are its members, 31 countries were represented by their Chief Justices. There was no participate/representative in the said conference in so far as India is concerned. Consequent upon renewal of membership, Shri Justice Sharad Arvind Bobde, the then Judge, Supreme Court of India attended the CMJA conference, 2019 at Port Morosby, Papua New Guina in September, 2019.

22.2 Approval of the President of India conveyed to the amendment of Supreme Court Rules, 2013

Supreme Court had sent a proposal requesting the Government to obtain approval of the President of India proposing some amendments in Supreme Court Rules, 2013. These rules were examined in consultation with Department of Legal Affairs and Legislative Department. These Rules were notified by the Supreme Court in May, 2019.

22.3 Memorandum of Understanding with Kingdom of Morocco:-

Cabinet has approved the Memorandum of Understanding to be signed with Kingdom of Morocco in its meeting on 3.7.2019.

22.4. High Court Judges (Amendment) Rules, 1956:-

An amendment was made in High Court Judges Rules, 1956 vide Notification dated 8th August, 2019.

23. UPLOADING OF SUBORDINATE LEGISLATION IN INDIA CODE PORTAL:-

23.1. Redressal of grievances.

(a) Department of Justice (DoJ) receives large number of Citizen's grievances from citizens through President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/PMO/directly from the citizens through online CPGRAMS Portal. 8249 grievances have been received from 1.1.2019 to 5.12.2019, 8549 grievances have been disposed off till date. The Department has been rated as one of the 20 largest grievances receiving Departments by the Department of Administrative Reforms & Public Grievances. Besides, large number of grievances is also received through post.

(b) Department of Justice is mandated to deal with grievances related to appointment of Judges of Supreme Court/High Courts, legal assistance/legal aid/legal awareness/ eCourts/Judicial Reforms etc. Grievances related to these issues only are dealt with by Department of Justice.

(c) Grievances related to judiciary are forwarded electronically to the Secretary General, Supreme Court of India/Registrar General of the concerned High Court for further action,

as appropriate. A copy is endorsed to the grievance holder for information.

(d) Grievances received in the Department of Justice are considered and examined by the Judiciary as per their own in house mechanism and the system/procedure to deal with grievances which is normally not shared. In such cases, Department of Justice is not in a position to inform the outcome to grievance holders.

(e) Detailed guidelines for disposal of grievances by Department of Justice have been uploaded on website www.doj.gov.in for information/guidance of grievance holders/citizens.

24. ACCESS TO JUSTICE FOR THE MARGINALISED:

24.1 Department of Justice: Constitutional Mandate on Access to Justice

The Department of Justice (DoJ) has the mandate to fulfill its commitment towards "Access to Justice" as enshrined under Article 39A of the Constitution of India. Article 39A provides that "the State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities".

24.2 Department of Justice's programmatic interventions under Access to Justice:

24.2.1 Aspiring to fulfil its goal of Access to Justice for All - DoJ has initiated three programmes namely Tele-Law: Mainstreaming Legal Aid through Common Service Centers, Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services) and Nyaya Mitra in different geographical regions of the country.

24.2.2 **Tele-Law Programme-** Especially designed to provide legal advice and consultation from the Panel Lawyers, Tele-Law service aims to connect the needy and disadvantaged to the panel lawyers via video conferencing, telephone and online chat facility available at the Common Service Centers (CSCs) at the village level. Free legal advice is provided to the marginalized and persons eligible under section 12 of the Legal Services Authorities (LSA) Act, 1987 that include women, children, persons with disability, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, victims of disaster, trafficking etc. This service is being implemented in 28060 CSC across 115 aspirational Districts in 28 States in the Country. In addition, it is also operational in selected 1800 (CSCs) in 11 States that include UP, Bihar, North-Eastern States and State of J&K since 2017. Tele-Law Programme will be expanded in all districts in the country by 2020-2021. This programme is modeled to run with two different implementation frameworks. Till November 2019, 135536 beneficiaries have been provided with legal advice that include 51600 (women); 14318(Scheduled Castes) and 19490 (Scheduled Tribes). To enable easier access of the services to the unreached, Para-legal Volunteers (PLVs) have been provided access to mobile application to facilitate registration of the cases through Tele-Law mobile application. A Tele-Law dashboard has also been developed that provides the stakeholders to analyze CSC-wise and village-wise case pre-registered, cases registered and advice enabled by the Panel Lawyers. A dedicated Tele-Law portal has been developed that can be accessed at http://www.tele-law.in/ and it is available in Twenty Two scheduled languages that include English, Hindi, Bengali, Urdu and Assamese etc.

24.2.3 **Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services) -** In addition to the above, **Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services)** programme aims to provide free legal assistance and counsel to the persons eligible under section 12 of Legal Service Authorities Act, 1987. This service is provided by advocates who are registered with DoJ to volunteer their time and services to represent the cases of registered applicants/litigants. To ensure seamless connectivity between the registered litigant and registered Pro Bono advocate, a Nyaya Bandhu mobile application has been developed that could be downloaded from Google Play Store. Till 9th December 2019, 1108 lawyers have been registered and 516cases have been assigned. Measures are being taken towards developing the Nyaya Bandhu mobile application for iOS users along with dedicated web-portal and integrating them to facilitate and strengthen the efforts to institutionalize pro bono legal framework in the country.

24.2.4 **Nyaya Mitra Programme** - Nyaya Mitra Programme is launched to facilitate judiciary in reduction of more than a decade old pending court cases. The Nyaya Mitra (NM) is a retired judicial officer/ executive officer having legal degree/background, located at High Courts / District Courts. 4 NMs engaged from January 2019 to June, 2019 in Rajasthan, West Bengal and Tripura have facilitated in disposal of 186 pending cases. They also provided assistance during the Lok Adalat in settling of pending cases. Engagement process of 93 NMs in 93 District Courts and 7 NMs in 7 High Courts (100 NMs) started in August 2019. Out of advertised positions of 100 Nyaya Mitras, appointment orders of 18 Nyaya Mitras who were recommended by the respective High Courts, has been issued.

24.2.5 **Specific initiatives for North-Eastern and State of Jammu and Kashmir –** In addition to the above, specific, local initiatives aiming at addressing the legal needs of the marginalized and vulnerable sections of the society, particularly women, children, Scheduled Castes and tribal communities to improve the capacity of justice delivery systems and legal services authority, to serve the people better to encourage innovative activities to enhance legal awareness of the vulnerable populations in the States of *Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim, Nagaland and Jammu and Kashmir are being implemented under the scheme Access to Justice NEJK. For this DoJ* has collaborated and entered into partnerships with Ministries(Central/State) and allied Departments e.g MHRD, MWCD, MoRD&PR, MSJE and NALSA/SLSAs etc. Till now, 26 training programs for the elected representatives of Panchayati Raj have been conducted in the 8 North Eastern States of India where 2089 elected representatives have been given trainings on legal awareness programs. In Tripura, 9 legal awareness campaign (LAC) were held and 726 villagers participated in this LAC. In Arunachal Pradesh, three trainings have been conducted under legal literacy program and 178 Gaon Buras and Gaon Buries have been given trainings. 17 Legal Aid Clinic (LAC) have been established in Arunachal Pradesh (3) and Manipur(14). 149 Para Legal Volunteers have been trained by Manipur State Legal Service Authority. In Arunachal Pradesh and one orientation program was organized for 48 Retainers & Lawyers and Legal Aid Councilors.

25. NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY:

25.1 Mandate: Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all. Articles 14 and 22(1) of the Constitution also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis

of equal opportunity to all. In the year 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament which came into force on 9th November, 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.

In every State, a State Legal Services Authority and in every High Court, a High Court Legal Services Committee has been constituted. District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees have been constituted in the Districts and most of the Taluks to give effect to the policies and directions of the NALSA and to provide free legal services to the people and conduct Lok Adalats in the State. Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services programme insofar as it relates to the Supreme Court of India.

25.2 Functioning of NALSA

NALSA lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement the Legal Services Programmes throughout the country. Primarily, the State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, etc. have been asked to discharge the following main functions on regular basis:

- To Provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons covered under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987;
- To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes and
- To organize legal awareness camps in the rural areas.

25.3. Free Legal Services

The Free Legal Services include:-

a) Payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;

b) Providing service of lawyers in legal proceedings;

c) Obtaining and supply of certified copies of orders and other documents in legal proceedings; and

d) Preparation of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings.

During the year till November, 2019 total 10.79 lakhs eligible persons have been benefited through legal aid services in the country.

26. LOK ADALATS

26.1 In order to facilitate alternative method of dispute resolution, NALSA conducts Lok Adalats. It is a forum where disputes/cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled / compromised amicably. Lok Adalats have been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. Under the said Act, the award (decision) made by the Lok Adalats is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies against such an award before any court of law.

26.2 There are three types of Lok Adalats namely Regular Lok Adalats, National Lok Adalats and Permanent Lok Adalats.

1) Regular Lok Adalats are organized by the Legal Services Authorities/Committees as per the convenience/discretion of the State/District authorities, for settlement of both pre-litigation and post-litigation cases.

2) National Lok Adalats are conducted quarterly for settlement of cases (both pre-litigation and post-litigation) in all the courts from the Supreme Court of India to the Taluk Courts on a single day.

3) Permanent Lok Adalats are permanent establishments set up in most of the Districts to provide compulsory pre-litigative mechanism for settlement of disputes related to Public Utility Services.

26.3 Details of Lok Adalats organized and number of cases disposed of in these Lok Adalats during 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 (till September) is as under:

(In lakh)

S.No.	Year	Lok Adalat		National Lok Adalat
		No. of Lok Adalats organized	Total number of cases settled	Total number of cases settled
1	2016-17	1.19	17.24	96.62
2	2017-18	1.09	19.28	57.31
3	2018-19	1.16	10.46	58.95
4	2019-20 (till September)	0.52	3.01	25.88
	Total	3.96	49.99	238.76

Note: The number of cases settled includes both pre-litigation and pending cases.

In addition, 14230 sittings of Permanent Lok Adalats were held during 2019-20 (till September) and 60080 cases were settled and total value settlement comes to Rs. 222.54 crore.

26.4. Legal Awareness Camps

Legal illiterateness poses a serious threat in achieving the growth and development of a nation as legal awareness empowers oneself in knowing the law and his rights under the law thereby promoting the enhancement of legal culture in the society. With the aim to eradicate such legal illiterateness from the society, the Legal Services Institutions conducts legal awareness camps every year in different parts of the country and raises awareness amongst the masses of the different laws and beneficial schemes of the Government. During the year till November, 2019, 1.76 lakhs legal awareness camps were held for different sections of the people which saw the attendance of around 2.45 crore people.

26.5. Legal Empowerment / Services Camps

With a view to reach out to the vulnerable sections of the society, an innovative approach was devised and implemented by the Legal Services Institutions. This year, Legal Empowerment Camps not only targeted weak and marginalized sections of the society but also those who were living in the far flung areas and remotest corners of the country. The objective with which these camps are organized is to bridge the gaps of information and access to citizen's rightful entitlements. Through these camps, efforts were made to identify the poor, weak and marginalized people and connect them to their entitlements under the law and the welfare schemes. During the year till November, 2019, 568 Legal Empowerment Camps were held in which around 11.01 lakh people received various benefits under the law.

26.6. 17th All India Meet of State Legal Services Authorities (SLSAs)

To increase the quality and efficiency of the Legal Services Institutions as well as, to discuss about its future projects, the 17th All India Meet of State Legal Services Authorities was held in Nagpur, Maharashtra on 18th August, 2019.

26.7. Strengthening of Court based Legal Services

To strengthen the court based legal services system, NALSA has formulated guidelines to upgrade the Front Offices in order to act as a One Stop Centre for the legal aid beneficiaries. NALSA has also organized meetings with the relevant authorities of the State for the implementation of the guidelines.

26.8. Internship programs

To provide an opportunity to get a real-life experience on the functioning of jails, observation homes, mental hospitals, district courts, mediation centres, JJBs, etc, NALSA organizes internship programmes for the law students of different law colleges across the country. The internship programme, which is conducted twice a year for a period of 21 – 23 days, is of a three-tier model. In the first 2 weeks, the students are required to work with the DLSA, in the third week the law students are required to work for the Delhi SLSA and for the remaining 3 days, the students get an experience to intern with NALSA. In 2019 also, such internship programmes were conducted.

26.9. Training of Panel Lawyers and Para Legal Volunteers (PLVs)

The Legal Services Institutions have been trying hard to provide quality legal services to the weak and marginalized sections of the society. For these, various training programmes are organized by the different Legal Services Institutions for the Panel Lawyers and PLVs. NALSA has prepared 3 training modules for Panel Lawyers and one training module for the PLVs. During the year till November, 2019, 1,104 training programmes were conducted for Panel Lawyers and 1,455 training programmes were conducted for the PLVs.

26.10. Commendation Ceremony of Best PLVs, Panel Lawyers, DLSAs & SLSAs

NALSA organized the Commendation Ceremony on 9th November, 2019, as a part of the 'Legal Services Day' to acknowledge the efforts and hard work of the SLSAs, DLSAs, Panel Lawyers and the PLVs. On the said occasion, the National and the Zonal Best in each of the said four categories were commemorated by the Hon'ble Executive Chairman, NALSA, together with other dignitaries.

27. MISCELLANEOUS ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT:

27.1 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 :

Under the provisions of the Right to Information Act, 2005, Department of Justice has initiated the following actions:

(a) A Section Officer of the Department has been designated as CAPIO to collect transfer the applications under the RTI Act, 2005 to the Central Public Information Officers/Public Authorities concerned and to submit the quarterly returns regarding receipt and disposal of the RTI applications/appeals to the Central Information Commission.

(b) Details of the Department's functions along with its functionaries have been placed on the RTI portal of the Department's official website (http://doj.gov.in) as required under section 5(i) of RTI Act, 2005 in respect of subjects being handled by them.

(c) All Under Secretaries have been designated as Central Public Information Officers (CPIOs) under section 5(i) of RTI Act, 2005 in respect of subjects being handled by them.

(d) All Directors/Deputy Secretary Level Officers have been designated as Appellate Authorities in terms of Section19 (i) of RTI Act, 2005 in respect of Under Secretaries working under them and who have been designated as CPIOs.

(e) During the year 2018 (01.01.2018) to 31.12.2018), 189 RTI applications and 28 Appeals were received manually and 3416 RTI Applications and 103 appeals were received online in the Department and forwarded to the concerned CPIOs /Public Authorities for providing information requested for.

(f) As per para 1.4.1 of the DOPTs guidelines issued vide their O.M. No.1/5/2011-IR dated 15.04.2013, the Department is uploading all RTI and appeal replies on the website regularly.

27.2 EMPOWERMENT OF WOMEN:

Redressal of Complaints pertaining to Sexual Harassment at Workplace: In compliance of Section 4(1) of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an Internal Complaints Committee has been re-constituted for redressal by aggrieved women employees of the Department on 04.06.2018. The Committee consists of three women employees, (including one Member from an NGO) and two male employees.

27.3 SWACHH BHARAT ABHIYAN:

As per policy guidelines of Government of India, *Swachh Bharat* programme has been implemented in the Department. During the year 2018-2019, one programme namely *'Swacchta Pakhwada'* was observed from 01.04.2018 to 15.04.2018 and another programme namely Swacchta Hi Sewa was observed from 01.09.2018 to 02.10.2018 in Department of Justice, during which a number of activities i.e., beautification of lawn, plantation of trees inside campus, extensive cleaning drive, weeding out of old records, disposal of junk/obsolete items and voluntary *Shramdaan* by officers/ officials of Department of Justice etc. were undertaken.

During the FY 2018-19, Rs.15.00 lakh was earmarked for works under *Swacchta* Action Plan such as renovation of toilets and canteen area, procurement of cleaning devices and other equipments.

27.4 IMPLEMENTATION OF E-OFFICE:

In keeping with the policies of the Government for moving towards paperless office, this Department has taken the initiative to operationalise eOffice. Special steps have been taken with the help of NIC to impart training to all officers/officials on e-office for smooth implementation and optimal utilization of e-office system. As a result, Department of Justice is one of the top performing Ministries/ Departments of Government of India who have moved into complete e-office platform.

28. OFFICIAL LANGUAGE SECTION:

Objective: Official Language Section assists the Department in discharging the responsibilities of implementation of Official Language policy of Union of India, the Official Languages of Act, 1963, the Official Language Rules, 1976 and the compliance of directions/instructions issued the by Department of Official Languages from time to time. This section is also entrusted with work of promoting the progressive use of Hindi in the Department in addition to the translation of various documents from English to Hindi and vice versa.

28.1 Collection and Review of Quarterly Progress Reports for Progressive use of Hindi: To review the progress made in the use of Hindi, Quarterly Progress Reports for progressive use of Hindi were collected regularly from various sections of the Department. They were reviewed and shortcomings found in the reports were intimated to the concerned sections and certain remedial measures were suggested. On the basis on these reports and the data submitted by the Sections, consolidated reports were prepared and sent to Department of Official Language. These reports were also reviewed in the Official Language Implementation Committee meetings of the Department.

28.2 Meetings of the Official Language Implementation Committee: In the year 2019, the meetings of Departmental Official Language Implementation Committee (OLIC) were held in every quarter to review the implementation of progressive use of Hindi in the Department. Minutes of the meeting were circulated among all the members as well as officers and sections of the Department. This committee reviews the progress of Hindi in the Department and takes decisions thereon. In the meetings of this Committee, Annual Program issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, for transacting the official work of the Union Government in Hindi, is also discussed. In the year under reference, three meetings of this Committee were held regularly on 28-03-2019 (First), 28-06-2019 (Second), 30-09-2019 (Third) and 30-12-2019 (Fourth) respectively.

28.3 Incentive Schemes for doing work in Hindi: There are two schemes being implemented in the Department for promoting the use of Hindi. One is the scheme of noting and drafting in Hindi and the second is the scheme for giving dictation in Hindi. Under the scheme of Noting and Drafting, certificates and cash awards were given to 05 officers and employees of the Department by the Secretary (Justice) on Hindi Diwas organized in the Department on 16th September, 2019 (14th September, 2019 being a holiday).

28.4 Organizing of Hindi Workshops : With an object of promoting the progressive use of Hindi as an

Official Language and create awareness about the Official Language Act, 1963, Rules & Regulations and usage of Hindi in Official Language and to guide and encourage the staff to work in Hindi, Hindi workshop were organized in the Department on 25-02-2019 to 08-03-2019 (First), 03-06-2019 to 07-06-2019 (Second), 24-07-2019 to 30-07-2019 (Third) and 16-12-2019 to 20-12-2019 (Fourth) respectively. These workshops have helped in improving the work of Hindi Noting and Hindi correspondence of the Department.

28.5 Translation of various Documents of the Department into Hindi : During the period under review, Annual Report, E-Book, Outcome Budget, appointment / transfer / promotion / leave etc. notifications / letters, VIP reference, Cabinet Notes, Implementation Reports of the Assurances given in the Parliament Questions, various Documents pertaining to Parliamentary Standing Committees, Parliamentary Advisory Committee of the Department, Demands for Grants, NALSA, UNDP, Tele Law, PLVs and other documents of general nature which include Notifications, letters to be sent by the Hon'ble Minister, letters to be issued under the RTI Act, 2005, general orders of daily routine etc. were translated into Hindi. Materials relating to the Constitution Day like preparation of brochures, booklets, handouts, pamphlets, display cards, banners, PPTs were also translated in Hindi.

29. HINDI DIWAS AND HINDI FORTNIGHT:

In order to promote and encourage the implementation of Official Language in the Department, Hindi **Divas** was organized on 16th September, 2019 (14th September, 2019 being a holiday). On the occasion Hindi Divas message of Hon'ble Minister of Home Affairs was read out in the presence of Hon'ble Secretary (Justice). In his address, the Secretary (Justice) urged the officers and officials of the Department to do their maximum work in Hindi. In addition to this, Hindi Fortnight was organized in the Department from 2st September, 2019 to 16th September, 2019. During observance of Hindi Fortnight, four written competitions i.e. Hindi Essay, Hindi Translation, Hindi Typing and Hindi Dictation as well as two oral competitions i.e. debate and extempore speech were organized. Total 89 officers/officials participated in these competitions. Four cash prizes (First: Rs.3000/-, Second: Rs.2000/-, Third: Rs.1500/- and Fourth: Rs.1000/-) along with certificates were given away to the winners of each competition. The Secretary (Justice) gave away cash prizes and certificates to winner participants.

30. PURCHASE OF HINDI BOOKS:

During the year under reference, a list of books written by renowned Hindi writers and prominent personalities is being prepared for purchasing the books.

31. CONSTITUTION DAY AND CITIZENS' DUTIES (26TH NOVEMBER 2019 TO 26TH NOVEMBER 2020)

31.1 Introduction:

Department of Justice has been designated as the nodal agency for a nationwide program on creating awareness on Citizens' Duties including Fundamental Duties. The onus of the program is to enable wide participation from the citizens of India through various activities and events.

Hon'ble Minister of Law and Justice started the programme by writing to Hon'ble Governors and Hon'ble Chief Ministers of States/UTs to actively undertake as well as participate in activities in the

States through various Ministries /Departments.

In *Maan ki Baat* program dated 24.11.2019, Hon'ble Prime Minister mentioned about Constitution Day and our commitment to Constitutional values.

31.2 Constitution Day nation-wide celebrations 2019

Secretary (Justice) also written letters to all Chief Secretaries/Administrators, Secretaries of Government of India, Heads of all Subordinate Offices/Autonomous Bodies/PSUs, etc. requesting all of them to simultaneously read the Preamble on 26.11.2019 at 11.00 AM. A user name and password was created and assigned to all States/UTs/Ministries/ Departments of Government of India o upload information on the activities undertaken by them with photographs. As a result of above actions of Department of Justice, this turned out to be a historic event, with the Preamble being read widely at Central Government Offices, State Government offices, by Navy, Air Force and Army as far as at Siachen, Public Sector Undertakings, at Archaeological sites, Schools, Colleges, Municipal bodies, Gram Panchayats, Common Service Centers, Judiciary and at Indian Missions abroad.

In terms of schools alone, approx. 10 Crore students participated all over the country, across 36 States and UTs in the reading of the Preamble. 58 Lakh NSS &NYKS youth participated in Preamble reading with the support from Ministry of Youth Affairs. Further, approx. 18000 images and 1400 videos were received by DoJ through WhatsApp, Emails and the website of the Constitution Day celebration activities conducted on 26.11.2019.

Reading of the preamble on the forward post of the LC, Siachen Glacier

Tourists taking pledge on constitution day at historical monument of Pancharathas, Mamallapuram

Students taking pledge on constitution day at Kendriya Vidalaya, DRDO, Bengaluru (Karnataka)

31.3 Yearlong Activities for creating awareness on Citizens' Duties

Yearlong program to create awareness on citizens' duties including fundamental duties in India and overseas has been prepared by many Ministries and Departments of Government of India. Secretary (Justice) has taken meetings with the Secretaries of Ministries / Departments and review is being regularly conducted with various Ministries including M/o HRD; M/o Corporate Affairs, M/o Tribal Affairs; M/o of Road, Highways and Transport; M/o Micro, Small and Medium Enterprises; M/o I&B, Department of Posts etc. In these meetings the appointment of a nodal officer, indicative list of activities to be undertaken by the Ministries / Departments and to prepare an annual calendar to implement such activities has been stressed.

Till date, 25 State Governments and 21 Central Govt. Ministries/Departments have appointed Nodal Officers for the aforementioned tasks. Central Ministries and Departments have been proactively engaged in conducting various events such as the following:

1. My Gov, Ministry of Electronics & Information Technology - Conducted an online logo contest in November 2019 where 1109 people participate; Created an online platform for preamble reading and certificate generation- Total 6365 certificates generated till 06th January 2020. MyGov also conducted an online quiz competition from 26th November – 26th December 2019 where 1,03,329 people participated. MyGov is conducting online essay competition from 26th November, 2019 to 26th January, 2020. Total submissions received till 6th January 2020 is 4043. Most importantly, MyGov developed the hastag- #Itsmyduty for citizens to share stories of being "#Itsmyduty" in context of Fundamental Duties on social media.

2. Ministry of Railways - Provided a link of page on Fundamental Duties on the IRCTC website; printed Fundamental Duties on reverse side of tickets; South Centre Railway Organized essay competition on the topic Fundamental Duties and significance in present India at Zonal Railway Training Institution Moula-Ali (AP)

3. Ministry of Information & Broadcasting - Hon'ble PM emphasized on the importance of Constitution in "Mann Ki Baat" on 24.11.19; All India Radio (AIR) organized talk shows on 18th December 2019, in which Secretary (J) participated; Doordarshan has been regularly organizing weekly panel discussions on Constitution and Fundamental Duties on 10.30 PM on Saturday and repeat telecast on 2.00 PM on Sunday on DD News. Member Secretary (NALSA) participated in discussion held on 18th December 2019.

4. Department of Post – As a part of activities to create awareness on citizens' duties, Department of Post would be releasing a Commemorative Postage Stamp with 'First Day Cover' on Constitution of India tentatively fixed on 26th January 2020.

5. Ministry of Parliamentary Affairs - Organized Special function of both Houses of Parliament in Central Hall on 26th November 2019; Conducted Photo exhibition at PH Complex on Constitution on 26th November 2019; Launched portal based National Youth Parliament Scheme

6. Ministry of Rural Development – The Ministry has developed 11 short films on 11 FDs (approx 30-40 seconds duration); 1 consolidated film on 11 FDs (approx 1 min duration) and 11 radio jingles on 11 Fundamental Duties developed.

7. List of Resource persons from 20 SLSAs/DLSAs through NALSA and 8 State Bar Councils for delivering Talks and Lectures on Constitution and Citizens Duties have been made available on Department of Justice website. Request is being received from various Departments (for e.g Department of Financial Services) to provide resource persons to deliver Talk to their employees on various topics of Constitution.

8. All India Radio (AIR) organized talk shows on citizens' duties on 18th December 2019, in which Secretary (J) participated. Doordarshan is organizing weekly panel discussion on Constitution and Fundamental Duties on 10.30 PM on Saturday and repeat telecast on 2.00 PM on Sunday on DD News. Member Secretary (NALSA) participated in discussion held on 18th December 2019.

9. Department of Personnel and Training organized a digital exhibition on Constitution in the North Block campus.

31.4 Initiatives of Department of Justice.

On its part, the Department of Justice has conducted several important activities as part of preparation for the year long program on awareness generation on citizens' duties:

- A dedicated website has been developed for Constitution Day and Citizens' Duties.
- IEC material, quotes, photographs & videos gallery made available on website.
- Facility for uploading activity calendar, images and videos of activities by Ministries, State Govt., Judiciary, NGOs, CSRs enabled.
- (One) Brochure, (Twelve) Posters and (Three) Standees have been developed and uploaded on DoJ website and (One) Flyer is under approval. Brochure is now available in 13 languages (additional 9 language being made available). Translation of posters & standees in 22 languages is in progress.
- A list of 2,270 Resource persons from State/ District Legal Service Authorities (under NALSA) and 25 Resource persons from 8 State Bar Councils is available on www.doj.gov.in to deliver Talks/ Lectures on Constitution Day and Citizens' Duties.
- A Presentation for creating awareness on Constitution and Fundamental Duties specifically for school children is available on www.doj.gov.in.
- 10x 20 feet Preamble Wall (Banner) has been designed for reading Preamble and signing by the public. This will be put up at prominent places, events for creating awareness.
- 6500 Posters have been sent to 8 Regional Offices of Navodaya Vidyalaya Sangathan and 12000 posters to 25 Regional Offices of KVS.

31.5 World Book Fair 2020

Department of Justice put up a stall on Constitution Day and Citizens' Duties in the New Delhi World Book Fair held at Pragati Maidan from 4th January, 2020 to 12th January, 2020. The Stall displays "digital exhibition "that includes facts relating to Constitution, Constituent Assembly, excerpts of speeches of the founding members of the Constituent Assembly. A "Kiosk" for reading of Preamble has been set up to extol all especially children to read the Preamble and obtain a certificate of

reading the Preamble. A quiz competition, on the theme of 'Citizens Duties and Fundamental Duties, was held on 7th January 2020 at the Theme Pavillion (hall no. 7E) in World Book Fair, Pragati Maidan by Department of Justice for school children. The quiz contest was held in collaboration with the Delhi State Legal Services Authority. Each participating school and DLSA were presented with Fundamental Duties posters created by DoJ. The audience consisted of students as well as general public who were keenly interested in the topic of the quiz contest. In addition the Signature wall for reading Preamble &Fundamental Duties has also been placed outside the main hall to extol the public to read and sign showing their commitment to the Constitution and Fundamental Duties.

A Standee on Citizens' duties on display at the World Book Fair 2020

Pledge Wall at the New Delhi World Book Fair 2020

ANNEXURE-I

(See chapter-1, para 2)

ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

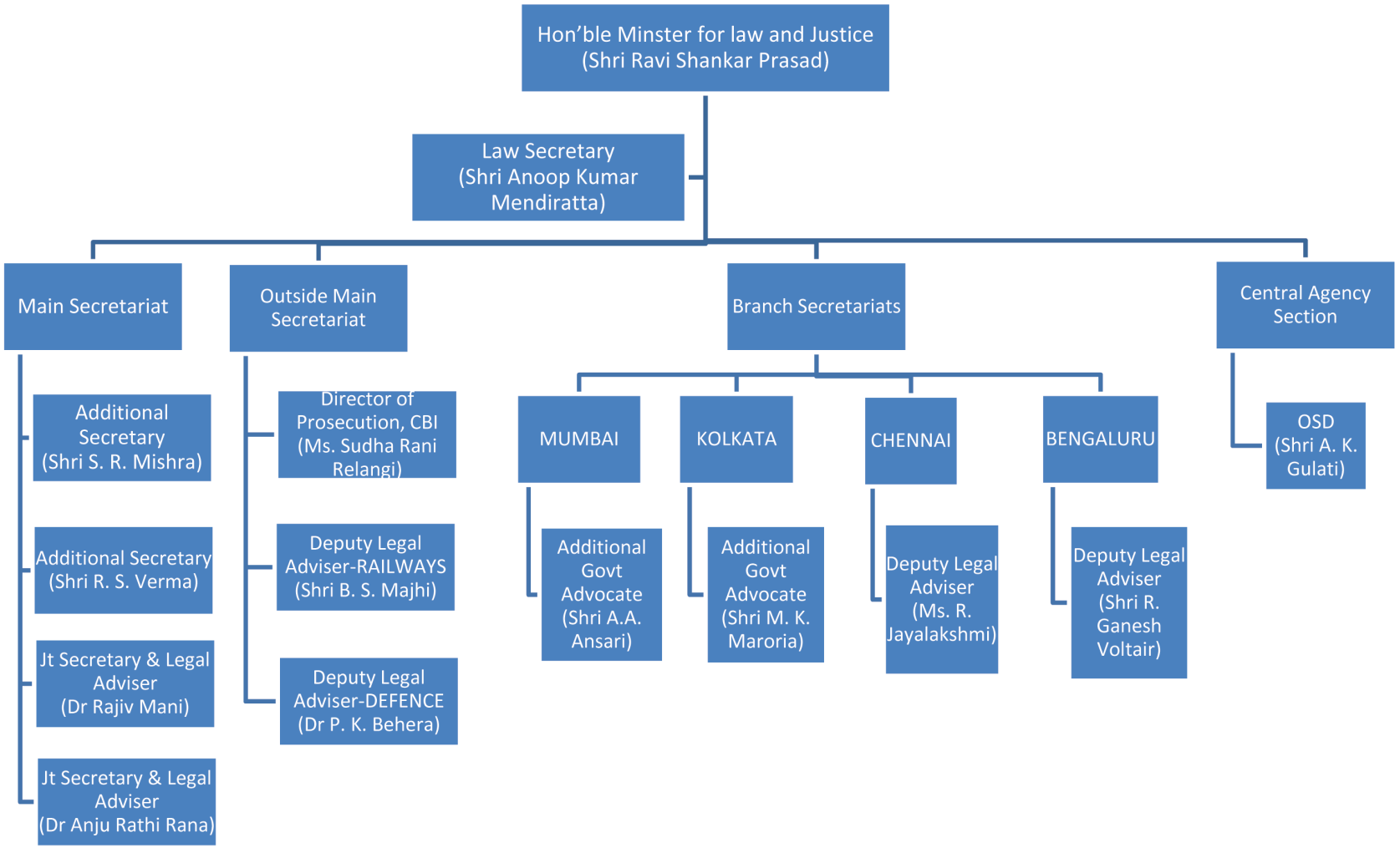

ANNEXURE-II

[See Chapter I, Para 18]

Reports given by the 21st Law Commission to the Government of India

Sl. No.	Report No. and Title of the Report	Details of Reference received from Central Government/ Supreme Court/High Court	Date of Submission
1.	**Report No. 263:** The Protection of Children (Inter-Country Removal and Retention) Bill, 2016	High Court of Punjab & Haryana in CR.No. 6449/ 2006 *Seema Kapoor and another* v. *Deepak Kapoor and ors.* (Order dt. 24.02.2016)	17.10.2016
2.	**Report No.264:** The Criminal Law (Amendment) Bill, 2017 (Provisions dealing with Food Adulteration)	Supreme Court, Civil Original Jurisdiction, WP No.159 of 2012.*Swami Achyutanand Tirth & Ors.* v. *UOI & Ors.*	17.01.2017
3.	**Report No. 265:** Prospects of Exempting Income arising out of Maintenance Money of Minor.	Order Dt. 27.10.2016 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana in FAO-M-183 of 2012 *Payal Mehta* v. *Sanjay Sarin*	20.03.2017
4.	**Report No.266** The Advocates Act, 1961 (Regulation of Legal Profession)	Supreme Court, Cr. Appeal No.63/2006*Mahipal Singh Rana* v. *State of U.P.*	23.03.2017
5.	**Report No.267:** Hate Speech	Supreme Court Judgment in WP (C) 157/ 2013.*Pravasi Bhalai Sangathan* v.*UOI & Ors.*	23.03.2017
6.	**Report No.268 :** Amendments to Criminal Procedure Code, 1973– Provisions Relating to Bail	Ministry of Law &Justice, D/o Legal Affairs, New Delhi.	23.05.2017
7.	**Report No. 269:** Transportation and House-keeping of Egg-laying hens (layers) and Broiler Chickens.	Ministry of Law &Justice, D/o Legal Affairs, New Delhi.(Letter dated 02.3.2017)	03.07.2017
8.	**Report No. 270:** Compulsory Registration of Marriages	Ministry of Law &Justice, D/o Legal Affairs, New Delhi.(Letter dated 16.2.2017)	04.07.2017

Sl. No.	Report No. and Title of the Report	Details of Reference received from Central Government/ Supreme Court/High Court	Date of Submission
9.	**Report No.271:** Human DNA Profiling – A draft Bill for the Use and Regulation of DNA-Based Technology	Ministry of Science and Technology, D/o Biotechnology, New Delhi(on reference from PMO)	26.07.2017
10.	Examination of National Litigation Policy, 2016	(i) Dept. of Legal Affairs (ii) PMO	05.06.2017
11.	**Report No. 272:** Assessment of Statutory Frameworks of Tribunals in India	Supreme Court, Civil Appeal No.3455/ 2010*Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd.* v. *Essar Power Ltd.*	27.10. 2017
12.	**Report No. 273:** Implementation of 'United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment' through Legislation	Ministry of Law & Justice, D/o Legal Affairs, New Delhi.	30.10.2017
13.	**Report No. 274:** Review of Contempt of Courts Act,1971(Limited to section 2 of the Act)	Ministry of Law & Justice, D/o Justice, New Delhi.	17.4.2018
14.	**Report No. 275:** Legal Framework: BCCI vis-à-vis Right To Information Act, 2005	Supreme Court Judgment in Board of Control for Cricket v. Cricket Association of Bihar &Ors.,(2015) 3 SCC 251.	18.04.1018
15.	**Report No. 276:** Legal Framework: Gambling And Sports Betting Including In Cricket In India	Supreme Court Judgment in Board of Control for Cricket in India v. Cricket Association of Bihar & Ors. (2016) 8 SCC 535	05.07.2018
16.	**Report No. 277:** Wrongful Prosecution (Miscarriage of Justice): Legal Remedies	Delhi High Court (Babloo Chauhan @ Dabloo v. State Government of NCT of Delhi, 247 (2018) DLT 31)	30.08.2018

ANNEXURE-III

[See Chapter I, Para 21]

Total number of Employees of I.T.A.T. including SCs, STs, OBCs, ExS, PH upto 01.12.2019.

GROUP A	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-service men	PH
President	1	1	-	-	-	-	-
Vice President	8	6	-	-	2	-	-
Accountant Member	41	20	5	2	13	-	1 (O.H.)
Judicial Member	39	23	7	1	8	-	-
Registrar	1	1	-	-	-	-	-
Deputy Registrar	2	2	-	-	-	-	-
Assistant Registrar	12	5	3	1	3	-	-
Hindi Officer	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**104**	**58**	**15**	**4**	**26**	**0**	**1**

GROUP B	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-servicemen				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Senior P.S.	91	50	13	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Private Sectretary	17	6	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Superintendent	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Suptd.	62	42	9	2	8	-	-	-	-	-	1	-	-
Hindi Translator	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Accountant	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Librarian	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**174**	**102**	**26**	**4**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

Note: 07 post of Sr. Hindi Translator filled on Ad-hoc basis

GROUP C	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-servicemen				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Upper Division Clerk	75	32	10	5	24	-	-	2	-	-	-	-	2
Steno Grade 'D'	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lower Division Clerk	115	56	25	8	23	-	-	1	-	-	-	2	-
Staff Car Driver	30	3	9	1	4	1	1	7	4	-	-	-	-
TOTAL	**221**	**92**	**44**	**14**	**51**	**1**	**1**	**10**	**4**	**0**	**0**	**2**	**2**

	No of employees	GEN	SC	ST	OBC	Ex-servicemen				PH			
						SC	ST	OBC	GEN	SC	ST	OBC	GEN
Multi-Tasking Staff	191	86	44	15	46	1	0	7	8	3	0	3	1
TOTAL	**191**	**86**	**44**	**15**	**46**	**1**	**0**	**7**	**8**	**3**	**0**	**3**	**1**

ANNEXURE-IV

[See Chapter I, Para 23]

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMENT AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON THE 01.01.2020.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

Group	Total No. of Employees	Scheduled Castes	% of total employees	Scheduled Tribes	% of total employees	Other Back-ward Classes	% of total employees	Ex-service-men	% of total employees	Physically Handicapped	% of total employees
Group 'A'	143	38	26.57	6	4.19	15	10.48	-	-	2	1.39
Group'B'	186	27	14.51	8	4.30	28	15.05	3	1.61	6	3.22
Group 'C' (excluding safaiwala)	269	73	27.13	13	4.83	33	12.26	-	-	2	0.74
Group 'C' (safaiwala)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	598	138	23.07	27	4.51	76	12.70	3	0.50	8	1.33

* The above statement includes information in respect of posts existing in Legislative Department, Law Commission and Central Agency Section also pertaining to cadres being controlled by this Department.

* The above statement does not include information about posts in Income Tax Appellate Tribunal (ITAT).

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DURING THE YEAR 2019-20
Department of Legal Affairs

Scheduled Castes

Group of post	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved	No. of SC candidates appointed	Short-fall	No. of ST candidates appointed against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward	No. of SC vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 10+11)
	Notified	Filled	Out of col.2	Out of col.3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Other than Lowest rung – Group 'A' and Lowest rung of Group 'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group'B'	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group'C' (excluding Safaiwala)	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Scheduled Tribes

Group of post	Total no. of vacancies reserved	Total no. of vacancies reserved	No. of ST candidates appointed	Short-fall	No. of SC candidates appointed against vacancies reserved for STs in the third year of carry forward	No. of ST vacancies carried forward to next year	No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 years	No. of reservations lapsed from 1980 till the end of the year previous to the year of review	Progressive total of reservation lapsed (col. 19+20)
	Out of col.2	Out of col.3							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Other than Lowest rung – Group 'A' and Lowest rung of Group 'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (excluding Safaiwala)	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* **Vacancies in r/o various posts belonging to cadres of CSS and CSSS are calculated by DoP&T. Only the vacancies belonging to Group 'C' Posts of CSCS cadre are calculated by this Department which are yet to be notified.**

Part II. – Posts filled by Promotion (on seniority-cum-fitness)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group 'A'(i) Other than Lowest rung (ii) Lowest rung of Group 'A'	—	37	—	—	14	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	-	30	—	—	5	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (excluding Safaiwala)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'B'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C' (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Part III – Posts filled by Promotion (by selection)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Group 'A'(i) Other than Lowest rung (ii) Lowest rung of Group 'A'	-	-	—	—	-	—	—	—	—	—	—
Group 'B'	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (excluding] Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Group 'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lowest rung of 'A'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'B'	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C' (excluding Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'C' (Safaiwala)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNEXURE-V

[See Chapter I, Para 23]

REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES

GROUPS	**DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (Including Legislative Department)**	
	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	**NO. OF FEMALE EMPLOYEES**
GROUP A	143	41
GROUP B	186	54
GROUP C(Excluding Safaiwala)	269	16
GROUP C (Safaiwala)	-	-
TOTAL	**598**	**111**

GROUPS	**INCOME TAX APELLATE TRIBUNAL**	
	TOTAL NO. OF EMPLOYEES	**NO. OF FEMALE EMPLOYEES**
GROUP A	104	10
GROUP B	174	55
GROUP C	221	56
MTS	191	10
TOTAL	**690**	**131**

ANNEXURE-VI

[See Chapter I, Para 24]

ANNEXURE-VII

[See Chapter I, Para 25]

ANNEXURE-VIII

(See Chapter-2, Para-2)

Organisation Chart of Legislative Department

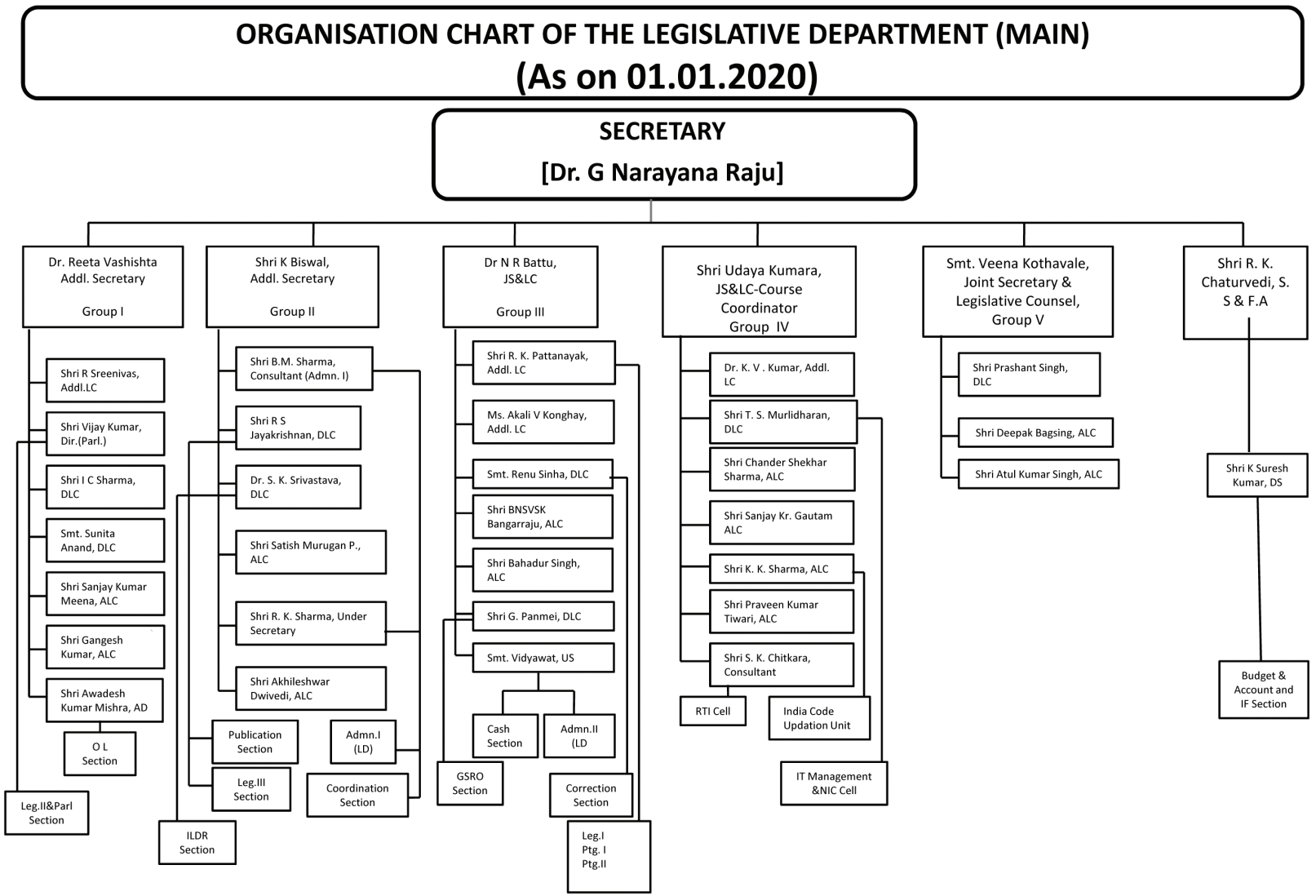

ANNEXURE-IX

(See Chapter- II, Para 43)

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF GOVERNMENT SERVANTS AND THE NUMBER OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED AMONGST THEM AS ON 1st January, 2020 .

Group	No. of Employees	SC	%	ST	%	OBC	%	Ex-Service-men	%	Physically Handicapped	%
A	78	11	14.10	5	6.41	17	21.79	-	-	2	2.56
B	101	21	20.79	3	2.97	14	13.86	-	-	3	2.97
C	110	27	24.54	8	7.27	17	15.45	-	-	-	-
Total	**289**	**59**	**20.41**	**16**	**5.53**	**48**	**16.60**	**-**	**-**	**5**	**1.73**

ANNEXURE-X

(See Chapter- II, Para 43)

REPRESENTATION OF FEMALE EMPLOYEES IN THE LEGISLATIVE DEPARTMENT AS ON 01-01-2020

GROUP	Total No. of Employees	No. of Female Employees	Percentage(%)
Group 'A'	78	17	21.79
Group 'B'	101	35	34.65
Group 'C'	110	13	11.81
Total:-	**289**	**65**	**22.49**

ANNEXURE-XI

(See Chapter- II, Para 44)

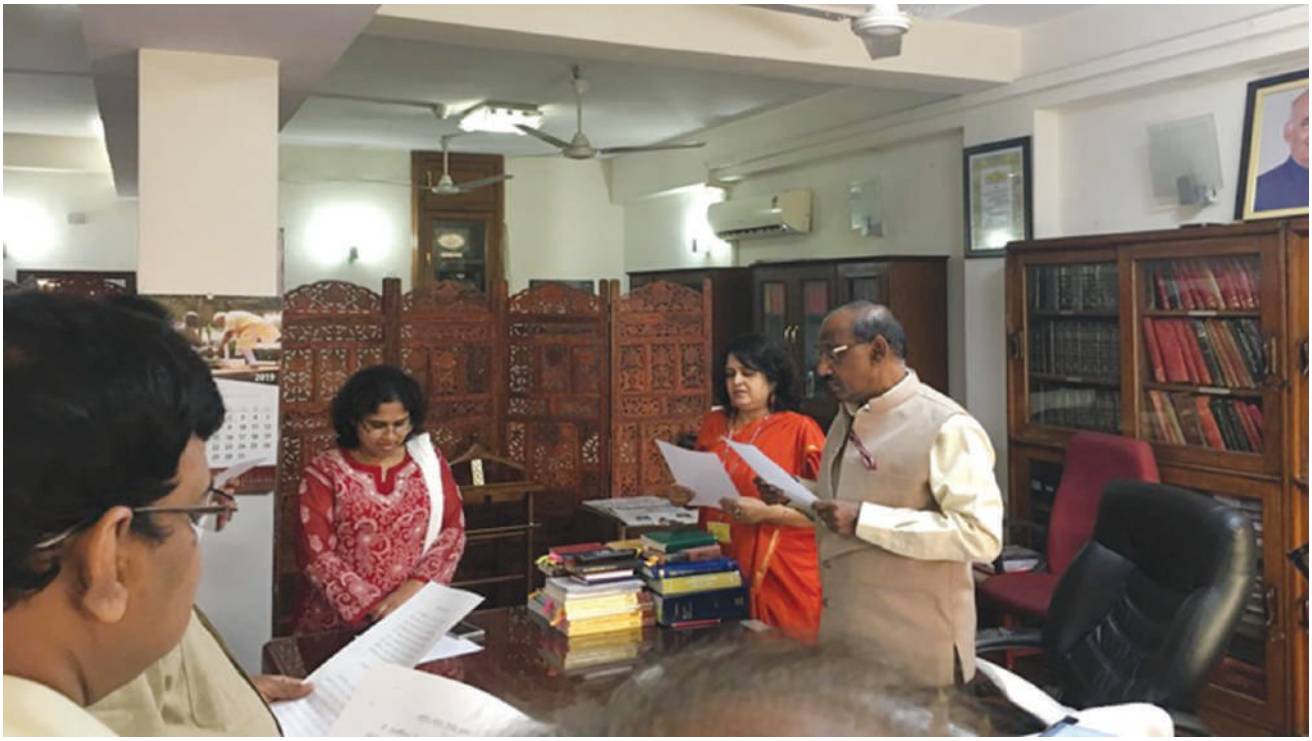

ANNEXURE – XII

(See Chapter- III, Para- 1)

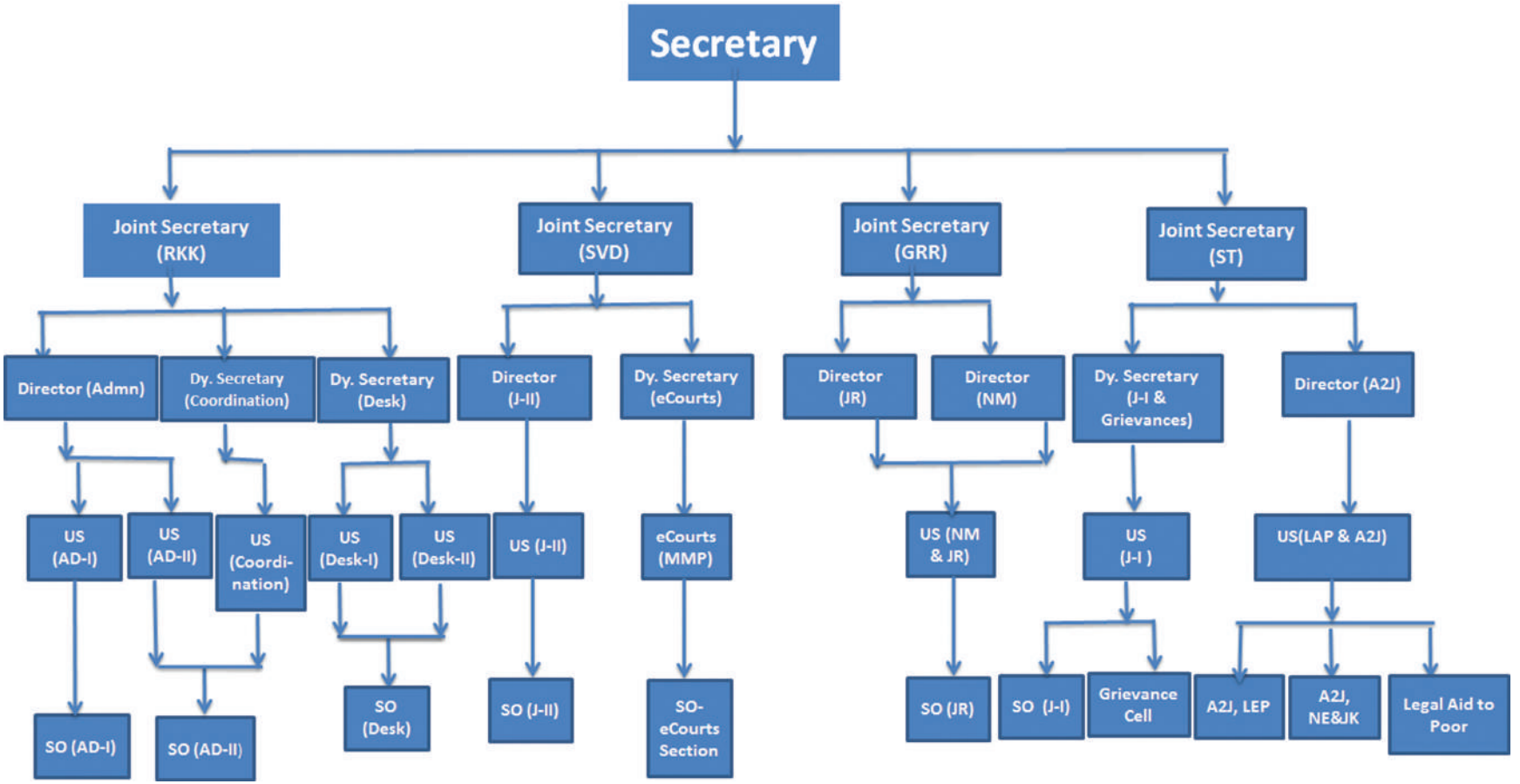

RKK : Shri Rajinder Kumar Kashyap

SVD: Shri Sadanand Vasant Date

GRR : Shri G. R. Raghavender

ST : Smt. Sushma Taishete

ANNEXURE-XIII

(See Chapter-III, Para- 18.2)

Subordinate Judiciary -Latest Vacancy State Wise Report as on 20.12.2019

Sl. No.	States & Uts	Total Sanctioned Strength	Total Working Strength	Total Vacancy
1.	Andaman and Nicobar	0	13	-13
2.	Andhra Pradesh	597	529	68
3.	Arunachal Pradesh	41	27	14
4.	Assam	441	412	29
5.	Bihar	1847	1161	686
6.	Chandigarh	30	29	1
7.	Chhattisgarh	468	394	74
8.	D & N Haveli	3	3	0
9.	Daman & Diu	4	3	1
10.	Delhi	799	681	118
11.	Goa	50	43	7
12.	Gujarat	1506	1185	321
13.	Haryana	772	475	297
14.	Himachal Pradesh	175	152	23
15.	Jammu and Kashmir	290	232	58
16.	Jharkhand	677	462	215
17.	Karnataka	1345	1106	239
18.	Kerala	536	461	75
19.	Lakshadweep	3	3	0
20.	Madhya Pradesh	2021	1587	434
21.	Maharashtra	2189	1942	247
22.	Manipur	55	39	16
23.	Meghalaya	97	49	48
24.	Mizoram	64	46	18
25.	Nagaland	33	25	8
26.	Odisha	919	771	148
27.	Puducherry	26	11	15
28.	Punjab	675	579	96
29.	Rajasthan	1428	1121	307
30.	Sikkim	25	19	6
31.	Tamil Nadu	1224	1087	137
32.	Telangana	413	334	79
33.	Tripura	120	96	24
34.	Uttar Pradesh	3416	2012	1404
35.	Uttarakhand	294	228	66
36.	West Bengal	1014	920	94
		23597	**18237**	**5360**

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

Printed at : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531